खण्ड-376, अंक-3
शुक्रवार, 16 फाल्गुन, शक संवत् 1907
(7 मार्च, 1986 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 376 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1986

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 7 मार्च, 1986

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री त्रिलोक चन्द्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अकबर हुसैन बावर, श्री	फैजाबाद	रजनी कान्त दत्त, डा0	वाराणसी
अचल सिंह, श्री	फतेहपुर	रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री	रायबरेली
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर	राकेशधर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन	राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
ओमप्रकाश रिछारिया, श्री	झांसी	राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर	राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
किशन सिंह तड़ागी, श्री	नैनीताल	रामपाल सिंह एडवोकेट, श्री	गोण्डा
कृष्ण दत्त उर्फ बालराज, श्री	फतेहपुर	विक्रमादित्य पोण्डेय, श्री	बलिया
कैलाश प्रसाद, श्री	गोरखपुर	विष्णु देव, श्री	आजमगढ़
कोकब हमीद, श्री	मेरठ	वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
कौशिक रमाशंकर, श्री	मुरादाबाद	शफीकुर्रहमान बर्क, श्री	मुरादाबाद
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर	शारदा प्रताप, श्री	लखनऊ
जफर अली नकवी, श्री	लखनऊ	शीनाथ सिंह, श्री	बिजनौर
जय नारायण शर्मा, श्री	मेरठ	शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
जागन सिंह, श्री	रामपुर	शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिवबाबू, श्री	गोरखपुर
नरेन्द्र देव, श्री	मिर्जापुर	संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
नरेन्द्र पाल सिंह, श्री	बरेली	सरावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
नरेश चन्द्र, श्री	लखनऊ	सखावत हुसैन, श्री	मुरादाबाद
नारायण हरि शर्मा, श्री	अलीगढ़	सत्य प्रकाश विकल, श्री	आगरा
नरोत्तम सिंह, श्री	बदायूं	सन्तन बड़थ्वाल, श्री	चमोली
निर्भय पाल सिंह, श्री	सहारनपुर	समरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
पद्मा सेठ, श्रीमती	सीतापुर	सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़	सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
बलदेव सिंह, कैप्टेन	अलीगढ़	सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
बाबू सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
बुधपाल सिंह	बुलन्दशहर	हरशरन सिंह, श्री	मेरठ
"खुर्जावाले", श्री		हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
बैजनाथ, श्री	देवरिया	हर्ष वर्धन, श्री	गोरखपुर
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री	एटा	हीरा सिंह बिष्ट, श्री	देहरादून
मोहम्मद असलम खां, श्री	सहारनपुर		

नोट–श्री सिब्ते रजी, शिक्षा मंत्री, कु0 सरस्वती अम्माल, श्रम राज्यमंत्री ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 7 मार्च, 1986

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उर्वरकों के निर्धारित मूल्य पर छूट दिये जाने की मांग

**1—श्री बदन सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उर्वरकों की अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के कृषकों को अपनी ओर से अनुदान (छूट) देने का कष्ट करेंगे? यदि हां, तो कब से और कितनी?

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)—

उर्वरकों के मूल्य का निर्धारण भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में है प्रदेश शासन के सीमित संसाधनों को देखते हुए वर्तमान में सरकार की ओर से कोई छूट दिया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि खाद के मूल्य का निर्धारण करने का काम भारत सरकार करती है और यह प्रदेश सरकार संसाधनों के अभाव में छूट देने में असमर्थ है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आचार्य नरेन्द्र देव विश्वविद्यालय और पंतनगर कृषि विश्व-विद्यालय के आंकड़ों के अनुसार गेहूं का लागत मूल्य 237 रुपये आता है, तो कृषि के लागत मूल्यों को देखते हुए और उत्पादन कम होता है, तो छूट देने में शासन को क्या कठिनाई है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, यह तो सीमित प्रश्न है कि मौजूदा स्थिति में क्या कोई अनुदान या छूट दी जा सकती है। तो मैंने कहा कि वर्तमान में इस तरह की कोई स्थिति नहीं है।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, मंत्री जी ने उत्तर दिया कि वित्तीय संसाधनों के अभाव में छूट देने में हम असमर्थ हैं, लेकिन लघु एवं सीमांत कृषकों को यह छूट 25 से 30 प्रतिशत तक देते थे जो भ्रष्टाचार के कारण फरवरी, 1986 में बन्द कर दिया है। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु सभी किसानों को क्या यह छूट, जो पहले देते थे, पुनः देने की कृपा करेंगे जिससे भ्रष्टाचार समाप्त हो सके?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया और इस सम्बन्ध में यह प्रश्न नहीं है कि पहले क्या हुआ और अब क्या हुआ? प्रश्न यह है कि क्या छूट इस समय दी जा सकती है, तो इसमें स्पष्ट कहा चूंकि सीमित साधन हैं लिहाजा प्रदेश सरकार कोई सब्सिडी देने की स्थिति में नहीं है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि जो खाद किसानों को बढ़ी हुई कीमतों में पहुंची, तो बढ़ी हुई कीमत की छूट देने के लिए भारत सरकार से आप प्रार्थना करेंगे कि ऐसी हालत में प्रदेश के किसानों को छूट देने के लिए वह प्रदेश सरकार को सहायता दे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैंने पहले ही स्पष्ट जवाब दे दिया है और प्रयास में हम और आप दोनों शामिल हैं।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि सीमित संसाधनों के कारण मूल्य में कमी करना सम्भव नहीं है। तो क्या भविष्य के लिए विचार करेंगे कि जो आप छूट लघु और सीमांत कृषकों को देते हैं जिसका व्यापक रूप में व्यापारियों ने दुरुपयोग किया है, तो क्या भविष्य में छूट की जो राशि देते हैं, उसके समान खाद के मूल्य में कमी कर देंगे और किसानों को, सीमा बांध देंगे कि इतना देंगे ताकि भ्रष्टाचार न हो और किसानों को उचित लाभ मिल सके?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, जो भी छूट दी गयी है वह किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिये है। कभी सूखा और बाढ़ हुई तो केन्द्र से मदद मिल गयी और इस साल केन्द्र से अच्छी मदद मिल गयी थी, इसलिए किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने की कोशिश किया।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, जो यह लघु और सीमांत कृषकों को छूट दी जाती है क्या भारत सरकार से यह सिफारिश करेंगे कि इन सारी छूटों को समाप्त करके इन्हीं पैसों से खाद की कीमत कम कर दी जाय ?

श्री उपाध्यक्ष–

मैनेजर सिंह जी का यही सवाल था जो आपने पूछा है। उस पर मंत्री जी जो जवाब दे चुके हैं वही काफी है।

श्री किरनपाल सिंह–

मैं मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि जो आपने गत दिनों में लघु और सीमांत कृषकों को छूट दी है, हर जनपद में उसका ठीक से, सही प्रकार से बंटवारा नहीं हुआ है, इस मेरी जानकारी को सही मानते हुए क्या जिला स्तर पर ऐसे आदेश भेजने की कृपा करेंगे कि यदि ऐसी अनियमितता हुई है तो उसमें कार्यवाही की जाएगी?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मैं इसके पहले भी जवाब दे चुका हूं कि जांच के आदेश दिये जा चुके हैं और मैं समझता हूं कि आपने उसे पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। उसकी जांच हो रही है।

श्री कनक सिंह–

क्या यह सही है कि जो छूट पर खाद दिया गया था वह बहुत वर्षों पुराना था और सन् 72 की डम्प खाद को दिया गया था?

श्री उपाध्यक्ष–

इसका वह जवाब दे चुके हैं, मैं अब इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री मनोहर लाल–

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय कानपुर और पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कृषि उत्पादन में काफी लागत आती है। मंत्री जी भारत सरकार से इस बात की सिफारिश करेंगे कि कृषकों को छूट दी जाए या इस बात पर विचार करेंगे कि जैसा पहले से होता रहा है वैसा ही किया जाएगा या आप नई प्रणाली लागू करेंगे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

बदन सिंह जी ने भी वैसा ही प्रश्न किया था, मैं उसका जवाब दे चुका हूं।

श्री विजय सिंह राणा–

आप वित्तीय संसाधनों के कारण छूट नहीं दे पाये हैं, तो क्या गेहूं आदि के दाम बढ़ाने की कृपा करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष–

यह प्रश्न इससे पैदा नहीं होता है।

श्री राम सागर–

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानकारी चाहता हूं कि इस वर्ष बाढ़ और ओला से सारी फसलें और झुलसा रोग से आलू की फसलें नष्ट हो गई हैं, साथ ही खाद के दाम में अप्रत्याशित वृद्धि कर दी गई है, वह खाद के बढ़े हुए दामों को वापस लेने की कृपा करेंगे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूं।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करना चाहते हैं, इसलिए किसानों को छूट नहीं देना चाहते हैं। कृषि मंत्री जी देखें कि लघु और सीमान्त किसानों को छूट दिसम्बर में दी गयी थी जब खेत बो दिये गये थे और खाद की आवश्यकता नहीं थी। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो लघु और सीमान्त किसान हैं उनको खेत बोने के समय पर छूट दे देंगे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, वैसे यह प्रश्न नहीं उठता है। इसके बारे में मैं बहुत विस्तार से जवाब दे चुका हूं कि किन-किन तारीखों को छूट दी गयी है और वह किसानों को समय से पहुंची या नहीं।

श्री जयदीप सिंह बरार–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि संसाधनों का अभाव है इसलिए छूट देने में असमर्थ हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि खाद के दाम बढ़ जाने से काश्तकारों के कृषि उत्पादों की कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ गयी है। आपने पहले जो केन्द्र सरकार से संस्तुति की थी वह पुराने दामों के आधार पर की थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह खाद और डीजल के बढ़ते हुए मूल्यों को ध्यान में रखते हुए गेहूं और रबी के खाद्यान्नों के कास्ट आफ प्रोडक्शन में जो वृद्धि हो गयी है उसके अनुसार केन्द्र सरकार से समर्थन मूल्य दिलवाने की कृपा करेंगे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

यह प्रश्न ऐसा है कि किसी रूप में सभी ने इसी को किया है। मैं इसका जवाब दे चुका हूं।

श्री राम सरन–

मान्यवर, जो सवाल मंत्री जी से पूछा जाता है उसके जवाब में कहते हैं कि इसका जवाब मैं दे चुका हूं। तो मान्यवर, यह इसकी किताब लिख दें। और उसको बंटवा दें।

मुंसिफ परीक्षा हेतु अधिकतम आयु सीमा

**2–श्री राकेश धर त्रिपाठी (अनुपस्थित) तथा श्री अनुग्रह नारायण सिंह (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री जी को जानकारी है कि मुंसिफ परीक्षा हेतु आयु सीमा 35 वर्ष थी जिसे अब घटाकर 30 वर्ष कर दी गयी? यदि हां, तो ग्रामीण युवकों को अवसर प्रदान करने हेतु मुंसिफ परीक्षा की आयु सीमा पुनः 30 वर्ष से बढ़ाकर 35 वर्ष करने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

जी नहीं। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली, 1951, के नियम 11, जो सुविधा हेतु नीचे उद्धरित है, के अनुसार मुंसिफ परीक्षा के लिए

अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु-सीमा 30 वर्ष है :–

"11-आयु-कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु आयोग द्वारा सेवा में भर्ती के लिए परीक्षा की घोषणा के दिनांक से आगामी पहली जनवरी को 30 वर्ष से अधिक और 21 वर्ष से कम हो, इस सेवा में भर्ती नहीं किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में आयु की उच्चतर सीमा पांच वर्ष अधिक होगी।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई अभ्यर्थी अपनी आयु के आधार पर किसी ऐसे वर्ष में जिसमें परीक्षा नहीं हुई ऐसी परीक्षा में बैठने का हकदार होता तो उसे अपनी आयु के आधार पर आगामी परीक्षा में बैठने का हकदार समझा जायगा।"

उपरोक्त आयु सीमा को बढ़ाने अथवा घटाने के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय तथा लोक सेवा आयोग की सहमति आवश्यक है। अतः इस संबंध में शासन को जो सुझाव/प्रार्थनायें प्राप्त हुई हैं उन्हें मा0 उच्च न्यायालय को विचारार्थ तथा उनकी संस्तुति हेतु भेजा जा चुका है परन्तु उच्च न्यायालय से आयु सीमा बढ़ाने की संस्तुति प्राप्त नहीं हुई।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्पलाईज यूनियन के सदस्यों द्वारा प्रदर्शन

*1–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 विद्युत परिषद् की प्रबन्ध व्यवस्था को लेकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्पलाईज यूनियन (हिन्द मजदूर सभा) के 25,000 सदस्यों ने 7 जनवरी, 86 को विधान भवन के समक्ष प्रदर्शन किया था? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं और शासन को उन मांगों को माने जाने में कौन-कौन सी कठिनाइयां हैं?

ऊर्जा मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)–

यूनियन ने दिनांक 7-1-1986 को शक्ति भवन से जी0 पी0 ओ0 पार्क तक रैली निकाली थी।

मांगों की सूची संलग्नक† "क" पर उपलब्ध है।

मांगों पर टिप्पणी संलग्नक † "ख" पर उपलब्ध है।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, यह जो नत्थी "ख" है इसमें परीक्षण की बात कही गयी है और यह कहा गया है कि वेतन समिति ने कुछ संस्तुतियां की थीं जिनका अध्ययन किया जा रहा है। तो मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इन संस्तुतियों का अध्ययन करने के लिए कोई कमेटी गठित की गयी है और यदि गठित की गयी है तो कब तक निर्णय ले लिया जायेगा?

श्री सुनील शास्त्री–

मान्यवर, वेतन समिति गठित की गयी थी जिसकी रिपोर्ट राज्य विद्युत परिषद् को प्रस्तुत की गयी और उनकी कार्मिक शाखा उसका अध्ययन कर रही है। जैसे ही उन पर विचार हो जायगा और निर्णय लेने की बात होगी तो निर्णय लिया जायगा।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह–

मान्यवर, मांग संख्या 1 और 13 के

† (छापी नहीं गयी)।

बारे में कहा गया है कि वेतन समिति की संस्तुतियां 1-2-86 को प्राप्त हुयीं तो वह संस्तुतियां क्या हैं और कब तक निर्णय ले लिया जायगा?

श्री सुनील शास्त्री–

मान्यवर, मैंने जैसा अभी स्पष्ट किया कि वेतन समिति की संस्तुतियों का अध्ययन इस समय राज्य विद्युत परिषद् में किया जा रहा है। उनमें कई बिन्दु ऐसे हैं जो समिति ने उठाये हैं। सारी संस्तुतियां विचाराधीन हैं। अगर आवश्यक समझें तो बाद में इसकी जानकारी दिला दी जायगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि मांगों में एक मांग यह भी है कि मस्टर रोल के कर्मचारी जो काम करते हैं उनके प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार करके नियुक्ति करने पर विचार किया जायगा। इस सम्बन्ध में शासन की नीति क्या है? माननीय मंत्री जी ने संस्तुतियों के बारे में बताया तो मैं जानना चाहूंगा कि इनका परीक्षण कब तक हो जायगा और कब तक निर्णय ले लिया जायगा?

श्री सुनील शास्त्री–

जहां तक मस्टर रोल कर्मचारियों का प्रश्न है, समय को देखते हुए आवश्यकतानुसार मस्टर रोल कर्मचारियों को समायोजित किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड की शाखा बीघापुर (उन्नाव) में खोले जाने की स्वीकृति

*2–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का उन्हें जुलाई, 1985 में भेजा हुआ कोई ऐसा पत्र मिला है जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड की एक शाखा बीघापुर (जनपद उन्नाव) में स्थापित करने की मग्ग की गयी है? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है और यह शाखा कब तक खोल दी जायेगी ?

सहकारिता मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)–

जी हां।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के स्थाई निर्देशानुसार सर्वे कराकर प्रस्ताव नाबार्ड को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। नाबार्ड की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् शाखा खोली जायेगी।

श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या माननीय सहकारिता मंत्री जी बतायेंगे कि यह प्रस्ताव नाबार्ड को स्वीकृति हेतु कब भेजा गया?

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, यह दिनांक 22-2-86 को स्वीकृति हेतु भेजा गया।

जनपद बुलंदशहर में सरकारी ऋण वसूल करने की नीति

*3–श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि गत वर्ष 1985 में जिला बुलंदशहर में सरकारी ऋण वसूल करने की क्या नीति रही है? क्या आसान किश्तों पर भुगतान प्राप्त करने का अधिकार जिला अधिकारी को था? इस वर्ष 1986 के लिए क्या नीति है?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)–

जनपद बुलंदशहर में गत वर्ष 1985 में सरकारी ऋण की बकाया धनराशि एक मुश्त वसूल करने की नीति रही थी।

आसान किश्तों पर भुगतान प्राप्त करने का अधिकार कलेक्टर को नहीं था परन्तु संस्थागत वित्त निदेशालय के पत्र दिनांक 27 अगस्त, 1983 में दिए गये सुझावों

के अनुसार जनहित में बैंक देयों की वसूली में किश्त बन्दी प्रक्रिया का उपयोग किया गया था।

राजकीय देयों की वसूली के संबंध में वित्त एवं राजस्व विभाग द्वारा क्रमशः दिनांक 7-12-85 व 9-12-85 को निम्नलिखित आदेश जारी किए गये हैं:-

1-सरकारी देयों की बकाया को वसूल करने के लिए तुरन्त कार्यवाही की जाय।

2-शासन द्वारा पूर्व में वसूली में स्थगन/किश्तों की सुविधा विषयक जारी किए गये आदेश निरस्त समझे जाएं तथा वसूली की कार्यवाही की जाए ।

3-जिन देयों की वसूली के विरुद्ध न्यायालयों के स्थगन आदेश हैं उन स्थगन आदेशों को संबंधित विभाग शीघ्र निरस्त कराने की कार्यवाही करें ।

4-उपरोक्त आदेश उन क्षेत्रों पर नहीं लागू होंगे जहां दैवी आपदा के कारण कोई सुविधा/छूट प्रदान की गयी हो ।

वर्ष 1986 में उक्त निर्देशों के अनुसार ही वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

श्री इम्तियाज मोहम्मद खाँ-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि गरीबी की रेखा के नीच रहने वाले लोगों को जो आई0आर0डी0 प्रोग्राम के द्वारा ऋण का वितरण हुआ है, क्या वह लोग एक मुश्त ऋण वापस करने में सक्षम हैं या नहीं? दूसरी बात मैं पूछना चाहूंगा कि वसूलयाबी अभियान के अंतर्गत इस वर्ष कितने वारन्ट जारी किये गये हैं और कितने गरीब मजदूरों को गिरफ्तार किया गया है तथा शासनादेश दिनांक 7-12-85 व 9-12-85 के जारी होने के परिणाम स्वरूप क्या ऋण की वसूलयाबी में बढ़ोत्तरी हुई और क्या संस्थागत वित्त निदेशालय एवं जिलाधिकारी को यह निर्देश देंगे कि ऋण की वसूलयाबी आसान किश्तों में करें?

श्री गौरी शंकर-

वैसे तो माननीय सदस्य ने एक साथ कई प्रश्नों को पूछा, लेकिन कदाचित उनका प्रश्न यह है कि जो गरीब लोग हैं, उनसे ऋण की वसूलयाबी आसान किश्तों में करने का आशय है। मान्यवर, इस संबंध में विधिक स्थिति यह है कि आसान किश्तों में ऋण की वसूलयाबी करने का प्राविधान अभी तक नहीं रहा है लेकिन बाद में वसूली की स्थिति को देखते हुए यह हुआ है कि वसूली की कार्यवाही एक मुश्त की जाए यदि कहीं कोर्ट के आदेश रहे हों, तो इसके लिए विभागों से कहा गया कि निरस्त कर दिया जाए। मान्यवर, माननीय सदस्य ने दूसरी बात गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के बारे में कही। तो इसमें अब 500 रुपये से नीचे की धनराशि वाले लोगों के विरुद्ध कोई उत्पीड़न की कार्यवाही न किए जाने के आदेश सरकार ने जारी किए हैं।

श्री किरनपाल सिंह-

मान्यवर, यह एक मुश्त वसूली कर रहे हैं वह तहसील में पहुंच जाती है और फिर उस पर 10 प्रतिशत आपका लग जाता है, तो जब आप एक किश्त वसूल कर रहे हैं और जो व्यक्ति आपको एक मुश्त देना चाहता है, तो उससे 10 प्रतिशत न लेकर जितना कर्जा उसके ऊपर है उसको ही लिया जाए, ऐसा करने की कृपा करेंगे?

श्री गौरी शंकर-

यह नीति विषयक प्रश्न है। जिस विभाग का पैसा होता है, उसे 10 प्रतिशत वसूल करने का अधिकार है। जैसे हमारा विभाग है तो उसे 10 प्रतिशत वसूल करने का अधिकार है, क्योंकि

उससे हमारे यहां सरकारी कर्मचारियों की नौकरी चलती है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 500 रुपये से कम पाने वालों के साथ उत्पीड़न की कार्यवाही न की जाए, ऐसे आदेश भेज दिए गये हैं, तो मैं निवेदन करूंगा 3500 रु0 सालाना से नीचे की आमदनी को आपने गरीबी की रेखा से नीचे माना है, तो जिन काश्तकारों की आमदनी 3500 रुपये से नीचे है, क्या आप ऐसे लोगों की वसूली की कार्यवाही स्थगित कराने की कृपा करेंगे या आसान किश्तों में वसूली कराने की कृपा करेंगे ?

श्री गौरी शंकर–

विधिक स्थिति में इसका अधिकार नहीं है। वैसे जिन विभागों का पैसा होता है, तो जैसे दैवी आपदा आ गई या और कोई संकट आ गया, बैंकों का पैसा तो आप जानते ही हैं कि बड़ी मुश्किल से रुकने की बात होती है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मेरी करबद्ध प्रार्थना है। मैंने सीधा प्रश्न पूछा है गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों से आसान किश्तों में वसूली कराने की कृपा करेंगे? आपके यहां 3500 रुपये से नीचे की आमदनी वाले लोग गरीबी की रेखा से नीचे माने जाते हैं, तो जिन काश्तकारों की गिनती इसमें है, उनसे आप आसान किश्तों में वसूली की कार्यवाही करने की कृपा करेंगे?

राजस्व मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)–

मान्यवर, जो ऋण दिए जाते हैं, वह अलग-अलग तरह के होते हैं कुछ ऋण ऐसे होते हैं जो पांच साल में वसूल होते हैं। कुछ ऋण ऐसे होते हैं जो एक मास में वसूल होते हैं तो ऋण लेने वाले के साथ जो शर्तें होती हैं, उन शर्तों के आधार पर किश्तों की वसूली होती है। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी कारोबार के लिए ऋण लिया, तो वह अगर किश्त दो साल में अदा नहीं करता है तो उससे एक मुश्त वसूली की जाएगी। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले बहुत कम लोग हैं जो ऋण लेते हैं। उनको तो अनुदान देकर उनका स्तर ऊपर उठाने की कोशिश की जा रही है। इस प्रकार के जो लोग ऋण लेते हैं, वह 500 से अधिक नहीं लेते हैं, उनके साथ उत्पीड़न की कार्यवाही का प्रश्न नहीं है। 500 रुपये के ऋण पर उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं की जाती है।

श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी–

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मान लीजिये किसी को 90 तक ऋण अदा करना है और 86 में एक किश्त वह नहीं दे पाया तो एक किश्त जो रुक गई है, उसको जमा करने के बाद शेष धनराशि किश्तों में वसूल की जायेगी । दूसरा बुलंदशहर में विभिन्न मदों के ऋणों में कितने लोगों को तहसील के कारागार में बंद किया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष–

पहले सवाल का जवाब मंत्री जी दें।

श्री गौरी शंकर–

एक किश्त न जमा होने पर वह लोग पूरा का पूरा पैसा जमा करने के लिये कहते हैं और उनको डिफाल्टर मान लेते हैं। माननीय सदस्य की बात में वजन है, जब ऐसी बात आयेगी तो विचार किया जायेगा।

श्री औसान सिंह–

मंत्री जी ने कहा कि 1986 के लिये जो वसूली की नीति बनाई गई है, उसमें जो दैवी आपदा से ग्रसित जनपद

हैं, उनमें यह नियम लागू नहीं होगा। क्या इटावा जनपद दैवी आपदा से ग्रसित है? यदि हां, तो क्या वहां इस नियम को स्थगित करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष–

मंत्री जी इटावा का क्या जवाब देंगे, यह तो पूरे प्रदेश का है।

श्री गौरी शंकर–

दैवी आपदा की परिभाषा में जो जनपद आते हैं, उसमें यह नियम है, चाहे इटावा हो, बुलंदशहर हो, चाहे आगरा हो।

श्री राम सरन–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो गन्ने में पायरिला रोग लगता है, इसको दैवी आपदा मानते हैं या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष–

इस सवाल से वह कहां आ रहा है।

श्री राम सरन–

यह भी दैवी आपदा है, जवाब दिलवाइये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं सरकारी कर्जे तक अपने को सीमित रखूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि 85 में पूरा प्रदेश बाढ़ और वर्षा से पीड़ित रहा। शासन की ओर से निर्देश दिया गया कि तीन महीने के लिये कृषि दरों की वसूली स्थगित कर दी गई है। तीन महीने बीत गये। बुलंदशहर समेत सभी जनपदों में वसूली की कार्यवाही चालू कर दी गई है और किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। फसल अभी कट कर काश्तकार के घर आयी नहीं है तो क्या तब तक के लिये जब तक फसल कटकर काश्तकार के घर न आ जाय, इसमें दो महीने का समय लगेगा, तब तक के लिये रोकने का कष्ट करेंगे?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, मा0 राजेन्द्र कुमार गुप्त और दूसरे मा0 सदस्यगण की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए इस पर विचार कर लिया जायगा।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने अपने उत्तर में कहा कि 500 रुपये से ऊपर ऋण वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जायगी और 500 तक नहीं की जायगी। उन्होंने 500 तक के लोगों के लिये रोकने की बात नहीं कही। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो गरीब लोग हैं, जिनका जीवन स्तर गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिये ऋण दिया जाता है, उनको 3000 रुपये की गाय और भैंस खरीदवायी जाती है। उन पर 1500 रु0 ऋण होता है। माननीय मंत्री जी ने 500 कहा है, जबकि 1500 रुपया गाय और भैंस देकर ऋण देते हैं, उनके खिलाफ उत्पीड़न की कार्यवाही करते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके राजस्व विभाग के मंत्री पद पर रहते गरीबों के साथ उत्पीड़न की कार्यवाही क्या आप उचित समझते हैं? कृपया 1500 रुपये तक जो ऋण प्राप्त करते हैं, उनके खिलाफ उत्पीड़न की कार्यवाही न करने का आश्वासन देंगे?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया कि मानवीय आधार पर जो कुछ भी विचार करने को बिन्दु आएंगे, उन पर विचार कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि व्यवस्था बहुत क्लीयर है। आप चाहे 10 सवाल पूछें लेकिन सीमा में रहें। जिस सवाल का जवाब आना चाहिये, उसी को पूछें।

श्री जयदीप सिंह बरार–

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान मा0 मंत्री जी ने जो लिखित उत्तर दिया है और जो पूरक प्रश्नों का उत्तर दिया, उन दोनों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। लिखे हुए उत्तर में कहा गया है कि आसान किश्तों पर भुगतान प्राप्त करने का अधिकार कलेक्टर को नहीं था परन्तु संस्थागत वित्त निदेशालय के पत्र दिनांक 27 अगस्त, 1983 में दिए गये सुझावों के अनुसार जनहित में बैंक देयों की वसूली में किश्त बंदी प्रक्रिया का उपभोग किया गया था, जबकि पूरक प्रश्नों के उत्तर में मंत्री जी कहते हैं कि बैंकों की वसूली बन्द नहीं कराई थी। लिखित में स्वयं कहते हैं कि स्वयं कराई थी। तो श्रीमन्, क्या कारण है कि 1983 में जब किश्त बंदी की थी तो अब क्यों नहीं कर सकते? पूरक प्रश्नों के उत्तर में कहा गया है कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग ऋण नहीं लेते। जबकि इस सदन को जानकारी है कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों को पकड़-पकड़ कर ऋण दिलवा रहे हैं। क्या कारण है कि जो नीति 1983 में अपनायी गयी थी, किश्तों में वसूली करने की, इस नीति को अब दोबारा आई0आर0डी0 में लाभार्थियों के लिये क्यों नहीं अपनाई जा रही है ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, माननीय सदस्य बरार जी ने वित्त विभाग की ओर से जो शासनादेश है, उसका संदर्भ दिया है। मान्यवर, 4 दिसम्बर, 1982 को यह निर्देश जारी किया गया था कि राजस्व मंत्री और वित्त मंत्री की मीटिंग के बाद यह तय किया गया कि राजस्व विभाग की ओर से इस तरह का आदेश नहीं दिया जायगा। बल्कि संस्थागत वित्त विभाग ने उसी के अनुरूप कार्यवाही की कि यदि आसान किश्तों में कर दिया जायगा तो ज्यादा वसूली होगी। इसलिये 1983 में कर दिया गया। बाद में कदाचित यह प्रसंग हुआ कि चूंकि आसान किश्तों में अच्छी वसूली नहीं हो रही है, इसलिये यह निर्देश जारी कर दिये गये कि किश्तों में वसूली न की जाय। यह बात भी माननीय सदस्यों के ध्यान में रहे कि मा0 सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है आसान किश्तों को दोबारा करने के लिये, शासन इस पर गंभीरता से विचार करेगा।

चौधरी श्याम लाल–

मान्यवर, 1983-84 में आई0आर0डी0 में जो लोनिंग हुई थी, उसमें सबसिडी सम्मिलित थी, जो ब्लाकों से लैप्स हो गयी है। मान्यवर, पूरी रकम की वसूली हो रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब तक सबसिडी समयोजित नहीं हो जाती है, एल0आर0 की वसूली आप वापस लेंगे?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, यह विषय हमारा नहीं है। दूसरे विभाग इसमें धन उपलब्ध करते हैं।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, जिन किसानों ने अपने हिसाब में गलत होने की शिकायत की और प्रार्थना-पत्र भी दिया है कि उनका हिसाब गलत है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब तक उनका हिसाब ठीक दर्ज न हो जाय, उनकी वसूली को स्थगित कराने की कृपा करेंगे?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, हमारे यहां विभिन्न विभागों जैसे कोआपरेटिव आदि से जो रिकवरी सर्टिफिकेट आते हैं, उनके आधार पर वसूली होती है। यह विषय तो संबंधित विभाग के समक्ष उठाना चाहिय। अगर संबंधित विभाग संशोधित रिकार्ड भेजता है, तो हम रोक सकते हैं। मान्यवर,

हमें जो रिकवरी सर्टीफिकेट मिलेगा, उसके हिसाब से वसूली करेंगे।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, जब से यह आदेश गये हैं तब से किसानों के ट्रेक्टर तहसील में लाये जा रहे हैं, बिजली के डिस्कनेक्शन किये जा रहे हैं जिससे कि कृषि के उत्पादन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है?

श्री उपाध्यक्ष–

उन्होंने तो कह दिया कि किश्तों पर विचार करेंगे।

श्री किरनपाल सिंह–

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप मासिक आसान किश्तों पर फिर से विचार करेंगे। मान्यवर, यहां किसानों को, गरीबों को वसूली के बारे में हवालातों में बंद कर दिया जाता है, जबकि किसी दूसरे देश में ऐसा प्राविजन नहीं है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या आप उन पुराने नियमों को संशोधित करके, हवालातों में बंद करने की प्रक्रिया बंद करेंगे?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, जो प्रश्न माननीय किरनपाल सिंह ने किया, उसका स्पष्ट उत्तर मैं दे चुका हूं। जो वसूली आदि की बात उठायी, ऐसे कुछ आंकड़े उपलब्ध हुए हैं कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हमने यह कहा है कि इनको आसान किश्तों में लेने के सम्बन्ध में जो पुरानी प्रक्रिया विधिक नहीं थी लेकिन परम्परागत रूप से चल रही थी, उसी को पुनः लागू करने के बारे में शासन गंभीरता पूर्वक विचार करेगा।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, पूर्व में जिलाधिकारी को यह अधिकार था कि अगर वह किसी कृषक की कठिनाई को देखता है तो उसकी वसूलयाबी को आसान किश्तों में या उसे मुल्तबी कर देता था क्या पुनः जनहित को देखते हुए यह अधिकार जिलाधिकारी को देने का कष्ट करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने कह तो दिया कि शासन इस पर विचार कर रहा है।

श्री गजराज सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कृषकों से व गरीब लोगों से वसूली की जा रही है और उनको अनुदान भी नहीं दिया जाता है। जब तहसील में रिकवरी को भेज दिया जाता है तो वे 10 परसेंट वसूली पर एक्सट्रा टैक्स लगा देते हैं। क्या माननीय मंत्री जी इसमें तब्दीली करेंगे जिससे कि उन्हें 10 परसेंट से कम टैक्स देना पड़े?

श्री उपाध्यक्ष–

इसका उत्तर तो माननीय मंत्री जी पहले ही दे चुके हैं।

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, यह तो नीतिगत विषय है।

[शुक्रवार, दिनांक 7 मार्च, 1986 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड खैराबाद तथा परसेड़ो का विद्युतीकरण

*1–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले के विकास खण्ड खैराबाद तथा परसेड़ी का ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए दुबारा सर्वेक्षण कराने हेतु प्रश्नकर्ता की ओर से कोई मांग पत्र 21-9-85 को अथवा उसके आस-पास किसी दिन उन्हें मिला ? यदि हां, तो उस पर शासन तथा उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है? सर्वे का कार्य कब से प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां, सर्वे कार्य प्रगति पर है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने सीतापुर जिले के विकास खण्ड खैराबाद तथा परसेड़ी ग्राम के लिए विद्युतीकरण का प्रश्न किया है । इन ग्रामों में विद्युतीकरण की योजना 1977 से 1985 तक बनाई गई थी। अभी भी कुछ एसे इलाके रह गये है, जिनका पिछली सूची में नाम था, लेकिन वहां पर विद्युतीकरण नहीं हो पाया है । और वहां पर नया सर्वेक्षण होने जा रहा है। पिछली स्कीम में जिन इलाकों का विद्युतीकरण नहीं हो पाया था, उसका कारण यह था कि शासन वित्तीय व्यवस्था नहीं कर पाया था । क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सर्वेक्षण से भिन्न, जिन गांवों का पिछली सूची में विद्युतीकरण के लिये नाम था, किन्तु वित्तीय व्यवस्था न होने के कारण उनका विद्युतीकरण नहीं किया जा सका, उन गांवों का विद्युतीकरण करने के लिए विशेष वित्तीय व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री–

मान्यवर, इन दो विकास खण्डों के बारे में माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि ग्रामीण विद्युतीकरण की जो हम दूसरी योजना बना रहे है, उसमें इन दोनों ब्लाकों को फिर से ले लिया गया है। उसी का सर्वे कार्य प्रगति पर है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आज तक जो सर्वे होता था, उसका आधार यह होता था कि अगर कोई निजी प्रयास से गांव के बाहर बिजली का कनेक्शन ले लेता है तो यह मान लिया जाता था कि वह गांव इलेक्ट्रिफाइड हो गया है। जैसे 20 साल पहले किसी ने एक चक्की लगा ली और 5 साल पहले वह चला गया और वह चक्की खतम हो गई और उस गांव में बिजली नहीं है। माननीय मंत्री जी जो सर्वे करा रहे है, क्या इस बात के आदेश निर्गत करेंगे कि अगर शासकीय प्रयास से किसी गांव में पूर्ण रूप से बिजली नहीं है तो उसे इलेक्ट्रिफाइड न माना जाय ?

श्री सुनील शास्त्री–

यह सही है कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषा के तहत अगर किसी ने कनेक्शन ले लिया है तो उसे इलेक्ट्रिफाइड माना जाता था लेकिन अब लाईनें बिछाकर ही गांव का विद्युतीकरण किये जाने का प्रयास किया जा रहा है और उसमें उन दोनों ब्लाकों को भी ले लिया जायेगा जिनका माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में उल्लेख किया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय, मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं समाधान के लिये। मैं यह जानना चाहता हूं कि सर्वे का काम कब तक पूरा हो जायगा ? क्या 86-87 में काम होगा या नहीं?

श्री सुनील शास्त्री–

इस योजना को हम लोग केन्द्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से स्वीकार करायेंगे। वर्ष 86-87 के लिये ही स्वीकार कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

पारीछा तापीय विद्युत परियोजना का असंतोषप्रद कार्य

*2–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पारीछा तापीय विद्युत परियोजना के प्रारम्भ होने से लेकर आज तक उसका कोई चरण भी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा नहीं हुआ है और न ही आज तक वहां पर स्थापित संयंत्रों ने संतोषजनक कार्य ही किया है ? यदि हां, तो इसके

क्या कारण है? परियोजना शीघ्रतम सुचारु रूप से कार्य करे इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है तथा आज तक की गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार कौन-कौन लोग हैं तथा उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री सुनील शास्त्री–

वर्तमान में पारीछा तापीय परियोजना की दोनों इकाईयां (2×110 मेगावाट) विद्युत उत्पादनरत हैं। इन दोनों इकाईयों को प्रथम बार क्रमशः 3/84 एवं 2/85 को सिन्क्रोनाइज किया गया था। जो निर्धारित समय से विलम्ब से हुआ जिसके मुख्य कारण निम्न हैं:–

1–अध्यापित भूमि के किसानों/मालिकों द्वारा कड़ा विरोध उठाने के कारण कार्य शुरू करने में देरी।

2–मैसर्स उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा सिविल कार्य समय से न पूरा करना ।

3–मैसर्स बी0 एच0 ई0 एल0 द्वारा सिस्टम इन्टीगरल पाइपिंग की देर से आपूर्ति ।

4–मैसर्स पी0 डी0 आई0 एल0 द्वारा वाटर ट्रीटमेण्ट प्लान्ट की देर से आपूर्ति एवं इरेक्शन ।

5–मैसर्स आई0 एल0 कोटा द्वारा कन्ट्रोल इन्स्ट्रूमेन्टेशन के सामान का देर से सप्लाई करना ।

6–मैसर्स हैवी इंजीनियरिंग रांची द्वारा कोल हैंडलिंग प्लान्ट के सप्लाई व इरेक्शन में देरी ।

7–जून, 1983 में प्रथम इकाई को रोल करते समय क्षतिग्रस्त हुए रोलर की मरम्मत में बी0 एच0 ई0 एल0 द्वारा देरी।

8–सितम्बर, 1983 में आई अकस्मात बाढ़ द्वारा परियोजना की अपार क्षति तदोपरान्त मरम्मत एवं क्षतिग्रस्त कलपुर्जों की आपूर्ति के कारण देरी ।

अब दोनों इकाइयों के सभी दोष मेसर्स बी0 एच0 ई0 एल0 द्वारा दूर कर दिये गये हैं तथा पूर्ण उपकरणों का संशोधन कर दिया गया है और ये इकाइयां सन्तोषप्रद उत्पादन कर रही हैं ।

आरम्भ में पारीछा इकाईयों के सन्तोषप्रद कार्य न करने के लिये कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है क्योंकि ये गड़बड़ियां आपूर्ति किये गये संयंत्रों में निहित दोषों के कारण थीं ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

माननीय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में दो साल की देरी भी स्वीकार की और यह भी कहा कि किसी का दोष नहीं है । अगर दोष होता तो प्रयास आरम्भ ही न हो पाता, ऐसा माननीय मंत्री जी के उत्तर से लगता है। मैं इनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि जनवरी, 85 में पहली इकाई जब आपने पारीछा की रोल की तो उस समय इसमें कम्पन हुआ और इकाई क्षतिग्रस्त हो गयी ? तब आपने रुड़की विश्वविद्यालय के डा0 सैनी और अमेरिकन विशेषज्ञों से राय ली, जिनको भारी फीस दी गयी । जब यह कह रहे हैं कि मशीनों की खराबी के कारण हुआ तो फिर क्या कारण है कि दूसरे लोगों को फीस दी ? देरी से चलने के कारण नुकसान तो हुआ ही, क्या यह खर्चा बी0 एच0 ई0 एल0 से वसूल करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री–

माननीय, सदस्य ने जो प्रश्न किया है, बताना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में लिखा है कि जो क्षति राज्य विद्युत परिषद् को हुई है इसके देरी से चालू करने के सम्बन्ध में उसमें भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स से कम्पन्सेशन के रूप में जरूर कुछ दिया जाय । इनके प्रश्न का उत्तर तो यही है। जहां तक यह जानकारी चाही है कि कम्पन

वाइब्रेशन बहुत अधिक था इसलिये चलाना उचित नहीं था, उसी को देखने के लिये एक्सपर्ट ओपीनियन के लिये रुड़की विश्व-विद्यालय और फिर फास्टर एण्ड व्हीलर्स अमेरिका की कम्पनी थी, उसको बुलाकर परीक्षण कराया ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मैं आभारी हूं कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि राज्य सरकार इसके लिये सचेत है कि बी0 एच0 ई0 एल0 से डैमेज मांगे। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अब यह सन्तोषप्रद उत्पादन कर रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात भी सही है कि दूसरी इकाई को रोल करते समय भी कम्पन की समस्या फिर आयी और अगस्त, 85 तक, माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि, सन्तोष-प्रद कार्य नहीं कर रही थी । जब दूसरी इकाई में भी वही समस्या आयी है और क्लेम भी किया है और अब आप कहते हैं कि सन्तोषप्रद कार्य कर रही है, तो मैं जानना चाहता हूं कि इन्सटालेशन के बाद से लेकर अब तक इन दोनों इकाइयों ने अपनी अधिष्ठापित क्षमता के मुकाबले में कितना-कितना विद्युत उत्पादन किया है ?

श्री सुनील शास्त्री–

श्रीमन्, जो दूसरी इकाई थी उसमें भी वाईबरेशन की कठिनाई उत्पन्न हो गयी थी। फिर पुनः एक्सपर्ट की ओपि-नियन इसमें मांगी गयी कि क्या खराबी है और कैसे इसको ठीक किया जाय । अब यह ठीक हो गयी है और सन्तोषप्रद तरीके से दोनों इकाइयां काम कर रही हैं। पहली सितम्बर में और दूसरी दिसम्बर में चालू की गयी हैं। अब दोनों से 90 मेगावाट की अपेक्षा 110 मेगावाट बिजली उत्पन्न हो रही है।

फाजिल नगर (देवरिया) कोआपरेटिव फेडरेशन के शीतगृह में आलू सड़ जाने के कारणों की जांच

*3–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के फाजिल नगर स्थित कोआपरेटिव फेडरेशन के शीत गृह में वर्ष 1983-84 में कितने क्विंटल आलू का भण्डारण किया गया था? भण्डारण किये गये आलू में से कितने क्विंटल आलू सड़ गया? क्या उसकी जांच करायी गयी है? क्या संबं-धित किसानों को आलू का मुआवजा दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह–

वर्ष 1983-84 में शीतगृह पर 31,855 कुन्तल आलू का भण्डारण किया गया था।

भंडारित किये गये आलू में से 5110 कुन्तल आलू सड़ गया जिसकी जांच करायी गयी है। 274 किसानों का आलू सड़ा था। इनमें से 89 किसानों को रु0 78361.50 का भुगतान क्लेम के अनुसार किया जा चुका है। अवशेष किसानों को भुगतान किया जा रहा है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, सरकार की किसान विरोधी नीति जो है उसका स्पष्ट उल्लेख माननीय मंत्री जी के उत्तर से प्रतीत होता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसे उन्होंने बताया है कि 274 किसानों का 5110 कुन्तल आलू सड़ गया। मैं जानना चाहता हूं कि कितने किसानों को आलू सड़ने से और कोल्ड स्टोरेज से आलू चोरी हो जाने से, कितने किसानों ने इस संबंध

में क्षतिपूर्ति की मांग की है? दूसरे जो शेष किसान हैं जिनके 274 में से 89 को क्षतिपूर्ति दी गयी है, तो शेष किसानों को क्षतिपूर्ति किस निश्चित अवधि तक आप दिलाने का कार्य करेंगे? और उसमें जो दो वर्षों का अन्तर आ गया है तो उस अवधि का जो ब्याज बना है, तो क्या उसका ब्याज भी आप अदा करेंगे?

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया कि 274 किसानों का आलू सड़ा था। जिसमें से 89 किसानों को क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका है, शेष के लिए आज भी किया जा रहा है। क्षतिपूर्ति की दर जो तत्कालीन जिलाधिकारी के द्वारा सुनिश्चित की गयी थी, वही दी जा रही है, किसान वहां चले जायं, उनको पैसा मिल जायेगा।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या रेट है उनको क्षतिपूर्ति के देने का? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि वह सुनिश्चित अवधि क्या है? कब देवरिया के किसानों को निश्चित रूप से आप क्षतिपूर्ति दिला सकेंगे?

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, इसके लिए जो धनराशि दी जा रही है वह 40 रु0 प्रति कुन्तल के दर से दी जा रही है। 40 रु0 कुन्तल की दर से वे लेना नहीं चाहते हैं। जो लेना चाहते थे उन्हें यह दे दी गयी है।

श्रीमती शशि शर्मा–

मान्यवर, वहां के किसानों को इसका भुगतान कब तक हो जायेगा, कोई निश्चित अवधि बतायें?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जो किसान लेना चाहते हैं 40 रु0 कुन्तल की दर पर, यह दर तत्कालीन जिलाधिकारी ने निर्धारित की थी। वह चले जायं, आज ही चले जायं तो कल सुबह तक उन्हें मिल जायेगी।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया कि 5110 कुन्तल आलू सड़ गया। इसकी जांच कराई होगी मंत्री जी ने तभी पता चला की आलू सड़ गया। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह आलू तकनीकी खराबी के कारण सड़ा या दूसरे कारण है। आलू सड़ने के क्या कारण है? दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, आलू सड़ने का जैसा माननीय सदस्य ने कहा तकनीकी खराबी का कारण था। एक तो छत से पानी आया था और दूसरा नीचे से सीलन आ गई थी । इस सम्बन्ध में चीफ इंजीनियर आदि के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

श्रीमती शशि शर्मा–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि 40 रुपया कुन्तल देने का क्या आधार है जबकि बाजार में 100 रुपया कुन्तल की दर है? दूसरा प्रश्न यह है कि शीतगृह को किस तिथि तक खुलवा देंगे।

श्री अरुण कुमार सिंह–

40 रुपया कुन्तल तत्कालीन औसत दर था, जिलाधिकारी देवरिया ने इसको सुनिश्चित किया था और इसी आधार पर किसानों को दिया जा चुका है। शीतगृह का परीक्षण कराकर ठीक कर दिया गया है, इस सीजन तक आलू भण्डारण का काम शुरू कर दिया जायेगा।

जनपद फर्रुखाबाद के शीतगृहों को विद्युत आपूर्ति

**4—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में शीतगृह में भण्डारित किसानों के आलू को सड़ने से बचाने हेतु इस जनपद के लिए कितने घन्टे की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की गई है?

श्री सुनील शास्त्री—

भंडारण सत्र 1985 में फर्रुखाबाद जनपद के स्वतंत्र पोषकों पर स्थित शीतगृहों को 16—18 घंटे प्रतिदिन एवं नगरों के मिश्रित पोषकों पर स्थित उनके स्तर के अनुसार विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की गई थी।

जब कभी विद्युत उत्पादन में कमी आने के कारण निर्धारित से कम आपूर्ति की हुई है तो आलू को सड़ने से बचाने के लिए शीतगृहों के तापमान को स्तर पर लाने हेतु अस्थायी रूप से निर्धारित से अधिक विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था भी की गई है।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मंत्री जी ने बताया कि फर्रुखाबाद जनपद में स्वतंत्र पोषकों पर स्थित शीतगृहों को 16 से 18 घंटे प्रतिदिन और नगरों से मिश्रित पोषकों पर उनके स्तर के अनुसार विद्युत आपूर्ति की गई। फर्रुखाबाद जनपद में लगभग 100 कोल्ड स्टोरेज हैं। फर्रुखाबाद में साढ़े 4 हजार मैट्रिक टन आलू का भण्डारण किया जाता है। जनता शासन काल में 22 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की गई थी। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि विद्युत की स्थिति सुधरी है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 22 घंटे से घटाकर 16—18 घंटे करने का क्या कारण है? दूसरा प्रश्न यह है कि वहां के आलू को सड़ने से बचाने के लिए वहां पर कम से कम गारन्टी करेंगे कि इतने घंटे बिजली की सप्लाई की जायेगी?

श्री सुनील शास्त्री—

मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि शीतगृहों का जो तापमान होता है, उसको मेन्टेन रखने के लिए यदि 16 से 18 घंटे बिजली की आपूर्ति कर दी जाय तो वह मेन्टेन रहता है। उसके ताप को बरकरार रखा जा सकता है। स्वतंत्र पोषक से जितने शीतगृह कनेक्टेड थे, उनको 16 से 18 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित रखी गई है। जितने मिक्स्ड फीडर्स हैं जिन पर अन्य लोड्स की आपूर्ति की जाती है और आपातकालीन समय में जब विद्युत का उत्पादन कम हो जाता है तो उस समय इन फीडरों को बन्द करना पड़ता है। उसको सुनिश्चित करने के लिए, ताकि आलू न सड़े, जब विद्युत अधिक रहती है तो उस समय अधिक बिजली देकर तापमान बनाये रखने के लिए योगदान देते हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा आने वाले समय में 22 घन्टे बिजली सुनिश्चित कर ली जायेगी, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि शासन और विद्युत परिषद् इस बात का पूर्ण रूप से प्रयास करेगा कि उसके लिए तापमान बनाये रखने के लिए जितनी बिजली की आवश्यकता है, उतनी विद्युत की आपूर्ति शीतगृहों को अवश्य दी जायेगी।

श्री राम सरन—

मान्यवर, जितना लम्बा सवाल हो, उतना ही लम्बा जवाब आना चाहिए।

इसके लिए मैं मंत्री जी की तारीफ करता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई है तो जिस प्रकार से सुल्तानपुर, रायबरेली और नैनीताल जिलों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच विद्युत आपूर्ति में समानता रहती है . .

श्री उपाध्यक्ष–

यह तो फर्रुखाबाद का मामला है . .

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मैं शीतगृहों की बात कर रहा हूं। ग्रामीण क्षेत्रों . . .

श्री उपाध्यक्ष–

यह जो सवाल है, वह फर्रुखाबाद से संबंधित है।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

ये शीतगृह ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है और जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विद्युत् आपूर्ति में विषमता है, उसके बारे में मैं चाहता हूं कि क्या सुलतानपुर, रायबरेली और नैनीताल जिलों के समान पूरे प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान रूप से विद्युत आपूर्ति करने की कृपा करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष–

यह इस सवाल से कहां पैदा होता है। फर्रुखाबाद के बारे में सवाल था। मंत्री जी जवाब देना चाहें तो दे दें।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री राम नरेश–

मान्यवर, यह तो अच्छा हुआ कि माननीय सदस्य ने फर्रुखाबाद के बारे में सवाल उठाया। यह नीतिगत प्रश्न है और पूरे प्रदेश से संबंधित है। क्या माननीय मंत्री जी इस बात से सदन को आश्वस्त करेंगे कि पूरे प्रदेश में जहां कहीं भी आलू के भंडारण की व्यवस्था है, वहां 18 से 20 घंटे तक बिजली देना सुनिश्चित करेंगे?

श्री सुनील शास्त्री–

इस सम्बन्ध में राज्य विद्युत परिषद् को निर्देश दे दिये गये हैं कि जो हमारे शीतगृह हैं और जो स्वतंत्र फीडर्स के हैं उन्हें 16 से 18 घन्टे तक बिजली सुनिश्चित कर ली जाय।

श्री मैनेजर सिंह–

मैं यह जानना चाहता हूं कि शीतगृहों के जो स्वतंत्र फीडर्स हैं क्या आप इस बात की जांच करेंगे कि इन फीडर्स से बहुत सारे लोग कनेक्शन लेकर चोरी से बिजली ले रहे हैं?

श्री सुनील शास्त्री–

श्रीमन्, इसे देख लिया जायेगा।

राज्य विद्युत परिषद् द्वारा विद्युत दर निर्धारण हेतु समिति का गठन

*5–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की विद्युत दरों के निरीक्षण के लिये कोई आयोग का गठन किया गया है? यदि हां, तो उसे किन बिन्दुओं पर विचार करने के लिए कहा गया है और आयोग के गठन की क्या आवश्यकता थी जबकि विद्युत परिषद् यह कार्य स्वयं करता रहा है?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां । जून, 1985 में राज्य विद्युत परिषद् द्वारा विद्युत दर निर्धारण समिति का गठन किया गया था।

उक्त समिति को निम्नलिखित कार्य सौंपे गये थे :–

(1) दर निर्धारण के लिए परम्परागत लेखा जोखा पद्धति के विकल्प की खोज।

(2) क्षमता मूल्य, ऊर्जा मूल्य तथा विभिन्न उपभोक्ता समूह से संबंधित उपभोक्ता मूल्य का उचित प्रतिभाजन।

(3) विभिन्न वोल्टेज पर विद्युत मूल्य का अध्ययन तथा ऊर्जा के अधिकतम उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न वोल्टेज पर विद्युत आपूर्ति के लिए सुझाव देना।

(4) उपभोक्ताओं को ऊर्जा बचत करने तथा आवश्यक तथा अनुत्पादक विद्युत प्रयोग कम करने हेतु प्रोत्साहन देना तथा उन्हें समय, मौसम तथा क्षेत्र संबंधित विद्युत आपूर्ति का संकेत देना तथा पीक या आफ पीक टैरिफ का नियमन।

(5) उपभोक्ताओं को ऊर्जा बचत के लिए उत्तम तथा कुशल उपकरण के प्रयोग के उपाय सुझाना।

(6) विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा का इन्क्रीमेन्टल कास्ट।

(7) छूट, प्रोत्साहन तथा दण्ड की वापसी अथवा समावेश।

(8) औद्योगिक इकाइयों के उत्पादन और परिचालन के आधार पर विद्युत चोरी को रोकने के तौर तरीके का अध्ययन।

(9) विद्युत दर के आधार पर दीर्घ तथा अल्प चलन उपान्तिक मूल्य का अध्ययन।

(10) विद्युत दरों की संख्या में घटोत्तरी।

(11) विद्युत आपूर्ति की अधिक तर्क संगत शर्तों एवं दशाओं, जांच, रोस्टरिंग तथा विद्युत कटौती का अध्ययन।

(12) ईंधन अधिभार के अधिक विस्तृत सिद्धान्त का नियमन जिससे बढ़े हुए ईंधन मूल्य तथा अन्य उत्पादन लागत की पूर्ण प्रत्याप्ति हो सके।

(13) यथा सम्भव प्रति राज सहायतीकरण।

(14) भविष्य के लिए तर्कसंगत निर्धारित विद्युत दरों का नियमन।

उक्त विषय सूची से यह स्वतः स्पष्ट है कि विद्युत दर निर्धारण के साथ जुड़े ऐसे अनेक बिन्दु थे, जिन पर अध्ययन तथा विस्तार में विचार-विमर्श की आवश्यकता थी। अतः राज्य विद्युत परिषद् द्वारा यह आवश्यक समझा गया कि विद्युत दर निर्धारण समिति गठित की जाय।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि समिति की रिपोर्ट क्या है और क्या माननीय मंत्री जी सदन को आश्वासन देंगे कि अब कोई विद्युत में बढ़ोत्तरी आने वाले दिनों में नहीं करेंगे?

श्री सुनील शास्त्री–

श्रीमन्, समिति की रिपोर्ट विचाराधीन है राज्य विद्युत परिषद् के तहत। उसकी अनुशंसा के आधार पर 1 फरवरी, 1986 से उपभोक्ताओं की दरों में वृद्धि की गई है। दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य ने आने वाले दिनों में वृद्धि के बारे में कहा है। मान्यवर, मैं कल भी सदन में बता चुका हूं वह अभी भी विचाराधीन है और उसके सम्बन्ध में कुछ कहना इस समय मेरे लिए सम्भव नहीं है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत परिषद् ने जो रेट बढ़ाये हैं, इसमें आपसे भी परामर्श किया था? अगर नहीं किया था तो क्यों? दूसरा बिना आपकी अनुमति के क्या विद्युत परिषद् फिर से पुनरीक्षण कर रेट बढ़ा देगी और इसमें भी आपसे सहमति नहीं लेगी?

श्री सुनील शास्त्री–

मान्यवर, जहां तक राज्य विद्युत परिषद् का अधिकार है, उस अधिकार के तहत वे पूरी तरह से सक्षम हैं विद्युत दरों को बढ़ाने के लिए। जहां तक उपभोक्ताओं की दरों में वृद्धि का प्रश्न है, जो सीमित साधन विद्युत परिषद् के पास परिलक्षित थे, उसमें हमें अपने साधनों में वृद्धि करनी थी। जिससे हम अपनी वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बना सकें। उसके लिए उनका नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के कार्यक्रम हैं। उसमें जो हमारा हिस्सा है, उसे हम तेजी से लगा कर समय से मशीनें लगा सकें, इसलिए दरों में वृद्धि की गयी और विद्युत परिषद् ने सरकार को भी इस सम्बन्ध में अवगत कराया।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अभी एक फरवरी से आपने किसानों का जो पुराना रेट 22.50 रु0 प्रति हार्स पावर था उसे बढ़ा कर साढ़े 27 कर दिया है। तो क्या यह सही है कि विद्युत परिषद् की संस्तुतियों के बाद आपसे भी विचार विमर्श हुआ, उसके बाद यह दरें बढ़ाई गयीं?

श्री सुनील शास्त्री–

श्रीमन्, निजी नलकूपों को अभी भी साढ़े 22 रु0 प्रति हार्स पावर की दर है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस समय विद्युत दरों के पुनरीक्षण की कार्यवाही चल रही है? यदि हां, तो उसका क्या औचित्य है? क्योंकि अभी वृद्धि हुई है फिर पुनरीक्षण करने का क्या औचित्य है? उसके पीछे क्या कारण है, क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे?

श्री सुनील शास्त्री–

मान्यवर, 1982 में विद्युत दरें पुनरीक्षित की गयी थीं और पिछले 3 वर्षों में हर क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है, उसके अनुरूप ही विद्युत परिषद् को वृद्धि करने की आवश्यकता पड़ी। जहां तक अन्तरिम रिपोर्ट का प्रश्न है इस समिति की उसके आधार पर औद्योगिक उपभोक्ताओं की दरों में वृद्धि की गयी है? शेष के सम्बन्ध में विचार चल रहा है।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि विद्युत परिषद् स्वयं सक्षम है रेट बढ़ाने के लिए। तो मैं जानना चाहता हूं कि बहुत सारे दायित्व प्रदेश शासन पर भी हैं और शासन के संरक्षण में विद्युत परिषद् कार्य करती है तो क्या विद्युत परिषद् बिना शासन को विश्वास में लिये रेट बढ़ा सकती है? क्या आपकी सहमति लेना भी आवश्यक नहीं है?

श्री सुनील शास्त्री–

श्रीमन्, जहां तक शासन हस्तक्षेप करना ठीक समझता है, वहां पर शासन को पूरा अधिकार है कि वह विद्युत परिषद् को निर्देश दे सके।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित कि विद्युत परिषद् बिजली का टैरिफ बढ़ाने के लिए, रिवाइज करने के लिए सक्षम है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जहां वह अपने में आजाद है उसी तरह से शासन का भी दायित्व है और कर्तव्य है कि वह जनता की सुख सुविधा का ध्यान रखें। पहले जो भी हुआ लेकिन आगे के लिए मैं चाहूंगा कि शासन इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर वह सहमत हों तो उत्तर प्रदेश की हालत यह है कि लोग अब अधिक वृद्धि बर्दाश्त नहीं कर पायेंगे। तो क्या यह इस तरह का निर्देश देंगे, क्योंकि चेयरमैन आपके द्वारा नियुक्त होता है कि अब बिजली की दरों में वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं है?

श्री सुनील शास्त्री–

श्रीमन्, माननीय सदस्य की भावनाओं का आदर करते हुए मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि शासन राज्य विद्युत परिषद् को जरूर निर्देश देगा कि अगर कोई वृद्धि करनी होगी तो पहले शासन की अनुमति लेनी होगी।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस तरह से केन्द्र सरकार द्वारा पोषित योजनाओं के अन्तर्गत हमारे प्रदेश के जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में सस्ती दरों पर अनाज का वितरण किया जा रहा है। क्या आप राज्य विद्युत परिषद् को इस तरह से निर्देशित करेंगे कि जन जाति बाहुल्य क्षेत्रों में बिजली की दरें बढ़ाई न जायं और सब्सिडी रेट पर बिजली दी जाये ?

श्री सुनील शास्त्री–

मान्यवर, राज्य विद्युत परिषद् की जनता कनेक्शन योजना के अन्तर्गत दरें कम हैं और एक, दो और तीन बल्बों के लिये अलग-अलग निर्धारित दरें हैं जो कि आम दरों से कम है और वही वसूल की जाती हैं।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो आपकी समिति गठित हुई है उसको क्या निर्देश दिये गये हैं और क्या यह भी निर्देश दिये गये हैं कि किसानों की दरों में कोई बढ़ोत्तरी न की जायेगी, चूंकि अन्य कंजम्पशन की दरों का मूल्यांकन कर रहे हैं ?

श्री सुनील शास्त्री–

मान्यवर, जो दरों में वृद्धि की गयी है उसके द्वारा राजस्व के रूप में 135 करोड़ रुपये उपलब्ध होगा।

जहां तक किसानों के संबंध में बात है, तो पहले ही कह चुका हूं कि $22\frac{1}{2}\%$ रुपये प्रति हार्स पावर की दर से चार्ज होगा जो 1982 से दरें चली आ रही हैं, वही लागू हैं। लेकिन राजकीय नलकूपों की दरों में जरूर वृद्धि की गयी है।

मोदीपुर रबर लि0 मोदीपुरम में लगे ट्रांसफारमरों की क्षमता

*6–श्री भोपाल सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मेरठ जनपद में स्थित मोदी रबर लि0 मोदीपुरम के बिजली घर की वर्तमान क्षमता कितनी है तथा इससे पूर्व उसकी क्षमता क्या थी? क्या इस क्षमता को बढ़ाने हेतु नियमानुसार कोई विभागीय स्वीकृति भी प्राप्त की गयी थी ? यदि नहीं, तो सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी?

श्री सुनील शास्त्री–

मेरठ जनपद में स्थित मोदी रबर लि0 मोदीपुरम के विद्युत केन्द्र पर लगे हुए चालू ट्रांसफारमरों की वर्तमान क्षमता 23 एम0 वी0 ए0 है। (2×5 एम0 वी0 ए0 के दो ट्रान्सफारमरों के क्षतिग्रस्त होने के बाद) इससे पूर्व उसकी कुल क्षमता 30 एम0 वी0 ए0 थी ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री भोपाल सिंह–

मान्यवर, मेरे प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया है कि मोदी रबर लिमिटेड की क्षमता 23 एम0 बी0 ए0 है और पहले 30 एम0 बी0 ए0 थी, तो मैं जानना चाहता हूं कि अब उसकी क्षमता कितनी एम0 बी0 ए0 है ?

श्री सुनील शास्त्री–

मान्यवर, 1973-74 में 17 एम0 बी0 ए0 का लोड मोदी रबर की सैंक्शन था और उसके लिए वहां पर 20 एम0 बी0 ए0 का ट्रान्सफारमर लगाया गया था । 1983 में उसके लिये अतिरिक्त भार 6 मेगावाट का दिया गया, जिसके द्वारा 7.5 एम0 बी0 ए0 के ट्रान्सफारमर की अनुमति प्रदान की गयी और ट्रान्सफारमर लगाया गया । इसी प्रकार से 30 एम0 बी0 ए0 की क्षमता उस केन्द्र की बनी । लेकिन दो ट्रान्सफारमर क्षतिग्रस्त हो गये जिसके कारण 20 एम0 बी0 ए0 वहां हो गया । उसके बाद 3 एम0 बी0 ए0 का एक ट्रान्सफारमर स्वीकृत हुआ और उसकी क्षमता 23 एम0 बी0 ए0 हो गया है ।

श्री भोपाल सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी ने 23 एम0 बी0 ए0 स्वीकार किया है । लेकिन दो ट्रान्सफारमर 5–5 एम0 बी0 ए0 के फूंक गये और इससे पहले कुल क्षमता 33 एम0 बी0 ए0 वहां थी । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि यह क्षमता 23 है या 33 एम0 बी0 ए0 है ?

श्री सुनील शास्त्री–

मान्यवर, वहां पहले 20 एम0 बी0 ए0 की क्षमता थी । दो ट्रान्सफारमर 5–5 एम0 बी0 ए0 के लगाये गये तो 30 हुई, लेकिन दो ट्रान्सफारमर खराब होने के कारण क्षमता गिरकर 20 हो गयी । एक अतिरिक्त 3 एम0 बी0 ए0 का लगा, तो इस प्रकार 23 एम0 बी0 ए0 हो गया । 5 एम0 बी0 ए0 ट्रान्सफारमर की मरम्मत हो गयी है और पुनः वहां लगाया जायेगा, जिससे उस केन्द्र की क्षमता 28 एम0 बी0 ए0 हो जायेगी ।

श्री भोपाल सिंह–

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि वहां 33 एम0 बी0 ए0 उपलब्ध है । मैं चाहूंगा कि इसकी जांच मंत्री जी करवा लें ?

श्री सुनील शास्त्री–

इसको मैं दिखवा लूंगा और माननीय सदस्य को अवगत भी करा दूंगा ।

जनपद बुलन्दशहर के ग्राम ढकौली के किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

*7–श्री किरन पाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम ढकौली ब्लाक बीबीनगर, जनपद बुलन्दशहर के किसानों की भूमि मध्य गंगानहर के निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गयी थी तथा उक्त भूमि का मुआवजा 11000 रु0 प्रति पक्का बीघा भूमि

अध्याप्ति अधिकारी, बुलन्दशहर के द्वारा तय किया गया था तथा जिसके विरोध में उक्त गांव के किसानों ने सहायक जिला न्यायाधीश की अदालत में रिफरेंश किया था और मा0 न्यायाधीश द्वारा 11-5-84 को उक्त मुआवजे की राशि अपने आदेशानुसार 22222 रुपया प्रति पक्का बीघा करने का फैसला दिया गया था ? यदि हां, तो अब तक उक्त बढ़े हुए मुआवजे को न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री गौरी शंकर–

जी हां ।

प्रकरण में जिला न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई है, जो अभी तक विचाराधीन है । उच्च-न्यायालय के आदेश दिनांक 26-4-85 के अनुसार रुपया 2,23,000·00 की प्रतिकर की धनराशि का भुगतान सम्बन्धित भू-स्वामियों को किया जा चुका है तथा उच्च न्यायालय के ही आदेश दिनांक 30-9-85 के अनुपालन में रु0 3,48,476·11 दिनांक 15-1-86 को जिला-न्यायाधीश बुलन्दशहर के न्यायालय में जमा किया जा चुका है । इस धनराशि को भू-स्वामी उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार जमानत देकर प्राप्त कर सकते हैं । शेष धनराशि का भुगतान उच्च न्यायालय के निर्णय एवं निर्देश प्राप्त होने पर किया जाएगा ।

श्री किरनपाल सिंह–

मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो जिला अदालतों में रेफरेंश किया गया था, उसमें उसका जजमेंट हो गया और राशि बढ़ा दी गई तो फिर भी उसे न अदा करने का क्या कारण है ?

श्री गौरी शंकर–

मैंने स्वयं ही मूल प्रश्न के उत्तर में कहा है कि जिला न्यायधीश के यहां से जो निर्णय हुआ, उस पर गवर्नमेंट ने अपील करना उचित समझा । क्योंकि जज साहब के निर्णय में कुछ कमी थी जैसे विज्ञप्ति 26-9-82 की है और दूसरे सेल-डीड के आधार पर दिया है। हम हाईकोर्ट में गये हैं, किन्तु उनके निर्देशानुसार 2 लाख 23 हजार रुपया दिया जा चुका है। उसके अतिरिक्त भी जिला न्यायाधीश के डिस्पोजल पर राशि जमा कर दी गयी है, जो कृषक लोग जमानत देकर ले सकते हैं। जमानत की बात इसलिये है कि यदि उसके विरुद्ध निर्णय हो तो उसे लिया जा सके।

श्री किरन पाल सिंह–

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब डिस्ट्रिक्ट जज के यहां से हुक्म हो गया और आपको अपील करने का कोई समय नहीं मिला तो आपने किसानों को तुरन्त भुगतान किस आधार पर नहीं किया । क्योंकि आपको हाईकोर्ट से स्टे नहीं मिला और डिस्ट्रिक्ट जज के यहां से समय नहीं मिला ।

श्री गौरी शंकर–

स्थिति कम स्पष्ट है । मैंने निवेदन किया है कि 11-5-84 का जिला न्यायाधीश का जो निर्णय है, उस पर 23-8-84 को अपील की गई है और उच्च न्यायालय के, उनके ही निर्देश पर, 26-4-85 के अनुसार वह धनराशि जमा कर दी गई (व्यवधान) तो कुछ भी किया जा चुका है, हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार ही किया जा रहा है ।

श्री किरन पाल सिंह–

जब डिस्ट्रिक्ट जज के यहां से आदेश हो गया है, रिवार्ड पोषित हो गया

है, उसके बाद हाईकोर्ट में अपील करने का डिस्ट्रक्ट कोर्ट से कोई समय नहीं लिया गया और हाईकोर्ट से कोई स्टे नहीं लिया गया तो इतने लम्बे समय तक किसानों के पेमेंट का भुगतान क्यों नहीं किया गया? साथ ही मैं यह भी जानना चाहूंगा क्योंकि जमीन कई वर्ष पूर्व ली जा चुकी है और पैसा नहीं दिया है कि जो आप मुआवजे का भुगतान करेंगे वह ब्याज सहित करेंगे या बिना ब्याज के करेंगे ? (उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा विभिन्न श्रोतों से लिया गया ऋण

*8—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत परिषद् ने अब तक कुल कितना ऋण प्राप्त किया है? क्या परिषद् को लगभग 200 अरब रुपये से अधिक का घाटा हो चुका है? यदि हां, तो घाटे का मुख्य कारण क्या है और इस घाटे के लिए कौन-कौन से कर्मचारी व अधिकारी जिम्मेदार है? क्या सरकार द्वारा घाटा पूरा करने तथा दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी? क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी?

श्री सुनील शास्त्री—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा 31 मार्च, 1985 तक विभिन्न स्रोतों से कुल 4060.95 करोड़ का ऋण प्राप्त किया है। परिषद् को 31 मार्च, 1985 तक रु0 804.55 करोड़ का घाटा हुआ है। घाटे के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं तथा इसके लिए कोई अधिकारी या कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है।

(1) खराब कोयले का प्राप्त होना

(2) सामान्य मूल्य वृद्धि

(3) सामान व कलपूर्जों के पुराने होने के कारण कार्य क्षमता में ह्रास व मरम्मत पर अधिक व्यय।

घाटे को पूरा करने के निमित्त विद्युत उत्पादन इकाइयों का आधुनिकीकरण एवं पुर्नवीकरण विद्युत इकाइयों द्वारा उपयोग की जाने वाली विद्युत में घटोत्तरी, तेल की खपत में कमी करने का प्रयास, विद्युत के छीज एवं चोरी को रोकने के उपाय, राजस्व चोरी की संभावना को कम करने हेतु राजस्व ढांचे में परिवर्तन, बकाया धनराशि की वसूली, प्रशासनिक व्यय में कमी, भण्डार के क्रय एवं उपयोग पर नियंत्रण आदि कदम उठाये गये हैं।

जनपद आगरा की फिरोजाबाद तहसील में वर्षा से बाजरा की फसल को क्षति तथा दी गयी राहत

*9—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा और फिरोजाबाद में सितम्बर-अक्टूबर, 1985 में हुई लगातार वर्षा से खड़ी खरीफ की फसल बाजरा की बाली का 80 प्रतिशत बाजरा उग आया और बाल का बचा बीस प्रतिशत दाना कड़ुवा हो गया व फफूंदी लग गई जिससे वह खाने लायक नहीं रहा ? यदि हां, तो इस शत प्रतिशत हुई दैवी आपदा के नुकसान से किसानों को बचाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

तहसील फिरोजाबाद सहित जनपद आगरा में माह सितम्बर-अक्टूबर, 1985 में हुई लगातार वर्षा से बाजरा की खड़ी फसल को, बाल में दाना उगने व कंडुआ

नोटः—तारांकित प्रश्न संख्या 7 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

लगने के कारण, 60 से 80 प्रतिशत तक क्षति हुई थी। बाल के शेष भाग को हानि नहीं हुई।

उक्त के संबंध में निम्नलिखित सहायता दी गई:—

(1) भू-राजस्व की वसूली स्थगित की जा चुकी है।

(2) भू-राजस्व में छूट दिये जाने का प्रस्ताव है।

(3) दैवी आपदा तकावी बांटने के निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

(4) विकास खण्डों के माध्यम से बीज, खाद व उर्वरक उपलब्ध कराया गया है जिसमें लघु एवं सीमान्त कृषकों को 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया गया है।

जनपद बाराबंकी में चन्दौली से कोटवा तक विद्युत लाइन के निर्माण पर व्यय

*10—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत वितरण खंड बाराबंकी के अन्तर्गत पांच, छः वर्ष पूर्व चन्दौली से कोटवा तक 11000 बोल्ट की लगभग 15 कि0 मी0 लम्बी मेन लाइन का निर्माण किया गया था? इस लाइन के निर्माण में कितना धन व्यय किया गया? क्या यह सही है कि उस लाइन से एक भी गांव को बिजली नहीं दी जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री—

वर्ष 1982 में चन्दौसी से कोटवा तक 11 के0 वी0 की 11.7 कि0 मीटर लम्बी लाइन का निर्माण किया गया था। इस लाइन के निर्माण में लगभग एक लाख पांच हजार रुपया व्यय हुआ था।

जी नहीं

जनपद मिर्जापुर की चुनार तहसील को जिला बनाये जाने की कथित योजना

*11—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर की तहसील चुनार को चुनार जनपद बनाने के लिए वाराणसी की तीन विधान सभा क्षेत्र (चकिया, गंगापुर मुगलसराय) तथा जनपद मिर्जापुर के दो विधान सभा क्षेत्र (राजगढ़ एवं चुनार) मिलाकर कोई योजना शासन के विचाराधीन है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश सहकारी संघ लि0 लखनऊ के निरीक्षण में पी0 सी0 एफ0 के कोयला व्यवसाय में पाई गई अनियमितताएं

*12—श्री धनराज यादव—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री वी0 बी0 सिन्हा भूतपूर्व सहकारी समिति निबन्धक द्वारा वर्ष 1984-85 में उत्तर प्रदेश सहकारी संघ लि0, लखनऊ का निरीक्षण किया गया और पी0 सी0 एफ0 के कोयला व्यवसाय में उसके कुछ अधिकारियों द्वारा सहकारी समिति अधिनियम, नियमों, उप विधियों एवं अनुबन्धों के प्रतिकूल भुगतान करके सम्पर्क एवं हैन्डलिंग एजेन्ट के साथ हुए अनुबन्ध की शर्तों की उपेक्षा करके मु0 55,21,262-58 रुपये की क्षति पहुंचाने का मामला उद्घाटित किया गया जिसमें मु0 1,47,566-21 रुपये का अनियमित भुगतान भी शामिल है? यदि हां, तो धन की वसूली एवं इस क्षति के लिये उत्तरदायी इंगित अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह–

श्री बी0 बी0 सिन्हा, भूतपूर्व सहकारी समिति निबन्धक द्वारा वर्ष 1984-85 में उत्तर प्रदेश सहकारी संघ लि0, लखनऊ का निरीक्षण किया गया था। इस निरीक्षण रिपोर्ट में रु0 55,21,262-58 की क्षति पहुंचाने का उल्लेख किया गया है, जिसमें रु0 1,47,566-21 के अनियमित भुगतान का उल्लेख है।

[redacted]

प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये दो अधिकारियों एवं चार कर्मचारियों को निलम्बित किया जा चुका है। निरीक्षण आख्या पर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है जिसके उपरान्त दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करना संभव हो सकेगा।

सहकारी ऋण समितियों द्वारा दिए जाने वाले अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण की प्रक्रिया को सरल बनाए जाने की योजना

*13–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी ऋण समितियों द्वारा दिए जाने वाले अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण की प्रक्रिया को सरल बनाने और व्याप्त भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

सहकारी समितियों द्वारा दिए जाने वाले अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण की प्रक्रिया को समय-समय पर आवश्यकतानुसार सरल किया गया है । भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर प्रभावी कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था है।

सहकारी शीतगृह बूढ़नपुर में भण्डारित आलू के सड़ने से किसानों को मुआवजा

*14–श्री बलराम यादव–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सहकारी शीतगृह बूढ़नपुर, जनपद आजमगढ़ में वर्ष 1984-85 में किसानों द्वारा जमा किया गया आलू सड़कर नष्ट हो गया तथा उक्त संबंध में किसानों द्वारा अनशन प्रदर्शन कर आलू की कीमत भुगतान हेतु मांग की गई तथा संबंधित प्रशासक डी0 सी0 एफ0 आजमगढ़ द्वारा किसानों को भुगतान हेतु लिखित आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो समस्त प्रभावित किसानों की आलू का भुगतान कितना-कितना किन-किन किसानों को कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

सहकारी शीतगृह बूढ़नपुर में फरवरी-मार्च, 1984 में 447 किसानों का शीतगृह में भण्डारित 15530 बोरा आलू, जिसका वजन 13652-02 कुन्तल था, सड़कर नष्ट हो गया था।

उक्त सड़े हुए आलू के मुआवजे के संबंध में प्रभावित किसानों द्वारा 21-8-84 से क्रमिक अनशन प्रारम्भ किया गया था और 1-9-84 से आमरण अनशन की नोटिस दी गई थी, जिस पर संघ के प्रशासक द्वारा अनशनकारियों से वार्ता कर 1-9-84 को मुआविजे के भुगतान का आश्वासन दिया गया था ।

प्रभावित किसानों को मुआविजे का भुगतान नहीं किया जा सका, क्योंकि बीमा कम्पनी से अभी तक क्लेम प्राप्त नहीं हुआ ।

*15–श्री किशन लाल दिलेर–

[32वें मंगलवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला सहकारी बैंक, बदायूं में कार्यरत कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची तथा उनकी पदोन्नति

*16–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक, बदायूं में कार्यरत कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची यू0 पी0 कोआपरेटिव बैंक, 1965 के संशोधित विनियम 26 के अन्तर्गत बनाकर प्रकाशित की गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो कर्मचारियों की पदोन्नति किस आधार पर की जा रही है ? क्या यह सही है कि कतिपय कर्मचारियों की पदोन्नति कर उनका अनुमोदन संस्थागत सेवा मण्डल द्वारा किया गया ? यदि हां, तो उसका आधार क्या था ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी विनियमावली, 1975 के विनियम–26 में संशोधन से पूर्व जिला सहकारी बैंक लि0, बदायूं ने बैंक के कतिपय कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु चयन का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल को प्रस्तुत किया था । अतः संशोधित विनियम लागू होने के पूर्व प्रभावी विनियम–26 के प्राविधानों के अन्तर्गत बनी वरिष्ठता सूची के आधार पर सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल द्वारा किए गए चयन के अनुसार पदोन्नतियां की गई हैं ।

अल्मोड़ा जनपद के भूमिहीनों को गवर्नमेन्ट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत भूमि के आवंटन का स्थगन

*17–श्री पूरन सिंह माहरा–

क्या सरकार को जानकारी है कि अल्मोड़ा जनपद में भूमिहीनों को गवर्नमेंट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत भूमि आवंटन बन्द कर दिया गया है जबकि जनपद पिथौरागढ़ व नैनीताल में भूमिहीन व हरिजनों को उपरोक्त नियम के अन्तर्गत भूमि आवंटित की जा रही है ? क्या सरकार अल्मोड़ा जनपद में भी भूमिहीनों को गवर्नमेन्ट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत भूमि आवंटित करवाने के आदेश पारित करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब से ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां । वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अनुसार प्रदेश में स्थित आरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित राज्य (सिविल) भूमि, सीयम भूमि एवं पंचायती वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप उक्त वर्गीकरण की किसी भूमि का आवंटन/हस्तांतरण भारत सरकार की पूर्व अनुमति पर ही किया जा सकेगा ।

तद्नुसार संयुक्त सचिव (वन) अनुभाग–3 के अर्धशासकीय पत्र सं0–776/24-3-910/81 दिनांक 26 फरवरी, 1981 के परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के निर्णय दिनांक 10-3-81 के अनुसार आवंटन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है ।

जनपद नैनीताल में आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि की स्थिति जनपद अल्मोड़ा से भिन्न है क्योंकि वहां उक्त अधिनियम में परिभाषित बेनाम भूमि के अतिरिक्त राजकीय आस्थान, सीलिंग, ग्राम सभा आदि की भूमि भी उपलब्ध रही है । जनपद पिथौरागढ़ द्वारा विगत 5 वर्षों में गवर्नमेन्ट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत निष्पादित पट्टों की छान-बीन इस दृष्टिकोण से कराई जा रही है कि वे राजकीय आस्थान, सीलिंग भूमि के संबंध में निष्पादित किए गए हैं या कि उक्त अधिनियम से प्रभावित बेनाम भूमि से भी संबंधित हैं ।

प्रश्नगत प्रकरण का परीक्षण न्याय विभाग से पुनः कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधिक राय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

*18–श्री राम आसरे वर्मा–

[11वें शुक्रवार में तारां0 प्र0 सं0 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय में संयुक्त निदेशक के पद

*19–श्री राम सरन–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय में शासन द्वारा संयुक्त निदेशक के दो पद काफी पूर्व समय से स्वीकृत हैं? यदि हां, तो उनके अभी तक न भरने का क्या कारण है?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)–

निदेशालय में संयुक्त निदेशक के तीन पद स्वीकृत हैं जिनमें से दो भरे हैं।

चयन न होने के कारण रिक्त पद नहीं भरा जा सका।

बस्ती जनपद में दशमोत्तर कक्षाओं के पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण न होना

*20–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि बस्ती जनपद में वर्ष 1982–83, 1983–84, 1984–85 में पिछड़ी जाति के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों के लिये 22 लाख रुपये की स्वीकृत धनराशि का वितरण उक्त वर्षों में नहीं हो सका? यदि हां, तो क्यों एवं इसके लिये दोषी अधिकारी के विरुद्ध शासन ने कौन सी कार्यवाही की?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं।

जनपद बस्ती में पिछड़ी जाति दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को 1982–83, 1983–84 तथा 1984–85 में क्रमशः 13.80 लाख, 18.00 लाख तथा 13.00 लाख रुपया आवंटित किया गया था। इस धनराशि में से उक्त वर्षों में क्रमशः रु0 6,11,206, रु0 1,83,954 तथा रु0 5,85,436 वितरित किये गये। आवंटित धनराशि में से शेष क्रमशः रु0 5,20,534, रु0 9,06,322.70 पैसे तथा रुपये 7,14,564 उन्हीं वर्षों के शेष छात्रों को अगले वित्तीय वर्षों में वितरित किया गया।

रु0 2,48,260 तथा रु0 7,09,-723.30 पैसे आवश्यकता न होने के कारण कोषागार में जमा कर दी गयी।

आवंटित धनराशि को सम्बन्धित वर्षों में वितरित न करने के लिये उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

ग्राम बलुआ जनपद गोरखपुर में हरिजनों को आवासीय तथा कृषि योग्य भूमि का आवंटन तथा उस पर कब्जा

1–श्री हर्ष वर्धन–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बलुआ, तह0 फरेंदा जनपद गोरखपुर के कुल कितने हरिजनों को वर्ष 1980 से आवासीय एवं कृषि हेतु भूमि का पट्टा मिला है तथा इनमें से कितनों को 30 नवम्बर, 1980 तक उक्त पट्टे की भूमि पर कब्जा प्राप्त हो गया था?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

प्रश्नगत ग्राम में जनवरी, 1980 से 30 नवम्बर, 1980 तक आवासीय अथवा कृषि हेतु कोई भूमि आवंटित नहीं की गई थी। अत: उक्त अवधि में कब्जा दिए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

2–श्री हर्ष वर्धन–

[7वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

आगरा जनपद के बमरौली कटारा गांव में किसानों पर बकाया विद्युत धनराशि

3–श्री विजय सिंह राणा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद के ग्राम बमरौली कटारा में विद्युत देय की कितनी धनराशि बकाया है और किस-किस व्यक्ति पर बकाया है? क्या यह सत्य है कि जिन लोगों पर विद्युत देयों का भुगतान बकाया है उनके कनेक्शन विभाग ने काट दिये हैं परन्तु अनाधिकृत रूप से सभी अपने ट्यूबवेल और आटा चक्की चला रहे हैं? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में पुलिस ने क्या कोई कार्यवाही की? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

ग्राम, बमरौली कटारा, जनपद आगरा में 13 व्यक्तियों पर विद्युत देय का रु0 61,726·62 की धनराशि बकाया है जिनकी तालिका संलग्न है।

हां, यह सत्य है कि जिन लोगों पर विद्युत देयों का बकाया है उनमें से कुछ के कनेक्शन काट दिये गये हैं।

यह सही नहीं है कि कटे हुए कनेक्शनों के सभी उपभोक्ता अनाधिकृत रूप से अपने ट्यूबवेल व आटा चक्की चला रहे हैं केवल एक औद्योगिक उपभोक्ता श्री पी0के0 राना पुत्र श्री ओम प्रकाश राना, बमरौली कटारा, आगरा जिनका विद्युत कनेक्शन बकाये के कारण काटा गया था, अनाधिकृत रूप से विद्युत का उपभोग करते पाया गया, उसे पुन: काट दिया गया और सम्बन्धित पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही प्रतीक्षित है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 143 पर।)

प्रदेश की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

4–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कुल कितनी हरिजन बस्ती है और कितनी हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण 85–86 तक होना शेष है? शेष में कब तक विद्युतीकरण हो जायेगा?

श्री सुनील शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश में तापीय इकाइयों का निर्माण काल

5–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निर्माणाधीन तापीय इकाइयों का निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा?

श्री सुनील शास्त्री–

प्रदेश में निर्माणाधीन तापीय इकाइयों का निर्माण कार्य निम्न समय सारिणी के अनुसार पूरा होने का लक्ष्य है:–

1–आनपारा "ए" (3×210 मे0वा0)	
प्रथम इकाई	मार्च, 1986
द्वितीय इकाई	अक्टूबर, 1986
तृतीय इकाई	अप्रैल, 1978
2–ऊंचाहार (2×210)	
प्रथम इकाई	फरवरी, 1987
द्वितीय इकाई	अगस्त, 1987
3–टाण्डा (4×110)	
प्रथम इकाई	जून, 1987
द्वितीय इकाई	दिसम्बर, 1987
तृतीय इकाई	जून, 1988
चौथी इकाई	दिसम्बर, 1988

श्री एस0 के0 खान महाराजगंज, गोरखपुर द्वारा सचिव, राजस्व विभाग को लिखे गये पत्र पर कार्यवाही

6–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा श्री एस0 के0 खान महाराजगंज, गोरखपुर का एक पत्र दिनांक 8-10-85 प्राप्त हुआ जिसे उन्होंने 11-10-85 को आवश्यक कार्यवाही के लिए सचिव, राजस्व विभाग उ0 प्र0 शासन को भेजा है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ श्री एस0के0 खान महराजगंज, गोरखपुर का एक पत्र दिनांक 11-7-85 (8-10-85 नहीं) राजस्व मंत्री कार्यालय से 15-10-85 को प्राप्त हुआ था जिसे कलेक्टर, गोरखपुर को दिनांक 6-11-85 को जांच एवं कार्यवाही हेतु भेजा जा चुका है। जांच आख्या प्रतीक्षित है।

तहसीलदार सदर जिला आजमगढ़ के कतिपय ग्रामों में दुबारा चकबन्दी कराये जाने संबंधी कथित नोटीफिकेशन

7–श्री मोहम्मद मसूद खां–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम मंगरावा रायपुर व रानीपुर रजमों तथा दयालपुर परगना निजामबाद, तहसील सदर, जिला आजमगढ़ की दोबारा चकबन्दी वित्तीय वर्ष 85-86 में किये जाने के सम्बन्ध में ए 4 कानून चकबंदी का नोटीफिकेशन होगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य –

जी नहीं।

चकबन्दी आयुक्त ने उक्त ग्रामों में दोबारा चकबन्दी कराये जाने के बारे में शासन को संस्तुति दिनांक 28-2-86 को भेजी है। अतः वर्ष 1985-86 में चकबन्दी अधिनियम की धारा 4 क 12 के अन्तर्गत उक्त ग्रामों का प्रख्यापन: कराना सम्भव नहीं है।

जनपद आगरा के ग्राम बजीर पुर महेशपुर के काश्तकार श्री लटूरी सिंह से स्टेट बैंक के ऋण की दोबारा वसूली

8–श्री रघुवर दयाल वर्मा –

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा की तहसील फिरोजाबाद के ग्राम बजीरपुर महेशपुर के काश्तकार श्री लटूरी सिंह पुत्र श्री नरायन सिंह से तहसील फिरोजाबाद के अमीन श्री सत्य प्रकाश ने स्टेट बैंक का वसूला धन 2258 रुपया पुनः दिनांक 27-7-85 को जबरन वसूलने के लिए उसकी 5000 रुपये की कीमती भैंस की कुर्की की जबकि उसके पास स्टेट बैंक, फिरोजाबाद का कोई धन बकाया नहीं था? यदि हां, तो अब तक काश्तकार को उसका धन वापिस न करने का क्या कारण है?

श्री बल्देव सिंह आर्य –

जी हां।

श्री सत्य प्रकाश संग्रह अमीन द्वारा दिनांक 27-7-85 को पुनः वसूले गये धन 2403-45 रुपये में से 2165-40/-रु0 काश्तकार को दिनांक 19-12-85 को वापस कर दिया गया। शेष 238-05/-रु0 जो राजकीय कोषागार में जमा कर दिया गया है, को तुरन्त वापस करने के लिए तहसीलदार फिरोजाबाद को निर्देशित कर दिया गया है। इस अनियमितता के लिए श्री सत्य प्रकाश, संग्रह अमीन को निलम्बित किया जा चुका है।

अयोध्या व फैजाबाद में भिक्षावृत्ति करने वालों की संख्या तथा उसके निराकरण की योजना

9—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अयोध्या व फैजाबाद नगर पालिका क्षेत्र में इस समय कुल कितने नर नारी भिक्षावृत्ति करते हैं ? सरकार ने इस वृत्ति को समाप्त करने की दृष्टि से उपरोक्त भिक्षुकों को रोजगार पूरक योजनाओं में लगाने की योजना तैयार की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी —

अयोध्या व फैजाबाद नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत लगभग 167 नर-नारी भिक्षा-वृत्ति करते हैं। फैजाबाद जनपद में भिक्षा-वृत्ति प्रतिषेध अधिनियम, 1975 के अन्त-र्गत अयोध्या में पुरुष तथा महिला भिक्षुकों को निरुद्ध करने के लिए 400 भिक्षुकों की क्षमता की दो प्रमाणित संस्थायें स्थापित हैं जहां कताई-बुनाई, मूंज, बेंतकला सिलाई तथा बैंड व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है।

जनपद पिथौरागढ़ में सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो के पदों के सृजन का प्रस्ताव

10—श्री काशी सिंह ऐरी —

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अन्य जिलों की भांति जनपद पिथौरागढ़ में भी जमींदारी उन्मूलन किया गया है ? यदि हां, तो जनपद में राजस्व का काम सुचारु रूप से चलाने के लिए 31-10-85 तक सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो के कितने पद सृजित किए गये हैं एवं अभी कितने और पद सृजित किए जाने हैं? इन पदों के अविलम्ब सृजन एवं उन पर नियुक्ति हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य —

जी हां।

जनपद पिथौरागढ़ में दिनांक 31-10-85 तक सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो का कोई भी पद सृजित नहीं किया गया है तथा 12 पदों के सृजन का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के इलाज तथा पुत्रियों की शादी हेतु जनपद जालौन से प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर कृत कार्यवाही

11—श्री गया प्रसाद वर्मा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 82-83 में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादियों के 76 फार्म जिला जालौन से अनुदान स्वीकृत के लिए शासन को भेजे गये थे और शासन को वित्तीय वर्ष में ही प्राप्त हो गये थे और 19 फार्म, 2 अप्रैल, 1983 में अर्थात् वित्तीय वर्ष समाप्त के बाद शासन को हरिजन कार्यालय को उरई से भेजे गये थे ? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष के बाद भेजे गये समस्त 19 फार्म शासन द्वारा क्यों स्वीकृत कर दिये गये जबकि वित्तीय वर्ष में भेजे गये 76 फार्मों से केवल एक फार्म ही स्वीकृत हुआ ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी —

जी नहीं।

वर्ष 1982-83 में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के इलाज तथा उनकी पुत्रियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता हेतु 62 प्रार्थना-पत्र 31 मार्च, 1983 तक प्राप्त हुए थे।

जी नहीं।

30 निवेदन-पत्र अप्रैल, 1983 में शासन को प्राप्त हुए थे।

केवल 19 आवेदन-पत्र में आर्थिक सहायता नियमानुसार वर्ष 1983-84 के आय-व्यय में प्राविधानित धनराशि के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी ।

जालौन के अपर जिलाधिकारी (परियोजना) श्री हर दयाल द्वारा अनुदान की कथित धनराशि निकाले जाने पर उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही

12–श्री गया प्रसाद वर्मा–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 82-83 में अपर जिला विकास अधिकारी के पद पर कार्य करते हुए अपर जिलाधिकारी (परियोजना) ने हरदयाल पुत्र रामदयाल जाति चमार ग्राम एरे को 3000 रुपए अनुदान की नरेश चन्द्र निगम ग्राम विकास अधिकारी की संस्तुति पर स्वीकृत की थी और उस धनराशि को श्री हर दयाल नाम के व्यक्ति द्वारा निकाल ली गयी जबकि इसकी शिकायत के आधार पर जांच अधिकारी ने जांच की तो यह पाया कि हरदयाल पुत्र राम दयाल ग्राम एरे वि0 खं0 को जिला जालौन में इस नाम तथा जाति का कोई व्यक्ति ही नहीं है? क्या अनुदान स्वीकृत करने वाले अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

वर्ष 1982-83 में श्री हरदयाल पुत्र श्री राम दयाल को श्री नरेश चन्द्र निगम ग्राम विकास अधिकारी की संस्तुति पर अपर जिलाधिकारी (परियोजना) द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया गया। अतः श्री हरदयाल द्वारा अनुदान की धनराशि निकालने का प्रश्न नहीं उठता। शिकायत के आधार पर स्पेशल आडिट में यह पाया गया कि श्री हरदयाल पुत्र श्री राम दयाल ग्राम एरे विकास खण्ड कोंच के निवासी नहीं हैं। अनुदान की धनराशि ऋणग्रहीता को न देते हुए अनुदान निरस्त कर दिया गया। अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई।

जनपद देवरिया की तहसील सलेमपुर के लेखपाल श्री एकबाल अहमद के विरुद्ध शिकायती पत्र

13–श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के तह0 सलेमपुर के परगनाधिकारी को ग्राम सिसवनियां के ग्रामीणों द्वारा 18-11-85 को श्री एकबाल अहमद लेखपाल के विरुद्ध शिकायत की गयी थी? यदि हां, तो क्या उसकी जांच करायी गयी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा लेखपाल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलदेव सिंह आर्य–

जी हां। जांच कराई गई। जांच में ग्राम सभा की भूमि पर 16 व्यक्तियों का अनाधिकार कब्जा पाया गया, जिनके विरुद्ध धारा 122 बी उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही आरम्भ की गयी है। ग्राम सभा भूमि पर अनाधिकार कब्जा की रिपोर्ट तत्काल न करने के लिए श्री एकबाल अहमद लेखपाल, तहसील सलेमपुर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरम्भ की गयी है।

देवरिया जनपद के ग्राम प्रधान ग्राम सिसवनिया के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

14—श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया की तहसील सलेमपुर के परगनाधिकारी को ग्राम प्रधान ग्राम सिसवनिया के विरुद्ध ग्रामीणों ने दि0 18-11-85 को इस आशय की शिकायत की है कि प्रधान द्वारा ग्राम समाज की जमीन पर अपना कब्जा तथा पैसे लेकर लोगों की जमीन पर अवैध कब्जा, मछली आदि नीलामी में धांधली की जा रही है? यदि हां, तो क्या उसकी जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा प्रधान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां। शिकायती पत्र के जांचोपरान्त प्रधान के विरुद्ध पैसे के लेन देन का आरोप सही नहीं पाया गया, किन्तु जिन व्यक्तियों का ग्राम सभा भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-122 बी के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। अतः प्रधान के विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री चन्द्रका सिंह निवासी ग्राम रामपुर चकिया, तहसील महराजगंज, गोरखपुर द्वारा जमीन के सम्बन्ध में दिया गया शिकायती पत्र

15—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री चन्द्रका सिंह ग्राम रामपुर चकिया, तहसील महराजगंज, जनपद गोरखपुर ने 8-8-1985 को जिलाधिकारी, गोरखपुर को सम्बोधित एक शिकायती पत्र जिसमें एक अमीन के विरुद्ध गंभीर आरोप हैं, दिया है? यदि हां तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां। इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय नायब तहसीलदार द्वारा कराई गई जांच से अमीन श्री राम दुलारे मिश्र के विरुद्ध लगाये गये आरोप निराधार पाये गये। शिकायतकर्ता ने जांच के समय अपने लिखित बयान में स्वयं यह स्वीकार किया है कि उसने कोई शिकायती पत्र नहीं दिया है।

फतेहपुर जिला सहकारी बैंक के प्रशासक श्री राम सिंह के विरुद्ध शिकायती पत्र की जांच

16—श्री राकेश धर त्रिपाठी—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिला सहकारी बैंक लि0, फतेहपुर के प्रशासक श्री राम सिंह के विरुद्ध बैंक में किये गये भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायत माननीय सांसद हरिकृष्ण शास्त्री एवं अन्य चार विधायकों द्वारा की गयी है? यदि हां, तो क्या उक्त शिकायतों से सम्बन्धित जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है? यदि हां, तो क्या शिकायतें सही पायी गयी हैं तथा श्री राम सिंह प्रशासक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी हां, विभाग को जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है शिकायत सही नहीं पायी गयी, अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

तहसील बांस गांव (गोरखपुर) के भूतपूर्व लेखपाल स्व0 श्री तारा प्रसाद श्रीवास्तव के पुत्र की लिपिक पद पर नियुक्ति

17—श्री द्वारिका प्रसाद—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व लेखपाल तहसील बांस गांव गोरखपुर स्व0 तारा प्रसाद श्रीवास्तव (मृत्यु दिनांक 26-1-76) के आश्रित पुत्र श्री द्वारिकाधीश प्रसाद श्रीवास्तव (जन्म तिथि 30-6-62) ने वर्ष 80 में अपनी आयु 18 वर्ष पूर्ण करने पर अपनी शैक्षिक योग्यता इण्टर के आधार पर लिपिक पद हेतु प्रार्थना पत्र दिया जिस पर 81 एवं 84 में उन्हें सीजनल रूप में जगह दी गयी जबकि शासनादेश संख्या 6-12-1973 नियुक्ति-4 दि0 21 दिसम्बर, 73 एवं 6-12-73 कार्मिक-2 दिनांक 23 जनवरी, 76 के अनुसार उसी समय से नियमित पद पर जगह दी जानी चाहिए थी जो नहीं दी गई? क्या इन्हें नियमित लिपिक पद पर कब तक जगह दे दी जायगी?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां। श्री द्वारिकाधीश प्रसाद श्रीवास्तव पुत्र स्व0 श्री तारा प्रसाद श्रीवास्तव ने सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित के आधार पर दिनांक 8-7-81 को योग्यतानुसार किसी भी सरकारी विभाग में नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र दिया था। लेखपाल पद पर भर्ती हेतु प्रशिक्षण का अवरोध होने के कारण उन्हें सीजनल लिपिक के पद पर नियुक्त कर दिया गया। नियुक्त के पद समाप्त होने के फलस्वरूप उन्हें हटना पड़ा। मृतक लेखपालों के आश्रितों को लेखपाल प्रशिक्षण से छूट देने के आदेश शासनादेश संख्या-67-(1)/75-597-रा0-9, दिनांक 21-2-84 में हुए। तदनुसार श्री द्वारिकाधीश प्रसाद को लेखपाल पद पर नियुक्त करके उन्हें सूचित किया गया लेकिन उन्होंने कार्यभार गृहण नहीं किया तथा लिपिक पद पर ही नियुक्ति चाही। लिपिक के पद उपलब्ध होने पर श्री प्रसाद को नियुक्त करने पर विचार कर लिया जायेगा।

18—श्री मित्रसेन—

[7वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

19—श्री मित्रसेन—

[7वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

ग्राम अहरौली सिलौनी परगना पश्चिम राठ फैजाबाद की कृषि योग्य बचत एवं आरक्षित भूमि पर सरकश एवं कुपात्र व्यक्तियों का कब्जा

20—श्री मित्रसेन—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम अहरौली सिलौनी परगना पश्चिम राठ, तहसील बीकापुर, फैजाबाद की कृषि योग्य बचत एवं आरक्षित भूमि पर गांव के किन सरकश एवं कुपात्र लोगों का अवैध कब्जा है? उसे पात्र व्यक्तियों में अब तक आवंटित न किये जाने का तथा अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्नगत ग्राम में 1 बिस्वा 17 बिस्वांसी गांव सभा भूमि पर श्री राम पियारे पुत्र लहरी का अवैध कब्जा है, जिसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम धारा 122-बी के अंतर्गत प्रस्तुत वाद विचाराधीन है।

शाहजहांपुर में किस्म जमीन प्रमाण-पत्र लेने में किसानों से सुविधा शुल्क के नाम पर पैसा लिए जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक शर्मा संयुक्त मंत्री युवक कांग्रेस (आई0) का शिकायती पत्र

21–डा0 विनोद तिवारी तथा

श्री चेतराम–

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 22-7-85 अथवा इसके आस पास श्री अशोक शर्मा तत्कालीन प्रान्तीय संयुक्त मंत्री उत्तर प्रदेश युवक कांग्रेस (ई0) (वीसूका) ने तहसील तिलहर जनपद शाहजहांपुर में किस्म जमीन प्रमाण पत्र लेने के उपलक्ष में किसानों से 50 रु0 से लेकर 200 रु0 सुविधा शुल्क के नाम पर लेने संबंधी शिकायती दिनांक 20-7-85 के 'दैनिक एक झलक' समाचार पत्र की कटिंग सहित तत्कालीन मुख्य मंत्री जी को की थी ? यदि हां, तो क्या सम्बन्धित लिपिक को निलम्बित अथवा स्थानान्तरित आदि कुछ किया गया है ? यदि हां, तो कब तक और कहां स्थानान्तरित किया? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम भाजू, विकास खण्ड श्यामलह, मुजफ्फरनगर की ग्राम सभा की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

22–श्री भगौती सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम भाजू, विकास खण्ड श्यामलह, तहसील कैराना, जनपद मुजफ्फरनगर की ग्राम सभा की वह भूमि जो कुमार गड्ढों खलिहान आदि की थी पर किसी व्यक्ति ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है? यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

अनधिकृत रूप से काबिज व्यक्तियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122 बी के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

आबादी से सम्बन्धित भूमि के विवादों के निपटारे का आधार

23–श्री भगौती सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांवों की आबादी से संबंधित भूमि के विवादों का निपटारा न्यायालय किस बन्दोबस्त के नक्शे के आधार पर कर रहे हैं?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जमींदारी विनाश के पूर्व गांवों में जमींदार अपने मुहालों या पट्टियों का बंटवारा करा लेते थे। उस बंटवारे में निर्मित नक्शे के आधार पर दीवानी न्यायालय में वादों के निर्णय किये जाते हैं।

उत्तर प्रदेश में गांवों की आबादी का नक्शा

24–श्री भगौती सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1862 के बाद उ0 प्र0 में गांवों की आबादी का नक्शा खसरा किसी बन्दोबस्त में बनवाया गया ? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी नहीं ।

अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

25-26–श्री बसन्त सिंह गहलौत–

[मा0 सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया]

27–श्री सूर्य प्रताप शाही–

[7वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

साधन सहकारी समिति लि0 सकरापार अरई पार, जिला देवरिया की पी0 डी0 एस0 का व्यवसाय तथा विक्रय धनराशि का घपला

28–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि साधन सहकारी समिति लि0 सकरापार अरई पार, विकास खण्ड बैतालपुर, जिला देवरिया ने वर्ष 82-83, 83-84 व 84-85 में कितने रुपये मासिक का पी0 डी0 एस0 का व्यवसाय किया ? क्या इस समिति में वित्तीय अपहरण के कारण सचिव सामान्य प्रबंधक जिला सह0 बैंक, देवरिया ने पत्रांक 10467/पी0 डी0 एस0/27-6-83 जिला सहायक निबन्धक, सह0 समितियां देवरिया को प्रेषित किया है ? क्या सहायक विकास अधिकारी सहकारिता ने भी अपने पत्र मेमो/दिनांक 16-10-82 जिला सहायक निबन्धक सह0 समितियां, देवरिया को प्रेषित किया है? यदि हां, तो द्वितीय पत्र का संदर्भ क्या है? क्या प्रथम पत्र किसी जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रेषित किया गया? यदि हां, तो किस अधिकारी के तथा जांच रिपोर्ट क्या है? दोनों पत्रों पर ए0 आर0 सी0 एस0 देवरिया द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? क्या उक्त समिति के लिपिक को 22-8-83 को प्रशासक द्वारा निलम्बित किया गया था? यदि हां, तो क्या जांच में दोष सिद्ध नहीं हुए थे? जांच अधिकारी कौन है तथा जांच रिपोर्ट क्या है? क्या उक्त समिति की बैठक दिनांक 1-7-84 प्रशासक की अनुपस्थिति में की गयी है? क्या इसमें लिपिक के स्थानान्तरण का प्रस्ताव किया गया है ? समिति से कार्य मुक्त होने के बाद लिपिक के पास समिति का धन अवशेष लिपिक के पास समिति का कितना धन अवशेष था?

श्री अरुण कुमार सिंह–

साधन सहकारी समिति लि0 सकरापार अरईपार, विकास खण्ड बेतालपुर, जिला देवरिया ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वर्ष 82-83, 83-84 व 84-85 में क्रमशः रु0 6,838-63, रु0 350-00 व रु0 998-83 का औसत मासिक व्यवसाय किया ।

सचिव/सामान्य प्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक, देवरिया ने अपने पत्र दिनांक 27-6-83 में समिति के लिपिक/विक्रेता द्वारा बिक्री की धनराशि बैंक में जमा न कर अनधिकृत रूप से अपने पास रोके रखने का उल्लेख किया था । सहायक विकास अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 16-10-82 के द्वारा उक्त साधन सहकारी समिति के विक्रेता/लिपिक से स्पष्टीकरण मांगा था।

प्रथम पत्र किसी जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रेषित नहीं किया गया था।

जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उ0 प्र0, देवरिया ने जांचोपरान्त बिक्री की रोकी गयी धनराशि को बैंक में जमा करा दिया तथा समिति के विक्रेता/लिपिक को अभिलेखों में नियमानुसार अंकन न करके धन को अनाधिकृत रूप से अपने पास रोकने के आरोप में समिति से हटा दिया ।

उक्त समिति के लिपिक को दिनांक 22-8-83 को प्रशासक द्वारा निलम्बित किया गया था। जांच में समिति के विक्रेता/लिपिक दोषी पाये गये थे।

सहायक विकास अधिकारी, बेतालपुर, जिला देवरिया को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जांच रिपोर्ट के अनुसार समिति के विक्रेता श्री शोभ नाथ मणि अभिलेखों में नियमानुसार अंकन न करने, कटिंग करने तथा बिक्री की धनराशि अनाधिकृत रूप से रोकने के दोषी पाये गये थे।

उक्त समिति की बैठक दिनांक 1-7-84 प्रशासक की अनुपस्थिति में नहीं की गयी।

समिति से कार्यमुक्त होने के बाद लिपिक के पास समिति का कोई धन अवशेष नहीं था।

29—श्री सूर्य प्रताप शाही—

[7वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

30—श्री सुखपाल पाण्डे—

[7वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

तहसील नवाबगंज, गोण्डा के कतिपय किसानों की सीलिंग से निकली भूमि का मुआवजा

31—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 हौसिला सिंह ग्राम लोलपुर 4 एकड़ व ग्राम महेशपुर 85 एकड़ तथा श्री जगदम्बा सिंह ग्राम महेशपुरवा लोलपुर तप्पा नवाबगंज, तहसील तरबगंज, जिला गोण्डा से 250 एकड़ भूमि सीलिंग में वर्ष 1979-80 में निकाली गयी है? यदि हां, तो प्रत्येक खातेदारों का कितना-कितना मुआवजा दिसम्बर, 1985 तक भुगतान किया गया और कितना मुआवजा भुगतान करना शेष है? क्या मंत्री इसे पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

स्व0 श्री हौसिला सिंह पुत्र श्री गोली सिंह की ग्राम लौलपुर में 3-95 एकड़ तथा महेशपुर में 80-09 एकड़ भूमि दिनांक 29-6-76 को अतिरिक्त घोषित हुई। श्री जगदम्बा सिंह पुत्र श्री त्रिबेनी सिंह निवासी ग्राम लौलपुर की 2-81 एकड़ भूमि ग्राम लौलपुर में तथा 79-77 एकड़ भूमि ग्राम महेशपुर में दिनांक 30-9-81 को अतिरिक्त घोषित हुई।

स्व0 श्री हौसिला सिंह के प्रतिकर का निर्धारण रु0 2,423-40 पैसा किया गया। क्षतिपूर्ति के रूप में रुपये 2,866-40 देय आया इसका सम्मायोजन वाउचर संख्या-75 दिनांक 1-3-79 द्वारा किया गया। इस प्रकार इन्हें कोई प्रतिकर देय नहीं है बल्कि 443-00 इनसे वसूल होकर सरकार को पाना है।

श्री जगदम्बा सिंह के प्रतिकर का निर्धारण 5,,102-00 रु0 हुआ है। इस पर क्षतिपूर्ति के रूप में 11,798-37 रुपये देय आया है। इस प्रकार इनको कोई प्रतिकर देय नहीं है, बल्कि 6,696-37 रु0 इनसे वसूल होकर सरकार को पाना है।

तहसील पडरौना के घघवा जगदीश के ग्राम प्रधान के विरुद्ध बंजर भूमि पर फर्जी इन्दराज करने संबंधी परिवाद पर जांच

32—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के तहसील पडरौना के

घघवा जगदीश के ग्राम प्रधान के विरुद्ध बंजर भूमि पर अपना फर्जी इन्दराज कराने के विरुद्ध श्री वासुदेव सिंह आदि ने बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी पडरौना के यहां परिवाद प्रस्तुत करते हुए जांच की मांग की थी? क्या बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के आदेश पर चकबन्दी अधिकारी तरया सुजान ने जांच कर अपना प्रतिवेदन दिनांक 10-1-85 को प्रस्तुत किया था? यदि हां, तो उसमें दोषी पाये गए कर्मचारियों तथा ग्राम प्रधान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां।

जी हां।

प्रथम दृष्टया संदिग्ध इन्द्राजों के लिये संबंधित लेखपाल को निलम्बित किया गया है।

मामला चकबंदी अधिकारी के न्यायालय में धारा 9 क (2) के अंतर्गत विचाराधीन है। अतः ग्राम प्रधान के विरुद्ध अभी किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं है।

श्री उमेश चन्द्र श्रीवास्तव, सी0 ओ0 (सहकारिता) के विरुद्ध गबन एवं अनियमितताओं से संबंधित दर्ज मुकदमों एवं जांच

33–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सी0 ओ0 सहकारिता (उमेश चन्द्र श्रीवास्तव) गोरखपुर में कार्यरत है? यदि हां, तो गोरखपुर, गोण्डा, बस्ती के कुल कितने मुकदमें गबन, अनियमितताओं के इनके विरुद्ध दर्ज कराये गये है तथा कितने मामलों में दिसम्बर, 1985 तक चार्जशीट लगा दी गयी तथा कितने मुकदमों में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी? क्या श्री उमेश चन्द्र श्रीवास्तव को गिरफ्तार या निलम्बित किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां। गबन एवं अनियमितताओं से सम्बन्धित जनपद गोण्डा एवं बस्ती के कुल तीन मुकदमें श्री उमेश चन्द्र श्रीवास्तव, सी0 ओ0 (सहकारिता) के विरुद्ध दर्ज कराये गये तथा दिसम्बर, 1985 तक दो मामलों में चार्जशीट लगायी जा चुकी है। इनके विरुद्ध जनपद गोरखपुर से संबंधित किसी मामले की सूचना नहीं है। किसी भी मामले में अभी तक फाइनल रिपोर्ट नहीं लगायी गयी है। श्री श्रीवास्तव को दिनांक 9-11-81 तथा 14-10-85 को बन्दी बनाया गया था और उन्हें जमानत पर रिहा किया गया। श्री श्रीवास्तव को दिनांक 28-12-81 के आदेश द्वारा निलम्बित किया गया था, जिसके विरुद्ध उन्होंने मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ से दिनांक 1-3-82 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है।

34–श्री काशी सिंह ऐरी–

[8वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 150 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

35–श्री काशी सिंह ऐरी–

[6ठें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 150 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

जनपद चमोली में स्वीकृत लघु जल विद्युत परियोजनाएं तथा प्रगति

36–श्री मित्रसेन–

क्या उर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली की कौन-कौन सी लघु जल विद्युत परियोजना है तथा अब तक की कार्य प्रगति क्या है? उन परियोजनाओं पर योजनानुसार कार्यवाही न किये जाने का कारण क्या है?

श्री सुनील शास्त्री–

जनपद चमोली में निम्नलिखित लघु जल विद्युत परियोजनाएं स्वीकृत हैं:–

(1) तपोवन 2×400 कि0 वा0
(2) थराली 1×400 कि0 वा0
(3) सीतापुर चट्टी 1×200 कि0वा0
(4) चमोली विस्तार 1×200 कि0वा0
(5) बद्रीनाथ विस्तार 1×30 कि0 वा0
(6) केदारनाथ 4×5 कि0 वा0

उपरोक्त परियोजनाओं में हुई अब तक की प्रगति निम्न प्रकार है:–

1. तपोवन–

कार्य योजनानुसार चल रहा है । भूमि उपलब्ध है तथा परियोजना का बान्ध पूर्ण किया जा चुका है । पावर चैनल लगभग पूरी हो चुकी है। पावर हाउस की बिल्डिंग पूरी हो चुकी है । अब पेन स्टाक तथा मशीनों का कार्य होना है जिसके 3/86 तक पूर्ण होने की सम्भावना है ।

2. थारीली–

भूमि उपलब्ध हो चुकी है । प्रारम्भिक सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है । इस योजना के कार्य को सम्पादित करने के लिए टेण्डर स्पेशिफिकेशन बनाये जा रहे हैं तथा इस योजना के 3/88 तक पूर्ण हो जाने की आशा है ।

3. सीतापुर चट्टी–

भूमि अधिग्रहण का मामला प्रक्रियान्तर्गत है ।

4 चमोली विस्तार –

कार्य योजनानुसार चल रहा है । पावर चैनल की क्षमता में वृद्धि का कार्य तथा जल विद्युत गृह के विस्तार का कार्य प्रगति पर है और आशा की जाती है कि यह योजना 3/87 तक पूर्ण हो जायेगी ।

5. बद्रीनाथ विस्तार–

इन परियोजनाओं पर टरबाइन, जैनरेटर व एल0 टी0 पैनल लगने हैं वे पुराने हैं और उन्हें मरम्मत के लिए भेजा गया है जो कि लगभग 5/86 तक प्राप्त हो जायेंगे। इस योजना पर इस वर्ष ग्रीष्म काल में कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा क्योंकि बर्फ के कारण अभी कार्य प्रारम्भ करना सम्भव नहीं है । योजना के 3/87 तक पूर्ण होने की सम्भावना है ।

6. केदारनाथ–

इस परियोजना के संयंत्र उपलब्ध है तथा भूमि की चयन कर ली गयी है । अभी तक भूमि का अधिग्रहण नहीं हो पाया है तथा भूमि उपलब्ध होते ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

जनपद चमोली में सोन प्रयाग स्थित एलीवन हट्स तथा अशोक वाटिका को विद्युत आपूर्ति की मांग

37–श्री मिश्रसेन–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में सोन प्रयाग स्थित गढ़वाल विकास निगम के एलीवन हट्स तथा सोन प्रयाग स्थित बिड़ला की अशोक वाटिका के विद्युत आपूर्ति की मांग कब-कब की गयी है तथा अशोक वाटिका को कब स्थायी विद्युत आपूर्ति की गयी तथा एलविन हट्स को अस्थायी विद्युत आपूर्ति दिये जाने का क्या कारण है ? क्या यह भी सत्य है कि सोन प्रयाग स्थित पत्रकार आश्रम को दिये गये प्राक्कलन पत्र में एलविन हट्स की लाइन का भी व्यय सम्मिलित है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री –

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम परियोजना के अन्तर्गत गोरखपुर मंडल में स्वीकृत गोदामों का निर्माण

38–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मण्डल में दिसम्बर, 1985 तक कुल कितने गोदाम विश्व बैंक परियोजना के स्वीकृत हुए थे कितने गोदाम दिसम्बर, 1985 तक बनकर तैयार हुए, कितने गोदाम बनकर तैयार होने के बाद गिर गये उसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री अरुण कुमार सिंह–

उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लि0, लखनऊ द्वारा संचालित विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम परियोजना के अन्तर्गत गोरखपुर मण्डल में कुल 955 ग्रामीण गोदाम दिसम्बर, 1985 तक स्वीकृत किये गये। स्वीकृत गोदामों में से दिसम्बर, 1985 तक 796 गोदाम बनकर तैयार हुए। बनने के बाद कोई गोदाम नहीं गिरा।

अतः किसी पर उत्तरदायित्व निर्धारित करने तथा कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव, विकास खण्ड बिछिया के तौरा ग्राम में श्री सरजू लाल उपभोक्ता के यहां लगे चेक मीटर हटाने का औचित्य तथा नेता विरोधी दल द्वारा भेजे गये पत्र पर कार्यवाही

39–श्री सुन्दर लाल–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के तृतीय शुक्रवार के लिए निर्धारित मा0 बेनी प्रसाद वर्मा विधायक के अतारांकित प्रश्न संख्या 10 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मा0 विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के अन्तर्गत विकास खण्ड बिछिया के तौरा ग्राम में श्री सरजू लाल उपभोक्ता के यहां लगे हुए चेक मीटर को जो दिनांक 19-5-84 को लगा था दिनांक 6-2-85 को हटाया गया? यदि हां, तो इतने दिनों बाद चेक मीटर हटाने का क्या औचित्य है?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां। प्रश्नगत उपभोक्ता श्री सरजू लाल के यहां लगे हुए चेक मीटर को निर्णित करने हेतु विद्युत विभाग के कर्मचारी दिनांक 15-9-84 एवं 27-12-84 को उपभोक्ता के परिसर पर गये, किन्तु उपभोक्ता अथवा उसके किसी भी प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर न करने के कारण चेक मीटर निर्णित नहीं किया जा सका जिससे चेक मीटर लगा रहा। तत्पश्चात् दिनांक 6-2-85 को उपभोक्ता के प्रतिनिधि द्वारा सीलिंग सर्टीफिकेट पर हस्ताक्षर करने के बाद (मुख्य मीटर) हटाया जा सका।

40–श्री सुन्दर लाल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सरजू लाल विद्युत उपभोक्ता तौरा, विकास खण्ड बिछिया, जनपद उन्नाव के मीटर विवाद को सुलझाने के विषय में मा0 नेता विरोधी दल विधान सभा ने अपने पत्र संख्या 324/ने0 वि0 द0/85 दिनांक 28, 29, जून, 1985 को जो पत्र भेजा था प्राप्त हुआ तथा जिस पर मा0 मंत्री जी ने अपने पत्र संख्या 842/जी/एम एनेक्सी भवन दिनांक 16 जुलाई, 85 को मा0 नेता विरोधी दल विधान सभा, उ0 प्र0 को जवाब में यह पत्र लिखा कि अपने

आदेशों सहित मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, राज्य विद्युत परिषद्, लखनऊ को भेज दिया गया है? उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां, माननीय नेता विरोधी दल विधान सभा उ0 प्र0 का प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुआ है जिसके आधार पर उपभोक्ता को चेक मीटर के परिणामस्वरूप 5/84 से 2/85 तक के पुराने बिलों में 4301 यूनिट जिसका विद्युत मूल्य रु0 2451.57 होता है का समायोजन किया गया है।

साधन सहकारी समिति, राजपुर में प्रशासक की नियुक्ति तथा श्री ध्रुव नारायण पाण्डेय की पुनः नियुक्ति का आधार

41–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के विकास खण्ड खुनियांव के साधन सहकारी समिति, राजपुर के प्रशासक की नियुक्ति में कब-कब किन-किन व्यक्तियों को प्रशासक नियुक्त किया गया ? क्या यह सही है कि स्थानीय प्रधानों की शिकायत पर सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, बस्ती ने वर्तमान प्रशासक श्री ध्रुव नारायण पाण्डेय को उनके पद से हटा दिया था जिसे मा0 मंत्री जी ने स्वयं 26 नवम्बर, 85 के आदेश से पुनः उन्हें उक्त समिति का प्रशासक नियुक्त कर दिया है? यदि हां, तो उनकी पुनः नियुक्ति का आधार क्या है?

श्री अरुण कुमार सिंह–

प्रश्नगत सहकारी समिति में श्री ध्रुव नारायण पाण्डेय 29-9-85 तक तथा 29-11-85 से 17-1-86 तक प्रशासक रहे, जबकि 30-9-85 से 28-11-85 तक सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) विकास खण्ड खुनियांव प्रशासक रहे। 18-1-86 से पुनः यह अधिकारी इस समिति के प्रशासक नियुक्त कर दिये गये हैं।

श्री यू0 अहमद द्वारा यह लिख कर दिये जाने पर कि श्री ध्रुव नारायण के विरुद्ध उसके नाम से फर्जी शिकायत की गयी है, श्री पाण्डे को 29-11-1985 से पुनः प्रशासक पद पर नियुक्त किया गया । परन्तु उसके बाद शिकायत प्राप्त होने पर श्री ध्रुव नारायण पाण्डे को 18-1-1986 से प्रशासक पद से हटा दिया गया है ।

सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ चमोली, उत्तरकाशी में गांवों के विद्युतीकरण की प्रगति दर

42–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़, चमौली, उत्तरकाशी में गांवों के अत्यन्त छितरे (दूर-दूर) होने के कारण वहां विद्युत तार पहुंचाने में अत्यन्त खर्चा आता है, इस कारण वहां विद्युतीकरण की प्रगति दर अत्यन्त धीमी है? यदि हां, तो क्या सरकार विद्युतीकरण के लिये और अधिक धनराशि देते हुये इस कार्य में तीव्रता लायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां।

जी हां ।

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोलीहाट का विद्युतीकरण एवं भंडारी गांव में पूर्ण विद्युतीकरण किये जाने की कार्यवाही

43—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड केन्द्र गंगोलीहाट में कब विद्युतीकरण हुआ? इस कस्बे के निकटस्थ गांव भंडारी गांव में विद्युतीकरण का कार्य कब पूरा हुआ तथा इसी गांव से होते हुए भूलीगांव चौनाला चौड़ घुरौली डूनी चहन होते हूए पनारपुल तक (लगभग 25 कि0मी0 20 गांव के 1000 परिवारों में) विद्युतीकरण की अत्यन्त मांग होते हुए भी अब तक विद्युतीकरण न करने का क्या कारण है? इस कार्य में कितनी धनराशि खर्च होगी? सरकार इसको कब तक पूरा करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री—

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोलीहाट का विद्युतीकरण दिनांक 15-7-1976 को किया गया था। भंडारी गांव का विद्युतीकरण भी दिनांक 31-3-1981 को किया गया था। ग्राम भूलीगांव का आंशिक विद्युतीकरण दिनांक 31-3-85 को किया गया तथा पूर्ण विद्युतीकरण करने की कार्यवाही की जा रही है इसके अतिरिक्त प्रश्न में उल्लिखित शेष ग्राम का विद्युतीकरण अभी नहीं किया जा सका क्योंकि ये ग्राम विद्युतीकरण के लिये जिला चयन समिति द्वारा स्वीकृत नहीं हुए। इन कार्यों में लगभग एक करोड़ रुपये खर्च होने की सम्भावना है। प्रश्न में उल्लिखित ग्राम का विद्युतीकरण, इस क्षेत्र में प्रस्तावित 33 के0वी0 उप संस्थान की स्वीकृति होने व वित्तीय संसाधन एवं सामग्री की उपलब्धि पर निर्भर करेगा।

लघु जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा उत्पन्न विद्युत

44—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि उत्तराखण्ड (आठ पर्वतीय जनपदों) में लघु जल विद्युत की बहुत अधिक क्षमता है? यदि हां, तो क्या सरकार ने उपरोक्त क्षेत्रों में कभी इस सन्दर्भ में सर्वेक्षण कराया है कि उपरोक्त क्षेत्रों में लघु जल विद्युत योजनाओं द्वारा कुल कितनी विद्युत पैदा की जा सकती है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां।

राज्य विद्युत परिषद् द्वारा कराये गये प्रारम्भिक सर्वेक्षणानुसार उत्तराखंड क्षेत्र में लघु जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा लगभग 58000 किलोवाट विद्युत उत्पन्न की जा सकती है।

कोयला, अणु ऊर्जा, मैदानी क्षेत्र में पानी, पर्वतीय क्षेत्र में लघु विद्युत योजनाओं द्वारा क्रमशः औसतन प्रति यूनिट लागत

45—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोयला, अणु ऊर्जा, मैदानी क्षेत्र में पानी, पर्वतीय क्षेत्र में लघु विद्युत योजनाओं द्वारा क्रमशः औसतन प्रति यूनिट कितनी लागत आती है? किस दर से दिनांक 1-6-85 को विक्रय की जा रही थी? क्या सरकार बतायेगी कि वैकल्पिक ऊर्जा माध्यमों से सौर वायु द्वारा प्रति यूनिट कितना खर्च आंका गया है? पर्वतीय क्षेत्रों में दूर

दराज गांवों में इन माध्यमों से विद्युत ऊर्जा देने की योजनायें बनायेंगे ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद पिथौरागढ़ में विकास खण्डवार निराश्रित/वृद्धा पेंशनरों की संख्या

46–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1-6-85 को जनपद पिथौरागढ़ में खण्डवार क्रमशः कुल कितनी निराश्रित/वृद्धा/महिलायें हैं ? इनमें से कितनों को निराश्रित/विधवा पेंशन या आर्थिक सहायता दी जा रही है? उपरोक्त सभी महिलाओं हेतु कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी? इस हेतु अब तक क्या-क्या प्रयास किये गये हैं?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जनपद पिथौरागढ़ में 1-6-85 को विकास खण्डवार पेंशनरों की संख्या निम्न प्रकार है :–

विकास खण्ड	वृद्ध पेंशनरों की संख्या	निराश्रित विधवा पेंशनरो की संख्या
1–विण	194	145
2–मनाकोट	236	111
3–गंगोलीहाट	178	73
4–डीडीहाट	123	51
5–बेरीनाग	40	45
6–कनालीछीना	68	44
7–मुनस्यारी	63	74
8–धारचूला	114	218
9–चम्पावत	59	73
10–बाराकोट	27	53
11–लोहाघाट	48	65
12–पाटी	43	63
योग–	1193	1015

उपरोक्त सभी को पेंशन दी जा रही है।

वर्ष 1985-86 में विधवाओं के लिए रु0 10,05,800 तथा वृद्ध महिलाओं के लिये 9,00,000 रुपये की आवश्यकता है।

जहां तक वृद्धा महिलाओं की पेन्शन का संबंध है, स्वीकृति जारी की जा चुकी है। विधवा महिलाओं के लिये 8,94,560 रु0 की धनराशि के आदेश फरवरी, 1986 में जारी किये जा चुके हैं।

जनपद पिथौरागढ़ की तहसील मुनस्यारी में सहकारी प्रयास से जड़ी बूटी की खेती करने हेतु बनायी गयी समिति

47–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या सहकारिता मंत्री को प्रश्नकर्ता के दिनांक 17-5-85 के पत्र द्वारा ज्ञात हुआ है कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के तह0 मुनस्यारी के ग्राम मिलन वासियों ने केवल अपने सहकारी प्रयास से जड़ी बूटी खेती करने की एक समिति बनायी है? क्या सरकार ने इस प्रयास को प्रोत्साहित करने के लिए जड़ी बूटी खेती में अच्छे बीज, अच्छी उपज, अच्छी कीमत सुनिश्चित करने हेतु कोई प्रयास किये हैं? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी नहीं। जड़ी-बूटी की खेती करने हेतु सहकारिता विभाग के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ की तहसील मुनस्यारी में मिलम जनजाति भेषज एवं कृषि उत्पादन एवं विपणन सहकारी समिति दिनांक 15-3-83 से पंजीकृत है।

जी हां।

समिति को प्रोत्साहित करने के लिये अगस्त, 1983 में रु0 25,000 की धनराशि अनुदान के रूप में दी गयी थी, जिसमें से रु0 5,000 की धनराशि का प्राविधान बीज एवं पौधों के मद में किया गया था। उत्तम प्रकृति के बीजों की व्यवस्था स्थानाय वनों से की जाती है। जड़ी-बूटी की अच्छी उपज हेतु ब्लाक मुनस्यारी में ही तकनीकी कर्मचारी नियुक्त हैं तथा भेषज के विपणन एवं अच्छी कीमत दिलाने हेतु भेषज सहकारी संघ का गठन किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला सहकारी बैंक लि0 लखनऊ की बैलेन्सशीट तथा दर्शाया गया लाभ

48–श्री शारदा प्रताप–

क्या सहकारी मंत्री को जानकारी है कि जिला सहकारी बैंक लि0 लखनऊ के कुछ अधिकारियों ने फर्जी बैलेंस शीट बनाकर तथा तथ्यों को छिपाकर अवास्तविक लाभ दिखाया और मनमाने ढंग से वेतन प्राप्त कर नौ लाख रुपये की सीधी क्षति पहुंचायी तथा जून, 1983 में बैंक ने राज्य सरकार से 20 लाख रु0 का ऋण किसानों की सहायता के लिये और साढ़े 10 प्रतिशत की ब्याज की दर से किसानों को दिया और ऋण वसूल कर ब्याज नहीं दर्शाया तथा 1984-85 में साढ़े 6 लाख का लाभ दिखाया जबकि वास्तविकता कुछ और है एवं इसी प्रकार निबंधक द्वारा बनाये गये वेतनमानों को न मानकर मनमाने ढंग से वेतन प्राप्त किया? यदि हां, तो क्यों? क्या माननीय मंत्री जी सी0 आई0 डी0 विभाग अथवा सतर्कता अधि0 द्वारा पूरे प्रकरण की जांच कराकर 1980–85 तक किसानों को दिया गया ऋण तथा ब्याज सहित वसूली व अधिकारियों द्वारा प्राप्त सम्पूर्ण वेतन का ब्योरा सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जिला सहकारी बैंक, लखनऊ की बैलेंसशीट बैंक के अभिलेखों के आधार पर नियमानुसार तैयार करके लाभ निकाला गया है । बैलेन्स शीट फर्जी नहीं है ।

जून, 1983 में 20 लाख रुपया राज्य सरकार से जिला सहकारी बैंक, लखनऊ को नहीं बल्कि यू0 पी0 को-आपरेटिव बैंक को 7 1/2 प्रतिशत ब्याज पर प्राप्त हुआ था । यू0 पी0 को-आपरेटिव बैंक द्वारा इस ऋण से जिला सहकारी बैंक को अल्पकालीन ऋण की सुविधा प्रदान की गई थी जिस पर यू0 पी0 को-आपरेटिव बैंक द्वारा नियमानुसार जिला सहकारी बैंक से ब्याज वसूल किया गया ।

20 लाख रुपये के ऋण के राज्य सरकार को प्रतिदान का दायित्व जिला सहकारी बैंक का नहीं वरन यू0 पी0 को-आपरेटिव बैंक का है । जिला सहकारी बैंक, लखनऊ द्वारा अपनी बैलेन्स शीट में जो लाभ दर्शाया गया है वह सही है ।

बैंक के कर्मचारियों को जो भी एवार्ड के अनुसार (अ) श्रेणी के वेतनमान एवं महंगाई भत्ते दिये जा रहे हैं जिसकी स्वीकृति निबन्धक द्वारा दिनांक 6-4-79 को प्रदान की गयी थी ।

जांच कराने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1980-85 तक किसानों को दिया गया ऋण तथा ब्याज सहित वसूली व वेतन का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 144 पर)

49-श्री हृदय नरायन दीक्षित-

[7वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

50-श्री सुखपाल पाण्डे-

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

प्रदेश के ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य

51-श्री हरिश्चन्द्र, (हरीश जी)-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में ऐसे कितने ग्राम हैं जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ और सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितने ग्रामों में विद्युतीकरण का लक्ष्य है ?

श्री सुनील शास्त्री-

उत्तर प्रदेश के कुल 1,12,568 ग्रामों में से जनवरी, 1986 तक 47,728 ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं हुआ । सातवीं पंचवर्षीय योजना में 19,800 ग्रामों के विद्युतीकरण किये जाने का लक्ष्य है ।

बस्ती जिले में अनिस्तारित विद्युतीकरण के प्रार्थना-पत्र

52-श्री हरिश्चन्द्र, (हरीश जी)-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में ऐसे कितने ग्राम हैं जिनके प्रार्थना-पत्र विद्युतीकरण के लिये पिछले एक वर्ष से अधिक समय से बस्ती जिले और उससे संबंधित कार्यालयों में अनिस्तारित पड़े हैं ?

श्री सुनील शास्त्री-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बस्ती के तहसील खलीलाबाद के गांवों में ग्रामीण विद्युतीकरण का अवशेष कार्य

53-श्री अफसर यू0 अहमद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के तह0 खलीलाबाद के किन-किन गांवों में ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत कार्य पूरा किया जा चुका है तथा कितना अवशेष कार्य शेष है ? इन्हें कब तक पूरा किया जायेगा ?

श्री सुनील शास्त्री-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बस्ती जनपद के ग्राम लेडुआ महुआ अमरडोभा में पावर सब स्टेशन बनाने का दिया गया आश्वासन

54-श्री अफसर यू0 अहमद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के विद्युत वितरण खंड द्वितीय के अंतर्गत ग्राम लेडुआ महुआ अमरडोभा में पावर सब स्टेशन बनाने के लिये आश्वासन दिया गया था? यदि हां, तो अभी तक सब स्टेशन क्यों नहीं बना है और कब तक बनने की उम्मीद है ?

श्री सुनील शास्त्री-

सूचना एकत्र की जा रही ।

जनपद रायबरेली सलौन लाइन के निर्माण में बरती गयी अनियमितताओं के संबंध में पत्र

55-श्री रामचन्द्र बख्श सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद रायबरेली सलौन लाइन के निर्माण में बरती गयी अनियमितताओं के संबध में प्रश्नकर्ता का प्रश्न दिनांक 29-11-85 उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अध्यक्ष

श्री ए0 के0 शाह को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो शिकायतों की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गयी और जांच में क्या पाया गया ?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां ।

जांच, अधिशासी अभियन्ता, नलकूप विद्युतीकरण खण्ड (विश्व बैंक) लखनऊ के माध्यम से कराई जा रही है. जो कि अभी पूर्ण नहीं हुई है ।

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड सिद्धौर के बाल विकास परियोजना के कर्मचारियों के विरुद्ध श्री शिव कैलाश रावत भू0 पू0 विधायक का शिकायती पत्र

56–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड सिद्धौर के बाल विकास परियोजना के कर्मचारियों के विरुद्ध श्री शिव कैलाश रावत भू0 पू0 विधायक का शिकायती पत्र दिनांक 31-10-85 उप निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण फैजाबाद मंडल फैजाबाद को प्राप्त हुआ? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या हैं और शिकायती पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

जिसमें बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं कनिष्ठ लिपिक सिद्धौर द्वारा घटिया सामान क्रय करने एवं फर्जी वितरण करने एवं मानदेय में कटौती करने की शिकायत थी, जिसके लिये जांच कराई गई है और बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं कनिष्ठ लिपिक को आरोपित किया गया है ।

विकास खंड बिछिया के ग्राम तौरा में श्री सरजू लाल विद्युत उपभोक्ता के यहां लगाया गया नया पावर मीटर तथा चेक मीटर

57–श्री कनक सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद उन्नाव के अंतर्गत विकास खण्ड बिछिया के ग्राम तौरा में सरजू लाल विद्युत उपभोक्ता के यहां नया पावर मीटर नं0 यू 467 क्यू/10066759 लगाया गया था जो खराब था ? यदि हां, तो फिर उक्त मीटर को क्यों लगाया गया? ऐसा करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ।

श्री सुनील शास्त्री –

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

58–श्री कनक सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद उन्नाव के अंतर्गत विकास खण्ड बिछिया के ग्राम तौरा के निवासी सरजू लाल विद्युत उपभोक्ता के यहां लगे हुए मेन मीटर पर चेक मीटर लगा था ? यदि हां, तो मेन मीटर तथा चेक मीटर तथा चेक मीटर में कितना अंतर आया? क्या पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री –

जी हां । जनपद उन्नाव के अन्तर्गत विकास खण्ड बिछिया के ग्राम, तौरा, निवासी श्री सरजू लाल विद्युत उपभोक्ता के यहां मेन मीटर पर चेक मीटर लगा था। इस चेक मीटर को फाइनल करते समय यह

पाया गया कि पुराने मीटर का एक फेज शार्ट है तथा पुराने मीटर की सील भी सन्देहास्पद थी जिस कारण दोनों मीटरों की तुलना करना सम्भव नहीं है ।

जनपद बस्ती के विकास क्षेत्र हर्रैसर बाजार के अन्तर्गत घाघरा एवं कुवानों नदियों के बीच दोआबे के निचले भाग पर स्थित ग्राम-वासियों को पुनर्वासित किये जाने संबंधी आवेदन पत्र

59–श्री धनराज यादव –

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुनर्वासित होने के लिए मा0 डा0 चन्द्रशेखर त्रिपाठी, एम0 पी0 मा0 गोंदा देवी जी विधायिका द्वारा अग्रसारित जिला बस्ती के तह0 खलीलाबाद विकास खंड हर्रैसर बाजार के अन्तर्गत घाघरा नदी और घाघरा नदी के उत्तर तरफ किनारे-किनारे नवनिर्मित बड़ी बांध के बीच के प्रलयकारी बाढ़ग्रस्त ग्राम जगदीशपुर टोला, गुरुशरन के पुरवा व रायमुनिहा ग्राम भिखारीपुर टोला, राम-शरण के पुरवा, राजाराम के पुरवा, ग्राम तुकीलिया नायक टोला, जिवलाल के पुरवा, केवटनवा ग्राम चपरा पूर्वी टोला, डड़वा धामू के पुरवा, ग्राम गायघाट, चन-गहा भौटवापार कटस खैरगाड़ सरैया कंच-नपुर सुअरहा, निवतिया इत्यादि के बाढ़ पीड़ित जन का सन् 1985 ई0 के सितम्बर/अक्टूबर महीनों में आवेदन पत्र सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो वे क्या हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य –

जी हां । आवेदन पत्र तहसील खलीला-बाद जनपद बस्ती के विकास क्षेत्र हर्रैसर बाजार के अन्तर्गत घाघरा एवं कुवानों नदियों के बीच दोआबा के निचले भाग पर स्थित गांवों के ग्रामवासियों को नवनिर्मित बांध के दूसरी ओर दक्षिण में बंजर भूमि पर बसाये जाने अथवा समस्त आबादी की भूमि को नवनिर्मित बांध के बराबर ऊंचाई में पटवाये जाने के संबंध में है ।

उक्त आवेदन पत्रों पर जिलाधिकारी बस्ती की आख्या मांगी गयी थी । जिला-धिकारी, बस्ती द्वारा अधिशासी अभि-यंता, बाढ़ कार्य खंड फैजाबाद से यह अनुरोध किया गया है कि प्रश्नगत क्षेत्र के लिए बाढ़ सुरक्षा योजना का प्रारूप तैयार करके तुरन्त उपलब्ध करायें । इसके अलावा सिंचाई विभाग के मुख्य अभियन्ता (गण्डक) गोरखपुर से भी अनुरोध किया गया है कि योजना का प्रारूप प्राथमिकता के आधार पर तैयार कराके जिलाधिकारी, बस्ती को तुरन्त उपलब्ध करायें ।

अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मंडल, आगरा द्वारा अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खंड, फिरोजाबाद को कार्य लेने के संबंध में दिया गया आदेश

60–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मंडल आगरा ने दिनांक 27-7-84 को पद के अनुसार कार्य लेने के संबंध में एक आदेश अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खंड फिरोजाबाद को इस आशय का भेजा कि आपके खंड में कुछ एस0एस0ओ0जे0एम0 टी0 का कार्य कर रहे हैं जो परिषद् के आदेशों के नितान्त विपरीत है ? यदि हां, तो उसका पालन न करने का क्या कारण है ?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां ।

प्रश्नगत मामला संराधन समिति आगरा के समक्ष विचाराधीन होने के कारण आदेशों के क्रियान्वयन में कानूनी अड़चन है ।

61-62—श्री सुखपाल पाण्डे—

[8वें मंगलवार में अता0प्र0सं0 146-147 से अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सेक्सरिया शुगर मिल बभनान बनाम किसान इन्टर कालेज, बभनान का चकबन्दी अधिकारी (अन्तिम अभिलेख) गोण्डा के न्यायालय में विचाराधीन मुकदमा

63—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सेक्सरिया विद्यालय बनाम किसान इन्टर कालेज बभनान, जिला बस्ती का मुकदमा चकबन्दी अधिकारी तथा बन्दोबस्त अधिकारी व उप चकबन्दी संचालक गोंडा एवं मुंसफ उतरौला, जिला गोंडा के न्यायालय में 1978 से चल रहा है और अब तक उक्त मुकदमों की कुल कितनी तारीखें पड़ी कितना रुपया टी0ए0डी0ए0 तथा वकील एवं कागजात पर खर्चा हुआ ? क्या उक्त खर्चा सेक्सरिया विद्यालय के मुकदमें में सेक्सरिया शुगर मिल लि0 गोण्डा द्वारा किया गया ? यदि हां, तो वह किस आधार पर ? क्या पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी एवं उप संचालक चकबन्दी गोण्डा के न्यायालय में उक्त पक्षों के बीच कोई मुकदमा इस समय विचाराधीन नहीं है । मुन्सिफ उतरौला के न्यायालय से संबंधित ऐसे किसी मुकदमे की जानकारी चकबन्दी विभाग को नहीं है ।

सेक्सरिया सुगर मिल बभनान बनाम किसान इन्टर कालेज, बभनान का मुकदमा चकबन्दी अधिकारी (अन्तिम अभिलेख) गोण्डा के न्यायालय में 1978 के पूर्व से चल रहा है ।

उक्त मुकदमों में अब तक 12 तारीखें दोनों पक्षों के अवसर मांगने, 7 तारीखें वादी की प्रार्थना पर, 32 तारीखें पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण तथा 4 तारीखें प्रतिवादी की प्रार्थना पर दी गईं और 30 तारीखों पर कार्यवाही की गई । वाद दिनांक 6-10-75 तथा उसके बाद पुनः 16-8-80 को एक तरफा निस्तारित किया गया था परन्तु बाद में दायर प्रार्थना-पत्र के आधार पर उक्त आदेश निरस्त किए गये । उक्त वादी के तीन बार स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये थे जो निरस्त किये गये । स्थानान्तरण प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने के विरुद्ध निगरानी भी दायर की गई । यह वाद अन्तिम बार सेक्सरिया शुगर मिल के प्रार्थना-पत्र पर दिनांक 9-9-85 को स्थानान्तरित किया गया । किसान इण्टर कालेज की ओर से साक्ष्य समाप्त हो चुका है । सेक्सरिया शुगर मिल के साक्ष्य हेतु तिथि 12-3-86 निश्चित है ।

जहां तक टी0 ए0 डी0 ए0 तथा वकील एवं कागजात पर हुये व्यय एवं उसके आधार का प्रश्न है, व्यय का वहन पक्षों द्वारा किया जाता है और व्यय का अलग से प्रत्येक मुकदमे के बारे में आकलन नहीं किया जाता है । सेक्सरिया शुगर मिल सेक्सरिया विद्यालय की ओर से मुकदमा लड़ रही है ।

इलाहाबाद स्थित भिक्षुक कर्मशाला शिवकुटी की अधीक्षिका श्रीमती माया बिरमानी के विरुद्ध सी0 आई0 डी0 जांच

64—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद स्थित

भिक्षुक कमंशाला शिवकुटी की अधीक्षिका श्रीमती माया बिरमानी के विरुद्ध कोई सी0 आई0 डी0 जांच चल रही है? यदि हां, तो उनके विरुद्ध आरोप क्या-क्या हैं ? सी0 आई0 डी0 ने क्या कोई आख्या पेश की है ? यदि नहीं, तो कब तक आख्या दे देगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

आरोप निम्न प्रकार हैं :–

1–कु0 गीता पुत्री सुरेश सिंह (भिक्षुक गृह) की संवासिनी से अधीक्षिका ने गृह कार्य लिया ।

2–खाद्य सामग्री भिक्षुकों के लिए घटिया किस्म की अधिक मूल्य पर क्रय की जाती थी । भिक्षुकों को ठीक उचित भोजन नहीं दिया जाता था ।

3–वर्ष 1977 से वर्ष 1982 तक अधीक्षिका श्रीमती माया बिरमानी द्वारा अभिलेखों में गलत दर्ज कर भारी धन का गबन किया गया है ।

4–संवासिनी-भिक्षुक रईसाबानों, फूलेश्वर सिंह, श्रीमती गायत्री देवी, श्रीमती होली, श्री हरि बहादुर, श्रीमती पन्नामा महादेव दास, नारद चन्द्र चेता, रमेश कुमार, कल्लू, श्रीमती रत्नों, गोपाल प्रसाद उपाध्याय, काशीराम, राधेश्याम, शिव कुमार, रमजान, राकेश और विमान आदि भिक्षुकों को न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के बाद भी निरुद्ध रखा गया।

जी नहीं ।

अति शीघ्र जांच आख्या प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है ।

गोरखपुर नगर के पैडले गंज पुनर्वास विभाग में बेची गई भूमि की दर

65–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर नगर के पैडलेगंज पुनर्वास विभाग में मात्र 46 पैसा प्रति दर फिट की दर से बेच दिया गया जबकि बाजार में इनकी कीमत 50/- रुपए से कम नहीं है ? यदि हां, तो अधिकारी कौन है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

प्रश्नगत भूमि पश्चिम-पाकिस्तान विस्थापितों को 45 पैसे वर्ग फिट की दर से बेची गई । उक्त भूमि श्री एस0 पी0 अन्जोर, डिप्टी कलेक्टर एवं तत्कालीन जिला सहायता तथा पुनर्वासन अधिकारी/मैनेजिंग आफिसर द्वारा बेची गई थी । इस मामले में उप भूमि व्यवस्था आयुक्त राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा जांच की जा रही है ।

66–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

[7वें शुक्रवार के लिए स्थगित ।]

राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, लखनऊ मंडल के क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री सैयद अशरफ के भ्रष्टाचार की जांच

67–श्री शारदा प्रताप–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बृज मोहन त्रिपाठी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0, शाखा मलिहाबाद का दिनांक 30-12-85 को उ0प्र0 राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लखनऊ मंडल के क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री सैयद अशरफ के भ्रष्टाचार की जांच कराकर सेवा से विमुक्त करने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी सैयद अशरफ याकूब के संबंध में दिए गए प्रार्थना पत्र के सम्पूर्ण प्रकरण की जांच सी0 आई0 डी0 अथवा सतर्कता विभाग से करायेंगे? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

श्री बृज मोहन त्रिपाठी का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था परन्तु उन्होंने उसके पश्चात् दिनांक 22-1-86 को प्रबन्ध निदेशक, भूमि विकास बैंक को सम्बोधित पत्र द्वारा सूचित किया कि उन्हें शिकायत के संबंध में कुछ नहीं कहना है और वह अपनी शिकायत वापस लेते हैं । फिर भी शिकायती पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच बैंक द्वारा कराई जा रही है ।

साधन सहकारी समिति दया छपरा, जनपद बलिया के सचिव के विरुद्ध शिकायती पत्र

68–श्री मैनेजर सिंह तथा
श्री विक्रमादित्य पाण्डे–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि साधन सहकारी समिति दया छपरा जनपद बलिया के सचिव के विरुद्ध कोई शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता का उन्हें गत वर्ष में प्राप्त हुआ था? यदि हां तो उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां, प्रश्नगत शिकायती पत्र पर जांच कराई गई। जांच में दोषी पाये गये सचिव को स्थानान्तरित कर दिया गया है। अनियमितताओं के लिए सचिव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है और दुरुपयोगिता/अपहृत धनराशि के उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु सहकारी समिति अधिनियम 1965 के अन्तर्गत धारा 68(1) के अधीन अधिभार का आदेश कर दिया गया है ।

देवरिया तहसील के ग्राम प्रधान श्री राम जी यादव के भ्रष्टाचार तथा अन्य आरोपों के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र

69–श्री सूर्यप्रताप शाही–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के देवरिया तह0 के ग्राम प्रधान देवपुर (रजला) श्री राम जी यादव के भ्रष्टाचार तथा अन्य आरोपों के संबंध में कोई आवेदन पत्र परगनाधिकारी, देवरिया को श्री रामज्ञा विश्वकर्मा ने दिनांक 17 नवम्बर, 1983 को दिया था? यदि हां, तो क्या उसकी जांच नायब तहसीलदार देवरिया ने करके अपना प्रतिवेदन दिनांक 28-12-83 को दिया ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या थी, जांच में दोषी पाये जाने के बाद भी संबंधित ग्राम प्रधान के विरुद्ध अब तक कार्यवाही न किये जाने का कारण क्या है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां। शिकायती पत्र की जांच नायब तहसीलदार, देवरिया द्वारा करायी गयी थी। नायब तहसीलदार की जांच रिपोर्ट दिनांक 22-12-83 में ग्राम प्रधान श्री राम जी यादव तथा श्री राम सरन द्वारा ग्राम सभा भूमि पर अवैध कब्जा करने के आरोप सही पाये गये। इस आधार पर प्रधान के विरुद्ध उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा-95 जी के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

इलाहाबाद में बाल विकास परियोजनाओं, आदिवासी बच्चों के विद्यालय व हरिजनों की जमीन आवंटन में हुए घोटाले की जांच

70–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 520 दिनांक 7-12-85 इलाहाबाद में बाल

विकास परियोजनाओं, आदिवासी बच्चों के विद्यालय व हरिजनों की जमीन आवंटन में लाखों रुपयों के घोटाले के बारे में मा0 मुख्य मंत्री जी को दिनांक 7-12-85 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो मा0 मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त पत्र में मांगी गयी जानकारी दे दी गयी है? यदि नहीं, तो अब कब तक दी जायेगी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं।

माननीय विधायक का पत्र सं0-520 दिनांक 7-12-85 प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रगति आश्रम हाईस्कूल बालागंज, लखनऊ में कर्मचारियों द्वारा दिया गया सामूहिक प्रार्थना पत्र

71–श्री हर्षवर्धन–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि प्रगति आश्रम हाईस्कूल बालागंज, लखनऊ में 13 कर्मचारियों द्वारा दिनांक 6-8-85, 19-8-85, 22-8-85, 25-8-85, 29-8-85 एवं 10-9-85 को सामूहिक प्रार्थना पत्र विभागीय अधिकारियों तथा शासन स्तर पर दिया गया था? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

केवल दिनांक 6-8-85, 22-8-85 तथा 10-9-85 के सामूहिक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं।

उक्त प्रार्थना-पत्रों पर निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

मथुरा जनपद की हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण

72–श्री कुशलपाल सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री की जानकारी में हैं कि वर्ष 1985 में मथुरा जनपद के कुछ हरिजन बस्ती में कोई नया विद्युतीकरण किया गया है? यदि हां, तो किस-किस क्षेत्र के किस-किस गांव व हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण कराया गया है?

श्री सुनील शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है।

73–श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

[7वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

श्री इन्द्र देव निवासी मरुई (इटही), जिला वाराणसी द्वारा एक व्यक्ति द्वारा सीलिंग एक्ट का उल्लंघन करने सम्बन्धी दिया गया प्रार्थना-पत्र

74–श्री राजित प्रसाद यादव तथा श्री मूल चन्द्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्द्र देव पुत्र अहकू निवासी मरुई (इटही) थाना रोहनियां, जिला वाराणसी द्वारा 9-10-85 को भेजा गया रजिस्टर्ड प्रार्थना-पत्र मिला है, जिसमें एक प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा सीलिंग एक्ट का उल्लंघन करके कागजातों में जालसाजी कर भूमि हथियाने की जानकारी दी गयी? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहो, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां।

इस सम्बन्ध में जांच एवं प्रभावी कार्यवाही के निर्देश कलेक्टर, वाराणसी को दे दिये गये हैं।

जनपद आजमगढ़ में लालगंज उपकेन्द्र पर अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु आवासीय भवनों का निर्माण तथा व्यय

75–श्री श्रीप्रकाश सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में लालगंज सब स्टेशन पर अधिकारियों/कर्मचारियों के आवास हेतु जो भवन निर्मित हुए हैं उस पर सरकार का कितना धन खर्च हुआ और वह कब तक हस्तान्तरित होगा? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि उक्त भवन में कुछ लोग अवैध रूप से रह रहे हैं? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

जनपद आजमगढ़ में 132 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र, लालगंज पर विभिन्न श्रेणी के 33 आवासीय भवनों का निर्माण किया जा चुका है, जिनके निर्माण पर कुल रु0 6,54,680 का खर्चा हुआ। इन भवनों को पारेषण को अप्रैल, 1984 में हस्तान्तरित किया जा चुका है।

उपरोक्त आवासीय भवनों में कोई भी कर्मचारी अवैध रूप से नहीं रह रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर जनपद के घुघली उप केन्द्र में नये सब स्टेशन का शुभारम्भ

76–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या उर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के घुघली उप नगर में नये सब स्टेशन का शुभारम्भ करने गये थे तो प्रश्न कर्ता और जनता पार्टी की ओर से आवेदन पत्र दिये गये थे? यदि हां, तो तथ्य क्या थे और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां।

आवेदन पत्र में 33 के0 वी0 विद्युत उप केन्द्र, घुघली पर किये गये सिविल कार्यों के निम्न स्तर के होने का आरोप लगाया गया था। मामले में अधीक्षण अभियंता (जनपद) इलाहाबाद द्वारा जांच करायी गयी तथा यह निष्कर्ष निकला कि उक्त उप केन्द्र पर किये गये सिविल कार्य संतोषपूर्ण है।

श्री पारसनाथ तिवारी, दैनिक भोगी लिपिक कार्यालय, मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता लखनऊ जोन की पत्रावली में किये गये आदेश

77–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पारस नाथ तिवारी दैनिक भोगी लिपिक कार्यालय मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता लखनऊ जोन की पत्रावली को मंगाकर उसके निरीक्षण के बाद तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्री ब्रह्म दत्त जी द्वारा सितम्बर, 1984 में की गयी टिप्पणी का पालन किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

श्री पारस नाथ तिवारी, दैनिक वेतन भोगी लिपिक, कार्यालय मुख्य क्षेत्रीय अभियंता, लखनऊ जोन की पत्रावली में तत्कालीन ऊर्जा मंत्री जी श्री ब्रह्म दत्त द्वारा मामले में परीक्षण कराकर उचित आदेश जारी करने के आदेश दिये गये थे। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा तद्नुसार मामले पर समुचित विचार किया गया और प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित किया गया।

मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, लखनऊ जोन के पत्र द्वारा आदेशों का परिपालन

78–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता लखनऊ जोन के अद्र्ध शासकीय पत्र संख्या 6410–जेड सी एल/7 ई-124 दिनांक 5-1-85 के संदर्भ में परिषद् द्वारा अद्र्ध शासकीय पत्र संख्या–29-आई0 आर0ओ0/एसईबी/85-58, एल–82 दिनांक 7-1-85 निर्गत हुआ? यदि हां, तो उस पत्र का पालन हुआ है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के पत्र दिनांक 7-1-85 द्वारा पारित आदेशों का परिपालन बाद में विचारोपरान्त परिषद् द्वारा रोक दिया गया है।

ग्राम मल्लापुर, काशीपुर व असईपुर, तहसील बिसवां, जिला सीतापुर में श्री सभा प्रताप सिंह की सीलिंग में अतिरिक्त घोषित भूमि को हरिजनों को दिया गया पट्टा तथा उस पर कब्जा

79–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के परगना कोड़री (उत्तरी) के ग्राम भल्लापुर कार्शापुर तथा असईपुर में श्री सभाप्रताप सिंह की जो भूमि सीलिंग से निकली उसे किन-किन हरिजनों को वर्ष 1974 में पट्टे पर दिया गया?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

ग्राम मल्लापुर, काशीपुर व असईपुर परगना कौंडरी उत्तरी, तहसील बिसवां, जिला सीतापुर में श्री सभा प्रताप सिंह की सीलिंग में अतिरिक्त घोषित भूमि में से, 39 हरिजनों को (सूची संलग्न) वर्ष 1974 में आवंटित करके, पट्टा दिया गया था।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 145 पर)।

80–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जिन हरिजनों को भूमि पट्टे पर दी गयी और उनको कब्जा मिल जाने के बाद भी अब बेदखल करने हेतु कुछ व्यक्ति जोर तथा जुल्म के बल पर प्रयास कर रहे हैं? यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिए अर्थात जिनको यह मिल गये हैं उन्हें बेदखल होने से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जिन हरिजनों को भूमि पट्टे पर दी गयी है उनको भौतिक रूप से कब्जा दिला दिया गया है तथा उन्हें कब्जा मिल जाने के बाद किसी व्यक्ति द्वारा जोर तथा जुल्म के बल पर बेदखल करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। अतः उन्हें बेदखल होने से बचाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री धर्मदेव सिंह सहकारी निरीक्षक वर्ग–1 जनपद बाराबंकी को प्रत्यावर्तन करने के मामले पर विचार

81–श्री कृष्ण कुमार शर्मा–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के चौथे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 33 के उत्तर के संदर्भ में क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि गलत ढंग से प्रोन्नति करने वाले अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी तथा क्या श्री धर्मदेव सिंह सहकारी निरीक्षक वर्ग–1 जनपद बाराबंकी की पदावनति की जा चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह–

श्री धर्मदेव सिंह की पदोन्नति सहकारी निरीक्षक वर्ग–2 के पद से सहकारी निरीक्षक वर्ग–1 के पद पर तदर्थ रूप से चयन समिति की संस्तुति के आधार पर की गयी थी। चयन समिति ने श्री सिंह की चरित्र पंजिका में सारी प्रविष्टियों को दृष्टिगत रखते हुए उनको पदोन्नति देने का उपर्युक्त निर्णय लिया था। अतः इस सम्बन्ध में किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता। श्री धर्मदेव सिंह की पदावनति नहीं की गयी है। उन्हें तदर्थ आधार पर एक वर्ष के लिए सहकारी निरीक्षक वर्ग–1 के पद पर पदोन्नत किया गया था। अब उस अवधि के समाप्त होने के पश्चात् उन्हें सहकारी निरीक्षक वर्ग–1 के पद पर बनाये रखने अथवा सहकारी निरीक्षक वर्ग–2 के पद पर प्रत्यावर्तित करने का मामला नियुक्ति प्राधिकारी के विचाराधीन है।

82–श्री सुखपाल पाण्डे–

[दिनांक 14-2-86 को अता प्र0 सं0 99 द्वारा उत्तरित]

सोहावल तापीय विद्युत गृह के नवीनीकरण में व्यय तथा आय

83–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुहावल पावर हाउस जिला फैजाबाद काफी दिनों से बन्द है? यदि हां, तो उक्त पावर हाउस चलाने में क्या कठिनाई है और कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? कितना रुपया बन्द होने पर प्रतिमास व्यय हो रहा है व कितना रुपया प्रतिमाह चालू होने में व्यय होगा? चालू होने पर कितने रुपये प्रतिमाह की आय होगी? पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां। सोहावल पावर हाउस की मशीनों का उपयोगी जीवन समाप्त हो जाने के कारण इनको चलाने से घाटा होता है। इस समय इस विद्युत गृह में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या 267 है जिनका वेतन लगभग 2 लाख 67 हजार रुपये मासिक है। 1980-81 की कीमतों के आधार पर सोहावल तापीय विद्युतगृह के नवीनीकरण पर लगभग 264 लाख रुपये का व्यय आंका गया था विद्युत उत्पादन लागत को मद्देनजर रखते हुए इस विद्युतगृह को चलाने से कोई आय नहीं होगी।

84–श्री सुखपाल पाण्डे–

[7वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज, लखनऊ में छात्रों को वस्त्र का वितरण

85–श्री हर्ष वर्धन–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रगति आश्रम हाईस्कूल बालागंज, लखनऊ के छात्रों को वस्त्र भी दिया जाता है? यदि हां, तो इस वर्ष वस्त्र वितरण किस तिथि को किया गया?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

इस वर्ष दिनांक 5-1-86 को वस्त्र वितरण हुआ।

ग्राम गोधना सहकारी समिति के प्रशासक समिति के बकायेदार होने से पद पर नियुक्ति का औचित्य

86–श्री भगौती सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा

करेंगे कि जिला लखनऊ विकास खण्ड बख्शी का तालाब में ग्राम गोधना सहकारी समिति के प्रशासक समिति के पुराने बकायेदार हैं? यदि हां, तो उनको इस पर नियुक्त करने का कारण क्या है?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी नहीं ।

गोधना सहकारी समिति लि0 विकास खण्ड बख्शी का तालाब के प्रशासक बकायादार नहीं थे अपितु उनके पिता समिति के बकायादार थे जिनकी मृत्यु के पश्चात् समिति के प्रशासक द्वारा अपने पिता के बकाये ऋण की अदायगी न किये जाने के फलस्वरूप अब उन्हें समिति के प्रशासक पद से हटा दिया गया है।

87–श्री सुखपाल पाण्डे–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

88–श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी–

[8वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 149 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, लखनऊ की शाखा टाण्डा, जनपद फैजाबाद में की गयी अनियमितताओं संबंधी शिकायती पत्र

89–श्री बेनीप्रसाद वर्मा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 लखनऊ की शाखा टाण्डा जनपद फैजाबाद में की गयी गंभीर अनियमितताओं एवं घपलेबाजी के संबंध में मा0 मुख्य मंत्री को सम्बोधित शिकायती-पत्र 31-10-85 को प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित सम्पूर्ण शिकायतों पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अरुण कुमार सिंह–

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 7-11-85 के साथ शिकायती पत्र दिनांक 31-10-85 प्राप्त नहीं हुआ अपितु पत्र दिनांक 7-11-85 प्राप्त हुआ। शिकायती पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच विशेष अनुसंधान शाखा (सहकारिता) द्वारा कराई गई। जांच में शिकायत निराधार पायी गयी।

जनपद गोरखपुर, विधान सभा क्षेत्र सहजनवां में हरनही से सोनबरसा तक तार न लगाने के कारणों की जांच

90–श्री मैनेजर सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद विधान सभा क्षेत्र सहजनवां में हरनही से सोनबरसा तक बिजली के खम्भे कब से गड़े हैं और उन पर अभी तक तार न लगाने के क्या कारण हैं?

श्री सुनील शास्त्री–

गोरखपुर जनपद विधान सभा क्षेत्र सहजनवां में हरनही से सोनवरसा तक की विद्युत लाइन के खम्भे वर्ष 1970-71 में खड़े किये गये थे तथा उन पर तार न लगाने के कारणों की जांच कराई जा रही है।

ग्राम खुर्रमनगर, तहसील परगना व जिला लखनऊ में भूखण्ड संख्या–176 का कृषि हेतु आवंटित भूमि को अन्य कार्य में उपयोग किये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

91–श्री राम करन पटेल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम खुर्रमनगर, तहसील परगना व जिला लखनऊ में गांव समाज की भूमि खसरा नं0–176 किसी व्यक्ति को पट्टे पर दी गयी है? यदि हां, तो पट्टा कब किसको और किस प्रयोजन हेतु दिया गया था?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां। प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत भूखण्ड संख्या–176 में से 2 बीघा भूमि का पट्टा तत्कालीन भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा दिनांक 10-9-64 को श्री इरशाद हुसैन पुत्र श्री अबरार हुसैन के पक्ष में कृषि कार्य हेतु किया गया था।

92–श्री राम करन पटेल–

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिस प्रयोजन हेतु उक्त भूमि पट्टे पर दी गयी है वह उसी प्रयोजन में इस्तेमाल की जा रही है? यदि नहीं, तो पट्टे के दुरुपयोग के सम्बन्ध में अब तक जिला प्रशासन ने क्या कार्यवाही की?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

श्री इरशाद हुसैन को पट्टे पर दी गई भूमि कृषि कार्य हेतु प्रयोग में नहीं लाई जा रही है। कृषि हेतु आवंटित भूमि को अन्य कार्य में उपयोग किये जाने के कारण पट्टेदार श्री इरशाद हुसैन के विरुद्ध पट्टे के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में धारा–206 जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

93–श्री राम आसरे वर्मा–

[7वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

94–श्री मैनेजर सिंह–

[8वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 148 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

95–श्री काशी सिंह ऐरी–

[7वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

ग्राम कुकुरघाटी तप्पाघाटी, तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया में चकबन्दी कार्य

96–श्री बालेश्वर–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम कुकुरघाटी तप्पाघाटी तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया की चकबन्दी कार्य कब से शुरू है? ए0 सी0 ओ0, सी0 ओ0 तथा एस0 ओ0 सी0 स्टेज कब समाप्त हुआ? क्या अभी तक कुछ फाइलों का निस्तारण एस0 ओ0 सी0 स्टेज पर अभी शेष है? यदि हां, तो उसके निस्तारण में विलम्ब क्यों किया जा रहा है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

चकबंदी कार्य दिनांक 10-9-1979 से प्रारम्भ किया गया।

ए0 सी0 ओ0 स्तर पर दिनांक 30-6-83, तथा सी0 ओ0 स्तर पर दिनांक 25-1-84 को कार्य समाप्त हुआ। एस0 ओ0 सी0 स्तर पर दिनांक 29-3-84 को 110 चक अपीलों का निस्तारण किया गया।

18 चक अपीलें उप संचालक चकबंदी के आदेश से सील किये जाने के कारण निस्तारित नहीं हो सकी हैं, अब आयुक्त के आदेश दिनांक 31-1-86 से सील खोल दी गई हैं। इसके अतिरिक्त बाद में दायर 27 कालावधित अपीलों की सुनवाई 18-2-86 को की जा चुकी है तथा निर्णय हेतु दिनांक 4-3-86 निर्धारित थी।

श्री मुन्ना लाल मेवा लाल आदि निवासी ग्राम चांदी, जिला बांदा द्वारा फर्जी और अवैध पट्टों के विरुद्ध दिया गया शिकायती पत्र

97–श्री राम सजीवन–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री मुन्ना लाल मेवा लाल आदि निवासी ग्राम चांदी तहसील करवी जिला बांदा ने 23-3-84 व 17-10-84 को कई शिकायती पत्र भेजकर फर्जी और अवैध पट्टे किये जाने की जांच करके कार्यवाही किये जाने की मांग की है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

किन्तु पट्टे नियमित पाये गये जिसके कारण शिकायती पत्रों के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश (विभाग 4) के सचिव श्री गजेन्द्र सिंह द्वारा भूलेख अधिष्ठान में अतिरिक्त अस्थायी पदों का सृजन, अप्रशिक्षित लेखपालों को हटाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

98–श्री राम संजीवन–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश (विभाग 4) के सचिव श्री गजेन्द्र सिंह ने एक परिपत्र 7379-448/4-367/76 दिनांक 8 मई, 1980 को समस्त जिलाधिकारियों को भूअभिलेखों में शुद्धीकरण के संबंध में भूलेख अधिष्ठान में अतिरिक्त अस्थायी पदों के सृजन के सम्बन्ध में भेजा है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

99–श्री राम सजीवन–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्र के प्रक्रिया नं0 5वें में कहा गया है कि लेखपाल के सेवा नियमावली के नियम 8(ब) के अन्तर्गत अप्रशिक्षित अनुभवी लेखपाल योग्यता हाईस्कूल उम्र 18 वर्ष से 21 वर्ष होगी, उनकी नियुक्ति करने के आदेश थे ? क्या यह सही है कि पांच के बाद पैरा 3 में यह भी कहा गया है कि 15-2-80 के पूर्व जो व्यक्ति लेखपाल पद पर नियुक्त किये गये हैं उन्हें न हटाया जाय? यदि हां, तो क्या यह सही है कि तह0 वाराणसी, जिला वाराणसी में परगनाधिकारी उत्तरी वाराणसी ने 10-3-78 को 32 लेखपालों की नियुक्तियां की थीं और उसमें मुरारी लाल सिंह क्षेत्र बरजी श्री राम सिंह क्षेत्र बचौरा बांके लाल क्षेत्र बावतपुर, अवधेश कुमार पाण्डेय उधोरामपुर तह0 वाराणसी में कार्यरत लेखपाल 13-3-78 से उक्त सूची के मुताबिक कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उपरोक्त लेखपालों को 8 वर्ष के करीब कार्य करने पर इस वर्ष पद से हटाने की नोटिस दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और उक्त नोटिस वापस करने का आदेश देगी?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां । अप्रशिक्षित लेखपाल के रूप में श्री मुरारी लाल सिंह, श्री राम सिंह व श्री अवधेश कुमार पाण्डे को दिनांक 14-3-78 तथा श्री बांके लाल को 13-3-78 को तहसील वाराणसी में नियुक्त किया गया था। परिषदादेश सं0–9051/4-101/82, दिनांक 20 जून, 1983 तथा सं0- 12130/4-12 (7)/82, दिनांक 19 सितम्बर, 1983 के अन्तर्गत सर्वश्री मुरारी लाल सिंह, अवधेश कुमार पाण्डे व श्री राम सिंह को लेखपाल प्रशिक्षण में जाने के निर्देश दिये गये थे लेकिन वे प्रशिक्षण में नहीं गये। श्री बांके लाल को, आयु अधिक होने के कारण, प्रशिक्षण में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं पाया गया। उक्त चारों अप्रशिक्षित लेखपालों को हटाने की कार्यवाही परिषदादेश के अनुसार की गयी तथा 31-8-85 को हटा दिया गया । प्रकरण में जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

100–श्री राम सजीवन–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का जनरल आदेश यह है कि 3 वर्ष तक लगातार कार्य करने वाले कर्मचारियों को पद से पृथक नहीं किया

जायगा तो उपरोक्त चारों लेखपालों को 3 वर्ष पूरा होने के पूर्व क्यों नहीं हटाया गया और परिषद् का उपरोक्त परिषदादेश जो 8 मई 80 का है 85 में लागू क्यों किया जा रहा है? इसको तुरन्त न लागू करने के लिये जिम्मेदार कौन लोग हैं?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

प्रश्नगत चारों लेखपाल अप्रशिक्षित थे इनमें से 3 को प्रशिक्षण में न जाने तथा एक को नोटिस के बाद स्पष्टीकरण का अवसर देने के उपरान्त उपयुक्त स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के कारण हटाने की कार्यवाही की गयी। परिषदादेश दिनांक 20-6-83 व 19-9-83 के अन्तर्गत कार्यवाही करके इन लेखपालों को हटाया गया। संदर्भित आदेश इन पर लागू नहीं होता है। इन अप्रशिक्षित लेखपालों के विरुद्ध परिषदादेश निर्गत होने के बाद ही कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी जिसमें विभिन्न स्तरों पर औपचारिक कार्यवाही पूर्ण करने में समय लगा । अतः अन्य किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

उक्त चारों लेखपालों ने मा0 उच्च न्यायालय में सेवा समाप्ति के आदेश के विरुद्ध रिट याचिका दाखिल कर रखी है जो न्यायालय में विचाराधीन है।

101–103–श्री राम सजीवन–

[7वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

गांव सभा बराई, बरजी, बरही नेवादा, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी के निवासियों द्वारा लाइट फैन हेतु जमा की गई धनराशि तथा तैनात जूनियर इन्जीनियरों के विरुद्ध कार्यवाही

104–सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा बराई ब्लाक बड़ागांव व गांव सभा बरजी, बरही नेवादा ब्लाक बड़ागांव जिला वाराणसी के निवासियों ने सन् 84 में ही लाइट फैन हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत पचीस-पचीस रु0 जमा कर दिया है ? यदि हां, तो विद्युत विभाग मडुआडीह वाराणसी की ओर से उपरोक्त गांवों के विद्युतीकरण हेतु क्या कार्यवाही की गयी और कब तक उपरोक्त गांव का विद्युतीकरण कर दिया जायेगा?

श्री सुनील शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

105–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये कौन-कौन जूनियर इंजीनियर तैनात किये गये हैं और उन्होंने सन् 83 व 84 तथा तथा 28 दिसम्बर, 85 तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया और कितने कनेक्शन ग्रामीण विद्युतीकरण के अंतर्गत दिया है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और विद्युतीकरण न करने वाले कर्मचारियों को वहां से हटायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री राम आधार शास्त्री, निवासी रमईपुर पिंडरा, वाराणसी पर बकाया विद्युत बिल

106–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राम आधार शास्त्री रमईपुर पिंडरा वाराणसी के ऊपर पम्पिंग सेट के बिजली कनेक्शन का कई हजार रु0 बकाया है ? यदि हां, तो वसूली हेतु क्या कार्यवाही की गयी तथा कनेक्शन अब तक न काटने का क्या कारण है?

श्री सुनीश शास्त्री–

जी हां । प्रश्नगत उपभोक्ता श्री राम आधार शास्त्री रमईपुर पिंडरा, वाराणसी

पर 12/85 तक विद्युत बिल का रु0 7031·60 बकाया है । भुगतान न प्राप्त होने के कारण दिनांक 28-5-85 को स्थाई रूप से विद्युत विच्छेदन कर दिया गया है एवं बकाये की वसूली हेतु दिनांक 1-7-85 को जिलाधिकारी को वसूली प्रमाण पत्र भेज दिया गया है ।

107–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

लखनऊ में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अंतर्गत हरिजनों के लिए योजनायें

108–श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि लखनऊ में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अंतर्गत कौन-कौन सी योजनायें हरिजनों के लिए वर्ष 85-86 में चल रही है? क्या कोई योजना ऐसी चल रही है जिसके अंतर्गत हरिजन महिलाओं को आर्थिक निर्भरता की ओर ले जाया जा रहा है ? यदि हां, तो पूरी योजना की रूप रेखा क्या है तथा योजना कहां-कहां चल रही है? अब तक इस योजना के आधार पर कितने परिवार लाभान्वित हो चुके है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

लखनऊ में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अंतर्गत 50 प्रतिशत अनुदान/अनुपूरक अनुदान, दुकान निर्माण, सामूहिक लघु सिंचाई एवं भूमि क्रय की योजनायें हरिजनों के लिए वर्ष 85-86 में चल रही है।

हरिजन महिलाओं के लिए आर्थिक निर्भरता के संबन्ध में अलग से कोई योजना नहीं चलाई जा रही है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

109–श्री काशी सिंह ऐरी–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

110–श्री काशी सिंह ऐरी–

[विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

111–श्री काशी सिंह ऐरी–

[7वें गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 87 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

112–श्री काशी सिंह ऐरी–

[6वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 157 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

113–श्री काशी सिंह ऐरी–

[7वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

114–श्री काशी सिंह ऐरी–

[6वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 155 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

115–श्री काशी सिंह ऐरी–

[8वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 150 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

116–श्री काशी सिंह ऐरी–

[7वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम परियोजना के सहायक अभियन्ता के विरुद्ध शिकायती पत्र

117–श्री सुखपाल पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्रामीण गोदाम विश्व बैंक परियोजना, उ0 प्र0 के सहायक अभियन्ता बस्ती के विरुद्ध समस्त अवर अभियन्ता तथा अन्य द्वारा कुल कितनी शिकायतें दिसम्बर, 84 से दिसम्बर, 85 तक शासन एवं अन्य अधिकारियों को प्राप्त हुई? उनमें से कितनों की जांच विभाग द्वारा करायी गई और क्या-क्या आरोप थे ? क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह–

उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक द्वारा संचालित विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम परि-

योजना के सहायक अभियन्ता, बस्ती के विरुद्ध दिसम्बर, 84 से दिसम्बर, 85 तक समस्त अवर अभियन्ताओं से कोई शिकायती पत्र नहीं प्राप्त हुआ, किन्तु अन्य स्रोतों से दो शिकायती पत्र प्राप्त हुए, दोनों शिकायती पत्रों की जांच कराई गई ।

एक शिकायती पत्र में ग्रामीण गोदाम में घटिया ईंट के प्रयोग से भवन कमजोर होने का आरोप था । जांच के उपरान्त ठेकेदार का अनुबन्ध निरस्त कर गोदाम का शेष कार्य विभागीय पद्धति पर कराया गया।

दूसरे शिकायती पत्र में किसी विशिष्ट गोदाम का उल्लेख नहीं था, अपितु बस्ती के तमाम ग्रामीण गोदामों/भवनों में घटिया किस्म की सामग्री के प्रयोग, फर्जी मस्टर रोल व टेम्पोरेरी इम्प्रेस्ट एडवान्स में घपला करके भुगतान में अनियमितता के आरोप थे । अधिशासी अभियन्ता द्वारा की गई जांच से सभी शिकायतें निराधार पाई गई ।

118–श्री कुशलपाल सिंह–

[7वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

119–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

[7वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

120–श्री राम आसरे वर्मा–

[7वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

ग्राम कुकरी, जिला उन्नाव में हरिजनों के आवास हेतु भूमि आवंटन की मांग

121–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि किसी विधायक के दिनांक 14-10-85 के पत्र के साथ ग्राम कुकरी मजरा मीरमऊ विकास खण्ड बीघापुर, तहसील पुरवा जिला उन्नाव के हरिजनों के हस्ताक्षरों युक्त कोई ऐसा प्रार्थनापत्र परगनाधिकारी पुरवा जिला उन्नाव को प्राप्त हुआ है जिसमें हरिजनों के आवास हेतु भूमि आवंटन की मांग की गई है? क्या यह सही है कि वर्तमान समय में हरिजनों के घर पानी से घिरे हुये हैं और इस जल भराव से उनके घरों के गिरने की आशंका है ? यदि हां, तो उपरोक्त दोनों मामलों में अब तक क्या क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

दिनांक 30-9-85 को ही ग्राम कुकरी में 21 पात्र परिवारों को आवास स्थल आवंटित कर दिये गये हैं । वर्तमान समय में कोई जल भराव नहीं है और न ही हरिजनों के घर पानी से घिरे हुए हैं।

ग्राम-मनैतापुर, तहसील बांसी, जिला बस्ती में श्रीमती शोभा देवी को दिया गया कथित भूमि का पट्टा

122–श्री जनार्दन प्रसाद अोझा तथा श्री शारदा प्रताप–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम-मनैतापुर, तहसील बांसी, जिला बस्ती में ग्राम सभा की घाटा संख्या-347, 348, 349 एवं 350 का पट्टा श्रीमती शोभा देवी पत्नी श्री चन्द्र भाल तिवारी, ग्राम-मनैतापुर, जिला बस्ती के नाम किया गया है? यदि हां, तो भूमि प्रबंधक समिति ने यह प्रस्ताव किस तिथि को किया तथा इसमें भूमि प्रबंधक समिति के कितने सदस्य उपस्थित थे? उक्त प्रस्ताव की कार्यवाही रजिस्टर का प्रमाणित उद्धरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी नहीं ।

प्रश्नगत भूमि का पट्टा श्रीमती शोभा देवी के नाम नहीं किया गया है। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर की कतिपय ग्राम सभाओं में भूमि प्रबंधक समिति द्वारा भूमि आवंटन की कार्यवाही

123–श्री अफजाल अंसारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के तहसील मुहम्मदाबाद की ग्राम सभा महेन्द्र, सिलाईच, बीरपुर, कुन्डेसर इचौली, चकशाह मुहम्मद उर्फ मलिक-पूरा, अमरूपुर में भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा भूमि आवंटन की कार्यवाही का प्रस्ताव किया गया है? यदि पट्टा किया गया है तो कब और उस पर स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त ग्राम सभाओं के सभी पात्र व्यक्तियों को भूमि आवंटन का प्रस्ताव हुआ है, या अभी बाकी है? जो पात्र व्यक्ति इन ग्राम सभाओं के आवंटन प्रस्ताव में नहीं लिये जा सके हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की जायेगी? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

ग्राम अमरूपुर जहां आवंटन हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है, को छोड़कर प्रश्न में निहित अन्य ग्रामों में भूमि प्रबंधक समितियों द्वारा आवंटन हेतु पारित प्रस्तावों एवं उन पर परगनाधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् निष्पादित पट्टों की स्थिति इस प्रकार है:–

नाम ग्राम	आवंटन का प्रकार	भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव का दिनांक	परगनाधिकारी के अनुमोदन का दिनांक	संख्या। लाभार्थ
1	2	3	4	5
महेन्द्र	आवास स्थल	3–2–83	18–12–85	64
सिलाइच	कृषि	18–12–85 के पूर्व	18–12–85	7
कुण्डेसर।	कृषि/आवास	5–10–83	30–11–83	55
		20–6–84	18–12–85	16
बीरपुर।।	कृषि	30–8–83	प्रस्ताव अनियमित होने के कारण परगनाधिकारी के आदेश 10-5-85 द्वारा निरस्त।	
	कृषि	15–1–86	30–1–86	32
इचौली चक शाह	आवास/कृषि	6–8–83	9–1–86	14/16
मोहम्मद उर्फ मलिकपुरा।	कृषि	8–8–83	6–1–86	15

प्रश्न नहीं उठता। भूमि उपलब्ध न न होने के कारण शेष व्यक्तियों को आवंटन नहीं किया जा सकता। अतः शेष प्रश्न नहीं उठते।

जनपद गाजीपुर के मुहम्मदाबाद विकास खंड में ग्राम सभा सुल्तानपुर कविरहा, हीराचक हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण

124–श्री अफजाल अंसारी–

क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के मुहम्मदाबाद विकास खंड में ग्राम सभा सुल्तानपुर कविरहा, हीराचक हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण किस सन् में हुआ था? क्या वास्तव में वहां बिजली की सुविधा उपलब्ध है? यदि हां, तो उक्त अनियमितता के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी?

श्री सुनील शास्त्री–

प्रश्नगत हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण वर्ष 1971 में हुआ था।

जी हां। किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी व चमोली के ब्लाकों के ग्रामों में विद्युतीकरण की मांग

125—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी के पाबौ पोखड़ा, बीरोखाल, खिर्सू और थलीसैण ब्लाक तथा जनपद चमोली के नारायण व गढ़ कर्ण प्रयाग एवं गैरसैण ब्लाक में बिजली कुछ ही गांवों में उपलब्ध करवाई गई है और समीप के ही अन्य गांवों को बिजली से वंचित किया गया है? यदि हां, तो इन ब्लाकों के सभी गांवों में शीघ्र विद्युत उपलब्ध करवाने के आदेश सरकार अविलम्ब करने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हा। इन ब्लाकों के शेष ग्रामों मे विद्युतीकरण के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से स्वीकृत योजनाओं के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। वित्तीय संसाधनों एवं सामान की उपलब्धता के अनुसार यह कार्य सम्पादित किया जायेगा।

जनपद बलिया में सिनेमा, कोल्ड स्टोरेज तथा एक सौ हार्स पा0 से ऊपर के औद्योगिक संस्थाओं का औसतन विद्युत उपभोग

126—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में वर्ष 1982-83 व 83-84 में सिनेमा, कोल्ड स्टोरेज तथा एक सौ हार्स पा0 से ऊपर के औद्योगिक संस्थाओं का औसतन प्रति हार्स पा0 प्रतिमाह कितने यूनिट का उपभोग आया और कितने घंटे प्रतिदिन चलने का औसत आया?

श्री सुनील शास्त्री—

बलिया जनपद में वर्ष 1982-83 व 83-84 की वांछित सूचना प्राप्त आंकड़ों के अनुसार निम्न प्रकार है:—

उपभोक्ता वर्ग	वर्ष	औसत उपभोग प्रति हा0 पा0। यूनिट प्रति मा0
सिनेमा	1982–83	118.37
	1983–84	67.68
कोल्ड स्टोरेज	1982–83	120
	1983–84	90
100 हा0पा0 के ऊपर औद्योगिक संस्थान	1982–83	134.25
	1983–84	90.16

(बिना कोल्ड स्टोरेज)

औसतन विद्युत आपूर्ति अवधि	ग्रामीण	शहरी क्षेत्र
1982–83	10.06 घंटा	20.81 घंटा
1983–84	10.27 घंटा	20.52 घंटा

बलिया शहर सब डिवीजन तथा बिल्थरा रोड, सब डिवीजन का फीडर वाइज लाइन लास का औसत

127—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या ऊर्जा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि बलिया शहर सब डिवीजन का लाइन लास का प्रतिशत वर्ष 1984 के अप्रैल से वर्ष 1985 के 31 मार्च तक माहवार क्या था और सब डिवीजन बिल्थरा रोड, बलिया का इन्हीं कार्यकाल का लाइन लास का औसत क्या था तथा दोनों सब डिवीजनों का अलग-अलग एक वर्ष का लाइन लास बताने की कृपा करेंगे?

श्री सुनील शास्त्री—

बलिया शहर सब डिवीजन तथा बिल्थरा रोड, सब डिवीजन का फीडर वाइज लाइन लास प्रतिमाह तालिका (1) तालिका (2) में दर्शाया गया है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 146-147 पर)

गांव देवराई, तहसील व जिला वाराणसी में सड़क हेतु छोड़े गये रास्ते पर कतिपय ग्रामवासियों द्वारा अपने चकों में मिला लेने के विरुद्ध कार्यवाही

128–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि गांव देवराई, परगना कील असला, तह0 व जिला वाराणसी में पुरानी सड़क की मालियत चकबंदी में लगवाकर सड़क हेतु छोड़वा दिया गया? क्या यह सही है कि वह सड़क 60, 70, 80, 90, कड़ी तक चौड़ी है, उसको मुसई पुत्र भोलई, लालता पुत्र जमुना, नरेश, रामधारी, गनेश पुत्र मनोहर, जगधारी पुत्र जगन्नाथ, दीना पुत्र हिरामन, रामदेव पुत्र तुलसी, नरेश पुत्र मनोहर, श्याम लाल पुत्र भुलई, गौरी शंकर पुत्र महादेव, शिव बदन पुत्र बाबू नन्दन, मकौड़ पुत्र मेधई, राम सुभग पुत्र रामदेव, गांव देवराई ने अपने चकों में मिला कर जोत लिया है? क्या यह सही है कि इन लोगों के खिलाफ 122-बी का मुकदमा तहसीलदार, वाराणसी के यहां बेदखली का चला तो उपरोक्त लोगों ने हलफनामा तहसीलदार, वाराणसी को दिया कि हम लोगों ने छोड़ दिया है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त मार्ग जो 90 कड़ी तक चौड़ा है, आज भी वे लोग जोत रहे हैं? इस पर गांव सभा देवराई के प्रधान राजबली के बार-बार प्रार्थना-पत्र वर्षों से देते रहने पर भी परगनाधीश, उत्तरी वाराणसी व तहसीलदार वाराणसी ने अब तक इन लोगों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की|

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां।

प्रश्नगत रास्ता 30-60 कड़ी चौड़ा है। केवल एक त्रिकोण स्थान पर 90 कड़ी चौड़ा है। दीनानाथ पुत्र हीरावन, रामदेव पुत्र तुलसी, रामनरेश पुत्र मनोहर, लालता पुत्र जमुना, मुसई पुत्र भुलई, रामधारी व गनेश पुत्रगण मनोहर, जगधारी पुत्र जगन्नाथ, श्यामलाल पुत्र मुसई, शिवबदन पुत्र बाबू नन्दन, मकोड़ पुत्र मेधई, राम सुभग पुत्र रामदेव तथा गौरीशंकर पुत्र महादेव निवासीगण देवराई के विरुद्ध उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा-122-बी के अंतर्गत बेदखली के वाद तहसीलदार के न्यायालय में संस्थापित किये गये थे। प्रतिवादीगण के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर क्षेत्रीय नायब तहसीलदार द्वारा जांच कराई गई जिसमें केवल रामनरेश पुत्र मनोहर का ही अनधिकृत कब्जा पाया गया, जिसके विरुद्ध बेदखली का वाद लम्बित है। अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध मामले वापस ले लिये गये।

प्रधान, गांव सभा देवराई द्वारा जब भी कोई प्रार्थना पत्र दिया गया है उस पर परगनाधिकारी व तहसीलदार द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गयी है।

ललितपुर जनपद के अन्य क्षेत्रों में सब स्टेशन बनाने पर विचार

129–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद के दूर दराज के क्षेत्रों में 100 से 150 कि0 मी0 लम्बी विद्युत लाइनें डाली गयी हैं, ललितपुर को छोड़ कर कोई विद्युत सब स्टेशन नहीं है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति हफ्तों तक बन्द रहती है? यदि हां, तो क्या जनपद के अन्य क्षेत्रों में सब स्टेशन बनाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो कब तक बनाने का विचार है?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां जनपद ललितपुर के रौरा नामक स्थान पर 132/33 के0 वी0 का एक उप-संस्थान बन रहा है जिससे 33 के0 वी0 की लाइनें आवश्यकतानुसार निकाल कर जगह-जगह उप-संस्थान बनाने का प्राविधान है। फिलहाल उप-भोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति की कठिनाइयों को दूर करने के लिये महरौनी में 11 के0 वी0 का स्वीचिंग उप-संस्थान बनाया जा रहा है जिसके शीघ्र पूर्ण होने की आशा है। इससे ललितपुर के ग्रामीण क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति में सुधार होगा।

130–श्री शारदा प्रताप–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

श्री जगमोहन प्रसाद भारद्वाज अध्यक्ष गढ़वाल एवं बिजनौर संघर्ष समिति द्वारा कोटद्वार भावर में भूमि के नियमितीकरण के सम्बन्ध में पत्र तथा अवैध कब्जों की बेदखली किये जाने सम्बन्धी जांच

131–श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 11-9-85 को श्री जगमोहन प्रसाद भारद्वाज अध्यक्ष गढ़वाल एवं बिजनौर संघर्ष समिति ने एक पत्र कोटद्वार भाबर (जनपद पौड़ी गढ़वाल) में भूमि के नियमितीकरण जिसका क्रय-विक्रय वर्ष 1963 से वर्ष 1985 तक किया गया है, के सन्दर्भ में उन्हें दिया था? यदि हां, तो शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही गयी है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां।

मामले की जांच कराकर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल को दे दिये गये हैं।

132–श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

क्या दिनांक 31-8-85 को श्री जगमोहन प्रसाद भारद्वाज के नेतृत्व में महिलाओं का एक विशाल जुलूस ग्राम बाला-सौड़ से तहसील कोटद्वार (जनपद पौड़ी गढ़वाल) में भूमि का नियमितीकरण करने के बारे में गया था और क्या श्री जगमोहन प्रसाद भारद्वाज ने दिनांक 31-8-85 से 1-9-85 तक अपने साथियों सहित तहसील कोटद्वार के प्रांगण में 24 घंटे की भूख हड़ताल इस विषय से संदर्भित होकर की थी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां।

जी हां, जनपद गढ़वाल के कोटद्वार में खाम भावर क्षेत्र की भूमि पर अवैध कब्जों के विनियमितीकरण/बेदखली के सम्बन्ध में आयुक्त कुमायूं मण्डल की अध्यक्षता में दिनांक 10 अक्टूबर, 1985 को गठित उच्च स्तरीय समिति की जांच रिपोर्ट शासन में माह जनवरी, 1986 में प्राप्त हो चुकी है। इस रिपोर्ट में की गयी संस्तुतियों के अनुसार शासन स्तर पर विचार करके यथावश्यक निर्णय लिया जायेगा।

ग्राम घोड़बल, जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत ग्राम समाज एवं अतिरिक्त कृषि योग्य भूमि का पात्र व्यक्तियों को कब्जा दिलवाने के विरुद्ध कार्यवाही

133–श्री शैलेन्द्र कुमार–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1984 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 143 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि दिनांक 12-12-83 को पारित प्रस्ताव के अन्तर्गत श्री भवानी प्रसाद व श्री भवानी भीख अनुसूचित जाति पासी पुत्रगण स्व0 बुद्धू पासी को कृषि योग्य भूमि का आवंटन नहीं किया गया है? इसके लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधान/राजस्व कर्मचारियों के विरुद्ध

भ्रष्टाचार की जांच करके कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी अविलम्ब उक्त निर्धन व्यक्तियों को कृषि योग्य भूमि का आवंटन कराकर शीघ्र कब्जा दिलवाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

श्री भवानी प्रसाद व श्री भवानी भीख पात्र व्यक्तियों की श्रेणी में नहीं आते थे जिसके कारण उन्हें भूमि का आवंटन नहीं किया गया । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

सेवा निवृत्त श्री नन्दन सिंह कपकोटी, सहकारी निरीक्षक, वर्ग-2 को मासिक यात्रा भत्ता बिलों व अन्य देयों का भुगतान

134–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि श्री नन्दन सिंह कपकोटी, सहकारी निरीक्षक वर्ग-2 कार्यालय जिला सहायक निबन्धक सहकारिता समितियां (उ0 प्र0) जनपद पिथौरागढ़ में 38 वर्ष की निष्ठापूर्वक सेवा करने के उपरान्त दिनांक 30-6-85 को सेवा निवृत्त हो चुके हैं ? श्री कपकोटी को सेवाकाल के मासिक यात्रा बिलों, भविष्य निधि, जीवन बीमा, ग्रेच्युटी, पेंशन तथा नकदीकरण का भुगतान अब तक न किये जाने का क्या कारण है ? कब तक श्री कपकोटी को उपरोक्त समस्त देय पूर्ण रूप से दे दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

श्री नन्दन सिंह कपकोटी, सहकारी निरीक्षक, वर्ग-2, के पद पर 22 वर्ष 8 मास की सेवा अवधि पूरी करने के पश्चात् दिनांक 30-6-1985 के अपराह्न में जनपद पिथौरागढ़ से सेवा निवृत्त हुए हैं ।

श्री कपकोटी को उनके सेवाकाल के मासिक यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान किया जा चुका है ।

भविष्य निधि के भुगतान हेतु श्री कपकोटी द्वारा अभी तक आवश्यक आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

सामूहिक जीवन बीमा की धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में संयुक्त निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ द्वारा कतिपय आपत्तियां उठायी गयी थीं, जिनका निराकरण श्री कपकोटी के स्तर से किया जाना शेष है। इस सम्बन्ध में उन्हें दिनांक 1-2-86 को लिखा जा चुका है ।

ग्रेच्युटी तथा नकदीकरण की देय धनराशि के भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में सहायक निबन्धक, पिथौरागढ़ द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है ।

अपर निबन्धक (प्रशासन) द्वारा श्री कपकोटी को दिनांक 1-6-79 से स्थायी घोषित किया गया है, जिसके फलस्वरूप उनके पेंशन के भुगतान किये जाने के संबन्ध में अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है।

श्री राजबली प्रधान गांव सभा देवराई, तहसील व जिला वाराणसी द्वारा सड़क की पैमाईश कराने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र

135–श्री राम सजीवन–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजबली प्रधान गांव सभा देवराई ब्लाक पिंडरा प0 कौलअसला तहसील व जिला वाराणसी ने एक प्रार्थनापत्र ए0 डी0 एम0 (ई0) वाराणसी को गांव सभा देवराई की सड़क नापने हेतु दिनांक 15-10-85 को दिया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि अतिरिक्त जिलाधिकारी प्रशासन, वाराणसी ने तहसीलदार, वाराणसी को आदेश दिया कि सड़क की पैमाइश करवायें ? यदि हां, तो क्या सड़क की

पैमाइश कर दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

प्रधान, ग्राम सभा द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर पारित आदेशानुसार तहसीलदार, सदर द्वारा दिनांक 16-1-1986 को सड़क की पैमाइश करा दी गई है।

गांव सभा देवराई, कोलअसला तहसील व जिला वाराणसी के मार्ग की जमीन पर अनधिकृत कब्जेदारों के विरुद्ध जांच

136–श्री राम सजीवन–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा देवराई प0 कोलअसला तहसील व जिला वाराणसी के मार्ग (सड़क) की जमीन को रामदेव पुत्र तुलसी, मुसई पुत्र भोलई, लालता पुत्र जमुना, रामनरेश पुत्र मनोहर, गौरी शंकर पुत्र महादेव, राम सुभग पुत्र रामदेव, विश्वनाथ पुत्र परगास, हिरावन पुत्र विश्वनाथ, दीना पुत्र हीरामन, श्याम लाल पुत्र मुसई वगैरह देवराई के ऊपर 4/5 वर्ष पूर्व 122-बी का मुकदमा तहसीलदार वाराणसी के यहां चला था और 30 व्यक्तियों ने हलफनामा दिया कि जमीन नहीं जोतते, छोड़ दिया है? क्या उपरोक्त लोग जमीन आज भी कब्जा किए है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर इन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां, वाद चले थे किन्तु प्रीतवादीगण द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्रों पर क्षेत्रीय नायब तहसीलदार द्वारा जांच कराई गई तथा अनधिकृत कब्जा न पाए जाने के कारण कार्यवाही समाप्त कर दी गई । केवल रामनरेश पुत्र मनोहर निवासी देवराई का अनधिकृत कब्जा पाया गया जिसके विरुद्ध बेदखली का वाद अभी लंबित है ।

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड फतेहपुर व निन्दुरा के क्षेत्र में ग्राम जगसंडा, पंडरी एवं टंडवा में उपभोक्ताओं को दिया गया विद्युत कनेक्शन

137–श्री राम चन्द्र बक्श सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड फतेहपुर व निन्दुरा के क्षेत्र में सन् 1972 में भटहा बिलौली से चन्दौली तक 11 के0 वी0 की लाइन लम्बाई 9 कि0 मी0 बनाई गई थी? क्या यह सही है कि यह लाइन डिसमेन्टल कर दी गई है? यदि हां, तो क्यों ?क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त लाइन से सम्बन्धित किन-किन गांवों के लोगों ने कनेक्शन हेतु पैसा जमा किया था ? क्या इस लाइन से संबंधित किन-किन गांवों को कनेक्शन दिया गया है ?

श्री सुनील शास्त्री–

जी नहीं । बिलौली से सलेमपुर तक 9.5 कि0मी0 लम्बी लाइन की योजना थी, जिसमें से बिलौली से पंडरी तक केवल 2 कि0 मी0 लाइन बनायी गयी थी तथा ग्राम पंडरी से ग्राम चन्दौली तक कुछ खम्भे खड़े हैं। यह लाइन डिसमेंटल नहीं है । इस लाइन से सम्बन्धित ग्राम जगसंडा, पंडरी एवं टंडवा के लोगों ने पैसा जमा किया था । उक्त सभी गांवों के उपभोक्ताओं को जिन्होंने पैसा जमा किया है, विद्युत कनेक्शन दे दिया गया है ।

(12 बजकर 20 मिनट)

इलाहाबाद में (डब्लू0 ए0 बी0) नहर व सहार राजबहे में सीपेज समस्या से कतिपय ग्रामों में तबाही के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 301 के अंतर्गत श्री औसान सिंह, श्री कनक सिंह, श्री बलराम यादव, श्री हृदय नारायन दीक्षित, श्री मैनेजर सिंह, श्री देव कुमार यादव और श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी की सूचनाएं स्वीकार की गयी हैं।

श्री औसान सिंह–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं पश्चिमी शाखा इलाहाबाद (डब्लू0 ए0 बी0) नहर व सहार रजवाहा द्वारा सीपेज समस्या से किसानों की तबाही के बारे में अति-लम्बनीय लोक महत्व के सुनिश्चित विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। डब्लू0 ए0 बी0 नहर व साहार राजवाहा के सीपेज से सैकड़ों ग्रामों जगतपुर, वदनपुर, जरियापुर, पलिया, अलीपुर, कुसी, बूचपुर, बड़ेराहार, बंदरियापुर, पटना, नयापुरवा, मटेरा, बरौली, चिरौली, जलालपुर, जमालपुर, बलीदासपुर, नबादा, सिंहा, ओरों, शहबानपुर, सबलपुर, मकापुरवा, असू, बगियापुर, सागपुरवा, माना, पुरा, धुपकरी, आदि सैकड़ों ग्रामों का भयंकर सीपेज के कारण जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भयंकर बीमारियां फैल रही हैं, पशु मर रहे हैं किसान अकाल में जूझ रहा है। ग्रामीण जनता में घोर असंतोष, क्षोभ, रोष, एवं निराशा व्याप्त है।

अत: आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय सुनिश्चित लोकमहत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं और मांग करता हूं कि कृपया सीपेज समस्या का स्थाई समाधान करने के आदेश देने की कृपा करें।

गढ़ मुक्तेश्वर, गाजियाबाद में कृषक सेवा सहकारी समितियों द्वारा ऋण की वसूली में धांधली करने के संबन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कनक सिंह–

मान्यवर, कृषक सेवा सहकारी समितियों में अमीनों की नियुक्तियों एवं उनके द्वारा करोड़ों रुपयों के घोटाले के सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। गढ़ मुक्तेश्वर, जिला गाजियाबाद में कृषक सेवा सहकारी समितियों में कर्जा वसूली हेतु जो अमीन नियुक्त किये जाते हैं, जो कमीशन के आधार पर होते हैं। जिनकी जमानत नाममात्र की ली जाती है और इनडेमिनटी बांड नहीं होते। ये लोग कृषकों से करोड़ों रुपया वसूली करते हैं जो उनके खातों में जमा नहीं कराते और फर्जी रसीद किसानों को दे देते हैं जिनकी जानकारी किसानों को नहीं होती। एक या दो वर्ष में ये अमीन नौकरी छोड़ कर चले जाते हैं और बाद में किसान इनके द्वारा दी गयी रसीदों को लिये फिरते हैं। उन रसीदों को समिति नहीं मानती क्योंकि उन रसीदों का पैसा खातों में दर्ज नहीं होता तथा समिति किसानों से दुबारा पैसा वसूलने हेतु नोटिस देती है। धन जमा न करने की दशा में पूरे उत्तर प्रदेश में कृषकों को प्रताड़ित किया जाता है।

अत: मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इसे सम्पूर्ण प्रकरण की जांच

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सी0 आई0 डी0 से करवाई जाय तथा गढ़मुक्तेश्वर, जिला गाजियाबाद में जांच-कर्ता को मेरे सामने जांच करने को निर्देशित किया जाय, साथ ही साथ जिन किसानों के पास रसीदें हैं वह धन उनमें न वसूला जाय ।

लवइया ताल ड्रेन निर्माण में आजमगढ़ जनपद के किसानों की अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे का शीघ्र भुगतान कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

*श्री बलराम यादव–

मान्यवर, जनपद आजमगढ़ में शारदा सहायक 43 फैजाबाद द्वारा सन् 1980-81 में लवइया ताल ड्रेन के निर्माण हेतु ग्राम बोगीपुर तहसील फूलपुर के सैकड़ों किसानों की भूमि पर जबरियन कब्जा कर निर्माण कार्य के पश्चात् अभी तक संबंधित किसानों की भूमि का प्रतिकर भुगतान न किये जाने के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करते हुये कहना है कि उक्त ड्रेन से हजारों किसान प्रभावित हुये हैं तथा लाखों रुपये प्रतिकर के रूप में वर्षों से विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी आजमगढ़ तथा शारदा सहायक खंड 43 फैजाबाद के अधिकारियों की लापरवाही व उदासीनता के कारण किसानों का भुगतान नहीं हो पाया, जिसके कारण प्रभावित परिवार भुखमरी के कगार पर हैं । किसानों द्वारा उक्त संबंध में प्रशासन व शासन को दर्जनों प्रार्थना पत्र भेजे गये लेकिन उनके प्रार्थना-पत्रों पर अभी तक कोई कार्यवाही संभव नहीं हो सकी| किसानों के प्रभावित परिवारों से दोनों विभागों के कर्मचारी द्वारा रिश्वत लेने की लालसा दिखायी पड़ रही है । जिसके कारण इन गरीब परिवारों को बेवजह परेशान करने की कोशिश की जा रही है । प्रभावित परिवारों में अर्जित भूमि का प्रतिकर भुगतान न होने के कारण बेहद असंतोष व आक्रोश व्याप्त है । इसको लेकर किसान शीघ्र ही आंदोलित होने वाला है। इसके परिणामस्वरूप उक्त क्षेत्र में कभी भी अव्यवस्था फैल सकती है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर मैं शासन से मांग करता हूं कि प्रश्न से संबंधित ड्रेन से प्रभावित परिवारों की अर्जित भूमि का प्रतिकर तत्काल भुगतान कराया जाय तथा प्रतिकर भुगतान में बाधा पंहुचाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय ।

उन्नाव जनपद के बाढ़ व सूखा से प्रभावित किसानों से सरकारी बकाया वसूली स्थगित करने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, उन्नाव जिले में बाढ़ व सूखे से भीषण तबाही हुई है और फिर भी सरकारी वसूलियां स्थगित नहीं हुई हैं। माननीय राजस्व मंत्री ने विगत सप्ताह मेरे एक तारांकित प्रश्न के मूल उत्तर में यह स्वीकार किया है कि उन्नाव जिले में 14 सितम्बर, 85 तक सूखे से 60 फीसदी क्षति हुई और उसके बाद बाढ़ से 90 फीसदी नुकसान हुआ है। भुखमरी व कंगाली का माहौल है।

मैंने उनसे मिलकर व लिखकर जिले की भुखमरी-बेरोजगारी की ओर ध्यान दिलाते हुए निवेदन किया था कि वहां की वसूलियां स्थगित कर दी जायं। राज्य मंत्री जी राजस्व ने सचिव राजस्व को लिखकर मुझे आश्वासन दिया था

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि राजाज्ञा भेज दी गई है, मगर राजाज्ञा जारी नहीं हुई है। जिसके परिणामस्वरूप भुखमरी, कंगाली के बीच लोगों के खेत व ट्रैक्टर नीलाम हो रहे हैं। वसूली कर्ता अपमानित करते हैं। जनता में आक्रोश बढ़ रहा है, जानबूझकर सरकार द्वारा जनता के साथ अपमान व दुर्व्यवहार की घटनाओं की ओर आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।

श्री रघुनाथ सिंह, कैशियर, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बलिया की डकैतों द्वारा हत्या करने तथा उनके आश्रितों को विशेष पेंशन व पदक दिलाने जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*** श्री मैनेजर सिंह–**

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की गम्भीरता को सार्वजनिक हित में सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। गत पहली मार्च, 86 को सा0 नि0 वि0 बलिया के कैशियर श्री रघुनाथ सिंह की मृत्यु सरकारी खजाने का धन बैंक से लाते समय, डकैतों की गोली से घायल होकर अत्यधिक खून गिरने के कारण, वाराणसी काशी विश्वविद्यालय चिकित्सालय में ले जाते समय हो गयी। बलिया सदर अस्पताल में खून देने का प्रबन्ध (ब्लड बैंक) न होने के कारण वाराणसी ले जाना पड़ा जिससे विलम्ब के कारण अधिक खून शरीर से निकलने से उनकी प्राण रक्षा नहीं हो सकी।

इस संबंध में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि श्री रघुनाथ सिंह ने गोली खाजाने के बाद भी सरकारी धन का थैला नहीं छोड़ा और उसे अपने छाती से लगाये रहे। उनके हाथ पर चाकू का भी हमला हुआ था तो दूसरे हाथ से थैले को पकड़े रहे और अपने प्राण को आहुति देकर सरकारी धन की रक्षा की, यह कार्य पराक्रम एवं शौर्य का है। ऐसे महान पराक्रमी को शौर्य पदक, वीरता पुरस्कार और विशेष पेंशन देना शासन का कर्तव्य हो जाता है।

बलिया की जनता में घोर क्षोभ एवं असंतोष व्याप्त है। राज्यकर्मी 5 दिनों तक हड़ताल पर थे, सरकारी कामकाज बन्द रहा। उपरोक्त परिस्थिति को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं और शासन से मांग करता हूं कि बलिया में शीघ्रातिशीघ्र (ब्लड बैंक) खून देने का प्रबन्ध किया जाय। श्री रघुनाथ सिंह को वीरता पदक दिया जाय और उनके आश्रितों को विशेष पेंशन दिया जाय।

झांसी शहर की सार्वजनिक पेयजल टंकियों के कनेक्शन काटे जाने से पेय-जल संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*** श्री देव कुमार यादव–**

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अत्यन्त लोक महत्व की सूचना सरकार को देना चाहता हूं कि झांसी शहर के मुहल्ले सागर गेट के बाहर तथा अन्य मोहल्लों में लगी पेयजल की सार्वजनिक टंकियों के कनेक्शन सामान्य प्रबन्धक, जल संस्थान, झांसी मण्डल के आदेशों से जनवरी, 86 में काट दिये गये हैं। ऐसा किये जाने से शहर के लाखों हरिजनों तथा निर्बल वर्ग के नागरिकों के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सामने गम्भीर जल संकट उत्पन्न हो गया है। ऐसे गरीब लोग हैंड पाइपों के खारे पानी और तालाबों का गन्दा पानी पीने के लिए बाध्य हो गये हैं, जिसके कारण घातक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। बताया जाता है कि उक्त अधिकारी द्वारा ऐसी जन विरोधी कार्यवाही धनाभाव के कारण की गयी है। इस मण्डल को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु संस्थान को कम से कम 2 करोड़ रुपये की आवश्यकता है लेकिन शासन द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में केवल 56 लाख रुपये उपलब्ध कराये गये हैं। संस्थान विद्युत के खर्चों तथा अन्य प्रासंगिक खर्चों को पूरा नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण ऐसी कार्यवाही करके जनता के सामने गम्भीर जल संकट पैदा कर दिया है। इसलिए इस सूचना के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस लोक महत्व के मद में वांछित धनराशि तत्काल उपलब्ध कराके न केवल झांसी शहर में बल्कि समूचे बुन्देलखण्ड में इस प्रकार से काटे गये जल संबंधों को तत्काल जुड़वाया जाय और जनता को जल संकट से बचाया जाय।

ग्राम ओसा, मंझनपुर, इलाहाबाद में 12 वर्षीय मुल्तानिया के साथ बलात्कार व हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसी पखवारे में जनपद इलाहाबाद थाना मंझनपुर गांव ओसा के एक अल्पवास्क बालिका के साथ बलात्कार करके गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गयी। इस अमानुषिक एवं दोषपूर्ण घटना से जहां एक ओर हरिजन एवं कमजोर तबकों में असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गयी है वहीं दूसरी तरफ सामान्य जनजीवन में बराबर असुरक्षा की आशंका बनी हुई है।

मान्यवर, यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र की घटना है। विवरण के अनुसार 12 वर्षीय मुल्तनियां दोपहर घर से लकड़ी बीनने के लिए गयी थी। शाम तक घर वापस न लौटने पर उसकी खोज की जाने लगी। एक अरहर के खेत में उसकी लाश पायी गयी। लाश रक्त-रंजित एवं अस्त-व्यस्त कपड़ों में पड़ी थी। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस जघन्य अपराध की जांच सख्ती से की जानी चाहिए। किसी प्रकार से दबाया न जाय ताकि बदमाशों एवं समाज विरोधी तत्वों को सजा मिल सके।

श्री शारदा नन्द अंचल–

मान्यवर, मुझे पढ़ लेने दें।

श्री उपाध्यक्ष–

नहीं, आप उस समय थे नहीं।

(डाक्टर दिनेश जौहरी के खड़े होकर बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

दिनेश जी, प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था यह है कि आप लिखकर भेज दें, उस पर विचार होगा।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, मैं चार दिन से दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप आये इसलिए हैं कि सूचना रोजाना

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दें । आपको अधिकार है, सूचना देते रहिये। कभी स्वीकार हो जायेगी।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाओं पर व्यवस्था के प्रश्न

(श्री किरन पाल सिंह तथा श्री सुखपाल पाण्डे के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

यह 300 में नहीं आ रही है। पाण्डे जी, आपकी 300 में नहीं आती। पाण्डे जी, हाउस में इस बात का फैसला नहीं होगा। आप मेरे कक्ष में आ जाइयेगा।

श्री बनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, 300 में कौन-कौन सी सूचनायें हैं और किसकी-किसकी हैं, यह तो बता दीजिये?

श्री उपाध्यक्ष–

हां, यह बता दूंगा।

श्री सुखपाल पाण्डे–

[x x x x]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

यह नियम 300 में नहीं आता है। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। यह कुछ नहीं लिखा जायगा। आप बैठिये।

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पाण्डे–

[x x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय पाण्डेय जी, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं । यह कुछ नहीं लिखा जायगा। आपका नियम 300 में नहीं आता है।

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पाण्डे–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

पाण्डेय जी, आप बैठिये। यह नहीं लिखा जायगा।

* श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मैंने जिस विषय की सूचना दिया है, वह सदन की कार्यवाही से संबंधित था, आपने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो मान्यवर, आपका कम से कम दायित्व होता है कि तर्क के आधार पर आप बता दें कि वह किस आधार पर रिजेक्ट हुआ है? मान्यवर, मैंने जो सूचना दी है, वह नीति विषयक सूचना है। मान्यवर, दो माननीय मंत्रियों ने दो विभिन्न वक्तव्य दिया है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

यह नियम 300 में नहीं आता है। आप उसे किसी दूसरे नियम में ले आइये। आप बैठिय। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

* श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, अभी तक यह सदन की परम्परा रही है कि जो सूचना नियम 300 में आपको मिलती रही है, उस पर आप माननीय सदस्यों को सुनते रहे हैं और सुनने के बाद आप रिजेक्ट भी करते रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो परम्परा सदन की रही है, उस परम्परा को कायम रखा जाय। मान्यवर, हो सकता है कि माननीय सदस्य आपको अपने तर्कों से सन्तुष्ट ही कर दें और आपको स्वीकार ही करना पड़े।

(व्यवधान)

नोटः–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष की आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं कहता हूं कि जब सुनने लायक ही नहीं है, तो उस प्रश्न को उठाने का औचित्य ही क्या है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, दो मंत्रियों के विभिन्न वक्तव्य आये हैं . .

श्री उपाध्यक्ष–

वह आप दूसरे नियम में ले आइये।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, माननीय किरनपाल सिंह को सुनने से यह स्पष्ट होगा कि दो माननीय मंत्रियों ने विभिन्न वक्तव्य दिया है, जो कि परस्पर विरोधी है। यदि आप उसे यहां पर उठाने की अनुमति नहीं देंगे, तो यह माननीय सदस्यों के अधिकारों का हनन होगा।

(व्यवधान)

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठिये।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, कार्यवाही शुरू होने से पहले आपको सरकार की ओर से निर्देश मिल जाता है कि आप हम लोगों को न सुनें, और आप हम लोगों को नहीं सुनते हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठिये। आप उसको दूसरे नियम में ले आइये।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी–

मान्यवर, जब आपकी तरफ से यह हो रहा है कि नियम 300 में नहीं आता है . .

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। मैंने कह दिया कि यह नियम 300 में नहीं आता है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, नियम 300 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि "औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वाचन या प्रवर्तन के संबंध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो।" मान्यवर, अगर आप प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं देते हैं तो हमारे अधिकारों का हनन होगा। अगर सारे निर्णय आप अपने कक्ष में कर लेंगे, तो आप सुनेंगे क्या? आप हमारे तर्कों को सुनकर ही निश्चय कर सकते हैं कि यह नियम 300 में आता है। अभी तक यह परम्परा रही है आप पिछली कार्यवाही देख लीजिये, कोई भी नियम 300 का प्रश्न स्वीकार नहीं होगा। लेकिन कभी-कभी ऐसे मामले भी आए हैं, जिसमें सरकार को निर्देश दिया गया है, तो हमारा अधिकार है कि हम यहां प्रश्न पेश करें और तर्क दें। हो सकता है कि आप हमारे तर्कों से संतुष्ट हो जायं। इसलिए श्रीमान्, आप सुन लें चाहे बाद में खारिज कर दें।

श्री उपाध्यक्ष–

आगे से विचार कर लेंगे, अभी तो खारिज कर दिया है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, हमको भी सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं अब आपको नहीं सुनूंगा।

जनपद बलिया के कोपाचीट निर्वाचन क्षेत्र में एक राजकीय महिला डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में याचिका।

गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, जनपद बलिया के कोपी-चीठ निर्वाचन क्षेत्र में एक राजकीय महिला डिग्री कालेज खोले जाने विषयक श्री धीरेन्द्र नाथ राय तथा श्री रामजी सिंह निवासीगण, जनपद बलिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद बुलन्दशहर में छोटी चेचक के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)–

मान्यवर, मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर से प्राप्त सूचना के अनुसार बुलन्दशहर जनपद में छोटी चेचक का कोई प्रकोप नहीं है। अतः उक्त जनपद में इस रोग के नियंत्रण हेतु कोई विशिष्ट व्यवस्था किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, अभी आपने कहा था कि जिन लोगों की सूचनायें आयी हैं, वह बता देंगे और जिन लोगों के नाम हैं वह बतायेंगे?

श्री उपाध्यक्ष–

कहा तो था लेकिन अब हम आगे बढ़ गये हैं।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैंने सदन के अपमान के विषय में सूचना दी है।

श्री उपाध्यक्ष–

उसका परीक्षण हो रहा है। इसके बाद आपको सुन लिया जाएगा। मैं अभी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हूं।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मैं इतना कहना चाहता हूं कि यह अविलम्बनीय है, कोई तिथि निर्धारित कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य हो गया, उसके बाद आप पीछे जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

कहां पीछे जा रहा हूं?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्रि-परिषद् की संयुक्त जिम्मेदारी होती है।

श्री उपाध्यक्ष–

व्यवस्था का सवाल नहीं है आप बैठें। मेरे निर्णय पर व्यवस्था करना चाहते हैं, तो कर लीजिये।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मैं किरन पाल सिंह जी ने जो कहा है, उसके बारे में नहीं कहूंगा। सदन का कार्य किस तरह से संचालित होगा, इसके बारे में जानना चाहता हूं। इससे हमको भी मदद मिलेगी और अन्य सदस्यों को भी मदद मिलेगी।

श्री नेम चन्द्र पाण्डेय–

आपके निर्णय के बाद उस पर व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि मद संख्या 7 के बाद क्या पीछे जा सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष–

जो निर्णय हो चुका शतरुद्र जी, उस पर व्यवस्था का प्रश्न न उठायें।

छापी नहीं गयी।

श्री राम सरन–

मान्यवर, यह क्या गजब हो रहा है? यह मंत्रिपरिषद् चल रही है। माननीय लोकपति ने अपना छोटा सा बयान पढ़ दिया और मुख्यमंत्री के मुंह में मुंह डालकर बात कर रहे हैं। सदन को आप नियंत्रित कीजिये और स्पष्टीकरण मांगने दीजिये।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

माननीय उपाध्यक्ष जी ने मुझे इंगित किया। मैंने वक्तव्य पढ़ दिया।

श्री विजय सिंह राणा–

मैं यह जानना चाहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो रिपोर्ट मंगाई है, उसका आधार क्या है ? जांच किसके माध्यम से कराई और किस अधिकारी से कराई गई?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

बुलन्दशहर में 17 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं । 4 केन्द्र 85-86 के और 13 पहले के थे । 17 केन्द्रों से रिपोर्ट मंगाई गई, मुख्य चिकित्साधिकारी के माध्यम से वहां पर कोई प्रकोप चेचक का नहीं है ।

श्री किरन पाल सिंह–

मेरी जानकारी को सही मानते हुये जहां-जहां मौतें हुई हैं, मैं गया था। चिगरावटी गांव में ब्लाक सपना के छज्जू-राम की लड़की और ग्राम चिस्लौन के प्रधान जितेन्द्र के लड़के की मौत हुई है । माननीय मंत्री जी को जानकारी होनी चाहिए कि गांव में जब चेचक निकलती है तो लोग अस्पताल नहीं जाते हैं । आपने क्या जानने का प्रयास किया कि गांव के अन्दर यह बीमारी फैली हुई है ? आपने स्वास्थ्य केन्द्रों से रिपोर्ट मंगा ली, लेकिन गांवों से जानकारी नहीं मंगाई है, तो क्या गांव से मंगाने का कष्ट करेंगे, मेरी जानकारी को सत्य मानते हुए ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

श्रीमन्, मा0 सदस्य राणाजी और मा0 राम सरन जी की जो सूचना आपके माध्यम से मुझे प्राप्त हुई, उसमें यह नहीं था कि जनपद बुलन्दशहर के अतिरिक्त गांवों में भी जांच करायें । उनका पत्र था कि जनपद बुलन्दशहर में चेचक का प्रकोप है और उससे मौतें हो रही हैं । उसमें शासन क्या व्यवस्था कर रहा है, रोकथाम की? तो जनपद बुलन्दशहर में 17 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। उनके माध्यम से यह सूचना मिली कि उनके यहां ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आयी है । अगर किसी विशेष गांव में विशेष प्रकार से मृत्यु हुई है, मा0 सदस्य कहते हैं तो उसकी जांच करा लेंगे ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, माननीय मंत्रीजी ने अपने उत्तर में कहा कि बुलन्दशहर गांव नहीं लिखा हुआ था, केवल जनपद लिखा था, तो मैं मा0 स्वास्थ्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि गांव के अलावा जनपद बुलन्दशहर कहां बसता है, बता दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

शहर गांव दोनों में बसता है।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में हैं । उनका दायित्व है रोकथाम और चिकित्सा की कि किसी प्रकार की कोई महामारी ग्रामीण क्षेत्रों में फैलती है तो उसकी सूचना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को जाती है और उसके उपचार और नियंत्रण के लिये कार्य करते हैं । वहां । ऐसी कोई महामारी नहीं है, इसकी सूचना मैंने आपके सम्मुख दे दी ।

श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि सी0 एम0 ओ0 साहब ने

यह रिपोर्ट भेजी है, क्या दफ्तर के आधार पर, दफ्तर में बैठकर भेजी है, या पूरे जिले में कहीं का सर्वेक्षण किया है? मेरी निश्चित राय है कि इस मामले में, बुलन्दशहर जनपद में छोटी चेचक से मौतें हुई हैं और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सी0 एम0 ओ0 की रिपोर्ट को सच न मानकर मा0 मंत्रीजी शासन स्तर से अधिकारियों की टीम वहां भेजें और गांवों से सर्वे कराकर रिपोर्ट मंगाएं, क्या ऐसी व्यवस्था मा0 मंत्रीजी करेंगे ? एक बात मैं क्लीयर करना चाहूंगा कि बुलन्दशहर जनपद में, जैसा मा0 सदस्यों ने कहा की बुलन्दशहर के हैं, वहां यह एक आम बीमारी है । वहां इसके प्रकोप से भय व्याप्त है । मेरा मा0 मंत्री जी से निवेदन है कि सी0 एम0 ओ0 की रिपोर्ट को न मानकर स्वास्थ्य निदेशक को वहां पर भेजें और एक्सपर्ट्स की टीम को भेजें । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर चूंकि यह प्रकोप का मामला है, महामारी का मामला है। मेरा निवेदन है कि इसको केवल आंकड़ों के आधार पर न लें । केवल सी0 एम0 ओ0 की रिपोर्ट के आधार पर न लें । मानवीय आधार पर लें । मेरा निवेदन है कि बुलन्दशहर जनपद के उन तमाम गांवों का सर्वे होना चाहिये, जहां पर चेचक है ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, अगर किसी ग्राम में, किसी न्याय पंचायत में कोई प्रकोप है और अगर मा0 सदस्यों को इसकी जानकारी है, तो हमें दे दें, हम अवश्य जांच करेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो जांच की प्रक्रिया है, जहां तक मेरी जानकारी है, एक स्तर ऊपर से जांच करायी जाती है। नियम 56 में सूचना दी गयी थी कि चेचक का प्रकोप है, व्यवस्था नहीं की जा रही है। व्यवस्था की बात थी। व्यवस्था तो सी0 एम0 ओ0 ही करेगा, इसलिए यह सी0 एम0 ओ0 के खिलाफ आरोप वाली बात थी। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि सी0 एम0 ओ0 से एक स्तर ऊपर डिप्टी डायरेक्टर या ज्वाइंट डायरेक्टर से जांच न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, यह सूचना दी गयी थी । मान्यवर, माननीय गुप्त जी तो हर बात को आरोप में ही पलट देते हैं। यह कोई आरोप नहीं है। जो पत्र है, मैं पढ़े दे रहा हूं। जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत आजकल छोटी चेचक का रोग भयंकर रूप से फैला हुआ है । इस रोग के कारण जनपद में अनेकों मौतें हुई हैं। यह रोग विशेष रूप से बच्चों में फैला हुआ है। 2–4 दिन बेहोश होने के बाद इस रोग से बीमार बच्चा मौत के गाल में चला जाता है। यह छुआछूत का रोग है। इसकी रोकथाम के लिये प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। इस कारण से समस्त जनपद में भय व रोष व्याप्त है। अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिये नियम 56 के अन्तर्गत यह बात उठायी गयी है। 28 फरवरी, 1986 को यह पत्र हमको मिला। आपने हमारे यहां इसको भेजा। इस पर अविलम्ब जांच करायी गयी। यह पाया गया कि जनपद बुलन्दशहर में इस रोग का कहीं कोई भयंकर रूप से प्रभाव नहीं है, न भय व्याप्त है और न रोष व्याप्त

है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर किसी क्षेत्र में माननीय सदस्य चाहते हैं, क्षेत्र का नाम दे देंगे, तो जांच हो जायेगी।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यहां से डायरेक्टर को भेजकर जांच करायेंगे और जांच में अगर तथ्य सही पाये गये, तो सी0 एम0 ओ0 के खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, हर स्वास्थ्य मंत्री का दायित्व है कि वह 12 करोड़ लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा करे। कोई स्वास्थ्य मंत्री इस सदन में नहीं रह सकता अगर कोई महामारी फैल जाय और मौतें हो जायं। अतएव जांच की आवश्यकता नहीं है।

श्री राम सरन–

मान्यवर, हम लोग किरनपाल सिंह, विजय सिंह राणा विपक्ष के हैं, मैंने भी इस सूचना पर हस्ताक्षर किये हैं। मान्यवर, आप देखें, जो बातें यहां से कही गयीं, उसकी ताईद राजेन्द्र सिंह सोलंकी जो सत्तापक्ष के बुलन्दशहर के विधायक हैं, उन्होंने भी की। लेकिन फिर भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी सी0 एम0 ओ0 की रिपोर्ट पर यकीन कर रहे हैं। मान्यवर, आप भी बुलन्दशहर से ताल्लुक रखते हैं। आप भी अपनी राय दे दीजिये। मान्यवर, कितनी गवाही और दी जाय कि रोग फैल रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सी0 एम0 ओ0 की बातों को सही न मानकर, जो माननीय रेवती रमण सिंह जी ने बात कही हैं और सोलंकी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि महामारी फैली है, गांवों में डायरेक्टर को भेजकर जांच करायेंगे? अगर जांच में तथ्य सही पाये गये, तो आपके सी0 एम0 को तो वहां रखने का अधिकार नहीं रहेगा। आप उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जांच की आवश्यकता नहीं है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने कहा कि सी0 एम0 ओ0 की रिपोर्ट गलत है और अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कहा कि वहां पर इस रोग से मौतें हुई हैं। क्या माननीय मंत्री जी इस रोग की गम्भीरता को देखते हुए सत्ता पक्ष व विपक्ष के जो माननीय सदस्य डाक्टर हैं, उनसे इसकी जांच करायेंगे?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, मैंने पहले ही अनुरोध किया कि उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में प्रति दिन इस बात की मानीटरिंग होती है कि कहीं कोई बीमारी या महामारी तो नहीं फैल रही है। मान्यवर, आपकी अनुकम्पा से ग्रामीण क्षेत्र से लेकर जिलों तक स्वास्थ्य विभाग का जिक्र बना हुआ है। आपकी अनुकम्पा से अगर पुलिस विभाग को भी इसकी कहीं सूचना मिलती है, तो वह इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को देता है लेकिन अभी तक इस प्रकार की सूचना कहीं से नहीं आयी है। और मुझे विश्वास है कि यह महामारी नहीं फैल पायेगी।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य अपनी व्यक्तिगत जान-

कारी के आधार पर कह रहे हैं कि वहां पर मौतें हुई हैं, इस रोग से । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी किस आधार पर कह रहे हैं कि सी0 एम0 ओ0 को रिपोर्ट सही है? इसका मतलब यह है कि माननीय सदस्य गलत बयानी कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने यह नहीं कहा कि गलत बयानी दी है।

श्री गैनेजर सिंह–

मान्यवर, इसका मतलब तो यही हुआ कि माननीय सदस्य गलत कह रहे हैं और सी0 एम0 ओ0 ठीक कह रहा है। इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, सम्मानित सदस्यों की बातों को ही सत्य मानते हुए यह रिपोर्ट प्रस्तुत की।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वह सी0 एम0 ओ0 की रिपोर्ट को प्रतिष्ठा का विषय न बनायें । माननीय सदस्यों ने सूचना दी कि वहां फलां-फलां गांव में इस बीमारी से मौतें हुई हैं। माननीय सदस्य आपको और भी जानकारी दे सकते हैं। यह सही जानते हैं कि कि एलोपैथिक में हर चीज का इलाज है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत छोटी चेचक और बड़ी चेचक रोग के निदान के लिये वहां लोग स्वास्थ्य केन्द्रों पर नहीं जाते हैं और देशी इलाज में ज्यादा विश्वास करते हैं। क्या माननीय मंत्री, माननीय सदस्यों में जिन गांवों के नाम आपको बताये हैं और भी नाम आपको लिखकर देंगे, क्या अपने आधार पर उसकी आप फिर जांच करायेंगे।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं पहले ही कह चुका हूं कि माननीय सदस्य नाम दे दें, हम उसकी जांच करायेंगे और उसकी व्यवस्था भी करेंगे।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह किस स्तर के अधिकारी से जांच करायेंगे । क्या निदेशक स्तर से आप इसकी जांच करायेंगे?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, कुम्भ का मेला चल रहा है। वहां पर हमारा सारा कैम्प इकठ्ठा है। वहीं पर एडीशनल डाइरेक्टर आदि सभी लोग हैं। यदि आप कहें तो वहीं से उनको भेज देते हैं, जांच के लिए।

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय मंत्री जी गम्भीरता से बोलें।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं गम्भीरता से ही बोल रहा हूं। माननीय राजेन्द्र सिंह जी ने प्रस्ताव रखा, उसके पूर्व ही मैं बात कह चुका हूं। जिससे कहिए जांच करा दें। कहिए तो डा0 कौशल से जांच करा दें ।

(विपक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, आप डा0 कौशल को जांच अधिकारी नियुक्त कर दें।

(मद संख्या–8 पुकारे जाने पर)

जो जांच की सूचना होगी, मान्यवर को दे दीजियेगा, जांच हो जायेगी ।

श्री किरन पाल सिंह–

नियम 56 में जो सूचना दी थी, जिस पर वक्तव्य आया था, उस पर जांच कराते । नियम 56 का जो प्रश्न है, उसकी तो जांच होनी चाहिए।

कार्य स्थगन प्रस्ताओं की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 56 में कुल 23 सूचनाए प्राप्त हुई हैं, पहली सूचना श्री अवधेश प्रसाद, श्री बदन सिंह, श्री राम सागर, श्री मुहम्मद आजम खां, चौधरी महराज सिंह, श्री बाबूराम यादव, डा0 बंगाली सिंह, श्री शफीकुर्रहमान बर्क, श्री मूल चन्द, श्री अमीर आलम खां तथा श्री लक्ष्मी नारायण की जनपद फैजाबाद में लोकदल के कार्यकर्ता की हत्या के सम्बन्ध में है तथा चौथी सूचना, जो कि श्री राम सरन, , श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री पारस नाथ यादव, श्री बाबू राम यादव तथा श्री राज किशोर सिंह की नकली पत्रकारों द्वारा प्रदेश सरकार को धोखे के समान्ध में है, इनमें डबल दस्तखत हो गये हैं, इसलिये खारिज है।

दूसरी सूचना श्री मनोहर लाल तथा श्री विजय सिंह राणा की नकली पत्रकारों द्वारा प्रदेश सरकार को धोखा देने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री रघुवर दयाल शर्मा की भी उपरोक्त विषय पर है, पांचवीं सूचना श्री शतरुद्र प्रकाश की वाराणसी नगर में तेजाब के कारखाने से गैस का रिसाव होने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री गौरी शंकर भट्टया की हरिद्वार में महाकुम्भ के अवसर पर अवैध निर्माण के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री सूर्य प्रताप शाही की लखनऊ स्थित नया बाजार बन्द होने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री देव कुमार यादव की मध्य प्रदेश से जल-विवाद तय न होने के कारण सिंचाई में अव्यवस्था के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री राम नरेश की गन्ना खरीद केन्द्र बन्द होने से किसानों को परेशानी के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री यदुनाथ सिंह की प्रदेश के रेलवे स्टेशनों पर हत्याओं एवं चोरी के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री शारदा प्रताप की राजधानी लखनऊ में पेयजल संकट के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री भौगती सिंह की जनपद लखनऊ के टाउन एरिया इटौंजा, महोना आदि में पेयजल संकट के संम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री हृदय नारायण दीक्षित की राजेन्द्र नगर लखनऊ के मजदूरों के घरों को गिराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी की आइसोप्रोटान की खरीद के घपले के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा की बांदा में कुओं का पानी विषैला होने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री हरेन्द्र सिंह की मुजफ्फरनगर के बाल-विकास परियोजना में घोटाले के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री मित्रसेन तथा श्री रामचंन्द्र बख्श सिंह की उन्नाव के हसनगंज विकास खण्ड के प्रमुख की हत्या की साजिश के सम्बन्ध में है, अठारहवीं सूचना श्री बलराम यादव की प्रदेश में लेवी सीमेन्ट की सप्लाई न होने के संबन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की साढ़ूपुर, मैनपुरी के हरिजनों द्वारा अनशन के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री सत्य-पाल सिंह की प्रदेश में शिशु मृत्यु दर में वृद्धि के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री किरन पाल सिंह की जल संस्थान, आगरा द्वारा विद्युत परिषद् का साढ़े तीन करोड़ रु0 न देने से जल संकट के सम्बन्ध में है, बाईसवीं सूचना श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी की गंगा व रामगंगा के बीच तराई क्षेत्र में हैप्टिक कोमा की बीमारी के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना श्री अशोक बाजपेयी की वित्तीय नियमों की अवहेलना करके

जयपुरिया उद्योग को 35 लाख अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में है। अब मैं नाम बोलता हूं। पहली सूचना जो नकली पत्रकारों के सम्बन्ध में है, इसके लिये श्री मनोहर लाल जी।

श्री मनोहर लाल–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

श्री राम सरन–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो मेरी सूचना है आपके पास, उसमें बाबू राम जी के जो दस्तखत हैं उसे आप टैली कर लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष–

राम सरन जी, अब तो यह मामला हो गया है। टैली करने की बात तो बाद में होगी, यह अभी नहीं हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, इसे आप सुन लें। मैं आपकी अनुमति से ही बोलता हूं। मैं आपसे इस बात की व्यवस्था चाहता था कि नियम 56 के अन्तर्गत या नियम 300 के अन्तर्गत जिन सूचनाओं को आप कल रिजेक्ट कर चुके हैं, उनको फिर कैसे आप सदन में सुनने की व्यवस्था देते हैं?

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, कल यह सूचना नहीं दी गयी है। इसे मैंने आज दिया है नकली पत्रकारों के सम्बन्ध में यह सूचना है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग अभी बैठें। मैं पहले समझ लूं। आप बैठें, ऐसे समझ में नहीं आ सकता है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, जो सूचना नियम 300 के लायक नहीं है, वह नियम 56 के लायक हो सकती है। जिस सूचना को आपने नियम 300 में अस्वीकार किया हो, उसे तो नियम 56 में लिया जा सकता है, इसमें क्या आपत्तिजनक बात हो गयी?

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मैं शतरुद्र प्रकाश की राय से सहमत न होते हुए भी कुछ आग्रह करना चाहता हूं। अभी जिस सूचना पर आपने श्री मनोहर लाल को पुकारा, यह सूचना शाही जी ने कल नियम 56 में सूचना नं0 9 पर दी थी। आपने इसको अग्राह्य कर दिया था। इसकी प्रति मेरे पास है जिसे कल आपने अग्राह्य किया था। परसों नियम 300 में भी यह सूचना दी गयी थी परन्तु शाही जी ने कल इसे [illegible] 0 में ही दिया था।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, आप मुझे बुला चुके हैं।

*श्री विजय सिंह राणा–

मैं माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी की बात मानता हूं कि यह सूचना नियम 56 में दी गयी थी। ग्राह्यता में मान्यवर, आप पांच सूचना महत्व के आधार पर स्वीकार करते हैं। हो सकता है कि कल यह सूचना आ गयी हो और यहां पर आपने न सुनी हो क्योंकि इससे ज्यादा महत्व की सूचना जो पांच थीं, उनको आपने पहले सुना और शेष सूचना बगैर सुने ही रह गयीं। जो सूचना कल नहीं सुनी जा सकी, उसे महत्व के आधार पर, यदि आज वह दी जाती है, तो फिर उसे क्यों नहीं सुना जा सकता है?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष–

श्री मनोहर लाल जी, आप बैठ जाइये। इस पर विचार हो रहा है कि नियम 56 में रिजेक्ट होने के बाद यह दुबारा आ सकती है या नहीं ?

*श्री राम सरन –

मान्यवर, यह सूचना जो है, इसमें मेरा आपसे निवेदन है ।

(कई सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

मान्यवर, मुझे सुनिये । एक ऐसा वाकया यहां हो गया जिसकी वजह से हम सब लोग परेशान हैं, इधर के भी और उधर के भी । उसको बार-बार सत्ता पक्ष के कारण दबाना चाहते हैं । इसमें क्या हो जायेगा अगर सदन के सामने आ जायेगा तो कौन सा मंत्रि-मंडल गिर जायेगा ? अगर मुख्य मंत्री को कोई आदमी धोखा दे।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं देखता हूं कि यह ऐसा कारण है कि अगर मुख्य मंत्री को कोई धोखा दे, कोई चार सौ बीसिया आ जाय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष –

सवाल व्यवस्था का है, मुख्य मंत्री को धोखा देने का सवाल नहीं है । राम सरन जी आप बैठें। मित्रसेन जी, किरन पाल जी आप बैठें।

श्री हुकुम सिंह –

मान्यवर, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, कल की कार्यवाही का पेज नं0 51 देखें । उसमें साफ लिखा हुआ है ग्यारहवीं सूचना श्री सूर्य प्रताप शाही की मुख्य मंत्री सचिवालय के ठगी के शिकार होने से शासन की सुरक्षा व्यवस्था में दरार के संबंध में है और आपने इसको अस्वीकार भी किया था । यह आपको नियम 56 में दी गयी थी । आपने खुद कहा कि जब एक बार सूचना अस्वीकार हो गयी है 56 के अन्तर्गत, तो उसको नहीं ले सकता । इसमें चर्चा की गुंजाइश है नहीं, आप इसको अग्राह्य कर दीजिए ।

(श्री किरन पाल सिंह एवं डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री उपाध्यक्ष –

किरन पाल जी अब आपको इसमें क्या बोलना है । डा0 साहब आप कृपा करके बैठें ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश –

मान्यवर, नियम 56 के बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप मान्यवर, नियम 58 को देखें । ग्राह्यता के संबंध में 6 शर्तें दी गई हैं । मान्यवर, आप नियम 56 को यह मान लीजिये कि जो 6 ग्राह्यता है जो 6 आधार ग्राह्य करेंगे अगर किसी भी सूचना के..

श्री उपाध्यक्ष –

मैं क्लियरीफिकेशन चाहता हूं । सवाल इतना है कि जो सूचना कल रिजेक्ट हुई है उसको लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है ?

श्री शतरुद्र प्रकाश –

मान्यवर, उसी में कह रहा हूं । मेरा निवेदन है कि नियम 56 में यह साफ लिखा हुआ है कि 2 कापी, प्रतिलिपि दी जायेगी, एक घंटा पहले दी जायेगी ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नियम 56 के अन्तर्गत की जो सूचना दी जायेगी, नियम 58 के अन्तर्गत ग्राह्यता की शर्तें अगर पूरी करती हैं तब तो मान्यवर, आप सुनेंगे अगर ग्राह्यता की शर्तों की पूर्ति नहीं की गयी है तो अस्वीकार कर देंगे । अगर किसी विषय पर नियम 56 के अन्तर्गत सूचना दी गयी और 6. . जो शर्तें हैं किसी सूचना में 2 ही शर्तें हैं या 3 ही शर्तें हैं, तब तो आप अस्वीकार कर देंगे लेकिन अगर ग्राह्यता की शर्त उसी विषय पर दूसरे दिन आती हैं, जिसमें 6 जो शर्तें हैं, पूरी की जाती हैं, सारी शर्तों का पालन किया जाता है तो मान्यवर, पुर्नविचार करने का आपका विवेक है । कि आप इस आधार

(1 बजकर 20 मिनट)

पर पुर्नविचार कर सकते हैं कि अगर किसी विषय की ग्राह्यता की शर्तों का पिछली सूचनाओं में उल्लेख नहीं किया गया था और दूसरे दिन उन सारी शर्तों का पालना उसमें किया गया है तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं । उसको स्वीकार करना या अस्वीकार करना आपका विवेक है । ऐसी कोई संसदीय तंत्र में परम्परा नहीं है कि किसी विषय पर यदि पहले दिन सूचना आ जाय तो दूसरे दिन इस आधार पर वह अस्वीकार की जाय कि चूंकि वह पहले दिन आ गई थी, तो यह कोई प्राकृतिक न्याय नहीं है । इसलिए मान्यवर, पूरे तथ्यों की जानकारी देने के बाद प्राकृतिक न्याय का तकाजा है कि इस सूचना को ले लिया जाय ।

श्री हुकुम सिंह –

मान्यवर, जो बिन्दु उठाया गया है और संसदीय परम्पराओं की बात कही गई है उसके संबंध में माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि संसदीय लोकतंत्र में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है कि अगर एक बार कोई सूचना अस्वीकार हो जाय तो दूसरे दिन वह सूचना न ले ली जाय । श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी संसदीय परम्परा है जो आपकी तरफ से बार-बार कही गई है । मैं आपके सामने आपकी पीठ द्वारा दी गई एक रूलिंग सुनाना चाहता हूं कि संसदीय परम्परायें कैसी हैं और कैसी नहीं हैं ? यह 13 दिसम्बर, 1957 की कार्यवाही के पृष्ठ 151 पर है । इसमें लिखा है "अनावश्यक होने के कारण कल मैंने इसको नामंजूर किया था । हर रोज किसी बात के मुताल्लिक एक नया काम रोको प्रस्ताव लाकर किसी विषय को बार-बार दुहराना ठीक नहीं है । इसीलिए मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।" तो मान्यवर, कोई सूचना एक बार पहले आयी । उस दिन वह अस्वीकार की गई और दुबारा लेने की अध्यक्ष ने स्वीकृति नहीं दी । श्रीमन्, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अगर इस छोटे से बिन्दु पर चर्चा चलती रहेगी और इस तरह से सदन का समय लिया जाता रहेगा, इतनी क्लियर रूलिंग होने के बाद भी इसमें कोई चर्चा की जरूरत नहीं थी, इस पर आप व्यवस्था दें ।

(व्यवधान)

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष –

क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

किसी विषय पर आपके द्वारा दी गई रूलिंग के बाद भी उस विषय पर चर्चा की जा सकती है ? . . . (व्यवधान) आप व्यवस्था दें ।

श्री उपाध्यक्ष –

सुना जा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको भी सुन लूंगा। यदि सुनने में संतुष्टि हो तो मैं क्यों न सुनूं।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र कपिल–

पहले आप मेरे द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर निर्णय दें, फिर दूसरे को सुनें।

श्री उपाध्यक्ष –

मुझे सुनने का अधिकार है। .... (व्यवधान)

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और आपके द्वारा दी गई रूलिंग के बाद भी... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष –

मैं निर्णय दे दूंगा। पहले आप बैठें।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर निर्णय दें।

श्री उपाध्यक्ष–

क्या निर्णय दें... (व्यवधान)

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने जो आपके द्वारा दिया गया निर्णय बताया है, उस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष–

उस पर मैं विचार करूंगा तब व्यवस्था दूंगा। आप मुझसे व्यवस्था नहीं दिलवा सकते हैं। आप बैठें।... (घोर व्यवधान)

(कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने से घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, 1951 की जिस रूलिंग का हवाला दिया गया है...

श्री हुकुम सिंह –

मान्यवर, इनको सन् बता दें.... (व्यवधान)। 1951 नहीं, 1957 का हवाला दिया था।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने 1957 की रूलिंग का हवाला दिया और कहा कि कल चूंकि इस सूचना को उठाया गया था इसलिये आज नहीं उठाया जा सकता। श्रीमन्, उसके बाद नियमावली में भी तमाम संशोधन हुए। जो इस समय नियमावली है उसमें कहीं पर भी यह नहीं है कि जब एक दफा प्रस्ताव निरस्त हो जाता है तो फिर आप पुनः चर्चा के लिए नहीं ले सकते हैं।

(श्री सुरेन्द्र कपिल के खड़े होने पर।)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष –

सदन मुझे चलाना है (व्यवधान) मैं जानता हूं आप क्यों परेशान हो रहे हैं? (व्यवधान) बैठिये, मुझे क्या करना है, मैं जानता हूं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा –

मान्यवर, एक विषय पर चर्चा होने के बाद दुबारा नहीं उठाया जा सकता है। इस विषय पर चर्चा नहीं हुई चूंकि एक दिन पहले आया था और वह निरस्त हो गया था, यह कहीं नियमावली में नहीं लिखा है कि दुबारा नहीं लिया जा सकता

है । यह आप के विवेक पर है कि अगर आप आवश्यक समझते हैं तो पुन: उसे ले सकते हैं, इस पर चर्चा नहीं हुई है । इसलिए आपको पूरा अधिकार है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष –

इस पर ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए।

श्री मनोहर लाल –

एक मिनट सुन ली जिए ।

श्री उपाध्यक्ष –

क्या बात सुनने की है ? (व्यवधान) हर आदमी सुनाना चाहता है और तो कुछ है नहीं, सुनने से कोई चीज हो रही हो तो सुनूं (व्यवधान) इस पर अगर आप चाहते हैं व्यवस्था पर बोलते रहें तो बोलते रहिये (व्यवधान) यदुनाथ सिंह जी ने व्यवस्था उठाई है, माननीय कपिल साहब आप बैठिये । आपसे भी पूछ लूंगा ।

श्री यदुनाथ सिंह –

मान्यवर, नेता सदन उपस्थित हैं, जैसा संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने कहा कि माननीय सूर्य प्रताप शाही ने एक प्रस्ताव दिया था उसकी ग्राह्यता पर भी नहीं सुना । यह शासन व्यवस्था के संबंध में है कि मुख्य मंत्री के कक्ष से कोई नकली पत्रकार (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष –

मैं इस पर नहीं बोलने दे रहा हूं, आप बैठिये, इस पर नहीं बोलेंगे ।

(व्यवधान के मध्य श्री रघुवर दयाल वर्मा के खड़े होने पर)

आप भी बोल लीजियेगा (व्यवधान) सब को बुलवा दूंगा (श्री किरन पाल सिंह का नाम पुकारे जाने पर) आप बैठिये ।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

मेरी व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिये।

श्री किरनपाल सिंह –

माननीय उपाध्यक्ष जी, एक बात मुझे कहनी है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष –

मैंने माननीय किरनपाल सिंह को बुलाया है । वर्मा जी आप भी बाद में बोल लीजियेगा।

श्री किरनपाल सिंह –

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, कोई घटना एब्सोल्यूट हो सकती है लेकिन इन-फारमेशन एब्सोल्यूट नहीं हो सकती है सूचना कभी पूर्ण नहीं होती है इसलिए नयी जानकारी, नये तथ्य दुबारा आ सकते हैं ।

श्री राम सरन –

यह बात छिपाई नहीं जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष –

मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री किरनपाल सिंह –

जो रूलिंग बतायी है उसके बाद भी रूलिंग होती है ।

श्री उपाध्यक्ष –

मैं निर्णय दे देता हूं । (व्यवधान)

श्री मनोहर लाल –

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कोई नियम या कानून है जिस पर आप व्यवस्था मांग रहे हैं । (व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, संसदीय कार्य राज्य मंत्री को सुनने के बाद और इधर के माननीय सदस्यों को सुनने के बाद, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि इसी सदन में पिछले 2-3 दिनों में इस तरह की घटनाएं प्रकाश में आई हैं और आप अपने निर्देश, कार्यवाही, मंगा कर देख लें जिसमें माननीय सदस्यों ने एक दिन कार्य स्थगन का प्रस्ताव रखा, सदन में माननीय नेताओं ने आग्रह किया कि 5 से अधिक आप नहीं ले सकते हैं, तो दूसरे दिन ले लें तो जो पहले दिन तो अस्वीकार किया और दूसरे दिन उसको लिया गया है यह सदन में आम सहमति रही है । तो नियम 56 की व्यवस्था है कि एक से अधिक को आप मान्यवर, नहीं सुन सकते हैं, लेकिन माननीय नेताओं ने कहा और सदन भी सहमत हुआ तो आपने एक की जगह पर पांच की व्यवस्था करा दी । तो मैं कहना चाहता हूं कि एक आदमी को तीन-तीन बार आप सुन सकते हैं और मुझे एक बार भी नहीं सुन सकते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा । कृपया अब आप इसे सुनने को स्वीकार करेंगे। जैसी परम्परा बनी है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठ जायं । आपको मैं अब इजाजत नहीं देता हूं ।

(व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था के माध्यम से बहुत अहम प्रश्न सदन के संचालन के संबंध में आपके संज्ञान में लाये गये हैं, जिस पर आपको निर्णय देना है ।

मान्यवर, प्रश्न यह है कि एक सत्र के अन्दर यदि नियम 56 के अन्दर कोई विषय रिजेक्ट कर दिया गया हो, तो क्या दुबारा वह उठ सकता है ? मेरा निवेदन है कि सरकमस्टान्सेज को देखते हुए, फैक्टस आफ दि केस को देखते हुए, वह मामला दुबारा उठ सकता है । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि एक सत्याग्रह हो रहा है, कोई हड़ताल हो रही है,, सदन के संज्ञान में एक प्रश्न लाया गया नियम 56 में और आपने उसको अस्वीकार कर दिया चूंकि ग्राह्य करने की सिचुएशन नहीं है । लेकिन हफ्ते भर में उसी सत्याग्रह और हड़ताल में दो आदमी मर जाते हैं, तो सिचुएशन बदल गयी, फैक्टस बदले तो आपको दुबारा सुनने का अधिकार है । यह प्रश्न अहम है इसलिये इसमें आप दुबारा सुन सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, इसको दुबारा नहीं उठा सकते हैं क्योंकि संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने जवाब दे दिया है और आपने रिजेक्ट कर दिया है ।

(कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर शोर मचाने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठ जायं । शांत रहें ।

*श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, श्री राजेन्द्र सिंह ने जो कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं । मान्यवर, एक बात और विचार करने की है कि एक सूचना कल दी गयी,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ग्राह्यता की शर्तें पूरी होने के बाद भी आप कंपरेटिव मेरिट्स के आधार पर तय करते हैं । मान लिया कि 20 सूचनाएं हैं और उसमें से आपने 5 को लिया, तो ग्राह्यता की शर्तें पूरी होने के बाद भी कम्परेटिव मेरिट्स पर कल उस सूचना को महत्वपूर्ण नहीं माना । और जैसा माननीय सदस्य ने कहा, मैं भी उससे सहमत हूं, कि परिस्थितियां यदि बदल जायं कोई नये तथ्य आ जायें, कोई और उसके परिणाम आ जायं तो उसको ग्राह्य किया जा सकता है । तो यह मात्र आपके विवेक पर है, आपको देखना है कि इसमें कौन सी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, जिससे परिवर्तन हो गया है और महत्वपूर्ण हो गया है कि कार्यस्थगन के रूप में लिया जाए।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है और आप भी जानते हैं और माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी जानते हैं कि सदन स्वयं ही अपने कार्य-संचालन के मामले में मास्टर है । नियमों में है कि आप नियम 56 में केवल एक सूचना सुनेंगे, लेकिन सदन ने तय कर लिया कि पांच सुनेंगे तो नियम रिडन्डेन्ट हो गया और आप पांच सुनने लगे । पांच सूचनाएं सुनी जाने लगी। तो यही सही स्थिति है । इसलिए कि कल जो अंचल जी की सूचना आपने लिया था उसको पहले आपने रेजेक्ट किया था । फिर सुन लिया । तो फिर स्थिति यही है कि सदन यदि समझता है कि किसी विशेष विषय पर चर्चा होनी चाहिए और आप भी समझते हैं तो उसे ले सकते हैं, तो इसमें कहीं कोई बाध्यता नहीं है कि आप दुबारा नहीं सुन सकते हैं । इसलिए कृपया आप इस पर बहस न कराये । आप विषय की महत्ता को समझ लीजिए और यदि आप समझते हैं एक बार रिजेक्ट होने के बाद भी नियम 56 में सुना जाना चाहिए, तो आप सुन लीजिए ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

फैसला हो जाने दीजिए । इनको भी कहने दीजिए, इनको सुन लिया जाय।

*श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं माननीय द्विवेदी जी और रवीन्द्र नाथ तिवारी जी की बात का समर्थन करते हुए यह कहना चाहता हूं कि जो सूचना कल दिया था वह अत्यन्त ही अविलम्बनीय और लोक-महत्व की थी, जिस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए । मैं यह कहना चाहता हूं कि जो मैंने सूचना दी थी उस सूचना में आज के तथ्य में कोई ऐसा आकस्मिक परिवर्तन नहीं हुआ है और न घटनाओं में कोई परिवर्तन हुआ है । इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार मेरी सूचना को सुनने का आप कष्ट करें और उसके बाद यदि आप समझते हैं कि...

श्री उपाध्यक्ष–

मैं अभी सुन नहीं रहा हूं । मैं सूचना को कुछ नहीं कह रहा हूं । आपने अपनी बात को कह दिया है । आप बैठिये ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

आप मेरी सूचना को सुनने का कष्ट करें, और उसमें यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो आप मनोहरलाल जी को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सुने । जैसा रवीन्द्रनाथ तिवारी जी ने कहा है सदन ही यहां का कार्य चलाने में हर प्रकार से सक्षम है . . .

(व्यवधान)

यह अत्यन्त ही तात्कालिक और महत्व की घटना है । इसपर मुझे सुनना चाहिए, उसके बाद ही अन्य लोगों को सुनने का मौका दिया जाना चाहिए, वरना यह सूचना रिजेक्ट होनी चाहिए ।

*डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल–

माननीय राजेन्द्र सिंह, द्विवेदी जी और तिवारी जी ने इस बात पर जोर दिया है कि एक बार जब उसको अस्वीकार कर दिया और दूसरे दिन समझते है तो उसको स्वीकार किया गया है और आप ने किया भी है और उन्होंने शारदा नन्द अंचल का उदाहरण दिया है । यहां पर तो प्रश्न यह है कि एक दल विशेष के माननीय सदस्य ने नियम 56 में सूचना दी. वह ग्राह्य थी या नहीं, आपने उसको अस्वीकार कर दिया । अब उसी सूचना को दूसरे दल विशेष के माननीय सदस्य देते हैं और उसे आप स्वीकार कर लेते हैं तो यह एक गलत परम्परा पैदा होगी और परस्पर यह भावना पैदा होगी कि हम देंगे तो वह स्वीकार नहीं होगी और दूसरे दल विशेष के सदस्य देंगे तो वह स्वीकार कर ली जाएगी, वही स्वीकार कर ली जाएगी ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह माननीय कौशल जी का आप पर आक्षेप है, इन्होंने दल विशेष के सदस्य के बारे में कहा है । इसको कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

इसको मैं देख लूंगा । यदि आरोप होगा तो उसको निकाल दूंगा ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं । अभी आपने कृपा पूर्वक बहुत से माननीय सदस्यों को सुना । माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने ग्राह्यता पर बोलते हुये कहा कि यह सूचना ग्राह्यता की शर्तों को पूरा करती है इसलिये इस सूचना को स्वीकार कर लेना चाहिये । मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि नियम 58 जो है वह तब लागू होता है जब उसको चर्चा के लिये स्वीकार कर लें । आपने इसको ग्राह्यता के आधार पर स्वीकार नहीं किया है । अभी तिवारी जी ने एक बात उठायी कि यह सदन अपने कार्यों को खुद विनियमित करता है । यह व्यवस्था है कि 5 सूचनाओं पर सुना जायगा । इन पांच सूचनाओं के संबंध में जो आपका निर्णय है वह आपने माननीय नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं तथा माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री इत्यादि से परामर्श करके संख्या निर्धारित की है । इस सदन ने कभी ऐसा प्रस्ताव नहीं किया कि कितनी सूचनाएं यहां सुनी जायंगी । माननीय तिवारी जी ने और माननीय राजेन्द्र सिंह जी ने कहा कि यह जो सूचना है यह कल की पृष्ठभूमि में नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आयी थी लेकिन आज स्थिति ने उग्र रूप धारण कर लिया है और ऐसी घटनाएं घटित हुयी हैं जिनसे स्थिति उग्र हो गयी है । इसलिये इसको स्वीकार कर लेना चाहिये । परन्तु श्रीमन्, यह तो उन मामलों पर लागू होता जो घटनाक्रम चल रहा हो आज की स्थिति में जो सूचना है उसमें कोई घटना हाल में घटित नहीं हुयी है । वह तो पूर्व में समाप्त हो चुकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है। इसलिये यह इस पर लागू नहीं होगा। मान्यवर, [x x x] जिसकी तरफ आपका ध्यान दिलाया जाता है। परन्तु मात्र घटित हो जाने के कारण वह अनियमित कार्य कोई संसदीय परम्परा का निर्माण नहीं करते हैं ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, यह आपके ऊपर आक्षेप है इसको कार्यवाही से निकाला जाना चाहिये ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, यह आक्षेप है इस को कार्यवाही से निकाल दें।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इसको देख लूंगा, जो उन्होंने कहा कि "अनियमित कार्य हो जाते हैं," उसको मैं निकाल दूंगा ।

बरार जी आप बैठें, आपकी बात हो गयी ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि आप इस सूचना को ग्राह्य न करें।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, बरार साहब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि "सदन में बहुत से कार्य अनियमित भी हो जाते हैं," तो आप कार्यवाही देख लें, यह पूरे सदन पर आक्षेप है । इसको निकलवा दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

ऐसा आक्षेप का कोई शब्द होगा तो मैं कार्यवाही से निकाल दूंगा, मैंने कह दिया है ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, आप पर आक्षेप करने की तो मैं सोच भी नहीं सकता ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

दूसरी बात मान्यवर, यह है कि इस पर आपने दोनों तरफ के माननीय सदस्यों को सुन लिया है । पौने दो बज गये हैं । आप इस पर अपना निर्णय दें ।

श्री भगवती सिंह विशारद–

मान्यवर, मेरी बात तो सुन लीजिये।

*श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, मुझे भी सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

अगर कल तक कहेंगे तो कल तक बहस होती रहेगी ?

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान नियमावली के नियम 58 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, नियम 58 का खंड 4 देखें। पिछले सत्र में जब आप थे तब भी हमने इसको उठाया था और यह तय हुआ था कि 2 सूचनायें सुनेंगे । आज आपने 5 कर दिया । आज आपके पास 23 सूचनायें आई हैं । समय के अभाव में आपने मेरी सूचना को नहीं सुना, उसकी ग्राह्यता को नहीं सुना लेकिन उसके लिए रिजेक्ट शब्द नहीं आना चाहिए। [x x x] इसको सदन में सुनना चाहिये।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने आपके ऊपर आक्षेप किया है ।

नोट: [x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आरोप को निकाल दूंगा ।

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी–

मेरी एक बात सुन लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इस बिन्दु पर कब तक सुनता रहूंगा ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

मैं किसी को भी नहीं सुन रहा हूं ।

(श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

श्री हरीश जी, आप बैठ जायं ।

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी–

मान्यवर, यह दल का प्रश्न नहीं है। मान्यवर, आपकी निष्पक्षता पर सबको भरोसा है लेकिन नियम 56 में कल जिसको अस्वीकार किया गया, आज आप उसको नियम 56 में सुनने की कृपा कर रहे हैं । इसलिए दोनों नियम 56 को पढ़ दिया जाय ।

श्री वेनी प्रसाद वर्मा–

कल सुना नहीं गया था, अस्वीकार हुआ था ।

श्री उपाध्यक्ष–

मुझे सब पता है ।

(श्री भगवती सिंह विशारद के खड़े होने पर)

विशारद जी बैठ जायं । विशारद जी, बैठ जाइये । मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

यह जो प्रश्न उठा कि नियम 56 के विषय में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, यह होना चाहिए, वह होना चाहिए । यह कुछ विस्तृत मामला है, जहां तक मैं समझता हूं। मैं यह उचित समझता हूं कि इस निर्णय को मैं सुरक्षित कर लूं और उसके बाद विस्तार से चर्चा हो जायेगी ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि

श्री उपाध्यक्ष–

राणा जी, आप क्या चाहते हैं कि सदन न चले ?

श्री विजय सिंह राणा–

आपने सबके सामने एक दिन पहले रिजेक्ट किया है, दूसरे दिन बुलवाया है । उसमें भी आपको निर्णय लेना चाहिए और उसमें भी निर्णय को सुरक्षित रखना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठ जायं ।

श्री विजय सिंह राणा–

[x x x]

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान)

[x x x]

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष–

बोलिए राणा जी, आप बोलते रहिए । यह कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

(घोर व्यवधान)

जब तक आपका जोर है, तब तक आप बोलते रहिए ।

नोट: [x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, 4 मार्च, 1986 को महा-नगर वाराणसी में इंगलिसिया लाइन मोहल्ले में एक तेजाब के कारखाने से विषैली गैस का रिसाव आरम्भ हुआ। जिसकी वजह से आस-पास के सैकड़ों नागरिकों में दहशत, आशंका और उत्तेजना व्याप्त हो गई है। इंगलिसिया लाइन में उक्त तेजाब के कार-खाने में कर्फ्युरी एसिड के जार के टूट जाने से वातावरण में सल्फर डाईआक्साइड विषैली गैस फैल गई । जिसकी वजह से आस-पास के सैकड़ों नागरिक घर छोड़ कर भागने लग गए एवं व्यापक पैमाने पर जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया । इस घटना से स्थानीय निवासियों में अजीब सी दहशत छा गई है और यह सवाल उठ गया है कि क्या उक्त तेजाब के कारखाने का उस बस्ती में चालू रहना जनहित में उचित है ? जन स्वास्थ्य को देखते हुए किसी भावी आशंका से मुक्ति पाने के लिए यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण निवारण बोर्ड तत्काल उक्त तेजाब के कारखाने के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करे और शासन इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर वक्तव्य दे ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, किसी की जान नहीं गई। किस तरह से यह प्रक्रिया हुई, उसकी जानकारी कराई जा रही है और जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी, वह की जायगी।

*श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, 144 वर्षों बाद 14 और 15 अप्रैल को हरिद्वार में लगने वाले महा-कुम्भ के अवसर पर सरकारी विभागों ने मेला क्षेत्र की जमीन पर कब्जा कर लिया है, जबकि इसे कुम्भ के लिए खाली करने का आदेश दिया जा चुका है । इससे मेला क्षेत्र काफी सिकुड़ गया है तथा यातायात नियंत्रण सम्बन्धी समस्यायें उत्पन्न हो गयी हैं। यातायात नियंत्रण में मामूली गड़बड़ी होने से सैकड़ों आदमियों की जान जा सकती है । इस मेले में लगभग 40 लाख लोगों के देश व विदेश से भाग लेने की सम्भावना है । 1914 में 40 लोग तथा 1950 में 400 लोग यातायात की अव्यवस्था से उत्पन्न भगदड़ में कुचल कर मर गये थे। हर की पौड़ी की दायीं ओर रौड़ी बेलवाना मैदान है, यही मेला क्षेत्र है । इसमें चिल्लापन बिजली परि-योजना तथा गंगा पुल चन्डी घाट के इंजी-नियरों के मकान बने हुये हैं। परियोजना 1978 में पूरी हो गयी, लेकिन यहां पर बने मकानों में आज भी लोग रह रहे हैं। वहीं पर एक स्कूल टूरिस्ट बंगला सेतुनिगम की कलौनी, राज्य विद्युत परिषद् का गौदाम और जल निगम का डाक बंगला बना दिया गया है । इन कार्यों में मेला क्षेत्र से 25 लाख वर्ग गज जमीन छिन गयी है तथा अन्य स्थानों पर भी इसी तरह के बंगले बने हुए हैं । इसी प्रकार पन्तदीप लाला जी वाला में गंगा नहर का हैड वर्क बन रहा है और पूरी जगह में कालौनी बन गयी है, स्टेशन हर की पौड़ी के बीच अपर रोड के किनारे लाल तारा नाले के पास कुम्भ में पार्किंग की जगह थी, वहां कालोनी बन गई है, दूसरी तरफ कुम्भ में आने वाले यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा हेतु अभी तक आवश्यक प्रबन्ध नहीं किए गए हैं । तैयारी से भी नहीं लगता कि कुम्भ के अवसर पर सारे प्रबंध पूरे हो सकेंगे । इस स्थिति के कारण देश की धर्मभीरु जनता में सरकार के प्रति क्षोभ एवं अविश्वास की भावना व्याप्त हो गई है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, कुम्भ मेले की तैयारी के लिए मैं खुद वहां पर दो बार जा चुका हूं और हमारे मुख्य सचिव भी गए हैं, अन्य अधिकारी भी जा रहे हैं । इस पर जितना भी ध्यान दिया जा सकता है, दिया जा रहा है और प्रयास यह किया जा रहा है कि हर तरह से तैयार हो । मान्यवर, जितनी सम्भव तैयारी हो सकती है, की जा रही है । माननीय सदस्य इस पर चिन्ता न करें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, सहकारिता विभाग द्वारा इसी लखनऊ में एक नया बाजार 1968 में बनाया गया ।

मान्यवर, वह सहकारिता विभाग के भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। जिसकी वजह से 80 लाख रुपये का गबन हुआ है और वहां के कर्मचारियों को दो माह से वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है । सैकड़ों मजदूर बेकार हो गए हैं । भुखमरी हो रही है । मान्यवर, 1975 में एक जांच हुई थी, जिसके माध्यम से 29 लोगों के खिलाफ एफ0 आई0 आर0 दर्ज की गई थी लेकिन इसमें कार्यवाही नहीं हुई और इस तरह से गबन और भ्रष्टाचार बढ़ता गया और आज यह भ्रष्टावार इस स्थिति में पहुंच गया है कि नया बाजार बन्द हो गया है । नया बाजार लखनऊ की शान रहा है . . .

श्री उपाध्यक्ष–

अब समाप्त करें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

अगर इस स्थिति पर चर्चा नहीं कराई गई तो पूरे के पूरे नये बाजार में काम करने वाले कर्मचारी और मजदूर सब बेकार हो जायेंगे । उनके परिवार में भुखमरी आ जायेगी । यह 80 लाख के गबन का मामला है । यह कर्मचारी और मजदूरों के परिवार से संबंधित मामला है । उनके जीवन-निर्वाह का मामला है । यह तात्कालिक और अविलम्बनीय विषय है, जिसकी सूचना मैंने आपको दी है । यह सूचना 200 शब्दों की है । इसकी पूरी ग्राह्यता है । इस पर आप चर्चा करायें ।

सहकारिता मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)–

मान्यवर, जैसा शाही जी ने कहा कि यह गबन का मामला है, तो मैं कहना चाहूंगा कि यह गबन का मामला नहीं है। यह हानियां हुई हैं और इन हानियों की बजह से ही ऐसा हुआ है कि 77 लाख 93 हजार 61 का घाटा आया है, यह व्यवसायी संस्था है । जिस आकांक्षा और इच्छा के तहत सुपर बाजार को बनाया गया था, वह पूरी नहीं हो पा रही है । ऐसी स्थिति में कि यह अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहा है, इस पर वित्तीय भार इतना है कि यह अपना सारा देय सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है । इन सब चीजों को देखते हुए कुछ कर्मचारियों को वेतन दिया जा चुका है । 54 कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया है । इसमें कुछ को माह जनवरी का और कुछ कर्मचारियों को माह फरवरी का वेतन नहीं दिया गया है । इनके वेतन की देने की व्यवस्था की जा रही है । दूसरे परिप्रेक्ष्य में यह सोचा गया है कि अब सुपर बाजार चलने की स्थिति में नहीं है । इसलिए उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संस्था द्वारा इसको चलाने की व्यवस्था करने का प्रयास किया जायेगा ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि घाटा है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

*श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुददे की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । बुन्देलखंड खास तौर से बांदा की सिंचाई व्यवस्था के लिए मध्य प्रदेश में बांध 1906 में उत्तर प्रदेश शासन के खर्चे पर बने । 1972 से 1977 तक उत्तर प्रदेश ने मध्य प्रदेश सरकार से समझौता किया । जिससे बांदा जनपद को पानी नहीं मिल पा रहा है । नौ लाख किसानों के मरने जीने का सवाल पैदा हो गया है । मान्यवर, पिछले सत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि जल्दी से जल्दी मध्य प्रदेश शासन से दिल्ली स्तर से बात करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है । इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि मुख्य मंत्री जी कृपया सूचित करने की कृपा करें कि क्या कार्यवाही इसमें हो रही है । बांदा जनपद के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसमें क्या किया जा रहा है ।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, यह बुन्देलखण्ड के लिए बहुत गम्भीर सवाल है । क्योंकि पानी जो बुन्देलखण्ड में आता है, वह मध्य प्रदेश से आता है । मध्य प्रदेश सरकार से विवाद चल रहा है । हम चाहते हैं कि बुन्देलखण्ड में हम सिंचाई की व्यवस्था करें लेकिन मध्य प्रदेश सरकार से बातचीत करके जब तक इसका हल नहीं निकलता है, हमारी कोई स्कीम स्वीकृत नहीं हो पाती है । केन नदी के द्वारा बांदा में सिंचाई होती है और उसके क्षेत्र को बढ़ाने के लिए केन पर हमने बड़ा रेजरवायर बनाया लेकिन यह विवाद मध्य प्रदेश के साथ है । मैं कई बार वहां के मुख्यमंत्री से बात कर चुका हूं, जल्दी ही अगले महीने में फिर बात करने जा रहा हूं । ताकि कोई रास्ता निकल सके ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष–

श्री शारदा प्रताप की राजधानी में पेयजल का संकट, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं, श्री हरेन्द्र सिंह की मुजफ्फरनगर के बाल विकास परियोजना में घोटाला, इसकी जांच कराने का निर्देश देता हूं, श्री मित्रसेन की और श्री राम चन्द्र बख्श सिंह की सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं । कार्यस्थगन के रूप में सभी को अस्वीकार करता हूं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

बनारस वाले पर वक्तव्य दिलवा दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

क्या वक्तव्य होगा, स्पष्टीकरण दे दिया ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

पूरे काण्ड के बारे में वक्तव्य आ जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

1986-87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास), अनुदान संख्या 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) तथा अनुदान संख्या–19 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास)

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 13–कृषि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 4,47,69,74,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 49,61,60,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(इस समय 2 बजकर 4 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी पीठासीन हुए)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 19–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 35,55,05,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सदन के सभी आदरणीय सदस्यों को ज्ञात है कि ग्रामीण विकास के माध्यम से हम प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निर्बल वर्ग के लोगों, ग्रामीण शिल्पकारों तथा गरीबी की रेखा से नीचे जो लोग गुजर बसर कर रहे हैं उनकी गरीबी मिटाने के विभिन्न कार्यक्रम चला रहे हैं । इसी के साथ मान्यवर, ग्रामीण अंचलों में सर्वांगीण विकास के लिए तथा लोग गरीबी की रेखा से ऊपर लोग उठ सकें और क्षेत्र का, इलाके का विकास हो, इसके लिए हमारी विभिन्न योजनाएं ग्राम्य विकास के माध्यम से चलाई जा रही हैं और विगत पांच वर्षों में इन योजनाओं के चलाये जाने के फलस्वरूप हमारे उत्तर प्रदेश के गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की जो संख्या 51 प्रतिशत थी, वह अब 41 प्रतिशत हो गई है । इस तरह से 10 प्रतिशत लोग पिछले पांच वर्षों में हमारी विभिन्न योजनाओं का लाभ पाकर गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सके हैं ।

मान्यवर, आप यह जानते हैं कि इस गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत हमारे प्रदेश में एकीकृत ग्राम्य विकास योजना चल रही है जो अक्टूबर, 1980 में चलाई गई थी । अब भारत सरकार ने यह निश्चय किया है कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों में जिनकी आमदनी 6400 रुपए से कम है, उन्हें गरीबी की रेखा से नीचे मानेंगे । पहले मान्यवर, यह सीमा 3500 रुपए से नीचे वालों के लिए थी । मान्यवर, इसी के अनुरूप हमारे प्रदेश की सरकार दो चरणों में एकीकृत ग्राम्य विकास के जो लाभार्थी हैं, उनका चयन करती हैं । पहले कोशिश करते हैं कि जो गरीबी की रेखा के नीचे गरीबतम व्यक्ति हैं, उनका चयन करें । इस दृष्टिकोण से 3500 रुपए से नीचे वालों का चयन करेंगे । इसमें अगर लाभार्थी उपलब्ध नहीं होते तो इसकी सीमा बढ़ाकर 4800 रुपए के नीचे वालों का चयन करेंगे । इस कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से चलाएं, इसके लिए केन्द्र सरकार ने देश के 36 जिलों का चयन किया है । प्रत्येक जिले से दो विकास खण्डों का समवर्ती मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा किया जाता है । उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा भी हर विकास खण्ड का अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन कराया जाता है कि जिनको लाभ पहुं-

चाया गया, उनको मिला या नहीं, और लाभ का क्या परिणाम है । इस तरह से उनके मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है जिससे हमारा काम प्रभावशाली ढंग से चल सके ।

इसी के साथ-साथ मान्यवर, हमने मुख्यालय पर कम्प्यूटर की भी व्यवस्था की है । जिसके जरिये से हम विकास खण्डों से 26 लाभार्थी प्रति विकास खण्ड से मंगाकर प्रति माह उनका मूल्यांकन करेंगे कि जो ऋण की सुवधा उनको दी गई थी, वह उनको मिली या नहीं, वास्तविक लाभ उनको मिला या नहीं, ऋण की अदायगी हुई या नहीं, अनुदान का समायोजन हुआ या नहीं। इनके मूल्यांकन के दृष्टिकोण से मुख्यालय पर कम्प्यूटर की व्यवस्था की गई है। इसको और प्रभावी बनाने के लिये मण्डल स्तर पर कम्प्यूटर की व्यवस्था करने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा मान्यवर, हमारे बहुत से कार्यक्रम खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा चलाये जाते हैं, जिनका सीधा सम्बन्ध हमारी एकीकृत ग्राम्य विकास की योजनाओं से है। हम इस प्रयास में हैं कि खादी और ग्रामोद्योग विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों को ग्राम्य विकास की योजनाओं से सम्बद्ध करावे। इसलिए उनमें समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है और 12 स्थानों पर परीक्षण, कच्चे माल की आपूर्ति और उसके क्रय की व्यवस्था के लिये योजना बनायी जा रही है।

श्रीमन्, आप जानते हैं कि यह जो हमारे लाभार्थी हैं, उनसे क्रय प्रणाली की काफी शिकायतें प्राप्त हुईं कि जब उनको चेक दिये जाते हैं और कहीं सामान खरीदा जाता है तो उनको पूरा का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए भारत सरकार ने अभी प्रदेश के दो विकासखंड में पायलट बेसिस पर यह कार्यक्रम चलाया है। हम इसके अन्तर्गत सीधा रुपया चेक के माध्यम से, दुकानदार को न देकर, लाभार्थी को देंगे। कुछ महीनों में, परीक्षण करने के बाद, इस स्कीम का ज्यादा लाभ यदि लाभार्थियों को पहुंचना पाया गया तो पूरी कोशिश की जायेगी कि सभी जगह इस योजना को लागू किया जाय। एकीकृत ग्राम्य विकास योजना में वर्ष 1986-87 में 41 करोड़ 35 लाख रु0 का प्राविधान इस बजट में किया गया है, जो राज्य सरकार का अंश है। 50 प्रतिशत अंश भारत सरकार देती है। मान्यवर, हम यह आशा करते हैं कि करीब 6 लाख परिवार इस योजना से लाभ उठायेंगे। इसके साथ-साथ भारत सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि जो हमारे लाभार्थी हैं, जिनको विगत वर्षों से हम लाभ दे रहे हैं, अगर उन्हें पूरा का पूरा लाभ नहीं मिला है, तो दुबारा ऋण/अनुदान उपलब्ध कराकर उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर करें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हर विकास खण्ड से 350 पुराने लाभार्थियों और 255 नये लाभार्थियों का चयन करके, उन्हें एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाता है।

मान्यवर, माननीय सदस्यों की यह एक आम शिकायत रही है और यह कहीं-कहीं शासन के संज्ञान में भी आया है कि यह जो गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का कार्यक्रम चल रहा है— इसमें ग्रामीण अंचलों में रहने वाले, जो गरीबतम व्यक्ति हैं, जो सीमा से

काफी नीचे हैं, कभी-कभी उनका चयन न होकर, जो गरीबी की ऊपर सीमा पर हैं, उनका चयन होकर, लाभ उन्हें मिल जाया करता था। इसके लिये हमने यह आदेश दिया है कि प्रत्येक ग्राम सभा का एक आर्थिक राजस्टर बनाया जाय, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का नाम दर्ज रहेगा, शैक्षिक योग्यता, कितनी भूमि है, मकान कच्चा है या पक्का, सवारी का साधन क्या है, कितने बैल हैं, सारा ब्यौरा उसमें दर्ज होगा। इस प्रकार यदि कहीं कोई भी शिकायत आती है, ग्राम विकास अधिकारी या अन्य अधिकारी किसी किसी व्यक्ति का गलत चयन करते हैं, तो उस रजिस्टर से चेक हो सकता है और गलती पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही भी की जा सकेगी। मान्यवर, एक दूसरी योजना इसी गरीबी उन्मूलन के तहत जो चल रही है, सहायक योजना का रूप है उसका । जो हमारे शिक्षित बेरोजगार हैं, गांव में रहने वाले बेरोजगारी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, शिल्पकार हैं, जिनके पास कोई रोजगार का साधन नहीं है, उन्हें हम ट्राइसम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित कराके, बैंकों से ऋण दिलाकर और एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत जो अनुदान अनुमन्य होता है उसे भी स्वीकृत कराकर, हम उनको रोजगार, किसी व्यवसाय या छोटे उद्योग धन्धे में लगाने की कोशिश करेंगे। मान्यवर, इसके अन्तर्गत हर विकास खण्ड में 40 लाभार्थियों का चयन किया जाता है, जो प्रशिक्षित किये जाते हैं। मान्यवर, इसमें हमने यह भी चाहा है कि जो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड है, उसके माध्यम से भी विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण कराया जाय और उनको भी इसी तरह से ट्राइसम योजना का लाभ मिलता रहा।

मान्यवर, हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने ग्रामीण अंचलों में बेरोजगारी की जो समस्या है, खासकर जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं, जिनको रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता था, उन्हें रोजगार दिलाने के लिये पूरे देश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चलाया और हमारे प्रदेश में भी यह कार्यक्रम चल रहा है। इसमें आधी सहायता भारत सरकार देती है और आधी सहायता प्रदेश सरकार की होती है। इस वर्ष, आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि भारत सरकार ने प्रदेश सरकार को 1 लाख 10 हजार 750 मीट्रिक टन गेहूं जो लगभग 25 करोड़ रुपये की लागत का है, मुफ्त दिया है। इसे हम इस योजना के साथ जोड़कर गरीब मजदूरों को देंगे। हमने आदेश दिया है कि गरीब मजदूरों को 4 किलो गेहूं दिया जाय और शेष उन्हें नकद भुगतान किया जाय। जो 4 किलो गेहूं दिया जायेगा, उसका दाम डेढ़ रुपये प्रति किलो होगा।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से आदरणीय सदन को बताना चाहता हूं कि इन मजदूरों को पहले साढ़े 8 रुपये प्रति दिन के हिसाब से मजदूरी दी जाती थी, लेकिन अब इस मजदूरी को हमने श्रम विभाग की राय से बढ़ाकर साढ़े ग्यारह रुपये देने का प्राविधान किया है। इसी तरह रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना भी इस प्रदेश में चल रही है, जिसके तहत शत-प्रतिशत सहायता भारत सरकार से मिलती है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि ग्रामीण अंचलों में

जो हमारे भूमिहीन मजदूर हैं, जिनके पास रोजगार के कोई साधन नहीं हैं, उन्हें साल भर में 100 दिन अवश्य काम मिले । आपको जानकर खुशी होगी कि इस योजना के तहत हमारे प्रदेश ने भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों की अपेक्षा सराहनीय काम किया है। इस योजना के तहत भारत सरकार ने हमें 1 लाख 35 हजार 750 मीट्रिक टन गेहूं उपलब्ध कराया है। इसमें हम मजदूरों को 40 प्रतिशत गेहूं और 60 प्रतिशत नकद भुगतान करते हैं। 40 प्रतिशत गेहूं जो दिया जाता है, वह भी डेढ़ रुपये प्रति किलो के भाव से दिया जाता है। इस तरह से उन्हें एक ओर तो सस्ते रेट पर गेहूं मिल रहा है और दूसरी तरफ एक सन्तुलित बाजार भाव रहेगा। 1986-87 में इस योजना का और विस्तार किये जाने पर विचार किया जा रहा है। भारत सरकार ने अगले वर्ष इस योजना के तहत 84.91 करोड़ रुपये नकद देने और 1 लाख 76 हजार 850 मीट्रिक टन गेहूं देने का संकेत दिया है।

माननीय, ग्रामीण अंचलों में हमारा जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम एकीकृत ग्राम्य विकास योजना है, उसी कार्यक्रम की एक पूरक योजना महिलाओं और ग्रामीण अंचलों में रहने वाले बच्चों के उत्थान के लिए चलायी जा रही है। यह योजना इस समय 5 जिलों में चल रही है। ये जिले हैं, इटावा, बांदा, सुल्तानपुर, देवरिया और बस्ती। हर जिले में 4-4 ब्लाक लिये गये हैं। हमने इस बार यह प्रस्ताव किया है कि हम इन जिलों में 4-4 ब्लाक और लेंगे। इस वर्ष इस योजना को 5 नये जनपदों में चलाने के लिए हमने एक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है।

माननीय, 1985-86 में हमने 400 महिला समूहों को संगठित किया और 8846 महिलाओं को इससे लाभ हुआ । 1986-87 में इसे बढ़ा कर 600 महिलाओं के समूहों को संगठित करने का प्रस्ताव किया है और बजट में हमने इसके लिये 20 लाख रुपये का प्राविधान भी किया है ।

[2 बजकर 20 मिनट]

आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको हम आवास की भी सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं और भारत सरकार से ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के तहत पिछले वर्ष हमको 16 करोड़ 97 लाख रु0 की योजना स्वी[illegible], जिसके तहत ग्रामीण अंचलों में इस समय निर्माण कार्य हो रहा है। इस साल के अन्त तक 18,346 आवास निर्मित हो जायेंगे। यह आवास जो बन रहे हैं, 6 हजार रु0 की लागत से इनका निर्माण हो रहा है। यह 6 हजार रु0 जो व्यय कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ हम अवस्थापना पर प्रति आवास 3 हजार रु0 और व्यय कर रहे हैं। जहां 5-6 आवास एक साथ बनेंगे, वहां पर खड़ंजा, कुंए का भी इन्तजाम हो सकता है । इस प्रकार 3 हजार रु0 प्रति आवास के हिसाब से अवस्थापना पर खर्च कर रहे हैं । चूंकि आम लोगों की और मा0 सदस्यों की यह राय रही है कि ऐसे जो कार्यक्रम चलाये जाते हैं, इसको सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से न चलाया जाय। जो लाभार्थी हैं, उनको सीधे पैसा दे

दिया जाय। वे अपनी योजनाओं को स्वयं चलायें तो अच्छा चला सकते हैं। इस दृष्टि से इस योजना के अन्तर्गत आवास का रुपया सीधे लाभार्थी को दिया जा रहा है। विकास खण्डों में तैनात जूनियर इन्जीनियर तकनीकी देख-रेख करेंगे। इस योजना से हम समझते हैं कि गरीबों को राहत मिलेगी और लाभ होगा। हमने वर्ष 1986-87 के लिये 17.51 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है जिससे निर्बल वर्ग के लोगों को मकान की सुविधा उपलब्ध करा सकें।

इसके साथ ही साथ बहुत बड़ी आवश्यकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता भी लायी जाय, सेनीटेशन की व्यवस्था भी की जाय। इस दृष्टिकोण से सुगम शौचालय की व्यवस्था करने के लिये वर्ष 86-87 में हमने 1 करोड़ 6 लाख रु0 का प्रस्ताव किया है, जिसके जरिये 8830 शौचालयों का निर्माण आर0 एल0 जी0 ई0 पी0 के अन्तर्गत किया जायगा। यह योजना जो हम चला रहे हैं, इसको पंचायत राज विभाग से चलाना चाहते हैं। अन्य सरकारी कर्मचारियों को इस योजना को न देकर पंचायत राज के जो अधिकारी हैं, जिनका संबंध ग्रामीण अंचलों से है, प्रधान से है, उनके माध्यम से इसको चलायेंगे तो ज्यादा लाभ ग्रामीण अंचलों को दे सकेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

25 मिनट आपको हो चुके हैं, आप कितना समय और लेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय –

बस मान्यवर, 10-15 मिनट और सामाजिक वानिकी का भी कार्यक्रम चल रहा है। सभी माननीय सदस्य इसको जानते हैं कि 85-86 में करीब 1740.64 हैक्टेयर में जनवरी, 1986 तक सामाजिक वानिकी का कार्यक्रम हुआ है। वर्ष 86-87 में ग्रामीण भूमि हीन रोजगार गारण्टी योजना तथा रास्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में 25,000 हैक्टेयर में वन लगाने की योजना है।

स्कूल भवनों के संबंध में अभी पिछले दिनों सदन में चर्चा हुई कि 18 हजार ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं जो भवन हीन हैं। इस पर भी हमने चाहा है कि अगले वित्तीय वर्ष में 1800 स्कूल भवनों के निर्माण के लिये एक सेक्टोरियल योजना आर0 एल0 जी0 ई0 पी0 की बनायी जाय, जिस पर 14.27 लाख रु0 खर्च होने का अनुमान है। इस योजना में मान्यवर, 8 करोड़, 56 लाख रुपया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराया जायेगा, बाकी जिला योजना से प्राप्त करना होगा। इस संबंध में मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि जिला योजना जब बनने लगे तब माननीय सदस्य जागरूक रहें। जिला योजना में जितना धन जिला स्तर पर आप उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे तो उसका डेढ़ गुना रुपया आर0 एल0 डी0 पी0 योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराया जा सकेगा।

आज इस बात की भी आवश्यकता है कि ग्रामीण अंचलों में जो हमारे कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं जैसे कि ग्राम्य विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, इन सबके लिये कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर वह रहकर अपनी योजनायें चला सकें, बैठकें कर सकें या रह सकें। इसके लिये हमने निश्चय किया है कि त्राप पंचायत स्तरों पर एक सामुदायिक विकास केन्द्र की स्थापना की जाय। जहां पर हमारे ग्रामीण लोग, मजदूर अपनी

बैठक कर सकें और विकास कार्यों पर ध्यान दे सकें। इसके अलावा ग्राम्य विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी वहां पर रह सकें।

हम चाहते हैं कि ग्रामीण इलाके में जो कर्मचारी कार्य करते हैं, उनका एक केन्द्र बने और कम से कम उस केन्द्र पर वे कर्मचारी जरूर उपलब्ध रहें जनता के लिये सप्ताह में वे दिन, बाकी तो गांवों में तथा ब्लाक में जायेंगे लेकिन वहां कम से कम दो दिन अवश्य उपलब्ध रहें। इसके लिये इस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत हर विकास खण्ड में दो न्याय पंचायतों पर हम सामुदायिक विकास केन्द्र की स्थापना करने जा रहे हैं, इसमें आप सबका सहयोग आवश्यक है।

इसी तरह से ग्रामीण सड़कों पर भी हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। 1990 तक 1500 से अधिक आबादी वाले सभी ग्रामों को मुख्य सड़क से जोड़ दिया जायेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने निश्चय किया है कि सन् 1990 तक एक हजार से पन्द्रह सौ तक की आबादी के जो गांव हैं उन सभी को मुख्य सड़क से जोड़ दिया जायेगा। इसके लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 और सेक्टोरल योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण कार्य हो।

श्रीमन्, इस वर्ष हमने लघु और सीमान्त कृषकों के लिये जो विभिन्न कार्यक्रम चलाये हैं उनसे तो आप अवगत ही हैं, लेकिन मैं फिर भी यह बतलाना चाहूंगा कि 1985-86 की जो फ्री बोरिंग की स्कीम थी, यह स्कीम बहुत ही क्रान्तिकारी साबित हुई है। सन् 1985-86 में इस स्कीम का लक्ष्य था 46,900 लेकिन फरवरी के महीने तक इस स्कीम के अंतर्गत 49,417 फ्री बोरिंग इस प्रदेश में करायी जा चुकी हैं, जो कि अपने लक्ष्य से आगे रही हैं। मान्यवर, इस योजना को हमने अगले वर्ष बड़े पैमाने पर और तेजी के साथ लागू कराने का प्रस्ताव रखा है? और इससे हम यह उम्मीद करते हैं कि जो हमारे लघु और सीमान्त कृषक हैं उनको खेती की उपज बढ़ाने में काफी सहायता मिलेगी और लाभ मिलेगा। मान्यवर, अभी कई विकास खण्ड ऐसे हैं जो भवनहीन हैं। बहुत से विकास खण्ड ऐसे हैं जहां पर भवन तो है लेकिन वह अच्छी हालत में नहीं है इसके लिए मान्यवर, इस योजना में प्राविधान किया गया है, 5 करोड़ 68 लाख 97 हजार रुपये का। इस रुपये से जो भवन हीन विकास खण्ड है, उसमें हम भवन उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे और जिनकी हालत खराब है, उसको भी सुधारेंगे। मान्यवर, बहुत से विकास खण्डों में जीप नहीं है और बहुत से ऐसे हैं जहां जीप है लेकिन वह जर्जर हो गयी है, कंडम हो गयी है, चालू हालत में नहीं है, उसकी भी व्यवस्था की गयी है। 17 नयी गाड़िया क्रय करके जहां पर जीप नहीं है, देंगे जिनकी जीप खराब है वहां 150 जीप खरीदकर देंगे और उनको बदलवाने का प्रयास करेंगे।

श्रीमन्, पंचायत संस्था का हम सुधार करने का प्रयास कर रहें है। अभी हमारा सामाजिक वानिकी का कार्यक्रम प्रदेश में चल रहा है। हमने यह निर्देश दिये है कि हमारी पंचायतें आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 और एन0 आर0 ई0 पी0 के अंतर्गत सामाजिक वानिकी की योजना बनायें। जो हमारे ग्राम सभाओं में बहुत से तालाब है, उनको उन्हें गहरा करना चाहिए और उन्हीं तालाबों में वृक्षारोपण करके सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को अपने हाथ में लेना चाहिए। इसके साथ-साथ

मत्स्य पालन का भी कार्य हो सकता है। एक तरफ हमारी जो परिसम्पत्तियां है उनका परिसृजन होगा और मछली पालन से उनको लाभ मिलेगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी। इसलिए हमने निर्देश दिये है कि इस परियोजना को हमारी पंचायतें अपने हाथ में लें और इस काम को आगे बढ़ावे ।मान्यवर, जो स्कूल भवन जर्जर अवस्था में है, पिछले कई वर्षों से उनकी मरम्मत नहीं हो रही थी। यह प्रथम वर्ष है कि उनकी मरम्मत का कार्य ग्राम सभाओं के माध्यम से, पंचायतों के माध्यम से शुरू किया जायेगा। और इसमें सूखा राहत कार्य के मद से 10 करोड़ रुपये व्यवस्था की गयी है और राज्य की तरफ से 3.16 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इस वर्ष 8 हजार प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूलों की मरम्मत हो जायेगी। और हमे आशा है कि मरम्मत का कार्य मार्च, 1986 तक पूरा हो जायेगा और इस व्यवस्था को बराबर चालू करने का प्रयास किया जा रहा है। जिससे प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूलों के जो भवन है, वह अच्छी हालत में आ सकेंगे।

पंचायत भवनों के लिए भी मान्यवर, मरम्मत की आवश्यकता थी। इसके लिए भी 84 लाख रुपया जो केन्द्रीय बाढ़ सहायता से मिला था, इससे 1443 पंचायत भवनों की मरम्मत का कार्य अपने हाथ में लिया गया है और कार्य हो रहा है। यूनीसेफ के जरिये जो सहायता मिलती है, 12 जनपदों में शौचालयों के बनाने का कार्यक्रम भी इस विभाग द्वारा किया जा रहा है। एक कार्यक्रम, जिसकी बहुत आवश्यकता थी और माननीय सदस्य भी उस पर जोर देते रहे हैं कि ग्रामीण अंचलों में जो हैंड पम्प लग रहे हैं उनकी मरम्मत की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस वर्ष सरकार ने निर्णय लिया है कि उनकी मरम्मत ग्राम सभाओं के माध्यम से करायी जायेगी और 150 रुपये प्रति हैंड पम्प हम ग्राम सभाओं को उपलब्ध करायेंगे जिससे वे इन हैंड पम्पों की मरम्मत कर सकेंगे। . .(व्यवधान) ऐसा नहीं कहना चाहिए, जन प्रतिनिधि वे भी हैं और हम लोग भी हैं। उन्हें बेईमान नहीं कहना चाहिए। वह भी जनप्रतिनिधि हैं। इसीलिए हमने सोचा कि कर्मचारियों के बजाय जन-प्रतिनिधि (प्रधान) के माध्यम से यदि हम यह काम करायें तो वे ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं।

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि जो विद्युतीकरण का कार्य गांवों में हो रहा है, बिजली की लाइन खिंचने के बाद उसमें बल्ब की व्यवस्था गांव वाले नहीं कर पाते थे। इसके लिये भी हमने निर्णय लिया है कि गांवों में बल्ब लगाने के लिये धन हम सीधे प्रधान को उपलब्ध करायेंगे और वह उस धन से बल्ब की व्यवस्था करेगा। (मेजों की थपथपाहट)

इसके अतिरिक्त पंचायत उद्योग को भी हम सुदृढ़ कर रहे हैं और इसके लिये 1986-87 में इन पंचायत उद्योगों को प्रबन्धकीय सहायता हेतु 9.43 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है और 16.90 लाख रुपये कार्यशाला भवनों के लिये प्रस्ताव किया गया है । इस तरह से हम चाहते है कि जो पंचायत उद्योग ग्रामीण अंचलों में हैं वे भी सुदृढ़ हों। इससे औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा और लोगों को रोजगार के अवसर भी सुलभ हो सकेंगे इसलिये हमने यह निर्णय लिया है। श्रीमन्, पिछले कई वर्षों से ग्रामीण अंचलों में सड़कों का निर्माण हो रहा है। बहुत सी सड़कें ग्राम पंचायत बना रही है, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा बना रही है, जिला परिषद बना रही है लेकिन उसके निर्माण के बाद उसके अनुरक्षण की अभी तक कोई

व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, उसके लिये इस पहले वर्ष हमने 11 करोड़ 38 लाख रुपये की व्यवस्था की है। जिसके माध्यम से हम इन सड़कों के रख-रखाव का काम करेंगे ताकि ये सड़कें मेनटेन रहें ।

एक दूसरा जो निर्णय लिया गया है, वह यह है कि ग्रामीण अंचलों में ब्लाक प्रमुखों का बहुत बड़ा महत्व है। उनको अब तक 3 रुपया प्रति दिन भत्ता दिया जाता है, उसे हमने 200 रुपये प्रतिमाह नियत भत्ता देने की व्यवस्था कर दी है । जिससे जो जन-प्रतिनिधि हैं, वे इस प्रतिष्ठामूलक धन प्राप्त करने के साथ-साथ अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभा सकें।

मान्यवर, यह जो हमारे सारे कार्यक्रम ग्रामीण अंचलों में चल रहे हैं वे ठीक से चलें, उसके लिये जनता के सहयोग की आवश्यकता है, जन-प्रतिनिधियों के सहयोग की आवश्यकता है और उसी के साथ-साथ जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं, इनको भी ईमानदार और निष्ठावान होना चाहिए। जो अधिकारी और कर्मचारी अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का निश्चय किया गया है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष हमने 32 खण्ड विकास अधिकारियों को निलम्बित किया और 33 खण्ड विकास अधिकारी ऐसे हैं जिनके खिलाफ जांच चल रही है। खण्ड विकास अधिकारियों के अतिरिक्त प्रथम श्रेणी के दो प्रोजेक्ट डायरेक्टर और एक जिला विकास अधिकारी को भी सस्पेंड किया गया, जिनकी संख्या 3 है।

आई० ई० एस० विभाग की बड़ी शिकायतें होती रहती हैं कि काम ठीक नहीं हो रहा है। हमने पूरा प्रयास किया इस विभाग की जो ख्याति ठीक नहीं है, उसे अच्छे रास्ते पर लाया जाय। इसके लिए शासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया और जहां-जहां भी शिकायतें आयीं, उनकी जांच करायी और जब भी माननीय सदस्य शिकायतें देंगे कि यहां पर गोलमाल या अनियमितता हो रही है, उसकी जांच कराकर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे। जो शिकायतें आयीं उसके आधार पर एक अधिशासी अभियन्ता, 4 सहायक अभियन्ता और 14 जूनियर इंजीनियर्स को निलम्बित किया गया है। इसके साथ-साथ 8 अवर अभियन्ता जिनके खिलाफ शिकायतें थीं, सेवा से निकाल दिया गया है और करीब 12 अधिशासी अभियन्ता, 18 सहायक अभियन्ता, जिनके खिलाफ शिकायतें थीं, को चेतावनी दी गयी। कुछ अधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही है। तो इस तरह से विभाग को स्वच्छ बनाने के लिए ईमानदारी और निष्ठा से काम करने के लिए भी शासन जागरूक है और कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने के लिए तैयार है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे इस बजट को पास करें।

(मेजों की थपथपाहट तथा श्री सरदार सिंह के कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये खड़े होने पर)

एक सदस्य–

अब इसमें कटौती की बात कह रह गयी है ?

श्री अधिष्ठाता–

शांत रहिये। माननीय शर्मा जी कृपया शांत रहिये।

श्री सरदार सिंह–

शांति से सुनिये जरा उसके बाद विचार करेंगे ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य – विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 19–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैंने बड़ी शांति से माननीय मंत्री जी की बात सुनी और अपने उन लोगों के सम्बन्ध में जो देहात में रहते हैं, जो बहुत बड़ी संख्या में हैं, उनके संबन्ध में मुझे उम्मीद थी कि हमारे नये युवा प्रधान मंत्री ने जो घोषणा की है कि हम देश को 21वीं सदी में ले जायेंगे, उसके अनुरूप हमारे माननीय मंत्री जी भी कुछ ऐसी योजनायें और कार्यक्रम लायेंगे जिससे उन दबे हुए दरिद्रनारायण को जो सदियों से सताये जा रहे हैं को इस बजट से कुछ प्रकाश मिलेगा लेकिन उनके कल्याण के लिए कोई योजना नहीं बताई गयी है।

मान्यवर, जो पैसा इन्होंने दिया है वह ऊंट के मुंह में जीरा के समान है और वह पैसा इतना कम है कि जिससे कोई विकास नहीं होगा। जो राजीव गांधी ने कहा है कि देश को इक्कीसवीं सदी में वह ले जायेंगे, दिवास्वप्न है। मान्यवर, प्रदेश की 82 प्रतिशत जनता आज गांवों में रहती है। महात्मा गांधी जी के शब्दों में असली भारत देहातों में रहता है, और उसके विकास के लिये उन्होंने कहा था कि जब तक गांवों का विकास नहीं होगा तब तक हमारे देश का विकास नहीं होगा। मान्यवर, पं0 जवाहर लाल नेहरु ने भी कहा था कि ग्रामीण विकास के लिए तीन चीजों का विकास और मजबूत होना जरूरी है जैसे (1) सहकारिता, (2) स्कूल और (3) शिक्षा। जब तक यह तीन चीजें गांवों में मजबूत नहीं होंगी तब तक असली और स्वस्थ प्रजातंत्र नहीं होगा। मान्यवर, इसी का डा0 राममनोहर लोहिया और बाबू जय प्रकाश जी ने समर्थन किया था और कहा था कि जब तक गांवों को हम आगे नहीं बढ़ायेंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ पायेगा। चौधरी चरण सिंह का कहना है कि देश को समृद्धि की ओर ले जाने का रास्ता गांवों से गुजरता है। इसलिये जब तक देहात नहीं उठेंगे तब तक देश नहीं उठेगा। मान्यवर, इसी असली भारत की ग्रामीण समस्या को दूर करने के लिये 1952

में भारत सरकार के स्तर पर ग्राम्य विकास विभाग को आरम्भ करने का निर्णय भारत सरकार ने लिया था। गांवों को आगे कैसे बढ़ायेंगे इसके लिए 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी की राय के अनुसार पंचायत राज विभाग का गठन किया गया था। जिसका यह उद्देश्य था कि ग्रामीण समाज का सरकारी गतिविधियों में सहयोग बढ़े ताकि स्वस्थ प्रजातंत्र की कल्पना पूरी हो।

मान्यवर, गांवों की मूलभूत समस्यायें बिजली, पानी और शिक्षा को किस तरह सुधारा जाये, जिससे हमारे लोग जनतंत्र में भाग ले सकें और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें।

मान्यवर, मंत्री जी ने अभी कहा था कि हम योजनायें छोटे, गरीब, कमजोर, पिछड़े, जनजाति और अनुसूचित जातियों के जो लोग हैं, जो लघु सीमान्त कृषक हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिये और उनके उत्थान के लिये चालू कर रहे हैं और देश एवं प्रदेश को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मान्यवर, इनकी पार्टी के केन्द्र के मंत्री नरसिंह राव जी की टिप्पणी है। एक मार्च को रुड़की विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि "यह अफसोस की बात है कि देश में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अब भी रोटी, कपड़ा, मकान, स्कूल, शिक्षा और चिकित्सा सुविधा जैसी मूलभूत चीजें नहीं मिल रही हैं। यदि इस शताब्दी में यह समस्यायें दूर नहीं होंगी तो इसका समाधान और मुश्किल हो जायेगा।" यह आपके मंत्री की टिप्पणी है। मैं तो कह रहा हूं कि आज प्रदेश के गरीबों की स्थिति भयावह है।

आज इस विभाग पर चर्चा कर रहे हैं। यह महत्वपूर्ण विभाग है, इसलिये गम्भीरता से उन सभी समस्याओं पर विचार करना चाहिए, जो प्रदेश के सामने खड़ी हैं। पहले और आज भी जो भयावह स्थिति है उसका तुलनात्मक, शहरों और गांवों में कितना फर्क है गरीबी में उसके सम्बन्ध में, आंकड़े देना चाहता हूं। मान्यवर, 1981 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की जनसंख्या 11.08 करोड़ है जिसमें 9.03 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र और 2 करोड़ 5 लाख शहरी क्षेत्र में आबादी निवास करती है। प्रदेश की 82 प्रतिशत आबादी न केवल भयंकर गरीबी से पीड़ित है बल्कि तुलनात्मक रूप से उसकी स्थिति बद्दतर है। नेशनल काउंसिल आफ एप्लाईड इकोनामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा आय के बारे में किये अध्ययन का निष्कर्ष मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके निष्कर्ष इस प्रकार हैं। इसमें परिवार को इकाई माना गया है और ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या का अलग अलग प्रतिशत दर्शाया गया है। जिन लोगों की आय एक साल में 3500 से कम है, उनका ग्रामीण प्रतिशत 62.36 प्रतिशत है और शहरी जनसंख्या का 30.96 प्रतिशत है। उसी प्रकार 3500 और एक हजार के मध्य की आय वालों में, ग्रामीण जनसंख्या का 32.69 प्रतिशत है और शहरी जनसंख्या का 51.43 प्रतिशत है। 1000 से ऊपर वालों में ग्रामीण जनसंख्या का 4.95 प्रतिशत है और शहरी जनसंख्या का 17.61 प्रतिशत है। इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि गांवों ने क्या तरक्की की है। उससे आगे रिपोर्ट में है—"स्पष्ट है कि ग्रामीण समाज के 62 प्रतिशत परिवार भयंकर गरीबी में

दिन बिता रहे हैं। इस अध्ययन के यह भी निष्कर्ष थे कि गांव में एक परिवार की औसत आय 3900 रु0 है जबकि शहरी परिवार की 7100 रु0 । 77 प्रतिशत ग्रामीण ऐसे हैं, जिनकी वार्षिक आय 4800 रुपये से कम है, जबकि शहर में ऐसे परिवार 47 प्रतिशत हैं। 1200 रु0 प्रति वर्ष आय वाले 96 प्रतिशत परिवार ग्रामीण क्षेत्र से हैं । वर्ष 70-71 की मूल्य सूची पर ग्रामीण क्षेत्र की आय 1950-51 में 283·20 रु0 से बढ़कर अब 390·00 हुई है। जबकि शहरी क्षेत्र में 349 से बढ़कर 670 रु0 हो गई है। साफ है कि आय की यह विषमता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।''

इससे नतीजा निकलता है कि आज भी कितनी भयंकर स्थिति गांवों में रहने वाले लोगों की है। वह भूखों मर रहे हैं। यह शर्म की बात है कि जब आप सुनते हैं कि वह गरीब लोग आज भी गोबर से अनाज के दाने निकाल कर खाने के लिए विवश हो रहे हैं और पत्तों की छाल खाने के लिए मिर्जापुर और देवरिया के गरीब ग्रामीण लोग विवश हो रहे हैं। सुविधाओं के मामले में भी विषमता है। मैं उस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, आम आदमी की आवश्यकताएं हैं अच्छी शिक्षा, पोषक आहार, पीने के लिए स्वच्छ पानी, जीविका के लिए रोजगार तथा स्थानीय स्तर पर विकास कार्यक्रम में साझेदारी। इन सभी क्षेत्रों में ग्रामीण जनजीवन के साथ लगातार अन्याय हुआ है। आज आजादी के 38 वर्ष बाद भी, आजादी का प्रकाश ग्रामीण जनता को नहीं मिला है। हो सकता है वह प्रकाश दिल्ली, लखनऊ, पटना, जयपुर आदि शहरों में हो, लेकिन ग्रामीण जनता आज भी दरिद्रता से दबी हुई है।

अब शिक्षा के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा मानव का चरित्र बनाती है, उसमें तरक्की की भावना पैदा करती है और उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होता है।

एक सदस्य–

श्रीमन्, इनके भाषण को पढ़ा हुआ मान लिया जाए। इसकी प्रतियां बंट चुकी हैं, हम लोगों को वह मिल चुकी है।

श्री सरदार सिंह–

यह तो मंत्री जी का कहना है। शिक्षा का हाल यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में 100 विद्यार्थी जो कक्षा 1 में प्रवेश लेते हैं उनमें से केवल 23 कक्षा 8 पास कर पाते हैं । जो कक्षा 8 पास करके आगे बढ़ाते हैं, उनमें से केवल 8 कक्षा 10 की परीक्षा पास कर पाते हैं । तकनीकी और उच्च स्तर की शिक्षा में ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति तो और भी बदतर है। तीसरी अखिल भारतीय शिक्षा संस्था की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक विषमताएं हैं। मान्यवर, इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में देहात के विद्यार्थियों का प्रतिशत बहुत कम है और शहरी क्षेत्रों के विद्यार्थियों का प्रतिशत बहुत अधिक है। शिक्षा के क्षेत्र में मैं तुलनात्मक आंकड़े आपके समक्ष रखना चाहता हूं । मान्यवर, जूनियर टेक्निकल शिक्षा में 13 प्रतिशत विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र के हैं और 87 प्रतिशत विद्यार्थी शहरी क्षेत्र के हैं। पालीटेक्निक में 16 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी हैं और 84 प्रतिशत शहर के छात्र हैं। कला विज्ञान कालेज में 20 प्रति-

शत देहात के छात्र हैं और 80 प्रतिशत शहर के छात्र हैं। इंजीनियरिंग कालेज में 20 प्रतिशत विद्यार्थी ग्रामों के हैं और 80 प्रतिशत विद्यार्थी शहर के हैं। जो आपके चिकित्सा क्षेत्र में, मेडिकल कालेजों में विद्यार्थी हैं, उसमें 7 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के हैं और 93 प्रतिशत शहर के छात्र हैं। इसी तरह से कृषि शिक्षा में 33 प्रतिशत गांवों के विद्यार्थी हैं और 67 प्रतिशत शहर के हैं। अगर कुल टोटल देखा जाय तो शिक्षा में 16.6 प्रतिशत देहात के छात्र हैं और 83.4 प्रतिशत शहर के छात्र हैं। गांवों में यह आपकी शिक्षा है।

आपको राज्य करते हुए 38 साल हो गये और आज जो शिक्षा का स्तर गांव में है वह आप देख लें। आप देहातों की बड़ी चर्चा करते हैं, वहां पर शिक्षा का प्रतिशत 16.6 और शहर का प्रतिशत 83.4 है। तो यह हमारा कृषि प्रधान और ग्राम-प्रधान देश है। गांधी जी के सपनों की पूरा करने की बात मंत्री जी ने कही और गांवों की यह दशा है तो यह आपके लिये शर्म की बात है। अगर महिलाओं का प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र में लिया जाय तो उनका प्रतिशत नगण्य है। पुराने जमाने में, 38 साल पहले हमारी देहातों की महिलायें गोबर ढोती थीं और अपने सिर पर कूड़ा ले जाती थीं। माननीय, आज भी वही स्थिति है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आपके अधिकारी जो आपको आंकड़े दे देते हैं, वही आप लिख देते हैं। देहात की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। माननीय, उत्पादन बढ़ा है। किसान ने मेहनत की जिससे उत्पादन बढ़ा लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में आपने इतना पैसा भी दिया फिर भी उद्योग घाटे में हैं। मैं पौष्टिक आहार की बात कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सरदार सिंह जी. 15 मिनट हो गये हैं, आप और कितना समय लेंगे?

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, 20 मिनट लूंगा।

श्री अधिष्ठाता–

समय के अंदर समाप्त करें।

श्री सरदार सिंह–

माननीय, मैं गांवों की हालत बता रहा हूं कि वहां की हालत क्या है। यह तो 82 फीसदी आबादी का बजट है। इसके लिये आप समय दें। माननीय, आर्थिक समीक्षा 1984-85 के अनुसार 1960 के दशक में ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति, प्रति वर्ष औसत खपत 163.2 कि0 ग्राम थी। 1970 के दशक में 163.00 कि0 ग्राम रह गयी और 1980 के दशक में, 5 वर्षों में 163.2 कि0 ग्राम है। तो इससे स्पष्ट है कि आम आदमी के पोषण में कोई उन्नति नहीं हुयी है। ग्रामों में दरिद्रता व्याप्त है। वहां लोगों को संतुलित आहार नहीं मिलता है, दूध, फल की बात कौन कहे। इसी तरह से स्वास्थ्य के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में शिशु मृत्यु दर दुनिया के सभी देशों से ज्यादा है। 136 शिशु प्रति 1000 शिशुओं में देहात में मर रहे हैं और शहरों में 70 शिशु प्रति हजार मर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 8500 की जनसंख्या पर एक बेड है और शहर में साढ़े तीन सौ की जनसंख्या पर एक बेड है। इसी तरह से देहात में 3 लाख की आबादी पर एक अस्पताल है और शहर में 35 हजार की आबादी पर एक अस्पताल है।

इसी प्रकार इनकी ही रिपोर्ट के अनुसार पेयजल की व्यवस्था है। शहर

में 95 फीसदी लोगों के लिए पाइप लाइन की व्यवस्था है और गांवों में 5 प्रतिशत के लिए है। इसी प्रकार कृषि में बिजली की व्यवस्था 18.5 प्रतिशत है जबकि यह उनसे पैसा ज्यादा ले लेते हैं। इसी प्रकार 35 प्रतिशत ग्राम सड़कों से जुड़े हुए हैं। बैंकों से निर्धारित होने वाले ऋणों में कृषि का अंश 13.2 प्रतिशत है। इसमें भी सोचने की बात यह है कि किसानों की बकायेदारी कायम है और उसका नतीजा यह होता है कि आज गांवों में किसानों के पास जो ट्रैक्टर दिखाई दे रहे हैं, वह सारे के सारे जमा हो जायेंगे यदि बैंक अपना पैसा तुरन्त वसूलना शुरू कर दें। इसी प्रकार उर्वरकों की खपत अगर बढ़ती है तो देश तरक्की करता है और अगर उर्वरकों की खपत कम होती है तो देश की तरक्की कम होती है, कृषि के क्षेत्र में। 1965-66 और 73-74 के बीच यह वृद्धि पर औसतन 17.4 प्रतिशत थी। वर्ष 73-74 से 78-79 के बीच 12.5 प्रतिशत रह गई और 78-79 से 84-85 के बीच 8.5 प्रतिशत रह गई। इस प्रकार मान्यवर, हमारे प्रदेश में यह खपत पंजाब और हरियाना की तुलना में बहुत कम है। मान्यवर, खेती पर भार बढ़ता जा रहा है और खेत विखंडित होते जा रहे हैं। वर्ष 70-71 से 84-85 के बीच सीमान्त कृषकों की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसीलिए बेरोजगारी दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। सेवायोजन संगठनों में दिसम्बर, 84 तक 18.77 लाख लोगों का पंजीकरण था और यह दिसम्बर, 85 में 25.70 लाख हो गया है। यह तो जो शिक्षा पा रहे हैं, उनकी संख्या है लेकिन जो खेतिहर मजदूर हैं, बेरोजगार हैं, अशिक्षित हैं, उनकी संख्या तो वहां लिखी नहीं जाती है। यदि वह दिखाई जाय तो बहुत बड़ी संख्या बेरोजगार ग्रामीण लोगों की हो जायेगी। प्रदेश की विभिन्न राज्य स्तर की सेवाओं में ग्रामीण क्षेत्र का अनुपात बहुत कम है। एक लाख की आबादी से कम वाले शहर हैं उनमें 16.01 प्रतिशत और जो शहर 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले हैं उनमें 70.1 प्रतिशत लोग सेवाओं में हैं। जितनी भी शासन ने ग्रामीण विकास हेतु योजनायें बनाई हैं, उसमें ग्रामीण लोगों का अभाव है। सेवाओं में शहरी लोगों का बाहुल्य है, अतः शहरी लोग विकास में रुचि नहीं लेते हैं, और योजनाएं असफल हैं।

मान्यवर, इसी प्रकार गांव के लोगों को तो कहीं नौकरियों में लिया ही नहीं जाता है। माननीय मंत्री जी, आपके विभाग में सन् 80 से 82 तक जो नियुक्तियां हुई हैं वह बिल्कुल असंवैधानिक हुई हैं, जिसके संबंध में विधान सभा में दिन प्रतिदिन प्रश्न भी आये हैं। मान्यवर, इनके यहां जिसके पास इंजीनियर की डिग्री नहीं थी, उसको ही इन्जीनियर बना दिया गया। इनके यहां पर जो मेरिट्स से लड़के आये थे, उनको मेरिट से काट कर, नीचे के लोगों को ले लिया गया। ग्राम्य विकास विभाग ने तो इस सवैधानिक प्राविधान को ही छोड़ दिया। मथुरा में ए0 डी0 एम0 (प्लानिंग) ने 21 कर्मचारियों की मनमानी तरीके से नियुक्ति कर ली। जिलाधिकारी की बैठक में मैंने उनसे पूछा कि इन पदों का विज्ञापन नहीं किया गया और न ही सेवायोजन कार्यालय से ही इन पदों के लिए नाम मांगें गये, तो इन 21 कर्मचारियों को कैसे रख लिया गया, उन्होंने कहा कि इसका विज्ञापन मथुरा रेडियो स्टेशन से किया गया था।

सन्दर, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में सैकड़ों नियुक्तियां गैरकानूनी ढंग से की गयी हैं। भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में वर्ष 80 व 82 में तकनीकी सहायक और सहायक भू-गर्भ शास्त्री के पदों के लिए विज्ञापन से प्रार्थना-पत्र मंगाये गये, परन्तु उनमें से चयन न करके 82 में बैक डोर से नियुक्ति कर ली । जिन लड़कों ने प्रार्थना-पत्र दिये वे पत्र लिखकर इस मनमानी की ओर ग्राम्य विकास मंत्री जी से न्याय की भीख मांगते रहे। कोई फायदा नहीं हुआ। इसी विभाग में तकनीकी सहायक के पदों पर लोक सेवा आयोग से चयन के बाद सूची प्राप्त हुई। सूची में 18 क्रमांक पर लक्ष्मी चन्द की नियुक्ति कर दी गयी, क्योंकि वह पी0 ए0 का जान पहचान वाला था। 15 क्रमांक पर सुनील प्रकाश आज भी दर-दर की ठोकर खा रहा है। ये सभी विद्यार्थी ग्रामीण समाज के हैं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सरदार सिंह, पुनः आपको अवसर मिलेगा। आप अपनी बात दो मिनट में समाप्त करें।

श्री सरदार सिंह–

प्रदेश के विकास कार्यक्रम धन के सम्बन्ध में दोतरफा कमियों के शिकार हुये हैं। एक है ग्रामीण/कृषि क्षेत्र के लिए धन का कम आवंटन। हमारे विकास कार्यक्रम धन के आवंटन के संबंध में दोतरफा कमियों के शिकार हुए हैं। पहले बात तो यह रही कि केन्द्रीय सरकार ने प्रदेश के साथ समानेता के आधार पर न्याय नहीं किया । पिछली 6 पंचवर्षीय योजनाओं के आंकड़े इस प्रदेश की उपेक्षा के गवाह हैं । पहली योजना में पंजाब पर प्रति व्यक्ति 175 रु0 के हिसाब से व्यय किया गया, उत्तर प्रदेश के हिस्से में आए 25 रु0 प्रति व्यक्ति। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पंजाब का प्रति व्यक्ति व्यय 573 था और उत्तर प्रदेश का 269 रु0। छठी योजना में राष्ट्रीय औसत रहा 692 रु0। पंजाब को मिले 1179 रु0 प्रति व्यक्ति और उत्तर प्रदेश को 567 रु0 प्रति व्यक्ति। प्रदेश ने इसी आधार पर 7वीं पंचवर्षीय योजना के लिए मांग की थी 11800 करोड़ रु0 की और मिले 11000 करोड़ रु0। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि वर्ष 1990 के अन्त तक जब प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 886 रु0 होगी तो उत्तर प्रदेश की होगी 678 रु0 जबकि पंजाब होगा 3000 रु0 पर ।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी धन लगाया गया, उसमें से भी कृषि व ग्रामीण क्षेत्र पर कम लगा। छठीं पचवर्षीय योजना में ग्रामीण जन के विकास सम्बन्धी चार मदों कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास एवं विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रमों पर होने वाला व्यय कुल व्यय का 25.3 प्रतिशत था। अब 7वीं पंचवर्षीय योजना काल में यह केवल 22.00 प्रतिशत ही प्रस्तावित है। वर्ष 86-87 का बजट प्राविधान भी लगभग इतना ही है। ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए यह धन बहुत ही कम है। यह कैसी विडम्बना है कि श्री नारायण दत्त तिवारी सहित कई मुख्य मंत्री योजना आयोग से आबादी के आधार पर धन की मांग करते हैं, परन्तु उपलब्ध धन में से प्रदेश की 82 प्रतिशत आबादी के लिए 20 प्रतिशत ही धन प्रदान करते हैं।

मान्यवर, दूसरी बात कहना चाहूंगा कि कृषि उत्पाद मूल्यों के निर्धारण के बारे में। छठीं योजना काल में कृषि

उत्पाद मूल्य निर्मित उत्पाद के मूल्यों की तुलना में 10 से लेकर 20 प्रतिशत कम थे। परिणाम यह है कि प्रतिवर्ष 5 से 10 हजार करोड़ रुपये की आय कृषि क्षेत्र की निकलकर गैर कृषि क्षेत्र में चली जाती है। कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण की गति बहुत धीमी है क्योंकि कृषि मूल्य में 10–12 प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं हुई है।

श्री अधिष्ठाता–

इस तरह पढ़ना उचित नहीं होगा, यदि कोई चीज आपको देखनी है तो कागज में आप देख लें। यह संसदीय परम्पराओं के अनुकूल नहीं है।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, दो मिनट और दे दें। इसके विपरीत किसान को अन्य वस्तुएं खरीदने में अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। यह किसान का शोषण है। यहां तक कि यदि सरकार ने खाद्यान्न का निर्यात भी किया तो भी किसान को लाभ नहीं दिया। आर्थिक समीक्षा 1984-85 के अनुसार भारत ने 1983-84 में 2.4 लाख टन चावल विदेशों में बेचकर 140 करोड़ रुपया अर्जित किया अर्थात् चावल का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य 583 रुपये कुन्तल था।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया पढ़ें नहीं, आंकड़े भले ही देख लें।

श्री सरदार सिंह–

उस वर्ष भारत में किसानों के धान का सरकारी मूल्य 132 रु0 प्रति क्विंटल था, जो चावल में परिवर्तित होकर 211 रुपये कुन्तल बैठता है। भारत सरकार उन औद्योगिक पदार्थों पर तो अनुदान देती है, जिनका निर्यात किया जाता है। परन्तु किसानों को इस क्षेत्र में अनुदान देने के बजाय, उनके उत्पादों के मूल्यों को कम स्तर पर नियंत्रित करती है।

श्री अधिष्ठाता–

अभी आपको अवसर मिलेगा अब आप समाप्त करें। अब आप बाद में बोल लीजिएगा, आधा घंटा हो चुका है।

श्री सरदार सिंह–

अब मैं इनकी योजनाओं के बारे में जिक्र करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सरदार सिंह जी, बड़ी कृपा होगी। आप पढ़ते हैं तो दूसरे माननीय सदस्यों को कहने का अवसर मिलता है। आप दो मिनट में बात समाप्त करें। आधा घंटा कह चुके हैं।

श्री सरदार सिंह–

अच्छा पढ़ूंगा नहीं। माननीय मंत्री जी आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो रिजर्व बैंक की आपकी शाखा है, जो भारतीय योजना आयोग कार्यालय है, उसने जो समीक्षा की है। उनकी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि जो लाभग्रहियों को लाभ दिया गया है, जो चयन किए गये हैं, इसमें गलत तरीके से लोग आ गये हैं। जो गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले लोग थे उनको लोन नहीं दिया गया। जानवर खरीदा गया, एक भैंस खरीदी गई तो उसमें कई लोगों को लाभ दे दिया गया। उसके कुछ दिन बाद वह भैंस मर गई, जिससे कि गरीब लोगों को लाभ नहीं हुआ। (व्यवधान) मान्यवर, दो मिनट और दे दीजिए।

श्री अधिष्ठाता–

दो मिनट से तो ज्यादा हो चुका, जब से आपने कहा है।

श्री सरदार सिंह–

लघु सिंचाई के बारे में कहना चाहूंगा। लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिए रिग मशीन खरीद रहे हैं, जिसके लिए एक करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। एक तरफ सिंचाई विभाग और नलकूप निगम में बहुत सी रिग मशीन बेकार खड़ी हैं, दूसरी तरफ सरकार रिग मशीन खरीद रही है, तो यह पैसा आप बेकार कर रहे हैं। गत सत्र में जो आपके विभाग में अवर अभियन्ताओं के चुनाव में धांधली हुई थी, उसमें आपने शीतला शरण की जांच बैठाई। आप उस रिपोर्ट को बताने की कृपा करें कि कमेटी की रिपोर्ट क्या है? नहर समादेश क्षेत्र में जलप्लावन बढ़ता जा रहा है। अभी जो गांजर मार्च हुआ था सीतापुर जिले का, वह भी इसी संबंध में था। मेरे जिले में खारे पानी की समस्या है : हमारे यहां मांट ब्रांच गंगा नहर से जल प्लावन हो रहा है। इसकी तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इसी प्रकार मान्यवर, मैं न्याय पंचायतों के बारे में कहना चाहता हूं। न्याय पंचायतों का चुनाव नहीं हुआ, जिला परिषदों का गठन नहीं हुआ। मंत्री जी आपके विभाग को यह एक किताब है, इस पर लिखा है, न्याय पंचायतें इन उत्तर प्रदेश। हिन्दी हमारे राज्य की भाषा है, देहातों के लोग अशिक्षित हैं और आप अंग्रेजी में किताब छपवा रहे हैं।

इसी प्रकार मान्यवर, 83 में राजीव गांधी आये थे तो उन्होंने प्रधानों के लिए कुछ आश्वासन दिये थे। इन आश्वासनों का आज तक क्रियान्वयन नहीं हुआ है। प्रधानों को कोई अधिकार नहीं है। जिन लोगों ने अवैध रूप से जमीनों को दबा रखा है, जब लेखपाल और प्रधान लिखकर देते हैं तो आपका तहसीलदार पैसा लेकर उसको खारिज कर देता है। मान्यवर, इनके अधिकारी प्रमुख को परमुख कहने लगे हैं, जो दूसरे पर आधारित हो। प्रमुखों का कोई मान सम्मान नहीं है। मान्यवर, विकास अधिकारी यदि आई0 ए0 एस0 हो तो उसको सी0 डी0 ओ0 कहते हैं, पी0 सी0 एस0 अधिकारी हो तो उसको ए0 डी0 एम0 पी0 कहते हैं, बी0 डी0 ओ0 कैडर का हो तो उसको जिला विकास अधिकारी कहते हैं। एक ही कार्य के लिए अलग-अलग नाम हैं। इस पर आप विचार करें। आपने पिछले वर्षों में घोषणा की थी कि ग्रामीण विकास निदेशालय खोलेंगे लेकिन आज आपने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम स्तर के आपके कर्मचारी गांवों में नहीं रहते हैं। जब ग्राम सेवक नाम था तो सेवक था तब आपने उसका ग्राम विकास अधिकारी कर दिया। अब सेवा का भाव नहीं रह गया है। इस प्रकार यह योजनायें सफल नहीं हो सकती हैं। बी0 डी0 ओ0 का जब एक ही प्रकार का काम है तो इनके वेतन-मान में विसंगतियां क्यों है? कलेक्टर को विकास कार्यों से अलग करिये। आपके विकास कार्यों से प्रशासन की बू आती है, वह विकास का काम नहीं कर सकते हैं।

श्री अध्यक्षता–

आपका दो मिनट कितना बड़ा होगा?

श्री सरदार सिंह–

मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस पर सोचें, भारत के गांवों की स्थिति बड़ी भयावह हो गयी है।

श्री राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां– मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ग्रामीण विकास के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं ग्राम्य विकास मंत्री जी के प्रस्तावित बजट का समर्थन करता हूं और हमारे सम्मानित सदस्य सरदार सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका विरोध करता हूं। मैं आपकी खिदमत में यह अर्ज करूंगा कि सरदार सिंह जी ने जो इस वक्त इतना लम्बा भाषण दिया, उसी से यह बात जाहिर होती है कि इस बजट का कितना महत्व है। कितनी ज्यादा जनसंख्या हमारे यहां की इससे फायदा उठा रही है। यह भी सब जानते हैं उसके सिलसिले में कितनी दिलचस्पी है हमारी सरकार को कि इसके फायदे बढ़ते रहें। चाहे राष्ट्रीय भूमिहीन योजना हो, चाहे ग्रामीण मजदूर गारन्टी रोजगार योजना हो, चाहे एकीकृत ग्राम्य विकास योजना हो या जितनी और योजनायें हैं, ऐसी जो कि गरीबी के उन्मूलन के लिए चलाई जा रही हैं, उनका जो फायदा हुआ है, वह सब लोगों के ऊपर आशकार है, चाहे कबूल करें या न करें। यह सब जानते हैं कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या 51 प्रतिशत से घटकर 41 प्रतिशत हो गयी है। अब अगर कोई दूसरे साहब दूसरा आंकड़ा दें तो वह उनका अख्तियार है, लेकिन हकीकत अपनी जगह कायम रहेगी।

चन्द बातें मैं इस सिलसिले में अर्ज करना चाहता हूं। वह यह है कि उन योजनाओं को सफल बनाने के लिए, उनके क्रियान्वयन को बेहतर बनाने के लिए यह जरूरी होगा कि जो प्रतिनिधि हैं, ग्रामीण स्तर पर, चाहे ग्राम प्रधान हो या ग्राम सभा के लोग, उनको ज्यादा से ज्यादा इसमें भाग लेना चाहिये और इन योजनाओं में भागीदार होना चाहिये, ताकि जनता इन योजनाओं से अवगत हो सके। मैं इस बात का बहुत स्वागत करता हूं कि जो अभी मा0 मंत्री जी ने कहा कि रख-रखाव के सिलसिले में, आमदरफ्त के सिलसिले में, जो धनराशि दी गयी है, उसकी बड़ी आवश्यकता है। हम लोग जो काम करते हैं, हिन्दुस्तान में उसे हम बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं, लेकिन विदेशी मुल्कों से हमारा रखरखाव कम अच्छा रहता है। हम लोग रखरखाव की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। यह अच्छी बात है कि मंत्री जी ने घोषणा की है कि रखरखाव के सिलसिले में इतना धन देंगे और सम्पर्क मार्गों का रखरखाव करेंगे और निर्मित परिसम्पत्तियों का रखरखाव करेंगे। एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि जो संरचना या इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्राम्य विकास के लिए जरूरी है, उसमें यातायात, संचार, ऊर्जा और शिक्षा का बहुत महत्व होता है, इसलिये यातायात के लिए जितना भी रुपया दिया जाय, वह जरूरी है। सरदार सिंह जी कहते हैं कटौती करके एक रुपया कर दिया जाय, मैं कहता हूं कि यदि वास्तव में एक रुपया कर दिया जाय तो हम लोगों का क्या हाल होगा? चाहे यातायात हो, संचार हो या ऊर्जा, उसमें जो रकम रखी गयी है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं आपके माध्यम से यह अर्ज करना चाहता हूं कि जितने भी गांव हैं, उनको सबको सम्पर्क मार्गों से जोड़ दिया जाय। अगर यातायात आसान होगा तो हर किस्म की मुश्किल दूर होगी। हमारे ग्रामीण अंचलों में ईंधन की कमी जाहिर होती है। ऊर्जा की

कमी की समस्या पूरे हिन्दुस्तान में है। इस ओर सरकार ने काफी ध्यान दिया है। मैं इतना और कहना चाहूंगा कि वन विनाश को रोकने के लिए सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, सोलर एनर्जी प्राप्त की जाय और उसका प्रचार किया जाय और जितने विकास खण्ड हैं, उनके जरिये से ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रचार किया जाय कि इस ऊर्जा से कितनी सस्ती और अच्छी तरह से काम किया जा सकता है।

इस सिलसिले में एक चीज और अर्ज करना चाहूंगा कि शिक्षा के भवनों के लिए तो इतनी रकम दी गयी है प्राइमरी शिक्षा के लिए, यद्यपि यह शिक्षा का बजट नहीं है, लेकिन यह गांव के रहने वालों की बात है, लिहाजा इतना कहूंगा कि जो शिक्षा परम्परा-गत रही है, जिस तरह की रही है, उसको बदलकर ऐसा बदलाव लाना चाहिए कि जो तकनीकी हो और ऐसी बातें सिखानी चाहिए कि जो उनको रोजमर्रा की जिन्दगी से ताल्लुक रखती हों। या किसी ऐसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाय जिसमें पुराने हुनर और नयी तकनीक को साथ जोड़कर एक ऐसी सूरत पैदा की जाय जिससे उन सबका फायदा भी हो और बेरोजगारी भी दूर हो सके। मान्यवर, ग्रामोद्योग के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्हें सेल्फ सफिशियेंट बनाया जाय ताकि उसमें उनका फायदा भी हो और लोगों को नौकरी भी मिले। मान्यवर, विज्ञान और तकनीक की बड़ी अहमियत है। यदि यह नयी तकनीक और वैज्ञानिक तरीके गांव-गांव तक पहुंचाये जायं, उनका प्रचार प्रसार किया जाय, तो निश्चित रूप से ग्रामवासियों को इससे इतने फायदे होंगे कि जिसका कोई शुमार नहीं हो सकता है। अलावा इसके सामाजिक समानता, समता, एकता, सद्भावना वह सब बेहतर होगी। इस दृष्टिकोण से इसके कितने फायदे होंगे मान्यवर, यह सब समझ सकते हैं।

मान्यवर, अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश में एक रूरल टेक्नोलोजी विकास बोर्ड की स्थापना की जाय। मान्यवर, जो नयी टैक्नीक वैज्ञानिक लेबोरट्रीज में एक्सपेरीमेन्ट आदि करके डेवलप करते हैं, उसमें सम्पर्क न होने की वजह से वह चीजें अलग-अलग रहती हैं। वह इस रूरल टेक्नालाजी बोर्ड के जरिये से, ग्रामीण अंचलों में प्रसार प्रचार की जाए, और हर तरह से उसमें प्रगति की कोशिश की जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया कि मैं ग्रामीण विकास बजट के बारे में आपके माध्यम से सदन के समक्ष चन्द बातें कह सकूं।

*श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने एक अच्छा शब्दजाल पंचायतीराज बजट के रूप में प्रस्तुत किया है। मान्यवर, मंत्री जी पेशे से वकील हैं, वे किसी अच्छी या बुरी बात को तर्क पूर्ण ढंग से रखना चाहते हैं। विद्वान हैं लेकिन चूंकि यह शहरों में पले बढ़े, इसलिए गांवों की तकलीफों के साथ इतना नजदीक का इनका रिश्ता नहीं है। मान्यवर, यह भावना का प्रश्न नहीं है, अनुभूति का प्रश्न है। गांवों के कष्टों को यदि समझे होते, तो अपने इस बजट में कोई नई चीज पेश करते, जिससे कि गांव के दर्द को मिटाने में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हम एक कदम आगे बढ़ पाते। मान्यवर, यह सारी योजनायें सहज कागजों में बन कर रह गयी हैं, उन योजनाओं का कितना लाभ इन ग्रामीण अंचलों को मिल रहा है, यह चिंता का विषय है? एकीकृत ग्राम्य विकास योजना हो, रोजगार गारंटी योजना, ट्राइसेम योजना हो, इसका कितना लाभ गांव के लोगों को मिल रहा है, कितने परिवार इससे लाभान्वित हुए हैं, क्या कभी इसका मानिटरिंग करने का या दोबारा देखने का काम किया है? जिन परिवारों को यह सुविधा उपलब्ध करायी गयी हैं, क्या उन परिवारों को सही मायने में जीविका मिल सकी है? क्या वे सब स्वावलम्बी हो सके हैं? मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि वे गरीब लोग इन योजनाओं के अन्तर्गत फंसकर और कर्जदार बन गये हैं। मान्यवर, भले ही इन योजनाओं की भावना अच्छी हो सकती है। जब कोई योजना शुरू होती है ब्लाकों और कर्मचारियों से बैंक तक एक श्रृंखला बन जाती है और इसमें गरीब लोग हजारों रुपये के कर्जदार बन जाते हैं, जबकि उन्हें पता ही नहीं कि कौन सी और योजना क्या है? मान्यवर, जब उनके ऋण की किश्तों की वसूली शुरू होती है तो वे बेचारे दौड़े-दौड़े विधायकों या मंत्री के चक्कर लगाते हैं और कहते रहते हैं कि उन्होंने तो पैसा लिया ही नहीं, कर्जदार कैसे बन गये? मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिये और प्रयास किया जाना चाहिये कि इन योजनाओं का दुरुपयोग न होने पाये। कितना कार्यान्वयन हो पा रहा है, इसको भी देखने की आवश्यकता है।

मान्यवर, श्रम के बदले खाद्यान्न योजना की बात माननीय मंत्री जी ने कही। मान्यवर, जनता शासन काल में इस खाद्यान्न योजना को चलाया गया था और एक संकल्पशक्ति उस पार्टी में थी और इस बात का प्रयास किया गया कि कहीं पर खाद्यान्न का दुरुपयोग न होने पाये। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जहां-जहां पर भी आप श्रम के बदले खाद्यान्न देने की बात कर रहे हैं, वहां पर भी आप यह काम ठेकेदार के माध्यम से करा रहे हैं। वह ठेकेदार उस गेहूं को मण्डी में ले जाकर बेच देता है और मजदूर को केवल 7–8 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दी जाती है और जो आप 4 किलो खाद्यान्न मजदूर को देते हैं, वह उसे नहीं मिल पाता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसे प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करें और मौके पर इसकी जांच करें और मजदूरों से पूछें कि उन्हें खाद्यान्न मिल रहा है कि नहीं। जो कर्मचारी इसमें दोषी पाये जायं, उन्हें आप प्रताड़ित भी करें।

मान्यवर, आवास योजना की बात माननीय मंत्री जी ने कही। मान्यवर, यह तो आप जानते ही हैं कि आज बिल्डिंग मैटीरियल कितना महंगा हो गया है। 6 हजार रुपये आप मकान बनाने के लिए देते हैं। अब आप ही बतायें कि किस तरह से 6 हजार रुपये में मकान बन पायेगा और वह मकान कितने दिन तक चलेगा? इसलिए माननीय मंत्री जी मेरा आपसे अनुरोध है कि आपकी जो योजनायें हों, वह वास्तविकता से परे न हों। आप योजना बनाते समय देख लें कि मकान की कास्ट क्या होगी। उसी हिसाब से उसे तय करें आप योजना को कार्यान्वित करें। जिससे मकान भी बन सके और लोगों को आवास भी मिल सकें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो न

मकान ही बन पायेगा और न ही लोगों को इससे लाभ मिलेगा, बल्कि पैसे का और पब्लिक एक्सचेकर का दुरुपयोग होगा।

(इस समय 3 बजकर 32 मिनट पर अधिष्ठाता श्री जयदीप सिंह बरार पीठासीन हुए)।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने 1800 नये स्कूलों भवनों के निर्माण की बात कही। आज प्रदेश में 32 हजार ऐसे प्राइमरी व जूनियर स्कूल हैं, जो भवन-हीन हैं। और कुछ स्कूल कागजों पर भवनयुक्त हैं। कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनके भवन ढह गये हैं। इस प्रकार देखा जाय तो प्रदेश में लगभग 50 हजार प्राइमरी व जूनियर स्कूल भवन-विहीन हैं। यदि आप 1800 भवन प्रति वर्ष बनाते भी हैं, तो आज जो हमारी आवश्यकता है, वह कहीं 40 वर्ष बाद जाकर पूरी हो पायेगी। इसलिए माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह और मदों में भले ही कमी कर दें लेकिन प्राइमरी स्कूलों के भवन निर्माण के मद में अधिक पैसा दें। और इसके साथ ही साथ आप वहां के अधिकारियों को भी निर्देश दें कि वह वरीयता के आधार पर प्राइमरी पाठशालाओं के भवनों के निर्माण के काम को ज्यादा से ज्यादा करें। इतना ही नहीं एक प्राइमरी स्कूल आपका कागज पर तो बन जाता है, लेकिन उसे अनुदान नहीं मिल पाता है और उचित मात्रा में धन नहीं मिल पाता है। इसलिए माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वह शुरू में एक ऐसा आइडियल कन्सट्रक्शन बनायें, जिससे यह सुनिश्चित हो जाय कि यह स्कूल आगामी 25 वर्ष तक चलता रहे।

मान्यवर, मेरे जनपद हरदोई में पिछले वर्ष एक स्कूल बरसात में ढह गया, जिसमें 5 बच्चे दब कर मर गये, जबकि उसे बने हुए अभी 4 ही वर्ष बीते थे। इसलिए माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जो आपके इस तरह से कार्य होते हैं, उनका कान्स्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और उनकी देख-रेख भी अच्छी होनी चाहिए।

माननीय मंत्री जी ने न्याय पंचायत स्तर पर सामुदायिक विकास केन्द्रों की स्थापना की बात कही है। नामों का फेर-बदल किया जाता है। ग्रामीण गोदाम की योजना भी आपके यहां है। 1 लाख रुपये से भी ज्यादा के भवन बनाये गये हैं, लेकिन उनमें ताले पड़े हुए हैं। उसमें प्रधानों ने गाय-भैंसें बांध रखी हैं और या फिर उनमें भूसा रखा हुआ है। आप एक संकल्प शक्ति के तहत इन विकास केन्द्रों का कार्यान्वयन करें। कहीं ऐसा न हो कि इतने बड़े-बड़े भवन बनाकर आप किसानों के ऊपर एक बोझ और न डाल दें। गांवों में आपके जो ग्राम्य विकास अधिकारी हैं, यह बात सही है कि वे गांवों में उपलब्ध नहीं होते हैं, जिसके कारण किसानों को छोटे-छोटे कामों के लिए कितने दिन इधर-उधर जाना पड़ता है। उनका गांवों में उपलब्ध न होना आपकी प्रशासनिक शिथिलता का कारण है। इसलिए आप अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे गांवों में उपलब्ध रहें और अपने कर्तव्यों का अधिक से अधिक पालन करें। आपने कहा कि हम एक हजार की आबादी से लेकर 1500 तक की आबादी वाले गांवों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ देंगे। यह एक सराहनीय बात है अगर इसके पीछे आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है तो। पिछले वर्ष भी पी0 डब्लू0 डी0 के बजट के समय माननीय मंत्री जी ने घोषणा की थी। लेकिन जो घोषणा की जाती है, उस रूप में हम

उसे नहीं देख रहे हैं। गांवों को किस सड़क से जोड़ा जाना है। क्या कोई मिट्टी की सड़क से जोड़ा जाना है या फिर केवल खड़ंजे की सड़कों से जोड़ा जाना है। (लाल बत्ती जलने पर) मान्यवर, मेरा तो 15 मिनट का समय होना चाहिए। मान्यवर, मुफ्त बोरिंग की बात मंत्री जी ने कही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 3 हजार रु0 मुफ्त बोरिंग के लिए उपलब्ध कराते हैं। क्या आपने कभी देखा कि आपका वहां का माइनर इरीगेशन का इन्जीनियर कितना पाइप उपलब्ध कराता है? 25 मीटर 20 मीटर पाइप देने के बाद कहता है कि पाइप और लाओ या पैसा दो। इसमें प्लास्टिक का पाइप लगता है, जिसे 100 मीटर तक बोरिंग में लगाया जा सकता है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है।

पंचायत भवनों के निर्माण की बात कही। मैं चाहता हूं कि पंचायती भावना जागृत हो। इसलिए निर्माण किया गया था कि न्याय पंचायतें बनेंगी और उनके माध्यम से झगड़ों का निपटारा किया जायगा, किन्तु पंचायती भावना समाप्त होती जा रही है। ग्राम पंचायतें चुन गयीं लेकिन न्याय पंचायतों का चुनाव ही नहीं हो रहा है। न्याय पंचायत में लोग सलाह और समझौते से निर्णय लिया करते थे। प्रजातांत्रिक पद्धति है, ग्राम पंचायतों और न्याय पंचायतों का चुनाव अविलम्ब कराना चाहिये।

गांव की सफाई की बात कही है। सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था वहां पर बहुत जरूरी है। बाग कटता जा रहा है, झाड़ी कटती जा रही हैं और समाप्त हो रही हैं, महिलाओं के लिए शौच की समस्या है। वह भोर में सूर्य निकलने से पहले अगर शौच नहीं चली जाती हैं तो बाद में फिर जा नहीं पाती हैं। वहां पर सबसे बड़ी समस्या सार्वजनिक शौचालय की है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस विभाग को केवल कागजों तक ही सीमित न रखें।

अपने ही विभाग का बजट प्रस्तुत करते समय माननीय मंत्री जी ने पंचायती राज वित्त निगम के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। इसकी स्थापना हुई थी, ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों का इसमें 49 प्रतिशत शेयर था, लेकिन ग्राम पंचायतों, जिला परिषद् का एक भी सदस्य, चुनी हुई संस्थाओं का नहीं रखा गया। निर्णय लिया गया था कि अध्यक्ष का समय निर्धारित होगा, लेकिन काफी समय से एक ही अध्यक्ष चला आ रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हुआ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अशोक राजपेयी–

मैं चाहूंगा कि पंचायती राज वित्त निगम में जो वित्तीय और प्रशासनिक अनियमिततायें हैं, उसकी जांच करायें और सार्वजनिक संस्थाओं में जो धन का दुरुपयोग हो रहा है, उसको समाप्त करें।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि उनके ऊपर कुछ दायित्व है, बड़ा काम है, ऐसे मानक बनायें जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग के हैं और उन्हीं के अनुसार काम करने का प्रयास करें।

श्री अधिष्ठाता–

मेरा निवेदन है कि समय का ध्यान रखें और अपना भाषण 5 मिनट में ही समाप्त कर लें।

* श्री लाल प्रताप सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी मा0 सरदार सिंह जी ने 21वीं शताब्दी में जाने की बात कही। विरोध पक्ष के जितने भी माननीय नेता कटौती का प्रस्ताव पेश करते हैं या किसी दूसरे प्रस्ताव के समर्थन में अपने विचार व्यक्त करते हैं, तो 21वीं शताब्दी का हवाला जरूर देते हैं। इसके मायने यह है कि पूरी तरह से आधुनिक बनना यानी माडर्नाइजेशन। हर क्षेत्र में, हर जीवन में, हर कार्यक्रम में हमको एक माडर्नाइजेशन लाना है, इस तरफ प्रगति करनी है, यही उसका मतलब है। हमारे सारे जीवन को, जीवन के हर क्षेत्र को विज्ञान और तकनीक ने प्रभावित किया है। ग्रामीण क्षेत्र का भी उसके माध्यम से तरक्की का मार्ग प्रशस्त करना है और आगे चलना है। यही हमारा लक्ष्य है, जिसके माध्यम से हम गांव को ऊपर उठायें।

दूसरी बात यह है कि हमारी बहुत सी उपलब्धियां हैं, हमारी आकांक्षायें बढ़ी हैं, हम प्रगति के रास्ते पर हैं लेकिन अभी बहुत कुछ होनी बाकी है इसमें कोई सन्देह नहीं है। एक तरफ तो हम तरक्की के रास्ते पर चल रहे हैं तो दूसरी ओर हम धर्म सम्प्रदाय और आर्थिक कठिनाइयों के साथ तक्सीम हो रहे हैं अपने प्रदेश के ही अन्दर। तो यह जो परम्परागत, ट्रेडिशनल जो हमारे विचार का तरीका है, हमें चाहिए कि हम इससे ऊपर उठ सकें।

अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि मकान बनायेंगे। ठीक है, मकान, अन्न और पानी यह आदमी की जिन्दगी के लिये सबसे बड़ी जरूरत है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मकान ऐसे न बनें जो कि बाक्स की तरह हों क्योंकि शहरी जीवन में और शहर के मकान में तथा ग्रामीण जीवन में और गांवों के मकान में बहुत अन्तर होता है। गांव के मकानों में खुली जगह की ज्यादा जरूरत होती है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि गांव की दृष्टि से वह मकान बनाये जांय। अभी उस दिन यहां हरिजन कालोनी की बात हो रही थी कि वह बनाई गई और वहां रहने के लिए कोई नहीं गया।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी और हरिजन समाज कल्याण की, दोनों की यह समन्वित योजना होना चाहिये। आपकी योजना कल्याणकारी और समन्वित योजना होनी चाहिए तभी दोनों का ताल-मेल बन सकेगा और जो हरिजनों पर अत्याचार की रोज शिकायत आती है, वह कम हो सकेगी। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ये मकान ग्रामीण लोगों को और हरिजनों को दोनों को ही अलाट किये जांय। इसमें जाति विशेष की भावना से इनको न तक्सीम किया जाय। बहुत सी कालोनियां बनी हैं लेकिन वहां पर रहने के लिये कोई नहीं गया, सब छोड़ कर चले गये और सरकार का धन बेकार हो गया। आप नई तकनीक के आधार पर मकानों का निर्माण करायें, जो कि देखने में नये और खूबसूरत हों। ग्रामीण आवास के लिए हमारी सरकार ने कहा है कि हम जमीन भी ले सकते हैं। आप यह न सोंचे कि यह एक ही जाति के लोगों को उपलब्ध करायी जाय बल्कि सभी लोगों को वह दी जाय। इस तरह से मकान की व्यवस्था हम कर सकेंगे और करना भी चाहिए।

अभी मंत्री जी ने सेनीटेशन की बात कही। सेनीटेशन की कमी देहातों में है। उसको बेहतर बनाने के लिये पूरी ताकत

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के साथ कोशिश करनी चाहिए । अभी सरदार सिंह ने एक बड़ी अच्छी बात कही डी0 पी0 ए0 स्लाटर के बारे में। मैं कहना चाहूंगा कि इसके संबंध में कोई योजना आपकी तरफ से नहीं रखी गयी है । इसकी तरफ भी आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस तरह से यदि हम देखेंगे तो अच्छा होगा ।

अब सड़कों के बारे में कहना चाहता हूं कि सड़कें कई माध्यमों की हैं जैसे जिला परिषद् की, आर0 ई0 एस0 की तथा पी0 डब्लू0 डी0 की। यह अच्छा है कि गांवों को सड़कों से जोड़ देना चाहिए, शहरी जिन्दगी से गांव की जिन्दगी में फर्क है और रहेगा भी। आज शहरी जिन्दगी पैसे पर आधारित है। जबकि गांव की जिन्दगी में अब भी कल्चर है, आपसी प्रेम भाव है जो कि शहर के जीवन से प्राय: खत्म होता चला जा रहा है। हमारा निवेदन है कि आप अपने जीवन में कल्चर को कायम रखिये ।

इसके अतिरिक्त और दूसरे कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने की जरूरत है, रिन्यूवल सोर्स के जरिये से। अन्त में मैं दो-तीन बातें और कहूंगा कि आप गांवों को क्लस्टर विलेजेज के रूप में कर दीजिए और वहां टाउनशिप क्रिएट कर दीजिये तो ग्रामीण जीवन की जरूरतें पूरी हो जायेंगीं ।

दूसरे हमारे जो आफिसर्स हैं, आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 इनको कहिये कि ये गांवों में भी रहें, तभी हम गांव के जीवन को आदर्श बना सकेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

श्री लाल प्रताप सिंह–

मान्यवर, एक चीज मैं यह निवेदन करूंगा कि एक आधार है, एक फिलासफी है कहने का। कुछ आफिसर्स को तुरन्त कहा जाय कि जो देहात से सम्बन्धित हैं, वह जाकर उनके बीच रहें। जहां के हर क्षेत्र में हमको आपको तब्दीली लाने की जरूरत है। लेकिन मान्यवर, उसका निगेटिव एसपेक्ट है। उस विचार तक हम नहीं पहुंच सके हैं। वह जीवन हम नहीं ला सके, जिसको लाना चाहिए। तो इन दोनों एसपेक्ट को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। यह काम सबके सहयोग से होगा। जब सारी पार्टी दलगत भावना को छोड़-कर इस बात पर जुट जाय कि हमको तरक्की करनी है, विकास करना है तो जो 50 वर्ष का 100 वर्ष का काम है, उसे हम 5 वर्ष में कर सकते हैं। इसके साथ-साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री लक्ष्मी नारायण–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मान्यवर, अभी जो पुस्तिका मंत्री जी ने सदस्यों के पास भिजवाई, उसको मैंने पढ़ा। मान्यवर, बड़ा दुख हुआ पढ़कर। उसमें लिखा हुआ था हमारे पूजनीय बापू जी का नाम। लेकिन बापूजी के नाम से 38 साल से कांग्रेस इस देश को बरबाद कर रही है और पता नहीं बापू जी के नाम पर आगे क्या हाल होगा । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस बजट में इन्होंने करीब 22-23 अपने कार्यक्रम रखे हैं लेकिन कुछ कार्यक्रम जैसे ग्रामीण अभियंत्रण सेवा है, जिसकी स्थापना सन् 1972 में हुई। मान्यवर, इसका मुख्य

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

कार्य स्कूल भवन का निर्माण और रिपेयरिंग आदि है। मैं कहूंगा कि आज जब कि 7 मार्च हो चुका है और यह आपका सत्र 31 मार्च को समाप्त हो जायेगा। मान्यवर, अभी तक आपके विभाग ने, मैं मथुरा जिले का यहां रिकार्ड बता रहा हूं कि 24 लाख रुपये आपने स्कूलों की मरम्मत के लिए दिए हुए हैं लेकिन एक रुपया भी नहीं खर्च हुआ है। जब पूरे साल पैसा खर्च नहीं हुआ तो अब 15 दिन में 24 लाख रुपया खर्च नहीं हो सकता है। मैं आपसे कहूंगा कि जो भी रुपया भेजा जाय वह साल के आरम्भ में भेजा जाना चाहिए और हर माह यह रिपोर्ट मांगी जाय कि कितना रुपया किस मद में खर्च किया गया है।

इसी तरह से जहां तक हरिजन पेयजल योजना का सम्बन्ध है, मै यह समझता हूं कि कांग्रेस सरकार इस बात की दुहाई देती है हरिजनों के उत्थान के लिए। लेकिन साफ जाहिर है कि इस पुस्तिका में माननीय मंत्री जी ने हरिजन पेयजल योजना के अन्तर्गत क्या कार्य किया, इसका कोई विवरण नहीं है। इसका मतलब यह है कि हरिजन पेयजल योजना के अन्तर्गत माननीय मंत्री जी के विभाग ने कोई कार्य किया ही नहीं है। जहां तक पुष्टाहार योजना का सम्बन्ध है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पुष्टाहार योजना के अन्तर्गत गरीबों के बच्चों को पुष्ट नहीं किया जा रहा है बल्कि आपके विभाग के अधिकारियों के बच्चे पुष्ट हो रहे हैं और आपके अधिकारी भी पुष्ट हो रहे हैं। इसलिए इस योजना को भी आप देखें। जहां तक ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम है, मैं कहना चाहता हूं कि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी बेरोजगार को कार्य नहीं दिया जाता बल्कि उन गुन्डों को जो कांग्रेस के चुनाव में मदद करते हैं, वही ठेकेदारी के नाम पर इस विभाग का पूरा का पूरा फायदा उठाते हैं और एक भी बेरोजगार को कोई रोजगार नहीं दिया जाता है।

जहां तक आपके सीमान्त एवं लघु कृषकों का प्रश्न है मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि आप इलाहाबाद में पढ़े और बड़े हुये लेकिन किसानों की परिभाषा से आप बिलकुल अनभिज्ञ हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके विभाग द्वारा किसानों को एक भी फायदा नहीं पहुंचाया गया। जहां तक बोरिंग और पम्प सेट का सवाल है, आप इसकी जांच करवा लें। यह मेरा दावा है कि पूरे प्रदेश में एक भी छोटे से छोटे किसान की बोरिंग बिना रिश्वत लिये नहीं हुई है।

जहां तक निर्बल वर्ग आवास योजना का सवाल है, इसके बारे में अनेकों बार शिकायतें हुई हैं कि निर्बल वर्ग के लिये आवास नहीं बने। इतना जरूर कि अधिकारियों और कांग्रेस के नेताओं की कोठियां बन गई हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आपके विभाग के जितने कार्यक्रम है उनके लिए आप फर्जी सत्यापन न करें और एक ऐसी सत्यापन कमेटी गठित करें जिसमें जन प्रतिनिधि हों और उसके आधार पर सत्यापन कराया जाय। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सरदार सिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री कृष्ण कुमार शर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ग्राम्य विकास मंत्री जी द्वारा रखे गए बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गए बजट का हार्दिक

समर्थन करता हूं और माननीय सरदार सिंह जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं । मान्यवर, बहुत ध्यान से मैंने कटौती के प्रस्ताव को सुना । मैं बहुत देर से इस बात का एहसास कर रहा था कि हमारे सम्मानित सदस्य आखिर कौन सी नई बात कहना चाहते हैं । एक तरफ तो वे कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है और दूसरी तरफ कहते हैं कि बजट में कटौती करके एक रुपया कर दी जाय । यह कैसे सम्भव होगा और कैसे गांवों का तेजी से विकास होगा ? दूसरी तरफ उन्होंने अपनी बात इस सदन में इस तरह से रखने का प्रयास किया जैसे एक बार एक राजा ने अपने सेनापति को बुलाया और कहा कि सेनापति, मैं तमाम संगीत बजाने वालों को पुरस्कृत करना चाहता हूं, इसलिये तुम ऐसे तमाम लोगों को राज दरबार में बुलाओ । इस प्रकार सेनापति ने सारे प्रदेश से जो अच्छे-अच्छे संगीतकार थे, उनको राज दरबार में इकट्ठा किया । सभी संगीतकार अपना-अपना संगीत बाजा लेकर कोई हारमोनियम लेकर, कोई तबला लेकर, कोई सारंगी लेकर और मान्यवर, इसी तरह से सरदार सिंह जी अपना नया संगीत का बाजा लेकर वहां पहुंचे । राजा ने कहा सेनापति, संगीत की शुरुआत कीजिए । इस प्रकार मान्यवर, संगीत की शुरुआत हुई । किसी ने हारमोनियम बजाया, किसी ने तबला बजाया, किसी ने नफीरी बजायी और जब सरदार सिंह जी का नम्बर आया तो मान्यवर, बैल के कन्धे पर जो जुआ रखा जाता है उसको लेकर वे दरबार में गये थे। राजा ने देखा तो कहा मैं पहली बार ऐसा संगीत यंत्र देख रहा हूं, आज तक मैंने यह यंत्र नहीं देखा । राजा ने सरदार सिंह जी से पूछा कि आप क्यों बैठे हुये हैं ? तो उन्होंने कहा कि मैं सबसे बाद में सुनाऊंगा । बाद में जब उनसे संगीत सुनाने के लिए पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा बाजा कभी अकेले नहीं बजता है । जब तक तमाम संगीतकार जो इकट्ठा हुए हैं सब लोग मिलकर अपना बाजा नहीं बजायेंगे तब तक मेरा यंत्र ध्वनि नहीं देगा। सब लोगों ने अपना संगीत सुनाना शुरु किया तो सरदार सिंह जी ने भी अपना जुआ बजाना शुरु किया। राजा ने कहा कि इसमें तो तरह-तरह की ध्वनि निकल रही है । यह यंत्र पहली दफा देखा है । इसलिये इस संगीतकार को इनाम देना चाहिए । राजा ने सरदार सिंह को बुलाया और पूछा कि तुम्हारे बाजे का नाम क्या है ? तो सरदार सिंह ने कहा मान्यवर, मेरे संगीत यन्त्र का नाम है सब दिल बाजा । जब सब संगीतकार मिल कर बजाते हैं तो मेरा बाजा बजता है। तो मान्यवर, कटौती का प्रस्ताव रखते हुए माननीय सदस्य ने पता नहीं कौन सी धुन हमारे सामने रखने का प्रयास किया, उनकी बात यहां पर न मैं समझ पाया और न आपकी समझ में आया होगा, न ही सम्मानित सदस्यों की समझ में आया होगा ।

मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से वास्तव में अपने ग्राम्य विकास मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगति हुई है, जो विकास हुआ है वास्तव में वह सराहनीय है। मुझे याद है, मैं भी गांव का बाशिंदा हूं और जितने भी सम्मानित सदस्य यहां पर बैठे हैं, भले ही आज शहरों में निवास करते हों लेकिन सबके सब गांव में पहले रहे होंगे । मुझे याद है मेरे ग्राम के चारों तरफ करीब

10 कि0मी0 तक कहीं भी पक्का रास्ता नहीं दिखाई देता था । जब मैं छोटा था तो 10 कि0मी0 पैदल चल कर बस में चढ़ता था । मुझे अच्छी तरह याद है आज प्रदेश में, देश आजाद होने के बाद कोई गांव नहीं बचा है जिसमें सड़क न पहुंची हो, जिसमें स्कूल न बने हों, जिसमें बिजली न पहुंची हो ।

मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत प्रत्येक गांव में जिसकी आबादी एक हजार से 15 सौ तक है जिला मुख्या लय से जोड़ने की व्यवस्था है । (लाल बत्ती होने पर) मैं दो मिनट और लेना चाहूंगा और माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगा कि (1) प्रत्येक ग्राम पंचायत को जो उसके प्रधान हैं, उनके पास कुछ कोष होना चाहिए । जिससे वे ग्राम पंचायत को अच्छी तरह से चला सकें। (2) प्रदेश और देश की जानकारी हमारे गांव के नौजवानों को मिल सके इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत के पास एक टी0 वी0 दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री कृष्ण कुमार शर्मा–

एक महत्वपूर्ण सुझाव और देना चाहता हूं । यह दुर्भाग्य की बात है, जब हम गांवों में जाते हैं तो देखते हैं कि हमारी बहनें और माताऐं सड़कों पर या जंगलों में शौच के लिए जाती हैं । इसलिए प्रत्येक गांव में प्राथमिकता के आधार पर शौचालय बनाये जांय ताकि महिलाओं को दिक्कत का सामना न करना पड़े । प्रत्येक गांव में एक प्राइमरी स्कूल बनाया जाय ताकि अधिक से अधिक बच्चे पढ़ सकें । इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय सरदार सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करते हुए कुछ निवेदन करना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी ने आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत काफी कुछ बताने का प्रयास किया। मैं उसमें केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 46 लाख हरिजन परिवार हैं उसमें से 30 लाख हरिजन परिवार गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले हैं । आपका लक्ष्य गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को ऊपर लाने का जो है 1986-87 में वह 44 लाख परिवारों का है । तो मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इनमें से जो 30 लाख हरिजन परिवार गरीबी की रेखा से नीचे आते हैं उनकी संख्या कितनी होगी, इस 44 लाख में से । उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में से 50 प्रति-शत से ऊपर की आबादी गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की है । तो उत्तर प्रदेश में 46 लाख हरिजन परिवार हैं । उनमें से गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों का जब औसत लेंगे तो इस आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत जो पैसा रखा गया है, वह बहुत कम लोगों तक पहुंच पायेगा तो यह उनकी आंखों में धूल झोंकना होगा । इसलिए मेरा निवेदन है कि उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए कुछ प्रयास आपको करना चाहिए । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह वास्तव में लाभकारी योजना हो सकती है, जिससे अधिक से अधिक लोगों का भला हो सकता है । उसके लिए आपको अधिक से अधिक धन का संकलन करना चाहिए । हिन्दुस्तान और प्रदेश की परिस्थितियों को देखते

हुए कुछ ऐसा सिस्टम आपको अपनाना चाहिए । माइक्रो सिस्टम अपनाना चाहिए, जिसमें यह जो 46 लाख परिवार हरिजन के गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं उन परिवारों को जब तक ऊपर नही उठाते हैं तब तक हमको उन पर पूरा पूरा प्रयास करके एक दो साल में पूरे स्तर को सुधारने का प्रयास करना चाहिए । एक गांव सभा के लिए, 4 ब्लाकों को लेकर, माइक्रोप्लानिंग के जरिए योजनाए नहीं बनायेंगे तब तक प्रदेश का सर्वांगीण विकास सम्भव नहीं हो सकता है ।

मान्यवर, आई0 आर0 डी0 योजना में जो संकलन सूची बनाते हैं उसमें विकास अधिकारी और सी0 डी0 ओ0 के लोग उस योजना को बैठकर बना लेते हैं और बाद में ग्राम सभा में अनुमोदन के लिए भेज देते हैं । इसलिए मैं चाहूंगा कि आई0 आर0 डी0 संकलन सूची में गरीबी रेखा से नीचे लोगों की सूची बनाएं और यह सूची हर गांव सभा स्तर, ब्लाक हेडक्वार्टर पर, तहसील में उपलब्ध रहनी चाहिए । इसी संबंध में मैं चाहूंगा कि अन्त्यादय आई0 आर0 डी0 योजना 1978-79 में जो जनता शासन के समय में चालू की गयी थी उसी को इन्होने केवल नाम बदलकर, 2 अक्टूबर 1980 को आई0 आर0 डी0 योजना शुरू किया । इसीलिए मैं चाहूंगा कि जैसे 1981-82 में शामिल किया गया है, उसी प्रकार में शामिल किया गया है, उसी प्रकार 1978-79 से इस अन्तरिम योजना में चयनित लाभार्थियों को पुनः आई0 आर0 डी0 योजना में शामिल किया जाए और पुनः ऋण देने की योजना बनाए ।

मान्यवर, इसमें सबसे बड़ा घपोलसंख यह है कि काम ठेकेदारी प्रथा से हो रहा है मजदूरों से नहीं । फूड फार वर्क योजना के अन्तर्गत सातवीं पंच वर्षीय योजना में कहा है कि एक किलो गेहूं प्रति और डेढ़ किलों गेहूं सस्ते दर पर मजदूरों को देंगे और 11 रुपये प्रति व्यक्ति को मजदूरी देंगे । तो जो 11 रुपये है न्यूनतम वेज यह वर्तमान में बहुत कम है जिसको बढ़ाया जाये और जो आर0 ई0 एस0 द्वारा कराये गये कामों की मानव श्रम की सूची भेजी जाती है वह बिलकुल झूठी है । यदि आपकी सरकार में मान्यवर, नैतिकता है तो आप अधिष्ठाता जी, अपने क्षेत्र में कमेटी बनाकर देखें कि आई0 आर0 डी0 का पैसा फूड फार वर्क में ठेकेदारी प्रथा द्वारा खर्च किया जा रहा है या मानव श्रम में खर्च किया जा रहा है । इसलिये इस घपले की जांच के लिये कमेटी बनायें और सही मानों में गरीबों को पैसा दिलायें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्रीमती कमला साहनी–

मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने प्रस्तुत महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया ।

मान्यवर, राष्ट्र पिता महात्मा गांधी का कहना था, उनका सपना था कि हमारी देश का विकास तभी हो सकता है जब गांव में रहने वाले गरीब किसानों का विकास हो । मान्यवर, मैं फख्र के साथ कहना चाहती हूं कि हमारी सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने में गांवों के विकास में लगी है, गरीब किसानों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के विकास में लगी है । हम सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले, आजादी के पहले, देहातों में रहने वाले

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोग कर्ज लेते थे तो उसका वह ब्याज जीवन भर अदा नही कर पाते थे जिसका नतीजा होता था कि वह बंधुवा मजदूर की तरह बड़े लोगों के यहां काम करते रहते थे और ब्याज को उनकी पुश्त दर पुश्त अदा करती रहती थी । लेकिन आजादी के बाद हमारी सरकार के परिश्रम से वह बंधुवा मजदूर नही रहे और गांव में रहने वालों का विकास हो रहा है । गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के विकास के लिए हमारी सरकार ने तमाम योजनाएं चला रही है-एकीकृत ग्राम्य विकास योजना टाइसम योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना आदि जिनके माध्यम से हमारे ग्रामों का विकास हो रहा है । गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को रोजगार दिलाने के लिए उन्हें आवास सुविधा दिलाने के लिए, उनके लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था कराने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है और सरकार का प्रयास है कि उनको गरीबी की रेखा से ऊपर शीघ्रातिशीघ्र उठाकर उनको आगे बढ़ाया जाए । हमारी सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप ही आज एसे लोगों की संख्या पांच वर्ष में ही 51 प्रतिशत से घट कर 41 प्रतिशत ही रह गई है । यही नहीं गांवों में एसे लोग भी हैं, जिनके बच्चे पढ़-लिख कर भी बेकार पडे रहते हैं, एसे लोगों के बच्चों को रोजी रोटी दिलाने के लिए हमारी सरकार ने ट्राईसम योजना चला रखी है, जिससे ब्लाक स्तर पर और जिला स्तर पर उन्हें ट्रेनिंग देकर, योग्य बनाकर उनके लिए जीविका हेतु नौकरी की व्यवस्था की जा सके । हमारे गांवों में एसे भी लोग हैं, जिनके पास भूमि नहीं है और मजदूरी की समस्या होती है, उनके लिए राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना चलाई गई है । जिसके अंतर्गत उन्हें वर्ष में 100 दिन की मजदूरी दी जाएगी ।

हमारे प्रदेश में एसे लघु एवं सीमान्त किसान है, जो अपने खेतों में एक-एक बूंद पानी के लिए तरसते थे। एसे लोगों के लिए फ्री बोरिंग के द्वारा सिंचाई की सुविधा सुलभ करा दी गई है । जिससे वह आसानी से अपने खेतों की सिंचाई कर सकें । इससे अब छोटे किसान भी आगे बढ़ने लगे है और अपने बच्चों का भरण पोषण कर देश की प्रगति में महत्व पूर्ण अंग बने हुए हैं । हमारी सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए भी अच्छी-अच्छी योजनाएं चला रखी है। अब ब्लाक में एसी युनिट बनेगी जिसके द्वारा वह आगे बढ़ सकती है और तमाम प्रकार की ट्रेनिंग प्राप्त कर सकती हैं ।

स्वच्छता के लिए सुलभ शौचालय की व्यवस्था और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की व्यवस्था स्कूल भवन बनाने की व्यवस्था आदि एसी तमाम योजनाएं हैं, जो मेरी समझ में नहीं आता है कि सरदार सिंह जी जैसे लोग अपने आंखों पर कौन सा चश्मा लगाये हुए हैं कि उन्हें वह विकास की योजनाएं दिखाई नहीं पड़ती हैं। तमाम योजनाएं हमारी सरकार चला रही है और उनका कार्यान्वयन करने का भी प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ कर्मचारी और अधिकारी लोगों की ढिलाई से वह अधर में लटकी रह जाती हैं और कुछ काम एसे भी होते हैं जो कागज पर होते हैं, मौके पर नहीं होते हैं। इसके लिये मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि वह योजनाओं को सख्ती से कार्यान्वित करने की व्यवस्था करें। ब्लाक में होने वाले कार्य के सम्यक निरीक्षण की व्यवस्था करें और हर महीने उसकी जांच करें और उसमें यदि कोई ढिलाई हो तो सख्ती से उनके खिलाफ कार्यवाही करें, उन्हें बरखास्त करें।

इसके साथ मैं माननीय ग्राम्य विकास मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं।

श्री किशनलाल दिलेर–

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने कृषि एवं ग्राम्य विकास तथा पंचायतीराज के बजट पर बोलने का मुझे अवसर दिया। मैं इस बजट का विरोध करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों के बारे में मंत्री जी ने कहा है किन्तु हम जब अपने जनता पार्टी के जमाने की हकीकत पेश करना चाहते हैं तो यह उसे मखौल कहते हैं और वह उन्हें बहुत बुरी लगती है। हकीकत यह है कि जो कुछ भी बजट यहां से जाता है, उसको कार्य रूप नहीं मिल पाता है। मैं अपने अलीगढ़ जिले का उदाहरण दूंगा। जनता पार्टी की सरकार में जितनी सड़कों की शुरुआत की गई थी, वह आज तक ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं। उसमें आगे कोई काम नहीं हुआ है, आगे कोई काम नहीं हो पा रहा है। वहां गवर्नमेंट बाडी की मीटिंग में यह जवाब मिलता है कि जिले में इसके लिए बहुत कम बजट आया है, हम उसे कैसे करें। इसलिए मैं अपील करूंगा कि हमारे जिले की सड़कों के वास्ते बजट में अधिक धन की व्यवस्था की जाए, जिससे वहां के गांव शहर से जुड़ सकें।

इसके साथ ही साथ मान्यवर, मैं आपको थोड़ा सा यह बताना चाहता हूं कि हमारे मित्र कह रहे थे कि ग्राम्य विकास के यह लोग विरोधी हैं तो मान्यवर, हम विरोधी नहीं हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि ग्राम्य विकास नहीं हो रहा है बल्कि ग्रामों का विकास करने वालों का विकास हो रहा है। आपने कहा कि हमने हरिजनों को सुविधायें दी हैं। मेरे जिले अलीगढ़ में न जाने कितने गांव ऐसे हैं, जहां पर हरिजनों को पीने के लिये पानी नहीं मिल रहा है। नल और कुंओं के लिये लिखते-लिखते थक गये लेकिन आज तक व्यवस्था नहीं हुयी और हरिजनों को पानी नहीं मिल रहा है। वे पानी के लिये तरस रहे हैं। हरिजनों को जो सुविधायें दी जाती हैं, हरिजनों तक नहीं पहुंच पाती हैं। आई0 आर0 डी0 के अन्तर्गत भैंस दी जाय, बकरी दी जाय या सुअर दिये जायं तो उनको मिल सकें, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। इसमें अनुदान के रूप में जो सरकार देती है, वह उनको नहीं मिलता है और बीच के बिचौलिये उस पैसे को खा जाते हैं। अगर आप कड़ाई करके बीच के बिचौलियों को नहीं खत्म करेंगे तो इसका लाभ गरीब हरिजन को नहीं मिल पायेगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि लघु सिंचाई के लिये किसान कर्ज लेने जाता है, गरीब हरिजन कर्ज लेने जाता है तो बैंक के मैनेजर और उनके बिचौलिये अनुदान के पैसे को बीच में खा जाते हैं। कर्जमंद को कर्ज नहीं मिल पाता है, जिससे उनको कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। तो आप इन सब बातों पर ध्यान दें ताकि गरीबों का उत्थान हो सके। हरिजनों के लिये जो दूकानें बनायी जाती हैं वह जंगल में बनायी जाती हैं। जिससे उन दूकानों से वे लोग कोई लाभ नहीं ले पाते हैं और सरकार का पैसा व्यर्थ हो जाता है। तो गांव में बनवायें या बाजार में बनवायें ताकि उनका लाभ लोगों को मिल सके। जो हरिजनों के लिये योजनायें चलायी जाती हैं तो मैं समझता हूं कि

यह योजनायें कर्मचारियों के लिये वैतरणी और त्रिवेणी की तरह से हैं। और कर्मचारी इन योजनाओं की गंगा की धारा में तर रहे हैं और गरीब हरिजन डूब रहा है । इसलिये मेरा अनुरोध है कि आप इस विषय में कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें ताकि हरिजनों और गरीबों तक इन योजनाओं का फायदा पहुंच सके। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री राम भजन लाल–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं, जो आपने मुझे इस बजट के समर्थन में बोलने के लिये समय दिया । मान्यवर, यह मानी हुयी बात है कि हमारे देश का विरोधी दल एक बहुत ही गैर जिम्मेदार विरोधी दल है। विरोधी दल की यह भूमिका होती है कि जो काम हम नहीं कर सकते हैं वह काम यह करें । बहुत सी ऐसी चीजें हैं हमारे प्रदेश के अन्दर, जिनमें हम उतने सफल नहीं हैं तो उन चीजों में विरोधी दल का सहयोग होना चाहिए और महात्मा गांधी का जो तरीका है उस तरह से अगर यह काम करें तो हमारे देश और प्रदेश को बहुत फायदा पहुंच सकता है। यह मानी हुयी बात है कि हमारे देश में जितना विकास हुआ है, उस विकास को यह लोग झुठलाते हैं और लोगों को बहकाते हैं लेकिन देश की जनता सब देखती है। यही वजह है कि आज यह 35-36 सालों से बराबर इस तरह का प्रोपेगंडा करते रहे हैं और उसका कोई नतीजा नहीं निकला है । इनकी 7-8 पार्टियों के मुकाबले हमारी एक पार्टी आज भी खड़ी है, जिसे आप देख रहे हैं। एक मानी हुयी बात है कि विकास हुआ है लेकिन इनको कुछ दिखायी नहीं देता है। मैं 60 साल से राजनीति में हिस्सा ले रहा हूं। मैंने देहात की गरीबी देखी है, मैंने वहां की मुसीबतें देखी हैं। देहातियों के ऊपर जुल्म देखे हैं और उनमें हिस्सा लिया है और जुल्म से अच्छी तरह से टकराया हूं ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, यह किस विषय पर बोल रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता–

राणा जी बैठ जायं, कृपया सुनिये ।

(व्यवधान)

श्री राम भजन लाल–

जो लोग आराम से जिन्दगी बसर करते रहे हैं, वह क्या जानेंगे कि गरीबी क्या होती है। हमने बहुत भयंकर गरीबी देखी है, हमने वह गरीबी देखी है जब आदमी को खाने को नहीं मिलता था । हमने वह वक्त भी देखा है और आज का वक्त भी देखा है । उस वक्त में लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलता था, ओढ़ने के लिए नहीं मिलता था। गलियारों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। ककड़ी बोते थे और ककड़ी बोकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। इसीलिए उनके शरीर में बीमारियों को बर्दाश्त करने के लिए ताकत नहीं थी और वह विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित रहते थे जैसे मलेरिया, चेचक, बुखार आदि। आज हमने इन सब चीजों पर फतह हासिल कर ली है। आज सबके लिए चुनौती दे दी गई है और चेचक जैसी महामारी के लिए कहा गया है कि अगर कोई सबूत दे दे तो उसको एक हजार रु0 का इनाम दिया जायेगा। आप यह नहीं देखते हैं कि हमने देश में सड़कों का जाल बिछा दिया है। पहले हमारी आबादी 33 करोड़ थी और आज 70 करोड़ की आबादी है और

उसका हम पेट भर रहे हैं और अगर जरूरत पड़ती है तो दूसरे देशों को भी हम अनाज भेजते हैं। हमने हर क्षेत्र में तरक्की की है जैसे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, डाक्टरी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में हमने बहुत तरक्की की है। आज संसार के दूसरे देशों में हमारे यहां के लोग काम कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठिये । आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री राम भजन लाल–

अन्त में इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है उसके प्रति मैं आपका आभार प्रदर्शित करता हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने ग्राम्य विकास का बजट रखा और जो गांव के विकास की बुनियादी संस्था है। उन्होंने पंचायत भवन बनवाने की भी बात कही परन्तु 82 में गांव सभाओं के चुनाव हुए थे, उसके बाद से अब तक चुनाव नहीं हुए हैं। पंचायत अदालतों, जिला परिषदों के चुनाव भी यह सरकार नहीं करा सकी । यह इस सरकार की अक्षमता का उदाहरण है। यह गांवों के विकास का काम कर रहे हैं। मान्यवर, इससे पहले 77–80 में जनता पार्टी, लोकदल की सरकार थी, उसमें भी काम हुए थे ।

[4 बजकर 20 मिनट]

परन्तु मान्यवर, जो फूड फार वर्क, खाद्यान्न योजना थी, उसका आपने केवल नाम बदला है, परन्तु काम सब वही है। मान्यवर, जो खाद्यान्न योजना थी, उसके तहत जो काम हुआ था, वह काम ज्यों के त्यों अधूरे पड़े हैं। मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि आप 1500 और 1000 आबादी वाले गांवों को जोड़ने की बात करते हैं, परन्तु तमाम ऐसी सड़कें पड़ी हैं, जो 77 से 80 के बीच में, खाद्यान्न योजना के अंतर्गत बनी थीं| जो सोलिंग थी, वह सोलिंग खुल गयी है, कुछ धनराशि उधर भी आवंटित करें। कुछ सड़कें जो आपकी ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के द्वारा बनाई गयीं, वह सड़कें टूट रही हैं, उनकी रिपेयरिंग के लिए आप कुछ धन दें। मैं पिछले बजट भाषण की ओर माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं । उन्होंने अपने बजट स्पीच में कहा था कि हम ग्राम्य विकास निदेशालय का तुरन्त गठन कर देंगे। लेकिन आज तक माननीय मंत्री जी ग्राम्य विकास निदेशालय की स्थापना नहीं कर पाये। मैं माननीय मंत्री जी का और इस सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह से आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 और आई0 ए0एस0 अधिकारियों की सेवा है, उसी तरह से आप प्रादेशिक विकास सेवा का गठन करेंगे|

लघु सिंचाई कार्यक्रम की सफलता का दारोमदार भू-गर्भ जल भंडारों की खोज पर निर्भर करता है। इसमें भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन विभाग में दूसरे विभागों से प्रति नियुक्ति पर लोग आते हैं। उनका मकसद काम करना नहीं होता है, बल्कि पैसा कमाना होता है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि पिछले दिनों माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में कहा है कि हाई कोर्ट से स्थगन आदेश ले लिया है । तो मेरा मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वह उस स्टे को अविलम्ब वैकेट

कराएं। जो लोग प्रतिनियुक्त पर आये हैं, उन लोगों को उनके मूल विभाग में वापस करें और जो भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन है, उसको स्वच्छ बनायें ।

मान्यवर, तमाम ऐसे ब्लाक हैं, जो खाली पड़े हुए हैं । जैसे मेरा ही ब्लाक सरोजिनी नगर है, वहां पर उप ब्लाक प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुख की सीटें खाली पड़ी हुई हैं । इसी तरह से उन्नाव जनपद में नवाबगंज ब्लाक में ब्लाक प्रमुख्य की सीट खाली है । इसके अलावा पूरे प्रदेश में तमाम ब्लाक प्रमुखों की सीटें खाली पड़ी हुई हैं, जिससे अधिकारी काम नहीं करते हैं और वह अपने मनमानी ढंग से काम करते हैं । अगर वहां पर चुने हुए प्रतिनिधि पहुंच जायं, तो काम ठीक प्रकार से हो सकता है ।

मान्यवर, जो आपने सड़कें बनवाई हैं, उनमें पुलिया न होने के कारण जल भराव की स्थिति पैदा हो गयी है। मैं लखनऊ जनपद की बात बताना चाहता हूं कि लखनऊ जनपद में इतना जल भराव हो गया कि सड़कें डूब गयीं और टूट गईं। माननीय मंत्री जी मैं आपको चुनौती भरे शब्दों में कहना चाहता हूं, आप सड़कों की जांच करा लें। आप अपने दल के माननीय सदस्यों की एक कमेटी बना कर जांच करा लें| आपको भ्रम में रखा गया है। मान्यवर, साइकिल लाइसेंस के संबंध में सरकार की दोहरी नीति चल रही है। यह जो साइकिल का टैक्स है, लाइसेंस किसी भी शहर में साइकिल का नहीं पड़ता है, परन्तु जिलों में पड़ रहा है, जिसमें लखनऊ जिला भी इसका शिकार है। देहातों में जो गरीब और मजदूर लोग साइकिल लेकर निकलते हैं, तो गुण्डा टाइप के लोग उनसे जबरदस्ती साइकिल टैक्स वसूलते हैं और उनकी पिटाई करते हैं। यह बहुत बड़ी वेदना है। मैं चाहता हूं कि जो दो-चार जिलों में साइकिल टैक्स लिया जा रहा है, जिस तरह से शहरों में यह साइकिल टैक्स समाप्त कर दिया गया है, उसी तरह से ग्रामीण अंचल में भी साइकिल टैक्स समाप्त कर दिया जाय।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ग्राम्य विकास के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, यह विभाग समग्र ग्राम्य विकास के लिए काम करता है। चाहे वह सड़कों का निर्माण का कार्य हो चाहे नालियों का निर्माण का कार्य हो। हमारे प्रदेश की बहुत सी आबादी गांव में बसती है और ग्रामीण विकास के लिए हमारा प्रदेश हर संभव प्रयास कर रहा है। मान्यवर, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े देना चाहता हूं । गरीबी हमारे प्रदेश की ही नहीं पूरे देश की समस्या है। इसको दूर करने के लिए इस विभाग ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। जहां पर पांच वर्ष पहले गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवार 51 प्रतिशत थे, वहीं पर अब पांच वर्षों के बाद 41 प्रतिशत यह संख्या रह गई है। इसी तरह से मान्यवर, ग्रामीण विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए गये हैं| एन0आर0ई0पी0 और आर0 एल0 जी0 ई0पी0 में ऐसी योजनायें ली गई हैं जिनके जरिए गांव में नहरों सड़कों आदि का निर्माण होता है। गांव को सड़कों से जोड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी ने संकल्प लिया है कि एक हजार से अधिक आबादी वाले गांव को सड़कों से जोड़ा जाएगा।

मान्यवर, हमारे माननीय अशोक बाजपेयी जी ने और श्री शारदा प्रताप शुक्ल जी ने कहा कि 1977 में बनी हुई

सड़कें बेकार हो गई हैं। यह बात उन्होंने कही किन्तु वह खुद जानते हैं कि जनता शासन में किसी भी सड़क, पुलिया या सड़कों के मरम्मत का प्राविधान पहले नहीं हुआ था| पहली बार इस विभाग ने उन सड़कों की मरम्मत की तरफ ध्यान दिया है और पुलियों के निर्माण की व्यवस्था की है। इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय सरदार सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसको वापस ले लें। वे कहते हैं कि 1977 से 1980 तक सड़कें बनी वह जीर्ण-शीर्ण हो गईं, तो मैं कहूंगा कि पहली बार उनकी मरम्मत की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। 11 करोड़ रुपये का प्राविधान है।

मान्यवर, जो अच्छी योजनाएं हमारे प्रदेश में चल रही हैं उसमें पहली बार प्राइमरी पाठशालाओं के लिए अधिक ध्यान दिया गया है। शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग को, जो हमारे बच्चों के विकास की रीढ़ है बच्चे भारत के भविष्य हैं। उनके विद्यालय बहुत ही जीर्ण-क्षीर्ण हैं। उसकी दशा को देखते हुए हमारी सरकार ने इन विद्यालयों की मरम्मत के लिए प्राविधान किया है और इसके लिए करीब 13.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इस धनराशि से लगभग आठ हजार स्कूलों की मरम्मत होगी। इसी के साथ-साथ ग्रामीण विकास मंत्री ने यह भी संकल्प लिया है कि न्याय पंचायतों में सामुदायिक विकास केन्द्रों की स्थापना होगी। इससे ग्रामीण भाई काफी हद तक लाभान्वित होंगे। अपनी समस्याओं का समाधान एक स्थान पर करेंगे। इसके अतिरिक्त नि:शुल्क बोरिंग की योजना चलायी जा रही है। करीब 50 हजार किसानों को नि:शुल्क बोरिंग की सुविधा दी गई है। यह बहुत बड़ी बात है। इस विभाग द्वारा बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं।

मान्यवर, प्रादेशिक विकास दल गांव में नौजवानों को संगठित करने और रचनात्मक कार्य करने का कार्य कर रहा है। युवक मंगल दल ने करीब 3029 कि0मी0 गूलों का निर्माण किया है तथा करीब 3205 कि0मी0 गूलों की मरम्मत की है। करीब 825 कि0मी0 सड़कों का निर्माण युवक मंगल दल ने किया है। ऐसे महत्वपूर्ण दल को अधिक से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। इनको प्रोत्साहन देना चाहिए। इससे जो हमारी मंशा गांव के विकास की है, यह पूरी हो सकती है क्योंकि यह संगठन गांवों में बहुत से रचनात्मक कार्य कर रहा है। और हम अपने नौजवानों को नई राह दिखा सकते हैं एवं उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसी के साथ मैं ग्रामीण विकास मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और सरदार सिंह ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उनसे आग्रह करूंगा कि वे इसे वापस लें और हर्ष के साथ इस बजट को पास करें। धन्यवाद।

*श्री देव कुमार यादव–

मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि देश के गांवों के विकास की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ा दायित्व उनके विभाग के ऊपर है। इस देश की 80 फीसदी जनता गांवों में रहती है। हमारे राष्ट्रपिता का यह सपना था कि पंचायती राज के माध्यम से गांवों में रामराज्य की स्थापना होगी। राष्ट्रपिता का सपना पूरा नहीं हुआ। देश में अधिकांश आबादी गरीबी के रेखा के नीचे दम तोड़ रहीं हैं। जो लोग गांव में रहते हैं, वही लोग अन्न का उत्पादन करते हैं। सड़क बनाते हैं, भवनों का निर्माण करते हैं, गांव से

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निकल कर सीमा पर देश की रक्षा करते हैं| वही लोग आज अन्न के बिना, बिना कफन के, बिना रोटी दम तोड़ रहे हैं। मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि गांव के विकास के लिये सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली की आज नितान्त आवश्यकता है।

आज हमारे प्रधानमंत्री जी देश को 21 वीं सदी में ले जाने के लिये जोर-शोर से अमेरिका से कम्प्यूटर मंगा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि बिना गांव के विकास के, बिना 80 फीसदी जनता को ऊपर उठाये 21 वीं सदी में जाने का कोई अर्थ नहीं निकलता है। मैं मंत्री जी से कुछ बुनियादी नीतियों के बारे में आग्रह करना चाहता हूं। बुन्देलखंड के क्षेत्र में, मंत्री जी लघु सिंचाई विभाग के द्वारा जो बोरिंग में 3 हजार 4 हजार रुपये की छूट सीमान्त कृषकों को दी गई है, इससे बुन्देलखण्ड और बांदा में बोरिंग नहीं हो सकती है। इसलिये मेरा आग्रह है कि कम से कम 10 से 15 हजार के बीच में छूट करने का कष्ट करें। नहीं तो आज इस छूट का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। खाद्यान योजना के अंतर्गत जो सड़कें बनाई गई हैं, उनमें ईंट भी कहीं-कहीं लगा दिया गया है लेकिन आर0ई0एस0 के पास उनके रख-रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है। न उनके पास रोड रोलर्स है, जिससे गांव के आवागमन ज्यादातर बंद हो गये हैं।

मैं भ्रष्टाचार की एक मिसाल रखना चाहता हूं, जिसको सुनकर सदन हैरत में पड़ जायेगा। हमारे जनपद में भूतपूर्व विधायक के यहां संजय गांधी स्मारक के नाम पर 800 मीटर सड़क बनाई गई। इस पर गोट लगाने का 16 हजार का पेमेंट हुआ है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह विभाग गांवों का विकास नहीं विनाश कर रहा है। इन बातों पर माननीय मंत्री जी ध्यान दें तभी राष्ट्रपिता गांधी जी का जो सपना था, वह पूरा हो सकता है। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता–

मेरे पास बहुत से माननीय सदस्यों के बोलने के लिये बहुत लम्बी सूची है। आज बहुत से माननीय सदस्य घर भी जाना चाहते हैं। अतः विचार यह है कि समय कम कर दिया जाय। मैं तीन मिनट का समय करता हूं।

श्रीमती कुदसिया बेगम–

जनाब चेयरमैन, मैं आपकी मशकूर हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं ग्राम्य विकास मंत्री जी ने जो मांग पेश की है, उसका समर्थन करती हूं और कटौती का जो प्रस्ताव है, उसका विरोध कर रही हूं। जनाबेआला, मैं ग्राम्य विकास मंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहती हूं कि उनका विभाग बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है और जो मकसद है कि हमारे गांवों की हालत बेहतर हो और वहां के रहने वालों का स्तर ऊंचा हो, उसमें बहुत हद तक कामयाबी हो रही है। जनाबेआला, इसमें शक नहीं है कि गांवों के ऊपर ही मुल्क की तरक्की निर्भर करती है और जो ख्वाब हमारे प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने और इन्दिरा गांधी ने देखा था कि गांव के रहने वालों का रहन-सहन का स्तर ऊंचा हो, जनाबेआला, प्रधान मंत्री राजीव गांधी इसी कोशिश में हैं कि गरीबों का स्तर ऊंचा हो। गांव में रहने वाले गरीबों की हालत बेहतर होगी तभी हमारा मुल्क तरक्की कर सकेगा। जनाबेआला, इसमें शक नहीं है कि हमारी सरकार

ने बहुत सी स्कीमें शुरू की हुई हैं और उसके जरिये से गांव वालों की मदद की जा रही है। चूंकि वक्त कम है और बहुत सी बातें कहनी हैं, मैं चन्द बातों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं।

जनाबेआला, हमारा जिला हरदोई है। हमें खुशी है कि उसमें काफी तरक्की हुई है और विकास में आगे बढ़ रहा है। बीस सूत्री प्रोग्राम और अन्य योजनाओं के जरिये तरक्की हो रही है। मैं यह कहना चाहती हूं कि मेरे ब्लाक सण्डीला के लिये साढ़े दस लाख रुपया मंजूर हुआ था, लेकिन उसको घटाकर साढ़े चार लाख कर दिया गया, तो इस तरह हमारी हर गांव सभा के हिस्से में 3800 रुपया ही आया है। आप समझ सकते हैं कि इसमें तमाम विकास के कार्य करना कितना मुश्किल हो जाता है। चूंकि नहरों का काम है, पी0 डब्लू0 डी0 का काम है और तमाम सड़कों का काम है, ये सब उसी रुपये के ऊपर निर्भर है। मैं अर्ज करना चाहती हूं कि इन सारी चीजों के लिये कुछ ज्यादा रुपया दिया जाय। मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूं कि मेरे दोनों ब्लाक बेघर और सण्डीला में सरकारी ट्यूबवेल केवल दो हैं, जबकि इसके बगल के ब्लाक मल्लावां में 50 ट्यूबवेल हैं। तो हमारे ब्लाक में तरक्की की जाय। मैं एक और मांग करना चाहती हूं कि गांवों की औरतों के लिये एक सेल बनाया जाय, क्योंकि गांव में औरतों की हालत बहुत उपेक्षित है। अगर औरतें तरक्की नहीं करेंगी तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। इसलिये गांवों में औरतों की जरूरियात को पूरा करने के लिये एक सेल बनाया जाय।

प्रधान प्रभुदयाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया। मैंने बजट को पूरी तरह से देखा तो एक बात याद आई कि यह बजट जैसे बाजीगर का पिटारा है, जो चौराहे पर बैठकर सारी पब्लिक की आंखों में धूल झोंकता है। हाथ में मिट्टी उठाकर घोंचड़ू करता है और बाद में देखने पर कुछ नहीं होता। इसी प्रकार इस बजट के बाद क्षेत्र में कुछ नहीं बचता है। यहां पर आंकड़े देखने पर लगता है कि बहुत कुछ है, लेकिन बाद में जनता के लिए कहीं कुछ नहीं होता है और सब घोचड़ू गरदी में चला जाता है। एक कहानी याद आ रही मुझे कि एक जगह पर पंडित जी दशहरे के दिन कथा कह रहे थे।

आबकारी राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)–

मान्यवर, यह जो असंसदीय शब्द कहे हैं, उसको कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री अधिष्ठाता–

इसको देख लेंगे। यदि कोई असंसदीय शब्द होंगे। तो निकलवा देंगे। माननीय प्रभूदयाल जी अब आप समाप्त करें।

प्रधान प्रभूदयाल–

दशहरे के रोज एक पंडित जी कथा बांच रहे थे। एक सरकारी आदमी कांग्रेस का, उन्हीं में से, वहां से गुजरा, जब उसने देखा कि पंडित जी कोई कथा सुना रहे हैं, तो उसने सोचा कि वे भी प्रवचन सुन लें। पंडित जी ने कहा कि दशहरे के रोज यदि कोई नीलकंठ का दर्शन कर लेता है, तो वह उसके लिए शुभ होता है। वह कांग्रेसी व्यक्ति यह सुनकर वहां से उठ खड़ा हुआ। जब आगे बढ़ा तो

उसे एक पड़ा हुआ नीलकंठ दिखाई दिया । उसने उसे उठाया तो वह नीलकंठ मरा हुआ था । उसने सोचा कि पंडित जी ने यह तो बताया नहीं कि मरे नीलकंठ के दर्शन अच्छे होते हैं या जिन्दे नीलकंठ के । वह इसी संशय को मिटाने के लिये पुनः लौटकर पंडित जी के पास आया और उनसे पूछा कि आपने यह तो बताया नहीं कि मरे नीलकंठ के दर्शन अच्छे होते हैं या जिन्दे के । पंडित जी ने उसे बताया कि जिन्दे नीलकंठ के दर्शन अच्छे होते हैं। यदि किसी को मरा हुआ दीख जाय तो उसका नाश हो जाता है । उसने यह सोचा कि उसने तो मरे हुए के दर्शन कर लिये हैं, इसलिए उसका तो सर्वनाश हो जायेगा। उसने उस मरे हुए नीलकंठ को सबको दिखाते हुए कहा कि तुम लोग भी इस नीलकंठ के दर्शन कर लो । मान्यवर, यही हालत इनकी है ।

श्री अधिष्ठाता–

आपने तीन मिनट कहानी में ही ले लिये । अब आप बैठ जायं कृपा करके मैंने दूसरे माननीय सदस्य श्री हरदेव जी को बुला लिया है ।

प्रधान प्रभूदयाल–

मान्यवर, मैंने तो एक उदाहरणस्वरूप कहानी सुनायी। मुझे अब अपनी बात कह लेने दें।

(श्री हरदेव के पुकारे जाने पर)

श्री हरदेव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ग्राम्य विकास विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय प्रभूदयाल जी, अब आप बैठ जायें, समय कम है।

श्री हरदेव–

मान्यवर, मैं इस बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं तथा भाई सरदार सिंह के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, ग्राम्य विकास विभाग ग्रामीण जनता के विकास की डोरी है। मान्यवर, इस विभाग के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को, गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का इस सरकार ने सराहनीय प्रयास किया है। मान्यवर, इस विभाग द्वारा चलायी गयी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सीमान्त कृषक, लघु कृषक, दस्तकार, शिल्पकार–प्रगति के पथ पर अग्रसर हुए हैं। मान्यवर, इस सरकार ने प्रतिवर्ष हर ब्लाक में लगभग 500–600 गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को ऊपर उठाने का जो कार्यक्रम बनाया है, वह अत्यन्त ही सराहनीय है। मान्यवर, गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने में पिछले 5 वर्षों से अब तक काफी सफलता मिली है । सरकार ने आई0 आर0 डी0 पी0, एन0 आर0 ई0 पी0, एकीकृत ग्राम्य विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना, खाद्यान्न योजना–इन योजनाओं को ग्रामीण अंचलों में चलाकर–वहां के लोगों की उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया है। मान्यवर, इस सरकार ने इन योजनाओं से सम्पर्क मार्गों का जो कार्यक्रम बनाया है, वह अपने आप में सराहनीय है। जहां-जहां जरूरत या आवश्यक है,

वहां-वहां सम्पर्क मार्गों का निर्माण उ0 प्र0 में प्रगति पर है। पेयजल अभावग्रस्त ग्रामों में पूरे प्रदेश में जो हैंडपाइप की व्यवस्था करायी गयी है, वह भी प्रशंसनीय है। हमारे बलिया जनपद के कई सौ ग्रामों में ऐसे अनेक ग्राम लाभान्वित हुए हैं। मान्यवर, मैं बलिया जनपद से दूसरी बार चुनकर आया हूं। इस विभाग ने हमारे यहां जो ग्रामीण विकास का काम किया है, वह सराहनीय है। अभी तक 34 सड़कें इस विभाग की ओर से हमारे विधान सभा क्षेत्र में बन चुकी हैं। बलिया में 102 सड़कें इस स्कीम के तहत बनी हुई हैं। इस सच्चाई पर पर्दा डालने वाले विरोधी दल के साथियों से मैं कहूंगा कि अगर वे सही बात नहीं कहेंगे तो जनता उन पर हंसेगी। जनता यह महसूस करती है कि कितना विकास हुआ है। मान्यवर, जब मैं जनता के बीच में जाता हूं कि तो वे लोग हंसकर पूछते हैं कि कहीं आपके विरोध पक्ष के साथियों की आंखों में मोतियाबिन्द तो नहीं पड़ गया है। जो वे लोग विकास के कार्य को नहीं देख पा रहे हैं। मान्यवर, मैंने उनको बताया कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय लोकपति त्रिपाठी जी हर जिले में इन लोगों के मोतियाबिन्द के इलाज के लिए अस्पतालों की व्यवस्था करा रहे हैं, तब ये लोग शीघ्र ही अपना चश्मा पहन कर उ0 प्र0 के विकास को देखेंगे तथा जिनके आंखों में मोतियाबिन्द हैं, उनके इलाज की व्यवस्था करायेंगे।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि शारदा सहायक व अन्य कमांड के माध्यम से भी प्रदेश का काफी विकास हुआ है। मान्यवर, मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि अपने तहसील क्षेत्र के भीमपुरा में ब्लाक की मांग 1980 से कर रहा हूं। मा0 मंत्री जी कृपया उस ओर भी ध्यान देकर शीघ्र ब्लाक भीमपुरा को गठित करने की कृपा करें। 103 ग्रामसभायें सीयर ब्लाक में हैं और 113 ग्राम सभायें नगरा ब्लाक में हैं। इस प्रकार दोनों को मिलाकर 216 ग्राम सभायें हैं। इतनी ज्यादा ग्राम सभाओं का क्षेत्र होने की वजह से यहां भीमपुरा क्षेत्र में विकास के कार्य नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह 72 ग्राम सभाओं पर एक भीमपुरा ब्लाक बनाने की कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं समर्थन करता हूं।

श्री कुशल पाल सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जितनी भी योजनायें विकास की इसमें दिखाई गई हैं, वे सब सही हैं लेकिन उनका कार्यान्वयन ईमानदारी से नहीं हो पा रहा है। चाहे वह आई0 आर0 डी0 की योजना हो, आर0 एल0 जी0 पी0, डी0 आर0 डी0 ए0 की योजना हो और चाहे 20 सूत्रीय कार्यक्रम की योजना हो। मथुरा जनपद में चाहे वह भैंस बकरी बांटने की योजना हो और चाहे मशीनें बांटने की योजना हो चाहे वह उद्योग की योजनायें हों, वे सब कागजों पर हैं। मैं इसका एक सबूत माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं कि मथुरा में 20 सूत्रीय कार्यक्रम व आई0 आर0 डी0 योजना के तहत बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। सांख्यकी विभाग ने 1985 में इसकी जांच की और इसमें शत-प्रतिशत घपला पाया। आप सांख्यकी विभाग की वह रिपोर्ट मंगवा लें और उसके हिसाब से कार्यवाही करें तब आपको

पता लग जायेगा कि विकास का कार्य कैसा हो रहा है। यह कार्य कागज पर हो रहा है या जमीन पर हो रहा है।

मान्यवर, जिला परिषदों की बहुत ही दयनीय स्थिति है। जिला परिषदों के अभी चुनाव नहीं हुए हैं। जिला परिषदों में हमारे गांव सभाओं को जो आमदनी होती थी, जैसे पैठ मछली का पट्टा वह करते थे आदि, वह सब उनसे ले लिया गया है। अब उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वह विकास का कार्य कर सकें। जिला परिषदों के जो अस्पताल चल रहे हैं, उनकी हालत भी बहुत ही खराब है । मैंने अपने जनपद के मानागड़ी और लोहई के अस्पतालों को स्वयं देखा। 8 साल से वहां पर डाक्टर नहीं है। लोहई में एक चौकीदार रहता है। वह दवाई बांटता है। अब वह क्या दवाई बांटता होगा, इसका अन्दाज आप स्वयं लगा सकते हैं। यदि जिला परिषदों के चुनाव जल्दी से जल्दी हों तो कुछ विकास का कार्य हो सकेगा क्योंकि फिर वहां पर जनप्रतिनिधि जाकर बैठेगा ।

मान्यवर, इनमें जितने भी कर्मचारी हैं, वे बहुत ही घोटाला करते हैं, इसलिए उनका कमिश्नरी में कहीं भी स्थानान्तरण कर दिया जाना चाहिए ताकि जो भ्रष्टाचार होता है, वह कम हो सके। हरिजनों के नाम पर जो मकान बन रहे हैं उनमें बहुत ही निम्न स्तर का काम हो रहा है। मेरे यहां नौहसील ब्लाक में 1982 से आज तक हरिजनों के लिए कोई भी मकान नहीं बन पाया है। हरिजनों के नाम से पैसा खा लिया गया। उसकी जांच का मामला आपके यहां पेन्डिंग है। जहां तक लघु सिंचाई योजना का सवाल है। मथुरा में जितने पुराने बोरिंग थे, उनको ही नये बोरिंग के रूप में दिखाया गया है। पम्प सेट लोगों को जो मिलने चाहिए थे, वह उनको नहीं मिले हैं। मुश्किल से आधे लोगों को, जिन्होंने अनुदान में चौथाई छूट को अधिकारियों को दे दिया, ही को पम्पसेट मिल पाये हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इस ओर विशेष ध्यान दें। जहां तक लिंक रोड का सवाल है, इन्हें भी कम चौड़ी करके निकलवाने की माननीय मंत्री जी विशेष कृपा करें। इसी के साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री फजले मसूद–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं बजट का समर्थन करते हुए सरदार सिंह जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। विरोध पक्ष को हमेशा रचना के लिए विरोध करना चाहिए न कि विरोध के लिए विरोध । यह किसी भी प्रगतिशील प्रदेश के लिए अच्छा नहीं होता। माननीय विपक्ष के साथ अगर हम कोई अच्छा कार्य भी करते हैं तो उसका भी विरोध करते हैं। यदि वह प्रगति के लिए विरोध करे तो यह उनका एक सराहनीय कदम होगा । मान्यवर, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जो लोग रह रहे थे, उनके स्तर में कमी आयी है । पहले यह प्रतिशत 51 प्रतिशत थी, अब 41 प्रतिशत हो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गयी है । ग्रामीण कृषक भाइयों का जो लघु और सीमान्त कृषक हैं, इसमें कम से कम 50 हजार किसानों की जो निःशुल्क बोरिंग करायी गयी है, इसमें किसान भाइयों को लाभ मिला है। इसके साथ ही माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनके विभाग द्वारा हमारे प्रदेश में रहने वाली उस जनता को जो 80 प्रतिशत है, उनको यातायात की सुविधायें उन सड़कों के माध्यम से मिलेंगी जो उनके विभाग द्वारा बनायी जा रही हैं । हमारे किसान उनसे लाभ उठा रहे हैं। हमारे किसान जो लोगों की जेबें भरते हैं, उनकी जरूरतों को चाहे सड़कें हों, यातायात हो, उनको पूर्ण किया जा रहा है । इसी के साथ आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

माननीय, ग्राम्य विकास विभाग के बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आभारी हूं। ग्राम्य विकास के इतने विभाग हैं, उनकी तरफ माननीय मंत्री जी को विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे लघु सिंचाई है, बुन्देलखण्ड में जल बहुत कम है, भूगर्भ जल और भी कम है। लघु सिंचाई के लिए जो व्यवस्थायें की जा रही हैं, एक-एक कुएं की खुदाई में 60-60 हजार और 70-70 हजार रु0 लग जाता है, लेकिन फिर भी उससे पानी नहीं मिल पाता है। इसी तरह चैक डैम बने हैं। उसमें दो-दो, चार-चार लाख रु0 लगता है किन्तु सिंचाई की सुविधा नहीं मिलती है। मेरी मांग है कि जो भी सिंचाई के कार्य कराये जायं, उसमें यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उससे कितना लाभ मिल रहा है। झांसी जिले में लघु सिंचाई द्वारा अब तक किये कार्यों की जांच कराई जाय और यह भी देखा जाय कि धन खर्च करने के बाद क्या शासन की लघु सिंचाई की मंशा पूरी हो रही है।

ग्राउण्ड वाटर डिवीजन, जो झांसी में स्थापित होना चाहिये था, तत्कालीन किन्हीं कारणों से उसको हमीरपुर में रख दिया गया था। मेरी मांग है कि उसे झांसी में ही पुनर्स्थापित कर रखा जाय ।

भूगर्भ जल की जितनी समस्या है, इस सन्दर्भ में भूगर्भ जल सर्वेक्षण विभाग ने 1981 में बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य के पठारी जनपदों में विस्तृत भूजल सर्वेक्षण हेतु एक योजना यू0 एन0 डी0 पी0 को भेजी थी। केन्द्र सरकार को 81 में इस योजना को भेजने के बाद से किसी ने भी, विभाग एवं शासन ने इसकी पैरवी नहीं की है।

जहां तक नलकूपों और ट्यूबवेल्स का सवाल है, इनको जिस तरीके से बिना नियोजन के लगाया जा रहा है, जहां चाहें लगवा देते हैं। इसके लिये सही बात यह है कि इसका हाइड्रोजियालाजीकल और रिमोट सेन्सिंग से सर्वेक्षण कराया जाय । इसका काम भी कई विभाग अलग-अलग कर रहे हैं। उधर जल निगम और नलकूप निगम भी इस कार्य के लिये अलग इकाइयां बना रहे हैं। एक काम के लिये अगर एक विभाग बना हुआ है, तो वही इसको करे ताकि शासन पर वित्तीय भार दुगुना चौगुना न हो।

भूगर्भ विभाग को जितना पैसा मिलता है, उसका 60 प्रतिशत केवल वेतन एवं अन्य खर्चे में व्यय हो जाता है।

भूगर्भ विभाग के पुनर्गठन की बात चल रही है, जिसमें ए0 पी0 सी0 महोदय के साथ कई अधिकारियों को एक कमेटी बनी है, पिछले 3 वर्षों से यह कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। उसको या तो समाप्त कर दिया जाय या पुनर्गठन के बाद काम किया जाय। इसी के साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं ग्राम्य विकास मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और आपने जो इस पर मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। हमारे माननीय मंत्री जी प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिये एक योजना ले कर सदन के सामने आये हैं। इसलिये सर्व-सम्मति से इस बजट को जो कि इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, पारित करना चाहिए और कटौती के प्रस्ताव को वापस लिया जाना चाहिये।

मान्यवर, मैं केवल कुछ सुझाव ही देना चाहता हूं कि प्रदेश के विकास के लिये जिला स्तर पर जिला परिषद् के रूप में एक प्रमुख संस्था है, उसके चुनाव नहीं कराये गये हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसके चुनाव के लिए मई के महीने की घोषणा की है जो कि वास्तव में सराहनीय है। श्रीमन्, यदि चुनाव सम्भव न हो तो जिला परिषद् का गठन करके अध्यक्ष के रूप में नाम-जदगी करके जनप्रतिनिधियों के अधीन बेसिक शिक्षा प्रणाली का काम सौंपा जाय और उनको इसमें लिया जाय।

न्याय पंचायतों का गठन तो सालों से नहीं हुआ है। मैं मांग करता हूं कि न्याय पंचायतों में सरपंचों की नियुक्ति की जाय और सदस्यों का चुनाव कराया जाय और जो ग्राम प्रधान मर गये हैं, उनके स्थान को पूरा करने के लिए ग्राम प्रधानों के उप-चुनाव कराये जायं।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एटा जिला प्राधिकरण की मीटिंग में दो प्रस्ताव पारित किये गये थे कि फ्री बोरिंग के साथ पम्पसेट आवश्यक न रहे तथा पम्पसेट का पैसा डीलर को न देकर सीधे लाभार्थी को दिया जाये। वह जहां से जैसा इंजन चाहे खरीदे। गंजडुंडवारा ब्लाक, एटा का भवन निर्माण कराया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

अब आपका समय समाप्त हो गया, आप बैठिये।

श्री सुखपाल पाण्डे–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो माननीय ग्राम्य विकास मंत्री ने यह ग्राम्य विकास विभाग का बजट प्रस्तुत किया है, मैं इसका विरोध करता हूं और माननीय सरदार सिंह द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये, खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, ग्राम्य विकास के सम्बन्ध में अगर कुछ कहा जाय तो थोड़ा है। मान्यवर, आज इस विभाग की गतिविधियां और उपलब्धियां जो हैं उसको मंत्री जी ने संक्षेप में यहां प्रस्तुत किया है। इसके आंकड़ों के सम्बन्ध में देखने से यह पता चलता है कि आप अपनी तरफ से प्रगति की तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन आप भूमजाल में पड़ गये हैं और आपकी आगे बढ़ने की गति मन्द हो गयी है।

मंत्री जी ने हरिजनों के आवास के सम्बन्ध में यहां उल्लेख किया है। मैं उसी की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कहीं भी उनके आवास नहीं बने हैं और पैसे का भुगतान कर दिया गया है। आपका ध्यान मैंने बस्ती जिले के अनेक आवासों की ओर आकर्षित किया था, जिसके बारे में आपने जांच भी करायी थी।

जिला परिषदों के बारे में कहना चाहता हूं कि जिला परिषद् भ्रष्टाचार का गढ़ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप वहां सुधार कीजिये। वहां के स्टोर कीपर ने चार लाख रुपये का गबन किया।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हो गया।

(श्री सुखपाल पाण्डे द्वारा निरन्तर बोलते रहने पर)

अब आप बैठिये। मैंने माननीय महरम सिंह को बुला लिया है और ये आखिरी वक्ता होंगे। महरम सिंह जी, आप केवल दो मिनट में ही अपनी बात कह कर समाप्त करें।

श्री महरम सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ग्राम्य विकास के बजट पर बोलने का अवसर दिया।

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं ग्राम्य विकास मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का जोर दार विरोध करता हूं। मैं यह मानता हूं कि राम राज्य ग्रामीण पंचायत राज्य के द्वारा लाने में कामयाबी हासिल की जा सकती है। महात्मा गांधी के उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। उनकी कल्पना को पूरा किया जा सकता है परन्तु उधर के माननीय सदस्यों का उसी तरह से सहयोग होना चाहिए जिस तरह से कांग्रेस के लोग राम राज्य की स्थापना करने में तनमन से जुटे हैं। मान्यवर, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। जैसा कि जिला परिषद् के बारे में कहा गया मान्यवर। अध्यक्ष पद पर किसी गैर सरकारी व्यक्ति को नामजद करके कार्य संचालन कराया जाय ताकि क्षेत्र में जनता की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। दूसरा सुझाव मेरा है कि जिन ब्लाकों में भूगर्भ जल सर्वेक्षण कराया गया है, उनमें जो ब्लाक डार्इ करके रोके गये हैं सिंचाई के साधनों की उपलब्धि से, वह गलत है। उनका गलत तरीके से सर्वेक्षण हुआ है। उनमें सिंचाई के साधनों की बहुत जरूरत है। इसलिए फिर से सर्वेक्षण कराया जाय।

मेरा तीसरा सुझाव है कि जहां आयुर्वेदिक अस्पताल जिला परिषद् द्वारा चलाये जा रहे हैं। वे या तो व्यवस्थित ढंग से चलाये जायं नहीं तो उनको राजकीय चिकित्सालय बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को दे दिया जाय। मान्यवर, स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं इनको दे दिया जाय और वह राजी भी है इसको लेने के लिए। गांव सभाओं के द्वारा हमारे बजट का भारी धन खर्च किया जाता है। उसे अच्छे ढंग से खर्च किया जाना चाहिए ताकि उसका दुरुपयोग न हो सके। यह बहुत आवश्यक है। मैं ज्यादा न कहकर इतना और कहना चाहता हूं कि आर0इ0एस0 की सेवा, पंचायत राज्य, सामुदायिक विकास, आप सब के मालिक हैं इन महकमों के, सब के मंत्री हैं। आर0इ0एस0 में ठेकेदारी की नियुक्ति प्रथा के लिए एक नियम बना दीजिये। लघु सिंचाई के द्वारा आपने इस वर्ष

निःशुल्क बोरिंग करायी है। आपने एक आदेश कर दिया कि एग्रो से इंजन दिलाये जायं यह गलत है। मान्यवर, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास साधन नहीं है। इसलिए जो निजी क्षेत्र की दुकानें हैं, वहीं से इसे खरीदने की घोषणा करें और यह प्रतिबन्ध न लगाया जाय । ताकि किसानों को उन दुकानों पर जाकर मरम्मत कराने और उन दुकानों से सामान खरीदने की सुविधा हो। यह मेरी प्रार्थना है । मैं इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी के बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और कटौती का विरोध करता हूं और विरोधी सदस्यों से प्रार्थना है कि कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और राम राज्य की स्थापना के लिए इस बजट को सर्व सम्मति से पारित करें ।

श्री अधिष्ठाता –

माननीय सरदार सिंह जी, उत्तर भाषण के लिए 10 मिनट का समय है, फिर मंत्री जी बोलेंगे ।

श्री सरदार सिंह –

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस पक्ष के और उस पक्ष के लोगों का आभारी हूं कि उन्होंने औपचारिकता की बातें छोड़कर मेरी ही बात कही है । हमारे माननीय के0के0 शर्मा की समझ में नहीं आया है। उन्होंने ग्रामीणों के शौचालयों का जिक्र किया है । मान्यवर, शर्मा जी को हमारी बात पसन्द नहीं आई, यह मैं उनकी गलती नहीं मानता हूं । यह तो जो हमारी कांग्रेस की संस्कृति है, कांग्रेस का कल्चर है, उसका दोष है । मान्यवर, जिस पार्टी में अच्छे-अच्छे नाचने वाले हों, गाने वाले हों उनको देहात में रहने वाले लोगों की बात कैसे अच्छी लग सकती है ? देहात वालों को न तो अच्छा वाद्य यंत्र मिला है, न सड़क मिली है, न कोई पेयजल व्यवस्था मिली है, कोई चीज भी अच्छी देहात वालों को नहीं मिली है, जिससे वह अच्छी तरह से गाना बजाना सीख सकें ।

मान्यवर, गांवों में आज बड़ी भयावह स्थिति है । जो लोग नाचना नहीं जानते, गाना नहीं जानते, बजाना नहीं जानते, जिनका वाद्य यन्त्र जुआ हो, फावड़ा हो, खुरपी हो, उनकी बात आपको अच्छी नहीं लग सकती है । . . . (व्यवधान) लेकिन मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मिस्टर सी0ई0एम0 जोध एक बहुत बड़े इकानामिस्ट हुए हैं । उन्होंने एक पुस्तक "स्टोरी आफ सिविलाईजेशन" लिखी है । जिसमें उन्होंने लिखा है कि पांचवीं शताब्दी में एथेन्स, बेवीलोन और डच लोग सभ्य हो गये थे, तरक्की कर गये थे । उस समय बहुत भारी संख्या में चारों तरफ गरीब एवं असभ्य लोग थे । एथेन्स सभ्यता वालों ने भी प्रयास नहीं किया कि उनको विकसित एवं सभ्य किया जाय । इसलिए इन असभ्य लोगों ने वहां की सभ्यता को भी नष्ट कर दिया । हेन्स और हेव नौट, गरीब और अमीर में आज बहुत बड़ा अन्तर हो गया है । आप लोग पैसे वाले हैं, आपने देहात वालों को कुछ नहीं दिया है । लेकिन मेरा कहना यह है कि गरीब लोगों की तरफ ध्यान दिया जाय, जिनके लिए योजनायें बनी हैं । आप केन्द्र से यह कह कर बजट लाते हैं कि हमारी आबादी ज्यादा है । माननीय नारायण दत्त तिवारी और अन्य मुख्य मंत्री यही कहकर केन्द्र से रुपया लाये हैं कि हमारा प्रदेश बड़ा है । लेकिन जब इसके लिए रुपया मिल जाता है तो आप उसे जनता पर न लगाकर अपने लिए सारा बजट रख लेते हैं। मान्यवर, यहां पर ग्रामों की आबादी 80 प्रतिशत है और आप बजट देते हैं, केवल 20/22 प्रतिशत । यदि गरीबों की संख्या इसी तरह बढ़ती गई और अगर कुछ लोग 21 वीं सदी में, सुपर स्टार में, फाइव

स्टार में भी पहुंच गये तो यही जुंआ, हल और फावड़े वाले लोग, उनको वापस खींच लेंगे और जो आपकी गाड़ी चल रही है वह रुक जायेगी और आप बहुत पीछे हो जायेंगे . . . (व्यवधान)। जनता आपको देख रही है । आपके जितने आंकड़े हैं, वे सब फर्जी हैं ।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप अपने विभाग में कर्मचारियों की फौज बढ़ाते चले जा रहे हैं, चाहे काम हो या न हो । जो काम आर0 ई0 एस0 या पी0 डब्लू0 डी0 द्वारा हो सकता है, वह काम आपका गन्ना अधिकारी कर रहा है । राम गंगा कमान्ड के अधिकारी कर रहे हैं । माननीय मंत्री जी ने उनके हल किये जाने की बात की है । लेकिन जो देहात से सम्बन्धित योजना है–मथुरा और आगरा के खारे पानी की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है । इसलिए मेरा निवेदन है कि आप अपने अधिकारियों को फंक्शनल बेसिस पर नियुक्त करें । जो आज गांवों में शिल्पकार हैं, बढ़ई हैं वे भी गांवों को छोड़कर शहरों में आ रहे हैं। आपने गांवों में नई नई सिलाई की मशीनें लोगों को दी हैं, लेकिन आपने वहां टेक्निकल आदमी प्रशिक्षित नहीं किया है । मशीन के खराब होने पर, तकनीकी त्रुटि आने पर वह बेकार पड़ी रहती है और उसे पैसा खर्च कर दूर शहर में ठीक कराने जाना पड़ता है । उद्योग धन्धों के बारे में महामहिम बापू ने कहा था । जिसके लिए हमारे चौधरी चरण सिंह कह रहे हैं कि हिन्दुस्तान की तरक्की नहीं हो सकती जब तक कि प्रदेश के अंदर कुटीर उद्योगों का विकास नहीं होगा। इसलिए प्रदेश के अन्दर छोटे-छोटे उद्योग धन्धे लगाये जांय, उनकी बेरोजगारी दूर की जाय, स्कूल खोले जांय, पंचायत घर बनाये जांय । तभी हिन्दुस्तान के अन्दर आदर्श गांव बन सकते हैं और इसी से देश आगे बढ़ सकता है । इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय –

अधिष्ठाता महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का, चाहे सत्तापक्ष के हों या विपक्ष के, बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस बजट पर चर्चा में अपने अमूल्य सुझाव दिये ।

मैं अपेक्षा करता था और यह सदन भी चाहता था कि जब कटौती के प्रस्ताव पर माननीय सरदार सिंह बोल रहे थे तो ग्रामीण अंचलों के विकास के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, उन पर वह कुछ सुझाव देते । जो गल्तियां अगर कहीं पर हो रही हैं तो उनके निराकरण की बात कहते । लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय सरदार सिंह ने एक पिटा पिटाया भाषण दिया और ग्राम्य विकास से संबंधित किसी भी बात पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं की ।

मान्यवर, माननीय सरदार सिंह जी ने बजट का भी अध्ययन नहीं किया, ऐसा लगता है । उन्होंने अपने कटौती प्रस्ताव में कहा कि इस बजट में शिक्षा, पंचायत, बिजली, स्वास्थ्य, सड़क, आवास, सिंचाई पेयजल की सुविधा आदि के लिए धन ज्यादा नहीं बढ़ाया गया है । अगर वह गौर से पढ़े होते तो उनको मालूम हो जाता कि इन सभी मदों पर बढ़ोत्तरी की गई है ।

आई0आर0डी0पी0 में गलत चयन के बारे में जिक्र किया गया । मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने हमारे विकास खंडों का भी सर्वेक्षण कराया था। सर्वेक्षण में कहीं भी चयन प्रक्रिया में कोई गलती नहीं पायी गई। देश

के सभी प्रदेशों की तुलना में भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की सराहना की है कि उत्तर प्रदेश में आई0आर0डी0 योजना बहुत अच्छे ढंग से चल रही है । इसके अलावा विकास खंडों के स्तर पर, जिला स्तर पर- और मंडल स्तर पर इस योजना के लिए सत्यापन की व्यवस्था को गयी है। अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गयी है कि जो हमारे लाभार्थी हैं, उनको विकास खंडों में जाकर देखें कि उनको पैसा मिला या नहीं मिला और उनको उससे लाभ पहुंचा कि नहीं पहुंचा । तो इस तरह से सत्यापन की व्यवस्था की गयी है ।

माननीय अमीर खां साहब ने एक अच्छा सुझाव दिया कि ग्रामीण अंचलों में ट्रेनिंग देने की आज आवश्यकता है । उसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि ग्रामीण औद्योगीकरण की ट्रेनिंग देने के लिए डिस्ट्रिक्ट टैकनालाजी सेंटर की स्थापना प्रत्येक जिले में करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिनमें इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जायेगी ।

माननीय अशोक बाजपेयी जी ने तथा दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा कि गरीबी उन्मूलन, प्राइमरी स्कूलों के भवनों की मरम्मत, सड़कों के विकास के लिए, कोई नये कार्यक्रमों की बातें भाषण में नहीं कही गयी है । तो हमने जो बजट पेश किया है उसमें करीब-करीब सभी नयी चीजें आई हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत नहीं होती थी तो उनके लिए साढ़े 11 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । प्राइमरी स्कूलों के भवन काफी दिनों से जर्जर थे । उनकी मरम्मत की व्यवस्था की गई है । और जो भवनहीन विद्यालय हैं, उनके लिए आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 के तहत योजना बनाई गई है । मैं माननीय सदस्यों से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि जब जिला योजनाएं बनने लगे, उस समय अधिक से अधिक धन की व्यवस्था कराइये। क्योंकि जितना धन जिला योजना में अपने-अपने जिलों में रखेंगे, उसका डेढ़ गुना आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 योजना से स्वीकृत किया जायगा । जैसे यदि एक लाख रुपया जिला योजना में है तो ज्यादा से ज्यादा डेढ़ लाख रुपया और एक करोड़ रखते हैं तो डेढ़ करोड़ रुपया आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 से मिल सकता है । जिससे पाठशालाओं के भवन बनवा सकते हैं ।

मान्यवर, आई0 आर0 डी0 योजना में जो लाभार्थी हैं, उनके लिए इस वर्ष 41.35 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है और इतना ही धन भारत सरकार से मिलेगा । इसमें 6 लाख प्रदेश के गरीब लोग लाभ उठायेंगे । इस योजना में निर्देश है कि आधी संख्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की हो । इस प्रकार 3 लाख अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग इस योजना से अगले वर्ष लाभान्वित होंगे ।

मान्यवर, ग्रामीण सैनीटेशन के संबंध में कहा गया कि कोई अच्छा कार्यक्रम नहीं चला रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि बहुत ही वृहद पैमाने पर इस योजना को चालू किया गया है । 18 हजार शौचालय इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में एन0 आर0 ई0 पी0 योजना में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बनाये जायेंगे । हाउसिंग योजना के अन्तर्गत जो 6 हजार रुपए प्रति आवास हरिजनों को दिए जा रहे हैं । 18 हजार शौचालय इस योजना के तहत बनाये जायेंगे और 4 हजार शौचालय यूनिसेफ की सहायता से बनाये जायेंगे । इस तरह से कुल 40 हजार शौचालय प्रति वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में बनाने की हमारी योजना है ।

मान्यवर, सामाजिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण योजना भारत सरकार की सहायता से उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है। हम 12 जिलों में इस योजना को इस वर्ष चला रहे हैं और 12 जिलों में अगले वित्तीय वर्ष में यह योजना चलाने का प्रस्ताव है । इस योजना के तहत ग्रामीण अंचलों में जो निर्धन लोग हैं, जिनकी आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष की है, उनकी यदि आकस्मिक मृत्यु हो जाये, दैवी आपदा, बाढ़ से या रेल दुर्घटना या बस दुर्घटना या सड़क पर दुर्घटना हो जाये और मृत्यु हो जाय तो सरकार उसके परिवार को तीन हजार रुपये की सहायता देगी ।

मान्यवर, इसके अलावा जो कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, उस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जोर दिया कि जन प्रतिनिधियों का उसमें सहयोग होना चाहिए । मान्यवर, आपको मालूम है कि जिला स्तर पर जो योजनाएं बन रही हैं, डी0 आर0 डी0 ए0 के अन्तर्गत जो योजनाएं बनाई जाती हैं । इसके जो सदस्य हैं, वह सभी माननीय विधायकगण और सांसद हैं । मान्यवर, देखरेख के लिए निर्देश दिए गए हैं कि एक डायरेक्टरी आफ वर्क बनाई जाये । जो जिलों में काम हो रहे हैं, उनका उस पुस्तक में उल्लेख किया जाये । जैसे कोई योजना स्वीकृत हुई, उसकी कितनी लागत है, कितना काम हुआ और कितना उस पर खर्च हुआ, पिछले साल और अगले साल कितना खर्च किया जायेगा। इन सारे कामों की जो डायरेक्टरी बनेगी, उसको माननीय विधायकगण, सांसद, जनप्रतिनिधि, ब्लाक प्रमुख को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है ।

(5 बजकर 20 मिनट)

दूसरी चीज, हमने यह भी किया है । अभी तक यह आम शिकायत रही है, कि विकास खण्ड में बी0 डी0 सी0 की मीटिंग में अधिकारी नहीं जाते हैं । हमारी नियमावली में एक ऐसा प्राविधान है, जिसमें यह है कि बी0 डी0 सी0 अधिकारियों से निवेदन करेगी आने के लिए, तो वह जायेंगे । केवल बी0डी0सी0 की बैठक की सूचना उन्हें जाती थी। लेकिन नियमों में यह है कि बी0 डी0 सी0 स्पष्ट इंगित करेगी कि कौन से अधिकारी बी0 डी0 सी0 में अवश्य आयें । अब हमने अधिकारियों की दो श्रेणी कर दी है-एक तो जिला स्तर के अधिकारी और दूसरे ब्लाक या तहसील स्तर के अधिकारी । ब्लाक स्तर के अधिकारी, वे चाहे जिस विभाग के हों, उनके लिए हमने बी0 डी0 सी0 की बैठक में जाना अनिवार्य कर दिया है । उनके लिए बैठक में हर हालत में आना अनिवार्य है, चाहे उनका एजेण्डे में कोई विषय हो या न हो । दूसरे जिला स्तर के उन अधिकारियों के लिए बी0 डी0 सी0 की बैठक में आना अनिवार्य है, जिनको यह लिखा गया हो कि इस विषय पर विचार होगा और उसमें आपका भाग लेना आवश्यक है। हमने यह भी किया है कि साल भर में चार बार बी0डी0सी0 की बैठक में जाना अनिवार्य हो। यदि इसके बावजूद कोई अधिकारी नहीं जाता है तो उसके खिलाफ उसके चरित्र पंजिका में उल्लेख किया जाएगा। उसके करेक्टर रोल में यह अंकित किया जाएगा कि बी0 डी0 सी0 की मीटिंग में वह अधिकारी गया है या नहीं। यदि नहीं गया है तो उनके सी0 आर0 में उल्लेख कर दिया जाएगा। मैं इन शब्दों के साथ माननीय सदस्यों को पुनः धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने चर्चा में भाग लिया और माननीय सरदार सिंह जी से निवेदन करूंगा कि यदि ग्राम्य विकास में

उनकी रुचि है और गरीबों और किसानों का वास्तव में हित चाहते हैं, तो अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

(व्यवधान)

श्री राज किशोर सिंह–

मंत्री जी से मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। एक तो यह कि जो सन् 80 से 83 तक ग्राम्य विकास अधिकारियों का प्रशिक्षण हुआ, उसमें अभी तक सबकी नियुक्तियां नहीं हुई हैं, तो इस बारे में आप क्या करेंगे ? दूसरी बात यह है कि सन् 82 में 67 हजार रुपया इकट्ठा हुआ जो पंचायत विकास अधिकारी पदों के लिए लोगों ने फार्म भरे, किन्तु आज तक उनका न प्रशिक्षण हुआ और न इन्टरव्यू हुआ, उनका क्या होगा?

तीसरे जो बड़े-बड़े गांव हैं, जिनकी 3-3 और 4-4 हजार आबादी है, जिनमें 4-4, 5-5 पुरवे हैं, ऐसे बड़ी आबादी वाले गांवों का सम्यक विकास नहीं हो पाता है, तो क्या आप राजस्व विभाग के सहयोग से उन बड़े आकार की गांव सभाओं को तोड़कर छोटी-छोटी गांव सभाएं बना देंगे?

(इस समय 5 बजकर 25 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

एक बात और कहना चाहता हूं कि यह जो कर्जे दिये जाते हैं तो उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है कि तुम सामान यहां से खरीदो या फलां अथराइज्ड डीलर से खरीदो तो यह रोक हटानी चाहिए। जो उसकी पसंद हो वहां से सामान खरीदे। दूसरी बात यह है कि आप आर0 ई0 एस0 और पी0 डब्लू0 डी0 से सड़कें बनवाते हैं तो या तो पी0 डब्लू0 डी0 से ही बनवाइये या फिर आर0 ई0 एस0 से ही बनवायें।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, यह सही है कि करीब एक हजार प्रशिक्षित ग्राम्य विकास अधिकारी जो हैं उनको रोजगार नहीं मिल पाया है, क्योंकि जगहें नहीं हैं। हम प्रयास कर रहे हैं। अन्य विभागों से बात कर रहे हैं कि अगर कहीं पर जगहें उपलब्ध हों तो उनको समायोजित करें लेकिन जगहें उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए उनको समायोजित नहीं किया जा सका है। ग्राम पंचायत अधिकारियों के चयन का जहां तक सवाल है तो प्रदेश के कई जिलों में स्थान खाली हैं। उनका हम शीघ्र चयन कराने के लिए विचार कर रहे हैं। दूसरी चीज जो आपने कहा कि लाभार्थियों पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है तो ऐसी बात नहीं है। जो रजिस्टर्ड दूकानें हैं, उन पर लाभार्थी जाकर सामान खरीद सकते हैं। हम बोरिंग के लिए जो अनुदान दे रहे हैं आधा और तिहाई, लघु कृषकों और सीमांत कृषकों के लिए, उसमें यह आम शिकायतें रहीं हैं कि अगर नकद लेकर जायं तो सस्ता मिलता है और चेक से खरीदने जायं तो महंगा पड़ता है, हजार-बारह सौ रुपये का। इस सम्बन्ध में शासन ने निर्णय लिया है कि मंडलीय विकास निगम तथा एग्रो के माध्यम से किसान को मशीनें उपलब्ध करायी जायं, जिससे उनका शोषण न हो सके। मान्यवर, हमारे कुछ सदस्यों ने निदेशालय की बात कही कि ग्राम्य विकास निदेशालय नहीं बनाया गया है तो मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि शासन ने निश्चय किया है कि ग्राम्य विकास निदेशालय बनाया जाय। यह शासन स्तर पर विचाराधीन है और शीघ्र ही इसकी संरचना की जायगी।

(श्री जयदीप सिंह बरार को पुकारे जाने पर)।

श्री विजय सिंह राणा -

मान्यवर, आप हम लोगों को समय नहीं देते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने बरार साहब को बुला लिया है । बाद में पूछ लीजियेगा ।

श्री मैनेजर सिंह–

आप हम लोगों को भी मौका दिया करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने बरार साहब को बुलाया है। मैं पूंछवा लूंगा ।

श्री मैनेजर सिंह–

मैं आपकी बात नहीं मानता । आप मुझे इंगित करें । ऐसे थोड़े ही चलेगा । हम लोगों को बैठा दिया जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपको मैं बुलवा रहा हूं । आपसे पूछवा लूंगा । मैं मना थोड़े ही कर रहा हूं । इतना तो पीठ पर जो आदमी बैठा है, वह करा ही सकता है ।

श्री मैनेजर सिंह–

मैं बैल पर जाने वाला नहीं हूं।

[* * *]

आप मुझे इंगित करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आपको मना करूं तो मेरी गलती है, मैं तो आपसे भी पुछवा रहा हूं। यह तो उचित नहीं है ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)–

आपको क्रोध नहीं करना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं बरार साहब से निवेदन कर लूंगा । बरार साहब आप बैठ जायं ।

(श्री जयदीप सिंह बरार के बैठने पर मैनेजर सिंह ने अपना आसन ग्रहण कर लिया ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने दो घोषणायें कीं । एक तो यह कि निर्बल वर्ग के लिए आवास बनायेंगे, उनको नगद धनराशि दे देंगे लेकिन यह राजकीय कर्मचारियों के माध्यम से नहीं करेंगे अर्थात् जनता पर विश्वास है । इसके लिए आपको बधाई है । दूसरी एक हजार से पन्द्रह सौ के बीच एन0 आर0 ई0 पी0 में भी प्राथमिकता देने की नीति घोषित कर दी । पहली नीति जो आपने लागू की है । क्या यही नीति आप आई0 आर0 डी0 में भी लागू करने की कृपा करेंगे, वहां पर भी क्या नकद धनराशि देंगे ? यह 1500 का प्रतिबन्ध जिला योजना में तथा आर0 एल0 एल0 ई0 जी0 पी0 में भारत सरकार द्वारा लगाया गया है । बहुत सौ कम जनसंख्या के गांव हैं जहां पर डी0 आर0 डी0 ए0 के माध्यम से सड़कें बनती हैं, क्या वहां भी आप प्रतिबन्ध लगा देंगे? क्या यह स्पष्ट करेंगे कि डी0 आर0 डी0 के0 के माध्यम से जो सड़के बनती हैं उनमें यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, योजनाओं के तहत जो माननीय सदस्य, बरार जी ने कहा कि कैश देंगे इस संबंध में। हमने अपने मूल भाषण में कहा था कि भारत सरकार इसका परीक्षण कर रही है और भारत सरकार इसके लिए एक पाइलेट प्रोजेक्ट चला रही है । प्रदेश के दो विकास खण्डों में इसे देकर देख रही है कि क्या इससे हमारी योजना ज्यादा बेहतर चल रही है ? अगर यह सफल रहा तो भारत सरकार इस पर विचार करेगी कि आगे क्या इसको सभी जगहों पर लागू किया जाय ।

श्री मैनेजर सिंह–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता

नोट:–[* * *] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया

हूं कि आपने दो तीन योजनाओं का जिक्र किया, जो बधाई योग्य योजनायें हैं। जैसे सड़कों की मरम्मत के बारे में, स्कूलों के बारे में घोषणा की। हैन्ड पम्प जो लगे थे, उसकी मरम्मत का कोई प्रबन्ध नहीं था, उसके लिए आपने घोषणा की। यह सब योजनायें बधाई योग्य हैं। आपकी एकीकृत जो योजना है, वह भी स्वागत योग्य है लेकिन इन सारी योजनाओं में जो घपले हो रहे हैं, उन घपलों को रोकने के लिए क्या आप कोई कारगर कदम उठायेंगे ? कोई ऐसी एजेन्सी बनायेंगे जिससे इन घपलों पर रोक लग सके ? कहीं केवल कागजों पर ही नलकूप की नालियों जैसा इसकी सफाई न हो जाय। आप ने कहा कि जिले की कमेटी को अधिकार है कि वह तय करे कि किस माध्यम से कार्य किया जाय। मैं आपको बताता हूं कि बलिया की जिला कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया कि निर्बल वर्ग के लिए बनाये जाने वाले आवासों के लिए आवास विकास को कोई काम जिले में न दिया जाय। वहां पर उनके द्वारा बनाये गये मकानों की छत गिर गई। यह निर्णय लिया गया कि आर0 ई0 एस0 को कोई काम न दिया जाय। इसमें 60 फीसदी भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या आप बलिया को आवास विभाग से मुक्त करेंगे या इस पर अंकुश लगाने के लिए कोई हथियार अपनायेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जो हमारे विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं, मंडलीय स्तर पर, जिला स्तर पर, विकास खण्ड स्तर पर। इसके सत्यापन करने के लिये इसकी जिम्मेदारी विभिन्न अधिकारियों को सौंपी गयी है और जहां तक बलिया के संबंध में माननीय मैनेजर सिंह जी ने शिकायत की है, हम इसकी जांच करवा लेंगे और देखेंगे कि वहां पर घोटाला है या किसी प्रकार की अनियमितता है, तो हम उसकी जांच करवा लेंगे और जो लोग दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी तथा माननीय मैनेजर सिंह जो भी शिकायत देंगे, उसकी जांच हम करा लेंगे।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री ने चौखम्भा राज्य की बात कही है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो चौखम्भा राज्य में एक कड़ी बी0 डी0 सी0 है, जिसमें विकास के कार्यक्रम के सम्बन्ध में अच्छे-अच्छे निर्णय लिये जाते हैं, परन्तु उनको बैठने के लिए कोई समुचित व्यवस्था वहां पर नहीं होती है, वे लोग वहां पर भेड़-बकरी की तरह से बैठते हैं। मान्यवर, चूंकि ब्लाक डेवलपमेंट कमेटी में ग्राम प्रधान लोग बैठ कर अच्छे-अच्छे विकास के सम्बन्ध में निर्णय लेते हैं, उनको माननीय मंत्री जी टी0 ए0, डी0 ए0 देने की कृपा करेंगे?

मान्यवर, दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि जो इस समय बी0 डी0 सी0 का स्वरूप है, उस स्वरूप को बदलने का कष्ट करेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, बी0 डी0 सी0 का स्वरूप बहुत बढ़िया है। उनको हम काम भी ज्यादा दे रहे हैं। मान्यवर, बी0 डी0 सी0 के स्वरूप को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है।

*श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

पर्वतीय क्षेत्र में जितनी भी ग्रामीण रोज़गार योजनाएं चल रही हैं, जैसे आर० एल० ई० जी० पी० और एन० आर० ई० पी०, उसमें जो दैनिक मजदूरी है, वह साढ़े 11 रु० है। तो पर्वतीय क्षेत्र में मजदूर साढ़े 11 रु० में काम नहीं करता है, उसको कम से कम 15 से 20 रु० तक देना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर डबल मस्टर रोल भरे जाते हैं, जैसे पांच आदमी काम कर रहे हैं, तो दस आदमियों की हाजिरी भरी जाती है और यही सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। तो क्या इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए पर्वतीय क्षेत्र में दैनिक मजदूरी बढ़ाने की कृपा करेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, अभी तक मजदूरी साढ़े 8 रु० मजदूरों को मिलती थी, लेकिन श्रम विभाग ने संस्तुति की कि साढ़े 11 रु० मजदूरी होनी चाहिए। हमारे पी० डब्लू० डी०, सिंचाई विभाग, सभी विभाग श्रम विभाग की संस्तुति के अनुरूप साढ़े 11 रु० प्रति दिन की मजदूरी दे रहे हैं।

श्री काशी सिंह ऐरी–

हमारे यहां पर ऐसा नहीं है, मान्यवर।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 4,47,69,74,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 49,61,60,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 19–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध

विभाग (क्षेत्रीय विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 35,55,05,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सत्र आहूत किये जाने के पश्चात् प्रदेश की विद्युत दरों में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

दिनांक 10 फरवरी, 1986 को श्री शतरुद्र प्रकाश जी ने औचित्य का एक प्रश्न उठाया था। जिसमें कहा गया था कि संसदीय लोकतंत्र की मान्यताओं के अनुसार शासन द्वारा नीतिगत घोषणायें सदन में ही की जानी चाहिए, किन्तु श्री राज्यपाल द्वारा दिनांक 6-2-86 से विधान मण्डल का सत्र आहूत किये जाने के पश्चात् दिनांक 1-2-86 से प्रदेश में विद्युत दरों में वृद्धि कर दी गई, जो अनुचित था।

मैंने इस सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री को सुना तथा ऊर्जा मंत्री से भी जानकारी प्राप्त की गयी। शासन से प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुसार निम्नांकित तथ्य प्रकाश में आये हैं:–

1–इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 की धारा 49 के अधीन राज्य विद्युत परिषद् को विद्युत दरों के पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है।

2–योजना आयोग तथा भारत सरकार पिछले दो वर्षों से बिजली की दरों में वृद्धि हेतु दबाव डाल रही थी किन्तु किंचित कारणों से यह संभव नहीं हो पाया था।

3–दिनांक 1-4-85 से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 की धारा 59 में भारत सरकार द्वारा संशोधन के कारण यह अनिवार्य कर दिया गया है कि विद्युत परिषद् को अपनी सम्पत्ति के ऊपर न्यूनतम 3 प्रतिशत का लाभ होना चाहिए।

4–राज्य विद्युत परिषद् ने उपरोक्त परिस्थिति में विद्युत दरों के पुनरीक्षण हेतु 'टैरिफ रेशनलाइजेशन कमेटी' का गठन किया और उक्त कमेटी की रिपोर्ट को ध्यान में रखकर परिषद् ने 1-2-86 से कतिपय श्रेणी के उपभोक्ताओं के संबंध में विद्युत दरों में वृद्धि की है।

विद्युत सप्लाई एक्ट 1948 की धारा 49 तथा 59 की पृष्ठभूमि में यह स्पष्ट है कि दिनांक 1-2-86 से प्रभावी वृद्धि राज्य विद्युत परिषद् ने की है चूंकि उक्त वृद्धि शासन द्वारा नहीं की गई है, अतः औचित्य के प्रश्न का कोई मामला अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

श्री शतरुद्र प्रकाश ने लोकसभा की कार्यवाही दिनांक 23-2-83 का हवाला दिया है, जो पेट्रोलियम पदार्थों के बारे में है। वर्ष 1983 में पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में वृद्धि भारत सरकार द्वारा की गई थी किन्तु प्रश्नगत मामले में मूल्य वृद्धि राज्य सरकार द्वारा नहीं बल्कि विद्युत परिषद् द्वारा की गई है। यदि सत्र आहूत होने के उपरान्त या सत्र के दौरान शासन द्वारा कोई नीतिगत घोषणा सदन के बाहर की जाय तो वह औचित्य का प्रश्न बन सकता है। पर जहां दरों में वृद्धि शासन के अतिरिक्त किसी अन्य संस्था द्वारा किया जाए और कानून द्वारा उसे ऐसा अधिकार प्राप्त है, तो उसे औचित्य के प्रश्न के माध्यम से उठाना उचित नहीं प्रतीत होता। अतः लोक सभा का उदाहरण इस मामले में लागू नहीं होता। अतः औचित्य के प्रश्न की सूचना निरस्त की जाती है।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत 11 सूचनाएं प्राप्त हुई । श्री रामसागर जी की नियम 51 के अन्तर्गत सूचना जो श्री ओम प्रकाश ब्लाक प्रमुख व श्री राम वृक्ष, खण्ड विकास अधिकारी गोरखपुर पर हमले के सम्बन्ध में है, स्वीकृत तथा शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुई हैं ।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में कैट स्केन मशीन उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अंतर्गत वक्तव्य

एक सदस्य–

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)–

[के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के न्यूरो सर्जरी विभाग में हेड कैट स्केनर संयंत्र लगाने के लिए शासन द्वारा वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रकार के संयत्रों को शासन द्वारा निर्धारित स्टोर पर्चेज रूल्स के अन्तर्गत ही क्रय किया जाता है । इस संयंत्र को सीधे क्रय किये जाने के सम्बन्ध में शासन ने दिनांक 2-1-86 को स्वास्थ्य सेवा निदेशक को डी0पी0ए0 (डाइरेक्ट परचेज अथारिटी) की स्वीकृति प्रदान की है । संबंधित फर्म को 20 जनवरी, 1986 को इस संयत्र की आपूर्ति का आदेश दे दिया गया है। संबंधित कम्पनी को इस जापानी संयंत्र की आपूर्ति में 5–6 माह का समय लग सकता है। इस बीच किंग जार्ज मेडिकल कालेज में इस संयंत्र के लिए कमरों तथा एयर कण्डीशनर इत्यादि की व्यवस्था पहले से की जा रही है, ताकि मशीन की प्राप्ति होने पर यथाशीघ्र इसका उपयोग किया जा सके।

इसके अतिरिक्त किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के रेडियोलोजी विभाग में होलबाडी कैट स्केन का संयंत्र लगाया जाना भी प्रस्तावित है । यह संयंत्र जापान सरकार द्वारा भारत सरकार को दी जाने वाली सहायता के अन्तर्गत होगा। जापान से होलबाडी कैट स्कैन की प्राप्ति की सूचना प्रतीक्षित है। जैसे ही इसके प्राप्त होने की सूचना मिलेगी, इसे स्थापित करने की कार्यवाही में गति आयेगी। इस संयंत्र को स्थापित करने हेतु भवन निर्माण के लिए शासन द्वारा 10 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं तथा आवश्यक पद भी सृजित किये जा चुके हैं।]

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के वक्तव्य के संदर्भ में कहना चाहूंगा। क्या माननीय मंत्री जी यह सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे, जैसा कि बयान में कहा गया है कि पांच-छः महीने के अन्दर निश्चित रूप से हेड कैट स्केनर लग जाय, ताकि यह और न टल सके? मान्यवर, मेरी अपनी सूचना है कि वहां के डाक्टर इसमें इन्ट्रस्टेड हैं कि वहां यह मशीन न लगे। वहां प्राइवेट मशीन लगी हुई है; उस पर एक माह में एक हजार रुपये चार्ज किया जाता है। जिसमें इनको कमीशन मिलता है, तो क्या गरीबों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए इसको पांच-छः माह में लगवाने की व्यवस्था करायेंगे?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

इसका प्रयास किया जा रहा है कि यह शीघ्रातिशीघ्र लग जाए।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, यह जो मशीन है, यह जापान से मंगानी है। हालबाडी कैट स्केन संयंत्र मिल चुका है, उसको लाने और लगाने की समस्या है। क्या माननीय मंत्री अपना प्रयास करके सदन को आश्वस्त करेंगे कि किसी निश्चित अवधि के अन्दर यह लग जायेगी?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

यह जापान से दान स्वरूप मिली है। अक्टूबर 85 में यह स्वीकृत हुई। अभी उनके लोग आये थे । जहां लगाना है, स्थान को स्वीकृत कर गये हैं। भारत सरकार की सहायता से यह हमको मिल रही है। अब इसमें कोई अड़चन नहीं रह गई है।

श्री उपाध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, सोमवार को 11 बजे पुन: बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 45 मिनट पर सोमवार 10 मार्च, 1986 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया|)

लखनऊ:

7 मार्च, 1986

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिए अता0प्र0सं0 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 28 पर।)

गांव वमरौली कटारा, आगरा के नलकूप उपभोक्ताओं के विद्युत बकाये की तालिका

क्रमांक	उपभोक्ताओं का नाम व पता	बिलिंग माह 12/85 तक की बकाया की धनराशि रुपए
1	श्री राम अवतार पुत्र श्री चिरंजी लाल वमरौली कटारा, आगरा	1,138.50
2	श्री केशव सिंह, शिव सिंह पुत्र श्री रंजोत सिंह, वमरौली, कटारा, आगरा।	1,138.50
3	श्री लक्ष्मी सिंह पुत्र श्री जीवाराम, वमरौली कटारा, आगरा . .	7,102.84
4	श्री नेम सिंह पुत्रश्री राजवीर सिंह, वमरौली कटारा, आगरा . .	2,268.00
5	श्रीमती राजकुमारी पत्नी सीमाधर, वमरौली कटारा, आगरा . .	3,577.95
6	श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री मनोहर लाल, वमरौली कटारा, आगरा।	1,321.00
7	श्री दुर्गा प्रसाद पुत्र श्री बिहारी लाल, वमरौली कटारा, आगरा . .	2,782.00
8	श्री जमुना प्रसाद पुत्र श्री राम प्रसाद, वमरौली कटारा, आगरा . .	1,186.50
9	श्री रघुवर दयाल पुत्र श्री करन सिंह, वमरौली कटारा, आगरा . .	14,254.12
10	श्री पदम सिंह पुत्र श्री किशन लाल, वमरौली कटारा, आगरा . .	5,538.06
11	श्री भगवान सिंह पुत्र श्री झम्मन सिंह, वमरौली कटारा, आगरा . .	3,174.00
12	श्री राजवीर सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह, वमरौली कटारा, आगरा।	2,005.20
13	श्री पी0के0 राना पुत्र श्री ओम प्रकाश राना, वमरौली कटारा, आगरा।	16,239.95 बकाया 7/85 तक
	योग	61,726.62

नत्थी "ख"

(देखिए अता0प्र0सं0 48 का उत्तर पीछे पृष्ठ 44 पर।)

(धनराशि लाख रुपयों में)

	वर्ष 1980–81	वर्ष 1981–82	वर्ष 1982–83	वर्ष 1983–84	वर्ष 1984–85
1–वितरित ऋण कृषि ऋण समितियों को।	149.61	22?.61	299.45	384.59	102.32
2–वसूली :					
(अ) मूलधन	101.86	149.66	209.17	211.22	68.34
(ब) ब्याज	28.92	44.51	57.21	62.68	65.49
3–कर्मचारियों/ अधिकारियों को भुगतान किया गया वेतन	7.84	8.88	10.07	12.01	14.48

नत्थी "ग"

(देखिए अत0 प्र0सं079 का उत्तर पीछे पृष्ठ 52 पर।)

खातेदार श्री सभा प्रताप सिंह पुत्र गंगा प्रताप सिंह, निवासी मल्लापुर की अतिरिक्त घोषित भूमि के अनुसूचित जाति के पट्टेदारों की सूची

क्रमांक	पट्टेदार एवं उनके पिता का नाम	क्रमांक	पट्टेदार एवं उनके पिता का नाम
	ग्राम मल्लापुर		
	शून्य		
	ग्राम काशीपुर		**ग्राम अपईपुर**
1	श्री मंगली पुत्र होली चमार	1	श्री नान्हू पुत्र माधौ
2	श्री रामचरन पुत्र बदलू चमार	2	श्री मैकू पुत्र रेवती
3	श्री मोह पुत्र ननकऊ कोरी	3	श्री भागू पुत्र धूप
4	श्री प्रभु पुत्र तुलसी चमार	4	श्री रामचरन पुत्र मंगली
5	श्री मैकू पुत्र तुला	5	श्री मुल्लू पुत्र तुला
6	श्री बदलू पुत्र हुलासी	6	श्री झब्बू पुत्र मक्का
7	श्री सतनू पुत्र जुगली	7	श्री परागो पुत्र कंघई
8	श्री हरद्वारी पुत्र मतई	8	श्री शिवदीन पुत्र फकीरे
9	श्री मंगरे पुत्र प्रभू	9	श्री भोंदू पुत्र इतवारी
10	श्री मुल्लू पुत्र इमाम बक्श	10	श्री बंशी पुत्र सुकई
11	श्री छोटन्नी पुत्र इमाम बक्श	11	श्री रामेश्वर पुत्र फकीरे
12	श्री भगौती पुत्र इमाम बक्श	12	श्री विलास पुत्र परवन
13	श्री अधीन पुत्र सक्टू पासी	13	श्री रघुवीर पुत्र मोती
14	श्री भगवानदीन पुत्र कल्लू	14	श्री बुद्धा पुत्र हुब्बा
15	श्री बाबू पुत्र कल्लू	15	श्री चुरई पुत्र बहरउची
16	श्री सियाराम पुत्र कल्लू	16	श्री बुधई पुत्र दूजी
		17	श्री सीताराम पुत्र छेद्दू
		18	श्री मथुरा पुत्र गंगा
		19	नन्दा पुत्र मोल्हे
		20	लीला पुत्र गोपाल
		21	खुशी राम पुत्र सुक्खन
		22	सुकई पुत्र बहरउची
		23	कंघई पुत्र गोपाल

नत्थी "घ"

(देखिए अता0प्र0सं0 127 का उत्तर पीछे पृष्ठ 62 पर)

तालिका–1

विद्युत वितरण खण्ड बलिया

बलिया के शहरी सब-डिवीजन में वर्ष 1984–85 की अवधि में हुई लाइन लासेस का माहवार विवरण

माह	शहरी फीडर के लाइन लासेस का प्रतिशत	
	11 के0वी0 शहर नं0 1	11 के0वी0 शहर नं0 2
4–84	11.0	12.7
5–84	9.1	14.2
6–84	6.5	16.2
7–84	15.6	14.2
8–84	12.0	11.7
9–84	13.0	12.9
10–84	12.0	19.9
11–84	9.4	8.5
12–84	8.7	9.2
1–85	9.3	9.7
2–85	11.2	12.3
3–85	9.0	12.9

तालिका—1

बिल्थरा रोड सब-डिवीजन के विभिन्न पोषकों की 4/84 से 3/85 तक की लाइन हानियों की तालिका।
डिवीजन का नाम—विद्युत वितरण खण्ड, बलिया।

क्रम-सं0	पोषकों का नाम	लाइन हानि का मासिक विवरण (लाइन लास का प्रतिशत)											
		4/84	5/84	6/8	7/84	8/84	9/84	10/84	11/84	12/84	1/85	2/85	3/85
1	33/11 के0वी0 सब-स्टेशन नगारा												
	(अ) उत्तर	6.68	7.4	8.5	5.3	8.2	5.6	5.3	4.2	4.7	4.6	4.6	4.10
	(ब) पूर्व	5.3	4.7	5.1	4.9	6.7	5.5	4.1	3.8	4.2	5.2	4.3	5.5
	(स) देवकली]	6.2	5.4	6.8	5.8	2.2	9.1	6.4	5.1	6.7	5.9	5 0	0.3
2	33/11 के0वी0 सब-स्टेशन सिकन्दपुर												
	(अ) शहर	12.3	1.8	8.9	7.6	8.1	4.8	2.4	1.2	11.2	12.9	3.7	2.1
	(ब) खजुरी	19.3	5.9	8.6	10.4	2.0	6.9	6.8	6.7	13.2	9.0	7.1	11.9
	(स) बन्सी बाजार]	10.3	6.4	13.7	7.5	11.2	9.6	12.7	5.5	9.6	11.2	5.8	9.6]
3	33/11 के0वी0 सब-स्टेशन बिल्थरा रोड												
	(अ) नहर	2.79	4.17	0.4	1.4	3.5	0.6	1.2	5.7	2.3	5.8	3.4	1.1
	(ब) छितौना	3.6	9.0	1.0	..	..	..	..	..	1.0	1.3	1.5	2.03
	(स) सोनाडीह	1.1	1.0	0.1	1.0	3.4	0.9	1.0	4.3	1.3	1.1	1.2	1.34

नोट—33 11 के0वी0 सब-स्टेशन बिल्थरा रोड के शहरी पोषक पम्प नहर पोषक से जुड़ा है।
11 के0वी0 छितौनी फीडर 7 84 से 11 84 के अवधि में सोनाडीह फीडर से जुड़ा रहा।
33/11 के0वी0 सब-स्टेशन नगारा का 11 के0वी0 शहरी फीडर नगारा 4/84 से 3/85 की अवधि में उत्तरी फीडर से जुड़ा रहा।

पी0 एस0 यू0 पी0—एल0 57 विधान सभा (97)—1986—813।